राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १६६४ का ३४वां दिवस [संख्या २६

बुधवार दिनांक, २५ मार्च, १६६४

विधान सभा की बैठक ८·४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पुनर्स्थापन, न्याय]

जमीन का एलॉटमेंट

६३४. श्री मजलिस खां (कामां): क्या सहायता एवं पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि जिला अलवर के मेव व दीगर मेव मुसलमानों के बहुत से परिवारों को सब-तहसील, गोविन्दगढ-रामगढ में अभी तक कतई जमीन एलॉट नहीं की गई है?

(२) यदि हां, तो ऐसे कितने परिवार हैं ?

उप-मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री परसराम मदेरणा) : (१) हां, यह सही है सब-तहसील रामगढ और गोविन्दगढ में ऐसे मेव परिवार हैं जिनको अभी कुछ भूमि देनी शेष है।

(२) सब-तहसील रामगढ में ३६ गोविन्दगढ में, २१४, कुल २५३ परिवार हैं।

श्री मजलिस खां: क्या कारण है कि अभी तक यह प्रश्न हल नहीं हो सका है ?

श्री परसराम मदेरणा: कारण यह है कि रामगढ और गोविन्दगढ में भूमि ऐसी है नहीं जो शेष मेवों को दी जा सके। उन गांवों में जहां पर वे रहते हैं ऑल्टरनेटिव आकर डिसप्लेस्ड पर्सन्स बस गये हैं। इसलिये वहां भूमि शेष नहीं है। इसके अलावा दूसरी तहसीलों में उनको जमीन ऑल्टरनेटिव बताई गई है लेकिन मेव लोग वहां जाना पसन्द नहीं करते।

श्री मजलिस खां: क्या यह सही है कि इन्होंने लक्ष्मणगढ तहसील में जमीन के लिये एप्लाई किया था लेकिन जमीन नहीं दी गई ?

श्री परसराम मदेरणा: यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि लक्ष्मणगढ में जमीन लिये एप्लाई इन्होंने किया और नहीं दी गई। अलवर जिले में जहां पर भी जमीन है वहां ये मेव फेमीलीज जाने को तैयार हैं तो राज्य सरकार उनको जमीन देगी।

Page No. 2

श्री मक़लिम खां : क्या इन्होंने हर तहसील के लिये एप्लाई किया फिर भी इनको जमीन नहीं दी गई ?

श्री परसराम मदेरणा: ऐसी बात नहीं है। यह सब एक ही जगह रहना चाहते हैं। एक जगह सब के लिये जमीन उपलब्ध नहीं हो सकती।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या आप यह बता सकते हैं कितनी जमीन किस किस तहसील में बाकी है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह बताना इस समय मुश्किल है लेकिन जो अभी तक फेमीलीज को जमीन दी गई उसके अलावा २,६८७ बीघा जमीन देना बाकी रहा है २१४ परिवारों को । ३,७५२ को दे चुके हैं, २,२६२ बाकी रह गये हैं। ६८ परिवार ऐसे हैं जिनको ७२५ बीघा जमीन दी है। ३१० में से २४२ को दी जा चुकी है।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर): किस जगह की भूमि ऑफर की, जहां वे नहीं गये ?

श्री परसराम मदेरणा : अलवर की ६ तहसीलें हैं। ३१० परिवारों में करीब २५३ परिवार इन दो तहसीलों में हैं। ये जो परिवार बाकी बचे हैं वे भी रामगढ़ और गोविन्दगढ़ में जमीन लेना चाहते हैं। वहां जमीन है नहीं। उसके बजाय ऑल्टरनेटिव जमीन देने का प्रोपोजल रखा, वह स्वीकार नहीं किया। ये उसी गांव में जाते हैं या एडजॉइनिंग एरिया में चाहते हैं जहां जमीन है नहीं।

श्री भीमसेन : किस-किस तहसील और किस किस जगह जमीन है ?

श्री परसराम मदेरणा : जमीन जरूर ऑफर की गई है लेकिन यह स्टेटमेन्ट मेरे पास नहीं है कि कहां-कहां जमीन ऑफर की गई। जानकारी अगर इस बारे में चाहते हैं तो वह मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आप एक परिवार को तीन जगह जमीन देना चाहते हैं तो वह कैसे लेगा ? जितनी जमीन कस्टोडियन द्वारा तय हुई है वह आप एक ही जगह दे दें तो उनको लेने से इन्कार नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : पीस मील में जमीन किसी को देने का नहीं था। यह बात जरूर थी कि जिन तहसीलों में वे जमीन चाहते हैं उनमें है नहीं। इसके अलावा कस्टोडियन द्वारा जितनी भूमि उनको दिये जाने के लिये कहा है उनको हम पूरी की पूरी जमीन देने को बाध्य हैं और देंगे। क्लेम जितना बनता है वह दी जायगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलवर जिले की किस तहसील में जमीन खाली है जहां आपने देने के लिये कहा और उन्होंने नहीं लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : एक-एक तहसील में कितनी जमीन बाकी है यह इस समय मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन काफी जमीन दी जा चुकी है। ६,८१७ परिवारों को १ लाख १८ हजार ८२६ बीघा जमीन दी जा चुकी है। ३१० में से २४२ के संबन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है। ५७ रहते हैं जिनको बिलकुल नहीं दी गई है।

श्री मजलिस खां : सरकार इस मसले को हल करेगी?

श्री परसराम मदेरणा : मेवों का मामला अहमियत रखने वाला मामला है। जिन मेवों को जमीन देना शेष है उनको दी जायगी...Provided that

एक सदस्य : अलवर जिले में कहीं भी जमीन खाली नहीं है।

श्री मजलिस खां : ये लोग १७ साल से बिना जमीन रह रहे हैं। कहीं भी-तिजारा, किशनगढ़-आदि किसी भी जगह जमीन नहीं मिलती है?

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेन्ट की तरफ से जो कहा जाता है उसको ऑथेन्टिक मानना चाहिये। कई दफा ऐसा होता है कि गलतफहमी होती है। मेरे पास में आप एक एप्लीकेशन लेकर आये थे, कहा था कि मेवों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। वह रेवेन्यू बोर्ड का फैसला था उसको हम तोड़ नहीं सकते। ऐसी हालत में जितनी भी जमीन हमें खाली मिलती है वह हम देते हैं। लेकिन एक ही स्थान पर वे सब लेना चाहें इतनी जमीन हमारे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या ६३५

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल कालाबादल।

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द जैन।

सुजानगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट

६३६. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि सुजानगढ में मुन्सिफ कोर्ट कायम किये जाने की मांग एक लम्बे अर्से से बराबर की जा रही है?

(२) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने वहां पर मुन्सिफ कोर्ट कायम किये जाने का निर्णय काफी समय पूर्व ले लिया था? यदि हां, तो उसके अब तक क्रियान्वित नहीं होने के क्या कारण हैं?

उप-मंत्री, विधि एवं न्याय (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

श्री फूलचन्द जैन : पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा 'जी हां' और दूसरे के लिए कहा 'जी नहीं', तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि आपके सामने यदि इस बात के प्रमाण प्रस्तुत कर दिये जायें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी ओर से रिकमन्ड किया है तो उस दशा में आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं?

श्री परसराम मदेरणा: राज्य सरकार के पास जो रिप्रेजेन्टेशन आया। वहां पर कोर्ट एस्टेब्लिश करने के लिए जस्टिफिकेशन है या नहीं, इसके लिए राज्य सरकार उन सभी एप्लीकेशन्स को हाई कोर्ट के पास ओपीनियन के लिए भेजती है। आपके कई रिप्रेजेन्टेशन्स आये थे और जो हाई कोर्ट ने आखिरी जवाब दिया है वह ११ जनवरी, १९६४ को दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि सुजानगढ़ में अलग से मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऐस्टेब्लिश करने लिए कोई जस्टीफिकेशन नहीं है, क्योंकि आज जो सिविल जज और मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट रतनगढ़ है जिसमें आपका क्षेत्र

(श्री परसराम मदेरणा)

आता है वहां पर मुकदमों की संख्या ४१४ है और हाई कोर्ट का जो क्राइटेरिया फिक्स है वह प्रिसाईडिंग ऑफिसर के लिए पूरे साल के लिए है कि कम से कम ५०० केसेज होने चाहिए। और डूंगरगढ़, सुजानगढ़ और रतनगढ़–इन तीनों तहसीलों को मिलाकर ४१४ केसेज ही होते हैं। इसलिए सुजानगढ़ में अलग से मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट कोर्ट कायम करने का जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर भी जुडीशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेप्रेट करने का पूरा प्रश्न जब आयेगा तो इस पर डेफीनेटली विचार किया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई: लेकिन सुजानगढ़ में केसेज ज्यादा हैं या रतनगढ़ में?

श्री फूलचन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, सुजानगढ़ में केसेज ज्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर किसी जमाने में निजामत थी, तहसील थी और उससे पहले कलेक्टरी भी थी। यह सब हटा दिये गये और बराबर यह मांग की जा रही है कि यहां मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट कोर्ट कायम की जानी चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या जुडीशियरी के सेपरेशन के समय पर इसको टॉप-प्रायोरिटी देकर मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट कोर्ट कायम किये जाने के प्रश्न को सीरियसली कन्सीडर करेंगे?

श्री परसराम मदेरणा: अलग-अलग तहसील में अलग-अलग केसेज हैं लेकिन यह कितने केसेज किस तहसील के हैं यह इनफार्मेशन मेरे पास इस समय नहीं है। लेकिन तीनों तहसीलों के केसेज १९६३ में ४१४ हैं उनमें से २५४ केसेज तो डिसपोज ऑफ हो गये हैं और २९५ केसेज पेन्डिंग है लेकिन जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि जब कि कुल सेपरेशन का प्रश्न गवर्नमेंट के सामने और हाई कोर्ट के बीच में आयेगा उस समय दुबारा इस पर डेफीनेटली कन्सीडरेशन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री नत्थीसिंह।

मेव फेमिलीज को घर तथा जमीन की वापसी अलवर

६३७. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़):– क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) अलवर में कितनी मेव फेमिलीज ऐसी हैं जिनको उनकी जमीन और घर वापिस नहीं हुए हैं?

(२) उनको जमीन और घर न मिलने का क्या कारण है तथा अब कब तक उनके लिए जमीन और घर की व्यवस्था हो जायेगी?

उप-मंत्री, पुनर्वास (श्री परसराम मदेरणा): (१) अलवर जिले में केवल ३१० मेव परिवारों को भूमि देनी शेष है। घर लगभग सब मेवों को वापिस दिये जा चुके हैं।

(२) भूमि मेवों की ग्रामों में नहीं थी और वे लोग दूसरे ग्रामों में जाने के लिए तैयार नहीं हुए; अतः समस्या ज्यों की त्यों है। आशा है कि जून, १९६४ तक इस समस्या का समाधान हो जावेगा।

श्री नत्थीसिंह: ऐसा है, आपने जो अभी कहा कि दूसरी जगह जाने के लि

(श्री नत्थीसिंह)

वह तैयार नहीं है यह बिलकुल गलत है। मैं वहीं रहता हूं और फिर यह कहता हूं कि अलवर और भरतपुर में कहीं भी जहां भी जमीन हो वह जाने के लिए तैयार है। किस–किस तहसील में और किस–किस डिस्ट्रिक्ट में आपने उनको आफर किया है?

श्री परसराम मदेरणा: अलवर डिस्ट्रिक्ट में ऑफर किया। अब कौनसी तहसील में कौन से गांव में ऑफर की इसके नाम इस समय मेरे पास नहीं हैं....

श्री नत्थीसिंह: नहीं......

श्री परसराम मदेरणा: I take exception to this! माननीय सदस्यों का यह कहना कि हर बात गलत कहता हूं तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो बात मैं कह रहा हुं वह बहुत सोच समझकर कह रहा हूं। रात में जो अलवर में डिप्टी कलेक्टर थे उनसे पूरे कागजात मंगाकर देखने के बाद यहां रिप्लाई दे रहा हूं। और गवर्नमेन्ट के रिप्लाई को एक स्वीपिंग रिमार्क्स से कहना कि गलत है, यह ठीक नहीं। हमने अॉल्टरनेटिव जमीन दी है। आज मेरे पास यह इनफॉरमेशन नहीं है। अगर इस प्रकार का आदेश दें तो मैं वह इनफॉर्मेशन भी कि कौन २ सी जगह, कितनी कितनी जमीन ऑल्टरनेटिव प्रोपोजल से दी और उन्होंने मन्जूर नहीं की। अब ऐसे कितने मेव हैं जिनके लिए आपने पूछा, वह मैने इत्तला दे दी।

श्री नत्थीसिंह: क्या उप-मंत्री जी यह आश्वासन देते हैं कि अलवर, भरतपुर में कहीं भी जमीन दे सकते हैं किसी भी तहसील में?

श्री परसराम मदेरणा: भरतपुर का प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिर्फ अलवर के बारे में पूछा है।

श्री नत्थीसिंह: मैं अलवर की ही नहीं भरतपुर की बात करता हूं। उनको कहीं भी जमीन होगी वहां दी जायेगी?

श्री परसराम मदेरणा: अगर आप भरतपुर की बात कर रहे हैं तो अलग से नोटिस दीजिए।

श्री नत्थीसिंह: अलवर और भरतपुर में कहीं भी जमीन देने के लिए तैयार हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य का यह कहना है कि भरतपुर में भी मिल जाय तो वह जाने के लिए तैयार हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय, इस बारे में डिमान्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पर प्रेशर ऑफ लेण्ड बहुत ज्यादा है इसलिए भरतपुर में अलॉटमेन्ट किया जा सके, यह बहुत ही मुश्किल बात है।

श्री नत्थीसिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने भी एक बार चुनावों के समय पर गोविन्दगढ़ में आश्वासन दिया था कि जमीन देंगे और आज १७ साल हो गये। मैं कहता हूं कि वह वहां गये....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं स्पष्ट कर दूं। मैंने उस समय भी जो कुछ कहा वह यह कहा था कि जो रिफ्यूजीज वहां पर हैं, राजस्थान कैनाल के अन्दर जब पानी आयेगा तो यहां लैण्ड सरेन्डर कर दें तो उनको वहां दी जा सकती है और वे यहां जमीन सरेन्डर कर देंगे तो उसके एवज में अलवर में उनको और रीहैबीलीटेट करने के लिए सहूलियतें पैदा हो सकती हैं।

श्री नत्थीसिंह: इस विषय में आपने क्या कार्यवाही की वह तो जाने के लिए तैयार हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: अभी राजस्थान कैनाल के अन्दर पानी नहीं आया है।

श्री नत्थीसिंह: वह तो पहले भी जाने के लिए तैयार हैं। मैं आपके सामने पेश कर दूं, वह यहीं बैठे हैं। आप उनको नहीं भेजना चाहते हैं और अधर लटकाये रखना चाहते हैं। १७ साल से आपके समक्ष बात ही नहीं आई। अभी माननीय उप-मंत्री जी ने कहा है वह सेन्ट-पर्सेन्ट गलत है कि मकानों की पूरी व्यवस्था हो गयी। उनको पूरे मकान नहीं मिलें हैं, मैं आप चाहें तो लिस्ट दे सकता हूं। मकानों की कीमतें उनको देनी पड़ेगी। आपने कहा कि मकानों की पूरी व्यवस्था हो गयी, मैं कहता हूं कि ऐसे-ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी लाख-लाख रुपये की कोठी थी आज वह झोंपड़ी में रह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा: मकानों के संबंध में जो इनफॉर्मेशन हमारे पास में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की तरफ से रीजनल सेटलमेन्ट कमिश्नर ने दी है उसी के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने कच्चे मकानों की रेट्स तय कर दी थीं और पक्के मकानों का वेल्युएशन कर दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि कितना कम्पन्सेशन देना चाहिए, कितना क्लेम है यह भारत सरकार तय करती है, राज्य सरकार नहीं। इसलिए इसकी इनफॉर्मेशन जो उन्होंने दी वह हमने आपको दे दी। उत्तर गलत देने की बात नहीं है और ऐसे केस हैं कि जिनके क्लेम्स के अगेन्स्ट में उनको रकम नहीं दी गयी है अगर आप इस ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलायेंगे तो हम रीजनल सेटलमेन्ट कमिश्नर से बातचीत करके उसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे।

श्री नत्थीसिंह: अब तक क्यों नहीं हुआ? १७ साल पूरे हो चुके और जो अच्छे मकानों और हवेलियों में रहते थे, वे आज झोंपड़ों में रहते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन घर का प्रबन्ध भी नहीं। मान लिया कि जमीन इसलिये नहीं मिली कि जमीन की कमी है। आपका यह जवाब कुछ हद तक ठीक हो सकता है कि तब वे तैयार नहीं थे, अब तैयार हैं। पर मकान की कीमत और बदले में मकान क्यों नहीं मिले?

श्री परसराम मदेरणा: यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सम्बन्ध रखता है मामला इसलिये हम नेगोशियेट ही कर सकते थे। उनको सलाह ही दे सकते थे कि उनको मकानों के एवज में कम्पेन्सेशन मिले। और इसके लिये राजस्थान सरकार ने बराबर चेष्टा की है। लेकिन मैं समझता

Page No. 7

(श्री परसराम मदेरणा)
हूं कि यह राज्य सरकार पर जिम्मेदारी नहीं थी कि वह आल्टरनेट मकान देती । उनके नाम रजिस्टर करना, सेंसस करना यह सब भारत सरकार के विभाग से सम्बन्धित हैं। पर फिर भी मैं एश्योर करता हूं कि अगर कोई निश्चित केस, मामला, पॉईन्ट आउट आप करेंगे तो निश्चित तौर से भारत सरकार के प्रतिनिधि के साथ हम बात करेंगे और कहेंगे कि इनको कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये। पर हमारी पोजीशन को भी आपको रिएलाइज करना चाहिये। उनको आल्टरनेटिव रिफ्यूजी की जमीन दी है गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि ने दी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): मजलिस खां के उत्तर में बताया था कि हम निश्चित तौर से दूसरी तहसील में जमीन देना चाहते हैं और मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि दे नहीं सकेंगे क्योंकि जमीन हमारे पास इतनी नहीं है, इसलिये असमर्थ हैं। तो इन दो अलग-अलग स्टेटमेन्ट को आप रिकन्साइल कैसे करेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : आपने तो भरतपुर को जोड़ दिया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अलवर के लिये कहा कि पर्याप्त मात्रा में जमीन है, जाने को तैयार हों तो दे सकते हैं, अब मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि देने में असमर्थ हैं, जमीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो दोनों विरोधी बयान हैं। आप इसको एक्सप्लेन करें क्योंकि एक ही प्रश्न है दोनों का।

प्रश्न संख्या ६३८

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्ण कुमार गोयल

कोटा ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड, कोटा में सरकार के शेयर्स

६३९. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) कोटा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, कोटा में राजस्थान सरकार के कितने लाख रुपये के शेयर्स हैं और कब से?

(२) उक्त शेयर्स के एवज सरकार को कब-कब कितना-कितना डिविडेन्ड प्राप्त हुआ?

(३) अगर नहीं, तो क्यों तथा सरकार ने अपने शेयर्स की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की?

उत्तर आ चुका है इसका पहले।

(सदन में उत्तर नहीं दिया गया)

ग्राम करनपुरा और रामगढ़ के दरम्यान सड़क

६४०. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि भादरा नोहर सड़क पर ग्राम करनपुरा व ग्राम रामगढ़ के दरम्यान करीब सात मील सड़क पर अभी हाल ही में डामर, तारकोल व कंक्रीट

(श्री हरदत्तसिंह)
बिछाया गया है लेकिन इस पर लेवलिंग सही नहीं किया गया है जिससे यह सड़क उपरोक्त क्षेत्र में उबड़ खाबड़ हालत में बनी है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री : (श्री हरिश्चन्द्र) : यह सही नहीं है। डामर का कार्य प्रगति पर है ।

श्री हरदत्तसिंह : मैंने तो यह पूछा है कि लेवलिंग नहीं किया गया है । लेवलिंग और ड्रेसिंग पूरा होना चाहये।

श्री हरिश्चन्द्र : आपका क्या कहना है ?

श्री हरदत्तसिंह : मेरा यह कहना है कि कंक्रीट पहले बिछाई जाती है, फिर उसका लेवलिंग और ड्रेसिंग करके डामर डाला जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र : There is no such thing as 'concrete'.

कंक्रीट क्या है ? कंक्रीट जैसी चीज नहीं है ।

श्री हरदत्तसिह : कन्क्रीट यानी गिट्टी पहले डाली जाती है फिर डामर डाला जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र: डामर डाला जा रहा है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : (हवा महल, जयपुर) : How can you put the horse before the cart ?

श्री रामकिशन (वैर) : आप तो सदन में भी इस विचार से बात कर रहे हैं कि जैसे यहां भी कंक्रीट पड़ी हो।

ग्राम पंचायत, कुडगांव द्वारा खाद की खरीद

६४१. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत, कुडगांव ने पंचायत समिति, सपोटरा से ४५ बोरी खाद लिया था ?

(२) क्या यह भी सच है कि खाद की कीमत ३६ रुपये प्रति बोरी थी ?

(३) क्या यह भी सच है कि ग्राम पंचायत, कुडगांव के सरपंच ने रु० ४०) से लेकर रु० ४४) तक प्रति बोरी के हिसाब से उसे बेची है ?

(४) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में कलेक्टर व एस० डी० ओ०, करोली ने जांच की और वह सही पाई गई है ?

(५) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिये मन्जूरी मांगी थी ?

(६) क्या यह भी सच है कि गिरफ्तारी न करके डिपार्टमेन्टली जांच कराने का आदेश दिया गया और वह जांच अभी तक नहीं की गई है ?

(७) यदि हां, तो सरकार उस मामले में क्या सोच रही है ?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां । कुल ४४२ बोरी थी ।

(२) प्रति बोरी ३८ रुपया अमोनियम सल्फेट की व २०.३१ रु० सुपरफास्फेट की कीमत थी ।

Page No. 9

(श्री भीखाभाई)

(३) जी हां । अमोनियम सल्फेट रु० ४०) से रु० ४४) तक व सुपरफास्फेट रु० २३.२५ नये पैसे बेचा गया था ।

(४) जी हां ।

(५) जी हां ।

(६) जी हां, किन्तु जांच पूरी हो गई है ।

(७) सरपंच के विरुद्ध फौजदारी मुकद्दमा चलाने की स्वीकृति देदी गई है ।

श्री श्रवण लाल : कितना ब्लैक किया इन ४४२ बोरियों में ?

श्री अध्यक्ष : अब तो मुकद्दमा चलाने की इजाजत मिल चुकी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): इस जांच से किस प्रकार का जुर्म साबित पाया गया ? डिपार्टमेन्टल और जूडिशियल इन्क्वायरी हो जावे, प्रोसीक्युशन की इजाजत हो जावे पर उसको आप बराबर उस पोस्ट पर काम करने से रोकना नहीं चाहते, उसको सस्पेन्ड नहीं कर सकते ?

श्री भीखाभाई : मुझे इसकी जानकारी नहीं है । सस्पेन्ड नहीं हुआ होगा तो कर दिया जायेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह एटीट्यूड आपका बहुत बढ़िया है ।

प्रश्न संख्या ६४२

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान

(अनुपस्थित)

आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों में असन्तोष

६४३. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) आयुर्वेदिक विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति एवं वेतन-वृद्धि किन नियमों के अनुसार होती है ?

(२) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक विभाग के कर्मचारियों में इस बात के लिये भारी असन्तोष व्याप्त है कि पदोन्नति व वेतन-वृद्धि में भारी पक्षपात व अनियमितता हो रही है और विभाग के डाइरेक्टर के कृपा पात्रों की योग्यता का ध्यान रखे बिना पदोन्नति करदी जाती है ?

उप-मंत्री आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नति सीनियोरिटी कम मेरिट के आधार पर दी जाती है ।

(२) जी नहीं ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : नियम किस प्रकार के बने हुए हैं ?

श्री दौलतराम सारण : ये विभागीय नियम हैं ।

प्रश्न संख्या ६४४

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये

Page No. 10

हायर सेकण्डरी स्कूल भवन-तहसील शाहबाद

६४५. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि तहसील शाहबाद में करीब तीन चार वर्ष पूर्व हायर सेकन्डरी स्कूल के लिये इमारत बनाई गई थी?

(२) इस कार्य में कितना रुपया खर्च हुआ व निमाणं कार्य किस ठेकेदार द्वारा हुआ ?

(३) क्या यह सच है कि इमारत के निर्माण होने के कुछ दिन बाद ही यह इमारत गिर गई ? यदि हां, तो उक्त ठेकेदार व सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां ।

(२) रु० २४,७१७) मैसर्स चांद खां मुनीर खां ठेकेदार द्वारा ।

(३) जी नहीं । कार्य निर्माण के दरम्यान में ही भारी वर्षा के कारण गिर गया था जो ठेकेदार ने अपने खर्च से पुनः बनाया था ।

श्री दयाचन्द सोन : भारी वर्षा के कारण गिर गया था। बिल्डिंग पूरी बन गई थी । पेमेन्ट भी पूरा होने वाला था, यह तो अच्छा हुआ कि दस-बीस आदमी नहीं बैठे हुए थे उसमें, नहीं तो वे भी खत्म हो जाते ।

श्री हरिश्चन्द्र : ७-७-६१ को भारी वर्षा से गिर गयी थी । पूरी बिल्डिंग नहीं बनी थी ।

श्री दयाचन्द सोन : पट्टियां पड़ गई थीं ।

श्री हरिश्चन्द्र : पट्टियां पड़ने से ही पूरी बिल्डिंग कम्पलीट नहीं होती ।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा महल, जयपुर): यह मकान ही गिरा या और भी एक दो गिर गये ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह मुझे मालुम नहीं ।

पीने के पानी की कमी पूर्ति हेतु अनुदान, ग्राम कालवा ।

६४६. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि मकराना पंचायत समिति के ग्राम कालवा में सार्वजनिक कुओं में पीने के पानी की कमी होने के कारण समिति ने पांच हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत किया था? यदि हां, तो किस तारीख को?

(२) क्या यह सही है कि सरपंच को ओवरसियर द्वारा बनाया गया एस्टीमेट आदि पेश कर प्रथम किश्त प्राप्त करने के लिये विकास अधिकारी के पास कई दफा उपस्थित होने के बावजूद भी आज दिन तक अनुदान की रकम नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई): (१) जी हां।

१. १,५०० रु० १२-६-६३ को ।

२. १,००० रु० २-५-६३ को ।

(श्री भीखाभाई)

३ १,००० रु० १४-६-६३ को।

४ १,५०० रु० १४-६-६३ को।

(२) सरपंच ने कुओं का तखमीना बना कर पेश नहीं किया और न ओवरसियर का ही प्रमाणित तखमीना व प्लान पेश किया गया। इसके अतिरिक्त पहले भी इन कुओं के लिये अनुदान दिया गया था। उसका हिसाब पेश नहीं हुआ। इसलिये रकम नहीं दी गई।

श्री जेठमल बरवड़ : जो सरपंच हैं उन्होंने ओवरसियर को रिपोर्ट सारी पेश करने के बावजूद भी पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने नहीं दिया और महज इसी लिये नहीं दिया कि विकास अधिकारी और सरपंच ने शिकायत की थी सम्बन्धित सरकार के पास, अधिकारियों के पास।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी में था उसके अनुसार तो माननीय सदस्य जो बता रहे हैं वह ठीक नहीं लगता है, फिर भी उन्होंने जो बात बताई है उसकी अलग से जांच करवाई जायगी। मगर जो इत्तिला मेरे पास में है उसके अनुसार उनके विरुद्ध बहुत सी रकमों का हिसाब बकाया निकलता है।

श्री जेठमल बरवड़ : क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पंचायत समिति के खिलाफ आपके पास वहां के बहुत से लोगों ने शिकायत की है और शिकायत करने के बावजूद आपने उनको आदेश दिये हैं कि १५ दिन के अन्दर जांच होकर रिपोर्ट आनी चाहिए लेकिन आपके हैड आफिस से दरख्वास्त अभी नहीं निकली है?

श्री भीखाभाई : मैंने लिखा तो है।

श्री जेठमल बरवड़ : आपने लिखा है कि १५ दिन के अन्दर जांच होकर आनी चाहिए। आपने आदेश दे दिये लेकिन २० दिन के बावजूद भी आपके यहां डेवलपमेंट कमिश्नर के यहां से दरख्वास्त नहीं पहुंची है।

श्री भीखाभाई : यह मैं देख लूंगा कि आर्डर क्यों नहीं जारी हुए। अगर जारी नहीं हुए तो जल्दी से जल्दी जारी कराने का प्रयत्न करूंगा।

प्रश्न संख्या ६४७

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

सहकारी समितियों को ऋण, जिला नागौर

६४८. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर जिले में सन् १९६३-६४ में कितना ऋण सहकारी समितियों को दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(२) क्या यह सही है कि परबतसर पंचायत समिति क्षेत्र में किसी भी सहकारी समिति को ऋण नहीं दिया गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

उप-मंत्री, सहकार (श्री भीमसिंह): (१) सन् १९६३-६४ में नागौर जिले में १०,०६,७२० रु० केन्द्रीय सहकारी बैंक, नागौर द्वारा सहकारी समितियों को

(श्री भीमसिंह)
ऋण दिया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह सही नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जेठमल बरवड़ : पंचायत समिति, परवतसर को नहीं देने का क्या कारण है?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि सही नहीं है। जरूर दिया गया है। नहीं देने का सवाल नहीं है।

श्री जेठमल बरवड़ : आपने जो सूची दी है उसके अन्दर दो गांवों को दिया गया है बाकी सारी लम्बी-चौड़ी सूची दी है।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, १० समितियों ने अवेदन-पत्र प्रस्तुत किये थे जिनमें दो के कागजात पूरे थे। बाकी के ८ के कागजात पूरे नहीं थे उनको वापिस लौटाया गया। जब उनके कागजात पूरे होकर आये तब बैंक के पास से रुपया बंट चुका था इसलिये नहीं दिया जा सका।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

न्यू तेज टाकीज, अलवर का ठेका

६४९. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अलवर की सरकारी प्रोपर्टी न्यू तेज टाकीज का वर्तमान ठेका कब से कब तक कितने मासिक रुपयों पर किसको दिया गया है? क्या कॉन्ट्रेक्ट में तब से अब तक कोई परिवर्तन किया गया है? कृपया अपटूडेट कान्ट्रेक्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) कॉन्ट्रेक्ट के अनुसार इस अवधि में कितना रुपया ठेकेदार को खर्च करना था। क्या विभाग इससे ज्यादा रकम खर्च करने को प्रतिज्ञाबद्ध था? अब तक ठेकेदार ने मरम्मत के लिए कुल कितना खर्च किया? अन्य मदों पर भी ठेकेदार से प्राप्त रकम खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस समय इस टाकीज की बुक वेल्यू क्या है? वर्तमान अवधि में ठेकेदार द्वारा किये गये मरम्मत आदि के खर्चे को यदि सरकार दे तो क्या लाभ-हानि होगी।

(४) वर्तमान ठेकेदार पर बिजली विभाग का कितना बकाया कब से है और यह क्यों नहीं वसूल होता? क्या इसी अवधि में ठेकेदार से परिवर्तित दरों पर बिजली चार्जेज लगने लगे हैं? यदि हां, तो कब से? क्या अलवर के दूसरे सिनेमा घर से भी इन्हीं परिवर्तित दरों पर बिजली के चार्जेज लगते हैं? अगर नहीं, तो क्यों?

(५) क्या ठेकेदार ठेके के समय प्राप्त टाकीज की मूल सम्पत्ति में से किसी चीज में हेर-फेर अथवा घटा बढ़ी कर सकता है? कृपया ठेके देने के समय टाकीज की समस्त सम्पत्ति की विवरण सूची, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(६) टाकीज की प्रेमिसेज में उप-किराये पर दिये गये साइकिल स्टेन्ड

(श्री मानिकचंद सुराणा)
पान की दुकान व चाय की दुकान का कितना किराया सरकार ने प्राप्त किया है ?

(७) क्या अलवर के भूतपूर्व पी० डब्ल्यू० डी० इन्जीनयर ने वर्तमान ठेकेदार को अगले दस वर्षों के लिए फिर टाकीज देने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो कितने मासिक किराये पर व क्यों ? क्या रु० २५००) से रु० ३०००) के अन्य ठेकेदारों के ऑफरों पर सरकार कार्यवाही करेगी ?

(८) क्या यह सत्य है कि झालावाड़ के सिनेमा घर को न्यू तेज टाकीज का वर्तमान ठेकेदार व्यवस्थित करता आया है और कर रहा है ?

(९) सरकार को इस टाकीज के बेचने पर फायदा है अथवा किराया देने पर ? अगली अवधि के लिए कार्यवाही का क्या रूप होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) दिनांक १-७-५३ से १-७-६३ तक ५०० रु० मासिक पर श्री नारायणलाल पंजाबी को दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्ट की प्रति प्रस्तुत है।

(२) ३०,००० रु०। जी नहीं। ठेकेदार ने ३३,००० रु० मरम्मत पर खर्च किया है। अन्य मदों पर जो रकम खर्च की है उसकी सूची प्रस्तुत है।

(३) १,८६,२१० रु० ठेकेदार का ठेका १-७-६३ को समाप्त हो चुका है। अतः सरकार द्वारा खर्चा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(५) जी नहीं। सूची प्रस्तुत है।

(६) सरकार ने साइकल स्टेंड, पान व चाय की दुकान नहीं बनवाई है, अतः किराया सरकार ने वसूल नहीं किया है।

(७) जी नहीं – विचाराधीन है।

(८) सिनेमा घर श्री नारायण लाल एन० पंजाबी को किराये पर दे रखा है।

(९) विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (जौहरी बाजार, जयपुर): यह प्रश्न संख्या ७ में कहा है कि 'क्या अलवर के भूतपूर्व पी० डब्ल्यू डी० इन्जीनियर ने वर्तमान ठेकेदार को अगले दस वर्षों के लिए फिर टाकीज देने की सिफारिश की है ?' आपने इसके उत्तर में कहा है कि 'जी नहीं'। तो क्या यह सही है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, अलवर ने ४-११-५८ को श्री नारायणलाल एन० पंजाबी को जो न्यू तेज टाकीज का लेसी है उसको आश्वासन दिया था कि आपकी इस टॉकीज का लीज पीरियड जो है वह एक्सटेन्ड कर दिया जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र: मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपने कहा कि 'जी नहीं' और आप अभी कह रहे हैं कि आपके पास सूचना नहीं है। क्या आपने सूचना विभाग से मांगी थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : किस बात की?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिपार्टमेन्ट से आपने इन्फार्मेशन मांगी होगी ना इसकी?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि 'जी नहीं'।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके पास नहीं हो, सरकार के पास में न हो अभी तक, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस आदमी ने सरकार के खिलाफ दावा किया है। डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज की कोर्ट में और पी० डब्ल्यू० डी० ने उसको कन्टेस्ट किया है और जिस पर मैंन इन्जेक्शन आर्डर उसने चाहा था वह यह था कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने उसको यह आश्वासन दिया था कि उसका लीज एक्स्टेन्ड कर दिया जायगा। इसी आधार पर सारे आर्ग्युमेंट्स हुए हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के कहने से सरकार बन्धी हुई नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इन भूतपूर्व इन्जीनियर ने एच० एच० राजप्रमुख यानी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से लीज को एक्जीक्यूट किया है।

श्री हरिश्चन्द्र : वह लीज तो खत्म हो गया है। उसके बाद में एक्स्टेन्शन करने का आश्वासन नहीं दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं उस पत्र को पढ़कर सुना देता हूं - Letter No. 17842 dated 4-12-58 from the Executive Engineer, B. & R., Alwar, to Shri Narain Lal Punjabi.

Subject: Further extension of the lease period of New Tej Talkies, Alwar.

यह सन् ५८ का है, ४-१२-५८ का जब कि लीज पीरियड को ५ साल ही हुए थे और ५ साल बाकी थे। उसमें लिखा है:

"With reference to your application dated 26-4-58......"

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अब की बात कर रहा हूं और आप १९५८ की बात कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी का सवाल नहीं हुआ है। भूतपूर्व इन्जीनियर ने किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है लीज पीरियड को बढ़ाने के बारे में और उस आधार पर आप कहते हैं कि 'जी नहीं'।

श्री हरिश्चन्द्र : लीज पीरियड खतम हो गया है और आप १९५८ की बात करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भूतपूर्व इन्जीनियर ने दिया था। वर्तमान इन्जीनियर ने नहीं दिया है।

एक माननीय सदस्य : क्या रहस्य है कि माननीय सदस्य को पी० डब्ल्यू० डी० की बहुत खबर रहती है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे पास तो सभी तरह की खबरें रहती हैं जो आपके पास नहीं रहती हैं। अगर मैं रहस्य की बात बताऊंगा तो रहस्य की बात करने वालों को मालूम पड़ जायगा। वे सुखाड़िया साहब के सामने अपनी पोल खुलवाना चाहते हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं कह रहा था–

"With reference to your application dated 26-4-58, you are hereby informed that the lease period will be further extended to you and the necessary arrangements in this respect will be made on the expiry of the current lease period."

मैं केवल इस बारे में कहना चाहता हूं..

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे आप दे दें मैं देखूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिस्ट्रिक्ट जज ने जजमेंट लिया है मैं क्या दे दू आपको। सारे कागजात आपके पास में हैं। अगर आपका डिपार्टमेन्ट आपको कागजात नहीं देता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास इन्फार्मेशन नहीं है और आपका कहना है तो हो सकता है कि दिया होगा। आप क्या चाहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब कि लीज पीरियड ५ साल का खत्म नहीं हुआ था तो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने एश्योरेन्स कैसे दिया कि लीज पीरियड एक्स्टेन्ड कर दिया जायगा ५ साल के बाद ?

श्री हरिश्चन्द्र : लीज तो अब खत्म हुई है। १९६३ में खत्म हुई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): १९६३ में लीज खत्म हुई है लेकिन आपके एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने १९५८ में यह कमिटमेंट किया, एश्योर किया कि लीज पीरियड एक्सटेन्ड कर दिया जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र : I will look into it. His commitment has no value.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It has value, because he was the executor of the agreement. He was the officer who executed the agreement on behalf of the State Government.

श्री मानिकचन्द सुराणा : डिस्ट्रिक्ट जज ने पूरी तरह से देखकर डिसीजन दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डिस्ट्रिक्ट जज में क्वेश्चन हुआ है, आरग्यूमेंट वहां पर किया गया है। यह डिस्ट्रिक्ट जज का डिसीजन है, "Counsel for the appellant relied upon the letter dated 4-12-58 from Shri C.B.L. Mathur, Executive Engineer, Alwar, to the appellant stating that the lease period will be extended and the necessary arrangements will be made."

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा कहना यह है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने एक चिट्ठी दे दी जैसा कि आप कहना चाहते हैं तो मुझे आप यह बताइये कि आप किस प्वाइन्ट को डिसाइड करना चाहते हैं। दी होगी चिट्ठी जैसा कि आप कहते हैं लेकिन १९६३ के बाद में जहां तक सरकार का सवाल है कोई कमिटमेंट सरकार ने नहीं किया है । १९६३ में आप देखिये कि १० साल हुए हैं । उसने दी होगी चिट्ठी तो I will see why he

Page No. 16

(श्री हरिश्चन्द्र)
has given ? Whether he was 'authorised to give or not ? If he was not authorised, he will be taken to task.

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप टेकन टू टास्क लेंगे वह बात दूसरी है। प्रश्न यह है कि ५ साल के पहले जब कि लीज की समाप्ति का प्रश्न नहीं था तो ऐसा कमिटमेंट क्यों किया ? और आपने उसके खिलाफ क्या किया ? और आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यदि गवर्नमेंट का कोई कमिटमेंट नहीं है जैसा कि आप कहते हैं तो निश्चित रूप से एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का कमिटमेंट अनआथोराइज्ड है । अगर अनआथोराइज्ड है, तो क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : I will look into the matter.

श्री माणकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह है कि झालावाड़ सिनेमा भी यही नारायणलाल एन० पंजाबी मेनेज कर रहा है ? क्या उसको किराये पर दे रखा है सरकार ने ?

श्री हरिश्चन्द्र : दे रखा है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिनेमा घर किस का है ?

श्री हरिश्चन्द्र : स्टेट का

श्री मानिकचन्द सुराणा : झालावाड़ स्टेट का ?

श्री हरिश्चन्द्र : झालावाड़ स्टेट खतम हो चुकी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फार्मर झालावाड़ स्टेट का था ?

श्री हरिश्चन्द्र : राजस्थान गवर्नमेंट का है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं अभी का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं । प्रश्न यह है कि क्या जब झालावाड़ राजस्थान में मर्ज हुआ उस वक्त नारायणलाल पंजाबी झालावाड़ में सिनेमा मेनेज करता था ?

श्री हरिश्चन्द्र : चलाता होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने प्रश्न के भाग (४) में कहा है बिजली घर की कितनी बकाया है मालूम नहीं है जब कि प्रश्न पूछा गया है इसी सम्बन्ध में और बिजली मंत्रीजी ने ३ दिन पहले ही कहा है कि इसमें ५८,०००रु० बाकी है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपको मालूम है तो क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : डेढ़ साल पहले पूछा है और डेढ़ साल बाद आप उत्तर देते हैं उसमें भी इतनी बकाया बताते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने पी० डब्ल्यू० डी० से पूछा है। उसके पास बिजली का महकमा नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके पास तो है।

श्री हरिश्चन्द्र : होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट की जितनी बिल्डिंग्ज हैं उनमें पॉवर और वाटर के मीटर्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम से हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने मांग यह की थी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पॉवर्स नहीं होते हुए भी आश्वासन दिया। मंत्रीजी स्पष्ट कह चुके हैं कि उनको मालूम नहीं है। यदि उसने कोई इर्रेग्यलेरिटी की है तो एक्शन लेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, उसमें ५८,००० रु० बाकी है और उसके पॉवर का डिसकनेक्शन नहीं किया जाय. . . .

श्री हरिश्चन्द्र : उसने अपील कर रखी है और अपील का डिसीजन परसों हो चुका है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या डिसीजन हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र: I will not inform you here.

श्री मानिकचन्द सुराणा : This is a question of privillege. He has referred . . . . . ,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या यह सही है कि उक्त सिनेमा का लीज पीरियड १ जुलाई, १९६३ को खत्म हो गया है और यदि खत्म हो गया है तो वह अब तक कैसे काम कर रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसको एक्सटेन्शन दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसने दिया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने दिया है, जब तक अपील का डिसीजन न हो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब तक दिया ?

श्री हरिशचन्द्र : मेरे ख्याल से १० अप्रेल तक दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ३१ मार्च, सन् १९६४ तक दिया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : १० अप्रेल सन् १९६४, जो आ रही है तब तक दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आपने लिस्ट दी है १ लाख १९ हजार रुपये उसमें बकाया दिखाये हैं उसमें से २९ हजार रुपये रिपेयर्स के हैं, इसके अलावा पेन्टिंग के हैं, कुछ स्टील फर्नीचर के हैं – क्या यह सारा खर्चा करने के लिये लीज में सरकार ने लेसी को अख्तियार दिया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, सारा प्रश्न ही यही है . . . .

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

प्रोविडेन्ट फण्ड

६५०. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पंचायत समितियों के अन्तर्गत कार्य करने वाले सभी अध्यापकों का प्रोविडेन्ट फंड इसी प्रकार काटा जाता है जैसा

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
कि अन्य राज्य कर्मचारी का या कि जिनका प्रोविडेन्ट फंड पहले से कटता चला आ रहा है ?

(२) जो कर्मचारी अध्यापक इस प्रकार प्रोविडेन्ट फंड कटा रहे हैं उन्हें प्रोविडेन्ट फंड पास-बुक दी गई है या नहीं ?

(३) यदि इस प्रकार का प्रोविडेन्ट फंड पास-बुक दी गई है तो किस किस पंचायत समिति ने इस अमल को अपनाया है और किसने नहीं और यदि ऐसा हिसाब नहीं रखा गया है तो इसका क्या कारण है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) केवल उन्हीं कर्मचारियों का प्रोविडेन्ट फंड काटा जाता है जिनका पहले से कटता चला आ रहा है ।

(२) प्रोविडेन्ट फंड के लिए जो रकम काटी जाती है उसके लिए महालेखापाल कार्यालय द्वारा वार्षिक वेरिफिकेशन स्लिप जारी की जाती है । पास-बुक नहीं दी जाती ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह जो पी. एफ. काटा जाता है वह कौनसे नियम के अन्तर्गत काटा जाता है ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम है उसके अनुसार होता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसके अंतर्गत पास-बुक का कायदा है तो पास बुक अध्यापकों को क्यों नहीं दी जाती जिससे उनको मालूम हो जाय कि उनका इतना पी० एफ० है ।

श्री भीखाभाई : रूल्स के अनुसार यह लिखा है कि महालेखापाल के यहां से वार्षिक वेरिफिकेशन स्लिप उनको दी जायगी ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि पास-बुक किसी कर्मचारी को नहीं दी जाती है या अध्यापकों को ही नहीं दी जाती है ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार पास-बुक देने का सिस्टम नहीं है । राजस्थान पंचायत अधिनियम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का हिसाब स्थानीय संस्थाओं के पास रहता है और दूसरों का महालेखापाल के यहां रहता है । पास-बुक दी जा सकती है या नहीं, इसकी जानकारी करेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि पास–बुक नहीं देने से रकम में गड़बड़ी नहीं होने देने की चेष्टा करेंगे ?

श्री भीखाभाई : नियम के अन्तर्गत बात चीत है तो जरूर पालन करेंगे ।

गम्भीर नदी पर पुल का निर्माण

६५१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि ग्राम इब्राहिमपुर के पास गम्भीर नदी का, जो पुल बनने जा रहा था उसका कार्य इस समय बन्द कर दिया दिया गया है ?

(२) क्या यह भी सच है कि पुल का सब मेटीरियल नदी पर ही पड़ा हुआ है ?

(३) क्या यह भी सच है कि पुल का कुछ भाग भी तैयार हो चुका है?

(श्री श्रवणलाल)

(४) यदि हां, तो यह कार्य क्यों बन्द किया गया है और आगे कब तक चलाने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र):

(१) जी हां ।

(२) जी हां, कुछ पड़ा है ।

(३) जी हां, डिजाइन में परिवर्तन करने के लिये ।

(४) आशा है निकट भविष्य में ।

श्री श्रवणलाल : डिजाइन में परिवर्तन कौन कर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इन्जीनियर्स कर रहे हैं ।

श्री श्रवणलाल : पहले डिजाइन बनी थी उस पर सेंक्शन नहीं ली थी क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : पहले सेंक्शन लेकर भेजी थी । अब हाई लेवल के लिये डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ रहा है ।

श्री श्रवणलाल : यह कब तक हो जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : निकट भविष्य में ।

श्री श्रवणलाल : क्या यह माना जाय कि वर्षा ऋतु से पहले हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : कोशिश करेंगे ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल बाजार, जयपुर): मंत्रीजी अपने मुंह से कहदें ।

प्रश्न संख्या ६५२

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान ।
(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवनलाल ।

गंगापुर-हिन्डौन बिजली लाइन

६५३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि कोटा से बिजली गंगापुर तक आ पहुंची है और कार्य भी चालू हो गया है ?

(२) क्या यह भी सच है कि गंगापुर वजीरपुर होती हुई हिन्डौन तक लाइन डाली जा रही है ?

(३) क्या यह भी सच है कि इस लाइन से बहुत से छोटे ग्रामों व कस्बों को बिजली मिल सकेगी ?

(४) क्या यह भी सच है कि इस लाइन से कस्बों व ग्रामों की पैदावार भी अधिक बढ़ जायगी ?

(५) यदि हां, तो सरकार इस कार्य को कब तक पूर्ण कर देगी ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) :

(१) गंगापुर कस्बे का विद्युतीकरण हो चुका है ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रवणलाल : यह प्रश्न क्यों नहीं उठता, साहब ?

श्री चन्दमल बैद : मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्या बताऊं ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन ।

कोटा-शिवपुरी सड़क

६५४. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या कोटा से शिवपुरी जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किये जाने की सरकार की योजना है? यदि हां, तो इसको कब तक राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर दिये जाने की संभावना है ?

(२) क्या यह सच है कि कोटा-शिवपुरी सड़क पर काली सिंध नदी, परवल नदी आदि नदियों के पुल छोटे होने के कारण वर्षा ऋतु में सड़क यातायात अवरुद्ध हो जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क यातायात के बन्द हो जाने के कारण सरकार को बसों, ट्रकों आदि वाहनों से जो आमदनी होती है उसमें प्रतिवर्ष नुकसान होता है ?

(४) क्या सरकार द्वारा कोटा–शिवपुरी पर जो नदियों के छोटे पुल हैं उनके स्थान पर बड़े पुल बनाए जाने की योजना है ?

(५) यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र):

(१) जी नहीं ।

(२) जी हां ।

(३) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(४) यह भारत सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष: श्री माणिकचन्द सुराणा !

बिजली उप-भोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही, बीकानेर

६५५. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि २२ नवम्बर, १९६० को श्री मिश्रीलाल, असिस्टेन्ट इंजीनियर, रेवेन्यू सेक्शन, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बीकानेर, द्वारा जसुसर दरवाजे बाहर किसी पॉवर कन्जूमर के यहां कोई छापा मारा गया था? यदि हां, तो उक्त उपभोक्ता का नाम क्या है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त उपभोक्ता मीटर का इन्डीकेटर घुमाते हुए पकड़ा गया ?

(३) क्या उक्त सम्बन्ध में श्री मिश्रीलाल, असिस्टेन्ट इंजिनीयर ने कोई रिपोर्ट आर० एस० ई० बी० को दी ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसका क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि ता० २७-१२-६० को चीफ इंजीनियर, आर० एस० ई० बी० को बीकानेर फ्लोर मिल ऑनर्स एसोसियेशन द्वारा उक्त उपभोक्ता के खिलाफ कार्यवाही करने लिये रिप्रेजेन्टेशन किया गया ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल बैद):

(१) जी हां । उपभोक्ता का नाम बेनीदास था ।

(२) जी नहीं ।

(श्री चन्दनमल वैद)

(३) जी हां । इस बारे में पूछताछ की गई है लेकिन उपभोक्ता का कोई कसूर नहीं था । इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(४) यह सही नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि उपभोक्ता मौके पर पकड़ा गया था रीडिंग चेन्ज करता हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद : वहां मीटर्स दूसरे चेन्ज किये गये थे और उनको गलती से वहीं छोड़ दिया गया था । लेकिन यह कहना कि रीडिंग चेन्ज कर दिया, ठीक नहीं है । जो मीटर लगे हुए थे वे भी इन्टेक्ट थे इसलिये उनको भी टेम्पर करना नहीं पाया गया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो रीडिंग इन्डीकेट नहीं कर रहे थे उन मीटर्स को छोड़ने का क्या कारण था ?

श्री चन्दनमल वैद : जिस कर्मचारी की लापरवाही से छोड़ा गया उसको वार्निंग दी गई है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसको वार्निंग दी गई लेकिन वह मीटर घुमाता पकड़ा गया और आप कहते हैं पुराने को वहीं छोड़ दिया था इसलिये उसको वार्निंग दी गई है । तो क्या आपको जो फेक्ट्स दिये गये हैं वे सही नहीं हैं ? आप दुबारा जांच करें, मैंने इन्डीकेट किया है ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं कह रहा हूं वह सही है । जो मीटर्स कर्मचारी की लापरवाही से छोड़ दिये गये थे वही उपभोक्ता के पास पकड़े गये । जो नये मीटर इन्स्टाल किये थे उनमें टेम्पर होना नहीं पाया गया । जो छोड़ दिये थे उनके साथ टेम्पर नहीं हुआ इसलिये इन्क्वायरी करना जरूरी नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बिजली की चोरियां होती हैं, पहले भी लोग पकडे गये थे उनकी भी इन्क्वायरी नहीं हुई । बिजली विभाग के अधिकारियों को कोई दिलचस्पी नहीं है ।

श्री चन्दनमल वैद : बीकानेर में बिजली की चोरियां होती हैं उसका मतलब यह नहीं है कि हर उपभोक्ता को चोर समझें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हर उपभोक्ता को चोर समझने का सवाल नहीं है । जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है उनके बारे में निश्चित तौर से पूछा गया है ।

श्री चन्दनमल वैद : प्रश्न किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है लेकिन उसको चोर समझना जायज नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो प्रश्न पूछा गया है वह फेक्ट्स के आधार पर पूछा गया है । आप एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर को बचाने के लिये कह रहे हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : यह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह ।

भादरा-हिसार सड़क

६५६. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि भादरा-हिसार सड़क जिला गंगानगर में बनी सभी सड़कों से निकृष्ट है ?

(श्री हरदत्तसिंह)

(ख) क्या सरकार उपरोक्त सड़क की किसी निष्पक्ष ऑफिसर द्वारा जांच करायगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र):

(१) यह सही नहीं है ।

(२) आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरदत्तसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि इस सड़क पर जितनी पुलियां हैं वे सड़क से ऊंचे हैं इसलिये गाड़ी को ठहरकर चलना पड़ता है इसलिये यह प्रश्न पूछा गया है । यह सड़क निकम्मी है क्या आप इसकी जांच करायेंगे ? जितनी पुलियां हैं वे सड़क से ऊंची हैं इसलिये हर पुलिया के पास गाडी को ठहर कर पास करना पड़ता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : किसी औफिसर को भेज कर जांच करवा लूंगा ।

राजस्थान एम्पोरियम की बिक्री एवं खर्च के आंकड़े

६५७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

पिछले पांच वर्षों में जयपुर स्थित राजस्थान एम्पोरियम की बिक्री व खर्चे के सालवार आंकड़े बताने की कृपा करें ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): पिछले पांच वर्षों में जयपुर स्थित राजस्थान एम्पोरियम के बिक्री व खर्चे के सालवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	बिक्री रु०	खर्चा रु०
१९५८–५९	३९,८७४	२१,६१५
१९५९–६०	५७,८०३	२३,८५२
१९६०–६१	५५,२९३	२१,४४६
१९६१–६२	४०,६३८	२४,६१५
१९६२–६३	६०,०६३	१९,७६३

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आंकड़ों से पता चलता है कि बिक्री में एक बार के अलावा वृद्धि होती गई है, इसके लिए सरकार क्या सोच रही है ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): इस साल प्रयत्न किया है कि इस साल की एम्पोरियम की बिक्री दो लाख से ऊपर होगी ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरा प्रश्न पीछे रह गया है, वह पंचायत समिति से ताल्लुक रखता है । वह पूछ लूं ।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

पंचायत समिति भीम को जीप

६४४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में तीन पंचायत समितियों – रेलमगरा, राजसमन्द और राश्मी में दो दो जीपें हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि भीम पंचायत समिति में कोई जीप नहीं है और भीम तहसील अभावग्रस्त इलाका है, तथा वहां कई स्थानों पर काम चल रहा है जिसे वक्त वक्त जाकर संभालने में बड़ी दिक्कत आती है ?

(३) यदि हां, तो उपरोक्त पंचायत समितियों में से एक जीप भीम में जब तक अकाल है, क्यों नहीं भेज दी जाती ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) पंचायत समिति, रेलमगरा व राजसमन्द में पहले दो दो जीपें थीं । किन्तु अब केवल एक जीप ही रखी गई है और चितौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति राश्मी में पहले से एक ही जीप है ।

(श्री भीखाभाई)

(२) जी हां ।

(३) प्रथम चरण विकास खण्ड होने पर ही जीप देने का प्रावधान होता है अतः अभी पंचायत समिति, भीम को जीप देना सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

संयुक्त कृषि सहकारी समिति किसानवास से अनुदान की वसूली

६५८. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति गोविन्दगढ़ अलवर ने करीब १०,००० रु० किसानवास संयुक्त कृषि सहकारी समिति को अनुदान के रूप में दिये थे ? अगर हां, तो यह रकम कब और क्यों दी गई ?

(२) क्या यह सही है कि यह द्रव्य पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत वसूल किया जा रहा है ? अगर हां, तो इसकी वसूली के नोटिस किस तारीख को जारी हुए और कितनी रकम के और अब तक यह वसूली क्यों रुकी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रक्खी जावे ।

(३) इस वसूली में शिथिलता बरती जाने की जिम्मेदारी किस पर है ? क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध जांच करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) जी हां । रकम दिनांक २०-३-६० को ट्रेक्टर, खाद, पम्पिग सेट व कर्मचारियों के वेतन हेतु दी गई थी ।

(२) जी हां । वसूली का नोटिस पूरी रकम के लिए दिनांक ८-३-६३ को जारी किया गया । वसूली न होने का कारण यह है कि सम्बिन्धित सहकारी समिति ने नोटिस का जो उत्तर दिया है वह विचाराधीन है ।

(३) इस मामले में शिथिलता होना प्रकट नहीं होता ।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिक्वीडेशन में आ गई है ?

श्री भीखाभाई : यह जानकारी नहीं है ।

श्री नत्थीसिंह : जो पी० डी० आर० के तहत नोटिस जारी हुए है, वे नोटिस क्यों जारी हुए हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : नोटिस लिक्वीडेशन में भेज देंगे ।

श्री भीखाभाई : वसूली के मामले में जारी हुए हैं । मेरी जानकारी के अनुसार दस हजार रुपया दिया गया वह बराबर खर्च हुआ नहीं । उसको नोटिस दिया । उसके जवाब में बताया कि १६,१५६ खर्च किये हैं । सवाल यह है कि पम्प सैट लगा या नहीं ? कल की रिपोर्ट से, जो मैंने प्राप्त की है कलेक्टर से, उससे मालूम हुआ कि खरीद कर पम्प सैट लगा दिया गया है ।

श्री नत्थीसिंह : इस को-ऑपरेटिव सोसाइटी के पास कितनी जमीन है ?

श्री भीखाभाई : को-ऑपरेटिव के पास जमीन है वह पंचायत समिति को पूछे ।

श्री नत्थीसिंह : मैं अर्ज कर दूं कि चालू साल से लगाया है और एक आदमी इन्डीविजुअली सोसाइटी के ट्रेक्टर और इम्पलीमेंट्स को काम में ले रहा है, दूसरों का ध्यान रखा नहीं ।

श्री भोखाभाई : सेट तो लगाया है । जो माननीय सदस्य बता रहे हैं वह अलग से लिख कर बता दें । उसका प्रश्न अलग से सहकारी मंत्री को एड्रेस होना चाहिए ।

श्री अमरसिंह (दूदू) : आप पंचायत मंत्री हैं । आपने बताया कि नोटिस का जवाब दिया उस पर विचार हो रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि नोटिस के जवाब में कौनसी बात है जिस पर आप विचार कर रहे हैं ।

श्री भोखाभाई : इन्फोमेशन मिली तो २०-३-६४ को विकास अधिकारी को भेज दिया गया । विकास अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति को भेज दिया गया। उनका उत्तर प्राप्त होने के बाद इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो आगे सूचना प्राप्त करके दे सकूंगा ।

एक माननीय सदस्य : एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव सोसाइटी नियमों के आधार पर यह सोसाइटी चल रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

विद्युत मण्डल का मेन्टीनेन्स व ऑपरेशनल खर्च

६५६. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मेन्टीनेन्स व ऑपरेशनल खर्च दूसरे राज्यों में कार्य कर रहे बोर्डों से ५ से १० गुना अधिक है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

(२) पिछले तीन सालों का बोर्ड का मेन्टीनेन्स व ऑपरेशनल खर्च क्या रहा है, इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) :
(१) जी नहीं ।

(२) पिछले तीन सालों का बोर्ड का मेन्टीनेन्स व ऑपरेशनल खर्च निम्न प्रकार है :

१९६०–६१	१,७२,२५,४४८
१९६१–६२	२,०८,५६,५६३
१९६२–६३	२,५२,३२,१५६

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आपने मद्रास के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इसका कम्पेरिज़न किया है, वहां के बोर्ड का खर्च है उसके अनुपात में कितना पड़ता है ?

श्री चन्दनमल वैद : जी, मैंने मद्रास से नहीं, हिन्दुस्तान के जितने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उनसे कम्पेरिज़न किया है, जो डवलपिंग स्टेट हैं उनके मुकाबले खर्च बराबर है। जो डेवलप्ड स्टेट हैं, जिनका इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हो गया है, लोड ज्यादा है तो निश्चित रूप से बराबरी नहीं कर सकते, यह सम्भव नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मद्रास के मुकाबले ऑपरेशनल और मेन्टीनेन्स का खर्च कितना कितना पर्सेन्ट है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं सुना देता हूं, मद्रास.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अधिक समय न लें । चाहें तो उसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्य को दे दें ।

(श्री अध्यक्ष)

श्री हरिप्रसाद शर्मा

आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान

६६०. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान के रूप में रकम दी जाती है ?

(२) यदि हां, तो कुल कितनी रकम सहायता हेतु किन किन चिकित्सा संस्थाओं को कितनी कितनी दी जा रही है? तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(३) क्या यह सही है कि प्राइवेट सार्वजनिक औषधालयों में कार्य करने वाले वैद्यों को सरकार सहायता करती है ?

(४) यदि हां, तो कुल कितने वैद्यों को कितनी कितनी सहायता अब तक दी जा रही है ? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(५) क्या सहायता प्राप्ति किन्हीं नियमों के अनुसार की जाती है और यदि हां, तो किनके द्वारा दी जाती है ?

(६) क्या एसे भी औषधालय व वैद्यों को सहायता नहीं दी गई जिनको नियमानुसार दी जानी चाहिये थी ? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(७) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के कापरेन ग्राम में वहां के निवासियों ने ४० हजार की इमारत तैयार करवा कर व औषधालय बनाकर प्राइवेट वैद्य के द्वारा औषधालय संचालित करवाया जा रहा है ?

(८) क्या वहां की जनता ने औषधालय व वैद्यजी की सहायता करने हेतु विभाग से प्रार्थना की थी ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां ।

(२) वर्ष १९६२-६३ में दी गई सहायता अनुदान राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सहायता अनुदान चिकित्सा संस्थाओं, निजी चिकित्सा व्यवसाइयों, शिक्षण संस्थाओं एवं अनुसन्धान हेतु सहायता अनुदान नियम के अन्तर्गत दी जाती है ।

(४) वर्ष १९६२-६३ में दी गई सहायता अनुदान राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(५) सहायता अनुदान चिकित्सा संस्थाओं, निजी चिकित्सा व्यवसाइयों, शिक्षण संस्थाओं एवं अनुसन्धान हेतु सहायता अनुदान नियम के अन्तर्गत दी जाती है ।

(६) वर्ष १९६२-६३ में ऐसी संख्या ६ है ।

(७) इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है न सहायता देने के हेतु कोई प्रार्थना-पत्र कहीं से प्राप्त हुआ है ।

(८) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने बताया कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । इसके सम्पूर्ण कागजात लाकर बताये जायं तो क्या आश्वासन देंगे कि इसकी व्यवस्था की जायगी ?

श्री दौलतराम सारण : जी नही।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपके डिपार्टमेंट में सारे कागजात भेजे हैं। अध्यक्ष महोदय, चार हजार की आबादी का गांव है, बीस हजार की इमारत बताई है, वहां औषधालय नहीं है। छः मील के क्षेत्र में औषधालय नहीं है। इस पर चार साल से विचार चल रहा है।

श्री दौलतराम सारण : जिला परिषद् की मार्फत आप प्रस्ताव भिजवाइये, उस पर विचार किया जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं पूछ रहा हूं कि सम्पूर्ण कागजात वगैरह लाकर बताये जायं तो क्या विश्वास दिलाते हैं कि आप इसके बाद सहायता देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अनुदान और सहायता के नियमों के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र करवायें, वह नियमान्तर्गत होगी और विभाग के पास पैसा होगा तो सहायता दी जा सकेगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् ने सिफारिश की है कि इसको मदद दी जानी चाहिए ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया है, ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप यह मंजूर कर लें कि कागजात बताये जायं, और जिला परिषद् की प्रोसीडिंग्ज बताई जाय तो क्या एक्शन लेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : धारणाओं के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ६६१

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

(श्री बालूराम चौधरी)

(अनुपस्थित)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक १७-३-६४)

ठेकेदारों की जब्त की गई सिक्योरिटी डिपोजिट्स

४७०. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) सन् १९५७ से लेकर अब तक पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा कितने ठेकेदारों की दस हजार रुपयों से ज्यादा की सिक्योरिटी डिपोजिट जब्त की गई और क्यों ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इनमें से कितने ठेकेदारों की सिक्योरिटी इसलिए जब्त की गई कि उनका काम कम्पलीट होने पर डिफेक्ट्स पाये गये ?

(३) क्या इन डिफेक्ट्स के बारे में किन्हीं सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स के विरुद्ध भी कोई एक्शन लिया गया है ? यदि हां, तो कितनों के खिलाफ ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) वांछित सूचना जो अब तक प्राप्त हो चुकी है संलग्न सूची में प्रस्तुत है। शेष सूचना कुछ डिवीजनों से प्राप्त की जा रही है।

(२) विवरण प्रश्न संख्या १ के उत्तर की सूची में दर्ज है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जिन जिन डिफेक्ट्स के लिए कहा कि कम्पलीशन में डिफेक्ट्स रहे इसलिए उनकी सिक्योरिटी फोरफीट कर ली लेकिन जिनके सुपरवीजन में कमी थी और जब इमीजियेट्ली चैकिंग हो जाता है उसमें डिफेक्ट्स नहीं रहे थे तो जो ऑफिसर इसके लिए रेस्पोन्सिबल है उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हरिश्चन्द्र : सूची में लिखा है, ठेकेदार कहीं काम छोड़ कर चले जायं, अधूरा काम छोड़ कर चले जायं तो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर क्या करे।

श्री भैरोंसिंह : आपने सूची दी है, उसमें सन् १९५७ के पी० डब्ल्यू० डी० के कितने ठेके हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने सूची पेश की है वह मुलाहिजा हो जाय।

श्री भैरोंसिंह : कम्पलीट होने में डिफेक्ट हो तो ठीक है, कोई अधूरा छोड़ कर चला जाय तो काम पूरा होने के बाद सर्टीफिकेट में पूरा नहीं माना गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया है कि ठेकेदार अधूरा काम छोड़ कर चले जाते हैं तो पेनल्टी इम्पोज कर देते हैं। उसमें एग्जीक्यूटीव इन्जीनियर और दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अल्पकाल सूचना प्रश्न।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग की मांग पर बहस के दौरान में चर्चा उठाई गई थी उसके सम्बन्ध में सदन में और सदन के बाहर गलत धारणायें बन रही हैं। मैं निवेदन करती हूं कि इस प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसे पढ़दें।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर
बाल भारती बाल घर–जयपुर

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

[श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया **]** :

(१) क्या जयपुर नगर में 'बाल भारती बालघर' के नाम से कोई बजाज नगर में बच्चों का स्कूल शिक्षा संस्थान, जयपुर नामक संस्था द्वारा चलाया जा रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि इस स्कूल में शिक्षण का कार्य सब महिलायें ही करती हैं ?

(३) इस स्कूल में कितनी कितनी अध्यापिकायें कौन कौन से वेतन ग्रेड में हैं ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(४) इस स्कूल में कुल कितने छात्र व छात्रायें शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं?

(५) क्या शिक्षा विभाग द्वारा इस संस्था को कोई आर्थिक सहायता दी गई है? यदि हां, तो कब और कितनी?

(६) क्या इस संस्था को जमीन भी एलॉट की गई है? यदि हां, तो कितनी और कहां?

(७) क्या यह सही है कि इस संस्था को समाज कल्याण विभाग द्वारा ६०,००० रुपये का अनुदान दिया गया है?

(८) इस संस्था का अध्यक्ष और सेक्रेट्री कौन कौन हैं?

(९) क्या यह सही है कि इस स्कूल में एक अध्यापिका मिस लता भारद्वाज २०० रु० से ७०० रुपये के ग्रेड में नियुक्त की गई थी परन्तु बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया?

(१०) क्या यह सही है कि मिस लता भारद्वाज ने इस संस्था के अध्यक्ष और सेक्रेट्री को गत ८-९-६३ को एक लिखित नोटिस दिया जिसमें उसने उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये? कृपया नोटिस सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इस स्कूल में ५ अध्यापिकायें हैं और वे २०० से ७०० के वेतन में हैं।

(४) इस स्कूल में ६५ छात्र व २८ छात्रायें अध्ययन कर रही हैं।

(५) जी नहीं।

(६) इस संस्था को राजस्व विभाग द्वारा १०० बीघा जमीन एलॉट की गई है यह जमीन झालरा डूंगर और रामपुरा ग्राम में बजाजनगर के पास दी गई है।

(७) इस संस्था को ५०,००० रुपये का अनुदान समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया गया था।

(८) इस संस्था के अध्यक्ष का स्थान रिक्त है और सेक्रेट्री रामसिंह चौहान हैं।

(९) इस स्कूल में मिस लता भारद्वाज को २०० से ७०० रु० की ग्रेड में अस्थाई रूप से प्रोबेशन पर नियुक्त किया गया था। उनका कार्य संतोषजनक नहीं होने से प्रोबेशन काल में ही इन्हें स्कूल से अलग कर दिया गया।

(१०) जी नहीं।

कतिपय आरोपों का निराकरण करते हुए प्रकाशित समाचारों को मिथ्या और निराधार बताया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य: श्री भगवतसिंह मेहता।

Page No. 29

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर): क्या उसने नोटिस के बारे में प्रोटेस्ट किया है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक रिप्रेजेन्टेशन किया है गवर्निंग कौंसिल के सामने जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे सुनने का मौका दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह: केवल इतना सा ही लिखा है या और कुछ ज्यादा लिखा है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसके अन्दर दो वाक्य लिखे हैं और उन्होंने जो कहा वे वाक्य ये हैं कि "that I did not understand certain things." एक बात यह कही। दूसरी बात "that this was the only difficulty that I did not understand those things," शिक्षा के संबन्ध में, व्यवस्था के संबन्ध में, या और किसी के संबन्ध में, हैड मिस्ट्रेस ने यह कहा। इस तरह दो वाक्य कहे और इनसे ही भ्रान्ति उत्पन्न हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या भ्रान्ति पैदा हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिससे कोई निर्णय नहीं निकल सकता इस प्रकार की भ्रान्ति पैदा हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन भ्रान्तियों का स्पष्टीकरण इस रिप्रेजेन्टेशन में है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : भ्रान्तियां जो इस संबन्ध में कही हैं वे यह कह रही हैं कि मैं नहीं समझ पा रही हूं कि क्या उन्होंने कहा और क्या नहीं कहा। इसी प्रश्न को बार बार दोहराया है। रिप्रेजेन्टेशन में उनका अर्थ स्पष्ट नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, इसकी जो गवर्निंग कौंसिल है उसमें कितने सदस्य हैं और उनके नाम कृपया बताये जावें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं :

Founder members :

१. डा० मोहनसिंह मेहता।

२. श्री देवीशंकर तिवारी।

३. श्री भगवतसिंह मेहता।

४. डा० भंवरलाल रावत।

५. श्री रामसिंह प्रथम

६. श्री एस० बी० अडियप्पा।

७. पं० चैनसुखदास।

८. श्री भंवरलाल अजमेरा।

९. श्री मुक्तिलाल मोदी।

१०. श्री रामेश्वरलाल सेहारिया।

११. श्री रामसिंह चौहान।

इसमें दो टीचर्स हैं।

१. मिस उषा ठक्कर।

२. मिसेज डी० विलियम्स।

Co-opted members:

१. श्री आर० ए० पेरीरा।

२. श्री बी० एस० पोल।

३. श्री नारायण चतुर्वेदी।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

४. श्री जी० पी० बिस्सा।

५. श्री खैलशंकर दुर्लभजी।

Five persons from Life and Donor members :

१. श्री दुलीचन्द गोलेछा।

२. मैसर्स समीर चेरिटी ट्रस्ट।

३. श्री गंगाप्रसाद, सर्राफ, झुंझुनू।

४. श्री पी० एस० आचार्य, जयपुर।

५. श्री किरति एच० पारीख, रामगंज मन्डी।

Seven persons from ordinary members :

१. श्री आनन्द मोहन।

२. श्री विष्णुदत्त।

३. श्री शिवशंकर।

४. श्री जगदीशलाल।

५. श्री सीताराम।

६. श्रीमती बी० के० याज्ञनिक।

७. श्रीमती प्रभा लालजी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस रिप्रेजेन्टेशन का उल्लेख किया गया है उसमें लता भारद्वाज ने गवर्निंग कौंसिल से हीयरिंग का मौका मांगा है और गवर्निंग कौंसिल ने उसको हियरिंग का मौका नहीं दिया ?,

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी जानकारी में गवर्निंग कौंसिल ने उसको हीयरिंग का मौका नहीं दिया और न दिया जाना चाहिए क्योंकि वह प्रोबेशन पीरियड पर थी और उसका काम संतोषजनक नही था।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसकी सूचना लता भारद्वाज को दी गई ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या यह सही है कि उसका १॥ साल का प्रोबेशन अप्रेल में ही समाप्त हो गया था और उसका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाने के बाद उसको अगस्त, १९६३ में यह नोटिस दिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसकी नियुक्ति २६ अक्टूबर को हुई थी और १॥ साल के प्रोबेशन पर थी। उसका कार्य संतोषजनक नही होने से उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसका प्रोबेशन पीरियड अप्रेल, १९६३ में ही समाप्त हो गया था। अगर उसका कार्य संतोषजनक नहीं था तो उसको अप्रेल में ही क्यों नहीं हटाया जब उनका कार्यकाल प्रोबेशन का समाप्त हो रहा था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रोबेशन पीरियड १॥ साल माना था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह अप्रेल में समाप्त हो गया और ८-९-६३ को उसने नोटिस दिया और ९-९-६३ को उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका मतलब यह है कि प्रोबेशन पीरियड समाप्त के बाद भी उनको रखा गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाने के बाद भी आपने यह कहा चार महीने बाद कि आपका छः महीने का प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी जहां तक जानकारी है उनका जो प्रोबेशन पीरियड था उसमें ही उनकी सर्विसेज् को टर्मिनेट किया गया है, उसके बाद में नहीं। यह विवादग्रस्त है किस तारीख को किस ढंग से हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप डेट ऑफ टर्मिनेशन बता सकते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह मैं बता सकता हूं ६ सितम्बर, १९६३।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ८-९-६३ को आपको नोटिस दिया और ९-९-६३ को आपने उनकी सर्विसेज् को समाप्त कर दिया। जब अप्रेल में उनका प्रोबेशन पीरियड समाप्त होता था और उनका काम संतोषजनक नहीं था तो आपने ६ महीनों का प्रोबेशन क्यों बढ़ाया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी सूचना नहीं दे सकता लेकिन फिर भी मैंने बताया कि १॥ साल का प्रोबेशन पीरियड था और जो कुछ कार्यवाही की गई उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि अक्टूबर, १९६१ में उसका एपोइन्टमेंट हुआ और १॥ साल का पीरियड मार्च, १९६३ में खत्म हो गया था। वह चलता रहा और सितम्बर, १९६३ में आपने उनकी सर्विसेज् को खत्म कर दिया। मेरा निवेदन करना है कि जब उसका १॥ साल का प्रोबेशन पीरियड समाप्त हुआ, उस समय उसकी सर्विसेज् को टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया और उसके बाद इतने समय तक उसको क्यों रखा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मैंने निवेदन किया, यह संस्था हमसे किसी रूप में फाइनेन्स पर आधारित नहीं है, फिर भी मैंने साहस करके उत्तर दिया है। यह ६ महीनों का अन्तर किस तरह से है, मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि यह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन है। प्रोबेशन पीरियड को ऐक्सटेन्ड कर दिया यह मेरी जानकारी में नहीं है। फिर भी यह संस्था को अधिकार है। यह इन्सटीट्यूशन हमारे रूल्स से गवर्न नहीं होता है। इसलिए मैं जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूँ।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): क्या लता भारद्वाज ने टर्मिनेशन से पहले गवर्निंग बोर्ड के उपाध्यक्ष महोदय को या सेक्रेट्री को कोई रजिस्टर्ड लेटर भेजा था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक खत लता भारद्वाज का मेरे नाम पर आया जिसका उल्लेख मैंने उत्तर में किया है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आपके नाम खत भेजने का मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)
यह है कि टर्मिनेशन के बाद में या पहले लता भारद्वाज ने क्या कोई रजिस्टर्ड लेटर इस संस्था की गवर्निंग बॉडी या इसके सेक्रेटरी के नाम पर भेजा था?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिसे आप रजिस्टर्ड लेटर कह रही हैं वह उसका रिप्रेजेन्टेशन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या भगवतसिंहजी मेहता के नाम इस लता भारद्वाज का रजिस्टर्ड लेटर आया है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। संस्था के नाम एक लेटर आया है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या आप जानकारी प्राप्त करके बतायेंगे कि रजिस्टर्ड लेटर उनके नाम लता भारद्वाज का आया या नहीं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं उनसे जानकारी लेकर दूं इस स्थिति में मैं नहीं हूं, फिर भी बाहर किसी प्रकार की जानकारी मेरे से प्राप्त करना चाहें तो मैं देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह रजिस्टर्ड लेटर किसी वकील की मारफत दिया गया था?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस लेटर की भाषा को देखने से ऐसा लगता है कि वह किसी वकील के द्वारा तैयार किया हुआ या वकील की मारफत दिया हुआ नहीं बल्कि लता भारद्वाज के दस्तखत हैं, उनका ही लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह: इस संस्था के जितने सरकारी कर्मचारी सदस्य या पदाधिकारी हैं क्या उन्होंने इस संस्था के सदस्य बनने से पहले इसके लिए सरकार से अनुमति प्राप्त की है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभी सरकारी कर्मचारी उसमें सदस्य हो सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या राजस्थान सर्विस रूल्स, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के कन्डक्ट्स ट्रेडिशन्स और कन्डिशन्स ऐसी रही हैं कि उनके अनुसार सरकारी कर्मचारी अन्य शिक्षा संस्थाओं के सदस्य या पदाधिकारी नहीं बन सकते?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): वे सरकार की जानकारी के अन्दर काम कर रहे हैं। जब जमीन के लिये एप्लाई किया गया तब भी वे इसके मेम्बर थे, जिन खास खास ऑफिसर्स का जिक्र है वे इसके सदस्य हैं, यह सरकार की जानकारी में था। सरकार इस प्रकार के नॉन ऑफिशियल इन्स्टीट्यूशन्स में, जो एज्यूकेशनल और नॉन-पोलिटिकल टाइप के हों, काम करने की पर्मिशन देती है। इस केस में एग्जेक्टली पर्मिशन दी गई या नहीं यह मैं नहीं कह सकता, पर इसमें काम करना पर्मिसिबल है। इजाजत नहीं भी मांगी है तो भी पर्मिजिबल है। मांगते तो इजाजत दी जाती। शायद उन्होंने इजाजत मांगी भी हो और दी भी हो। यह मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या टर्मिनेशन से पहले चार्ज-शीट दी गई थी?

(अनेक माननीय सदस्यों के पूछने पर)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्रीमती नगेन्द्रबाला: अभी जो पत्र उप-शिक्षा मंत्रीजी के पास भेजा है में समझती हूं उस पत्र को पढ़ कर सुनायें तो सारी स्थिति साफ हो जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य: अध्यक्ष महोदय, इसको पढ कर सुनाने से सारी स्थिति साफ हो जायगी, में इसे·····

श्री भैरोंसिह: अध्यक्ष महोदय, में समझता हूं यह पत्र पढ़ कर सुना दें तो वह दूसरा पत्र भी पढ कर सुनाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: दोनों पत्रों को सदन की मेज पर रख दें।

(करतल–ध्वनि)

श्री निरंजननाथ आचार्य: गलत भ्रान्तियां पैदा की गई है..................

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये उद्यत हुए)

श्री अध्यक्ष: अब में नहीं समझता कि ज्यादा प्रश्नों की आवश्यकता है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला: एक प्रश्न और। क्या इस संस्था में काम करने वाली सभी अध्यापिकाओं की चाहे वे मैट्रिक हैं, इन्टर हैं, बी०ए० हैं या एम०ए० हैं या हेड मिस्ट्रेस हैं, सबकी एक ही पे (Pay) है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: टीचर्स की सबकी एक पे है, हेड मिस्ट्रेस की भिन्न हो सकती है, पर टीचर्स की सबकी एक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: १०० बीघा जमीन जब इस संस्था को एलॉट की गई थी तो उस समय कितने विद्यार्थी इस संस्था में पढ़ते थे? १०० बीघा किस आधार पर एलॉट की गई?

श्री निरंजननाथ आचार्य: अध्यक्ष महोदय, जहां आधार का प्रश्न आता है हर एक संस्था प्रारंभ में एक कमरे से शुरू होती है। बाल भारती नर्सरी से ले कर हायर सेकेन्डरी तक आगे बढ़ने का उद्देश्य ले कर चली है। जितने उसके कार्यक्रम हैं उनका सबका मुख्य उद्देश्य यह है कि कम वेतन पाने वालों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले। १०० रुपया पाने वाला व्यक्ति है उसके बच्चे की फीस एक रुपया है, १०० से २५० तक ५ रुपया, ढाई सौ से ५०० तक जिनकी तनख्वाह है उनके बच्चे की फीस ८ रुपया और ५०० से ऊपर की १५ रुपया। तो यह इस संस्था का उद्देश्य है कि लोगों को प्रोत्साहन दे। जो जमीन दी गई है वह सर्टेन कन्डीशन्स पर दी गई है कि जो जमीन इस संस्था को दी है उसमें से जमीन सरप्लस रह जाय तो सरकार वापिस ले सकती है, जो जमीन दी है उसको यह संस्था किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, इत्यादि। सारी कन्डीशन्स लै, डाउन करने पर १०० बीघा जमीन इन आधारों पर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : सारे तथ्य सदन के सामने आगये हैं।

श्री भैरोंसिह: क्या यह सही है कि जिनको जमीन का एलॉटमेंट किया गया है सरकार से इस संस्था की मान्यता प्राप्त करने के पहले ही कर दिया है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस इन्स्टीट्यूशन को गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज नहीं किया उसे गवर्नमेंट ने ३२० हजार गज जमीन एलॉट कर दी, सरकारी आदमियों की संस्था बनायें, सोशियल वेलफेयर ६० हजार रुपयों का अनुदान दे दे और फिर वहां पर इस तरह के घोटाले हों।

श्री निरंजननाथ आचार्य घोटाले का तो आप कहते हैं, वहां एक भी घोटाले का प्रश्न नहीं है। यह एक प्रगतिशील संस्था है। माननीय सदस्य जाकर देखें कि वहां बच्चों की शिक्षा दीक्षा की क्या स्थिति है तो आप इस मत के हो जायेंगे कि इस तरह की संस्थाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये। इस संस्था को प्रोत्साहन देंगे तो आगे जाकर यह संस्था बड़ी अच्छी निकलेगी। अभी यह इसका शुभारम्भ है, इसकी इस इन्फेन्सी में इसे डेमेज करने का प्रयत्न करें, यह उचित नहीं। इसे प्रोत्साहन देना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : होस्टल की बिल्डिंग बन चुकी है, पर आज तक होस्टल में एक भी विद्यार्थी भर्ती हुआ है क्या?

श्री निरंजननाथ आचार्य : होस्टल बना ही है, हमने सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंट को लिखा है कि अपने विद्यार्थी शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब्स के जो विद्यार्थी हैं, को इस होस्टल में भेजें। तो होस्टल अभी तैयार हुआ ही है तो क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि होस्टल तैयार होने से पहले ही विद्यार्थियों को रख लिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : होस्टल बन चुका है या नहीं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बन चुका है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आज ५ विद्यार्थी भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के इसमें पढ़ते हैं क्या?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया कि होस्टल तैयार हुआ है, सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट को लिखा है कि इस सत्र में जिनके लिये प्रावधान है, उन विद्यार्थियों को इसमें भेजने का प्रयास करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सवा लाख रुपया इन अधिकारियों ने इकट्ठा किया है। क्या राजस्थान सरकार से राजस्थान सर्विस रूल्स के तहत इसके लिये स्वीकृति ली गई है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप सवाल मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं जैसे मैं इस संस्था से बहुत ताल्लुक रखने वाला हूं। हमने एक पैसा नहीं दिया है। मान्यता दी है नर्सरी के लिये। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज तक इसके लिये सरकार से किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई। सरकार के कर्मचारी रुपया जमा करते हैं, सरकार द्वारा उन्हें जमीन एलॉट की जाती है और सरकार कहती है हमें पता नही। यह पैसा उन पूंजीपतियों से लिया गया है जिनको इलेक्ट्रिसिटी की रिबेट दी जाती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गरीब बच्चों को जिस संस्था से प्रोत्साहन मिलता है, उस पर क्यों इस तरह के आघात करते हैं।

एक माननीय सदस्य : शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक भी बच्चा इसमें नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो एग्रीमेंट एग्ज़ीक्यूट किया गया है, सरकार और संस्था के बीच उस पर दस्तखत किसके हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कानून के अन्तर्गत जैसा होना चाहिये वही है।

श्री भैरोंसिंह : नाम बतावें, किसके दस्तखत हैं एग्रीमेंट पर?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एग्रीमेंट क्या मैं उनके हाथ से ला सकता हूं मेरी मुश्किलें हैं कि किनारे किनारे यह सब सूचना लाया हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी मुश्किलें बहुत हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बोर्ड को चलाने के लिए जो कौंसिल है उसमें किन किन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बात बिल्कुल साफ है, माननीय मुख्य मंत्रीजी कि यह अनरिकग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन है। राजस्थान में एक ही उदाहरण नहीं होगा जहां पर पर हैड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पदाधिकारी बन कर एक अनरिकग्नाइज्ड संस्था को १०० बीघा जमीन दिलाएं, ६० हजार का अनुदान दिलाएं और सवा लाख का चंदा इकट्ठा करके दें। इस प्रकार हैड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिना सरकार की इजाजत लिए हुए सर्विस रूल्स की अवहेलना करे तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन का भगवान ही मालिक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में दुर्भाग्य से जिस रोज शिक्षा विभाग से संबंधित डिमान्ड्स पर बहस हो रही थी, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अध्यापिका, जो प्रोबेशन पर थी, को अलग करने के सम्बन्ध में बात उठाई थी। कोई वैधानिक आपत्ति होती, कानूनी खामी की बात होती, उस संबंध में कहा जाता तो एक अलग बात थी। लेकिन उस प्रश्न को लेकर जो सर्विसेज के हैड चीफ सेक्रेट्री हैं उन पर और सारी संस्था पर जिस प्रकार के आक्षेप यहां किए गए उन आक्षेपों की वजह से राजस्थान की सर्विसेज पर और दूसरे लोगों पर जो प्रतिक्रिया हुई है, वह मैं सदन से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि काफी गंभीर प्रतिक्रियाएं उसकी हुई हैं। इस दृष्टि से इस सदन में जो व्यक्ति स्वयं अपनी बात को डिफेंड करने के लिए मौजूद न हो उस पर व्यक्तिगत आक्षेप करें, जैसे इस सदन के अंदर किए जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि सदन की परम्पराओं, सदन के नियमों और हर प्रकार से वह एक बहुत ही गंभीर और अनुचित बात होगी। सर्विसेज पर अगर इस प्रकार से यहां पर एटेक किया गया कि जिसके बारे में कोई हमारे पास आधार नहीं है सिवा इसके कि जिसका उल्लेख किया गया, उसने अपना प्रोटेस्ट का लेटर भेजा और उसमें यह कहा कि कुछ कारणों की वजह से हटाया गया और वे कारण स्पष्ट नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उसमें से कुछ और बात निकालकर इस ऑगस्ट हाउस में इस प्रकार से उल्लेख किया जाय तो मैं समझता हूं कि इस हाउस के लिए शोभा की बात नहीं बनती और सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर उसका एक गंभीर असर होता है। मैं आपके द्वारा और आपसे भी खास तौर से निवेदन करना चाहता हू कि सदन की परम्पराओं के लिए

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह अत्यंत आवश्यक है कि सर्विसेज पर हम किसी प्रकार का एटेक करें तो उनकी जो भी गवर्नमेन्ट एक्टिविटीज हैं उससे संबंधित कार्यवाहियों के बारे में जो कुछ कहा जाय उचित है। जहां तक उन पर व्यक्तिगत आक्षेपों की बात आती है तो उस बारे में यहां इस सदन में कहने के लिए हमारे पास कुछ निश्चित आधार हों तो फिर भी अलग बात होती है। जबकि यहां वे मौजूद नहीं होते हैं अपने को डिफेंड करने के लिए और उनके ऊपर रिफलेक्शन्स करना चाहते हैं, तो उसका गंभीर असर होगा। आज उस संस्था में काम करने वाली जो शिक्षिकाएं हैं उन पर क्या प्रतिक्रिया, सर्विसेज पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये सब गंभीर प्रश्न हैं। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आप इस सदन में इस प्रकार की व्यवस्था दें कि जिससे इस प्रकार के आक्षेपों से दूषित वातावरण पैदा न हो, क्योंकि सदन में जो कुछ कहा जाता है, हाउस के बाहर पेपर्स में जो कुछ लिखा जाता है और उस पर जो टीका-टिप्पणी होती है उससे जो प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं सदन के माननीय सदस्य उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं समझता हूं कि सभी सदस्य इस बात में रुचि रखने वाले होंगे कि राजस्थान के शासन का डीमोरेलाइजेशन न हो, सर्विसेज पर इस प्रकार का असर न हो। केवल यहां पर उनकी बेइज्जती करने के लिए कुछ लोग मिल कर किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं। यह डीमोरेलाइजेशन डेमोक्रेसी के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गलत होगा। इस संबंध में कानूनी तौर से जो कुछ हो, टेक्नीकली क्या ऑब्जेक्शन्स हो सकते हैं, क्या खामियां रहीं क्या नहीं रहीं, क्या अध्यापिका के हक हैं क्या नहीं हैं, ये अलग से प्रश्न हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन पर्सनल एटेक्स इस प्रकार से किये जायं, वह अत्यन्त अनुचित है और नहीं होना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: तो आपका क्या मतलब है कि यहां पर जो कुछ प्रश्न रखा गया वह मिल-जुलकर किसी का अपमान करने के लिए रखा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैंने इस प्रश्न के बारे में नहीं कहा। मैंने शुरू में ही कहा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्सनल रिफलेक्शन चीफ सेक्रेटरी पर जब शिक्षा विभाग पर बहस हो रही थी उस रोज किया था, वह अनुचित बात थी। मेरे पास सारे सर्विसेज के एसोसिएशन्स के जो प्रेसीडेन्ट्स हैं उन्होंने आकर इस बात को कहा कि अगर यही परम्पराएं रहीं तो किसी के लिए एक तरह की सिक्यूरिटी नहीं है, अच्छी परम्परा नहीं है कि जो आदमी मौजूद न हो इस सदन में उसके पीछे से इस पर प्रकार के एटेक किए जायं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर):– अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस संबंध में यदि माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति है तो माननीय मुख्य मंत्री से अलग मिलकर बातचीत कर सकते हैं। यहां पर सदन में इस तरह की बहस करना मैं ठीक नहीं समझता और एक हद तक मेरे ख्याल से जो कुछ तथ्य भी हैं पहले जानकारी प्राप्त करें, फिर बाद में मसले को लाया जाय, तो ठीक होगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मंत्री ने राजस्थान की सर्विसेज के डीमॉरेलाइजेशन के सवाल को लेकर सदन के सामने जो प्रश्न रखा है कि जो सर्विसेज सदन में अपने को डिफेंड नहीं कर सकती उन सर्विसेज पर पर्सनल एटेक्स नहीं किए जायं। जहां तक

Page No. 37

(श्री भैरोंसिंह)

इस सिद्धांत का सवाल आता है किसी सदस्य को मानने में कोई आपति नहीं हो सकती है, लेकिन प्रश्न यह है कि सर्विसेज़ के जो एक्शन्स हैं उसके लिए इस सदन के अंदर कौन रेस्पोन्सिबल है ? इसका मतलब यह होगा कि सदन अपनी पॉवर्स को सीमित रखे कि केवल जो मिनिस्टर्स के एक्शन्स या एम० एल० एज़० के एक्शन्स हैं उनके बारे में इस सदन में चर्चा की जा सकती है बाकी के बारे में नहीं । लेकिन जहां तक उनके लिमिटेशन्स का सवाल है कि जो सर्विसेज़ स्वंय डिफेन्ड नही कर सकती इसलिए ऐसा न किया जाय, तो मैं समझता हूं कि सरकार अपनी खुद की रेस्पोन्सिबिलिटी से मुक्त होना चाहती है कि हम अपनी सर्विसेज को डिफेंड नहीं कर पाते । मैं उल्टे मुख्य मंत्रीजी, आपसे कहना चाहूंगा कि जो सरकार अपनी सर्विसेज़ को हाउस में डिफेंड नहीं कर सकती वह सरकार कमजोर है । सरकार कोई भी होगी अपने ऑफिसर्स के एक्शन...........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैंने सर्विसेज के एक्शन्स की बात नहीं कही । मैंने पर्सनल एलीगेशन्स लगाने की बात कही है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार के कोई पर्सनल एलीगेशन्स नहीं लगाए । उन्होंने केवल एक बात कही कि मुख्य सचिव के मकान पर नहीं गई । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इसका उल्टा अर्थ कैसे लगाया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: Allegations were very clear, Sir.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: From the comments of the papers and what has been said here......

उस कहने के बाद जो प्रेस में कमेन्ट्स हुए एडीटोरियल्स हुए हैं, उनका स्पष्ट संकेत है ।

श्री भैरोंसिह: प्रेस में कोई ऐसी बात नहीं है। आप सर्विसेज़ के डीमोरेलाइजेशन की बात करते हैं । सर्विसेज़ के हैड, मुख्य सचिव बिना परमिशन के किसी संस्था के सदस्य बन जायें जिसके वे उपाध्यक्ष भी हैं और गवर्नमेंट की सहायता उसको दिला दें तो क्या यह रूल्स का वायोलेशन नहीं है ? आप सर्विसेज की बात कहते हैं लेकिन ऐसे केसेज़ में यदि आप एश्योरेंस दे दें कि निश्चित रूप से एक्शन लिया जायगा तो सर्विसेज़ का मोरल बढ़ेगा ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर काफी गम्भीर चर्चायें हो रही हैं और अभी जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आपने इसका एक ही अर्थ कैसे लगा लिया । एक ही अर्थ लगाने का प्रश्न नहीं उठता है । हाउस में इस प्रश्न पर काफी बहस हुई है, काफी गरमा-गरम चर्चायें छिड़ी हैं और पत्रकारों ने उसको पत्रों में जिस हद तक रखा है उसका प्रश्न आता है । एक ओर जहां महिलायें काम करती हैं, महिलाओं को समाज में समान आदर दिया जाय और उनके साथ कन्धे से कन्धा भिड़ा कर काम किया जाय । इधर कर्मचारी वर्ग है और उधर महिला समाज है । इनमें किस प्रकार की गम्भीर प्रतिक्रिया होती है, इस पर एक प्रकार से गम्भीर विचार किया जाय । किसी महिला के बारे में यदि आपको कोई तथ्य मिलते हैं तो आप उसको रखिये, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है । लेकिन केवल महिला का नाम लेकर, केवल महिला के नाम पर दूसरे स्वार्थ सिद्ध किये जा रहे हों या गलत अर्थ लगाया जा रहा हो तो यह बड़ी अनुचित बात है । जनतन्त्र को सफल बनाने के लिए सरकारी

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)
मशीनरी तैयार करनी होगी। इस सम्बन्ध में आपका रुख स्पष्ट होना चाहिये । जो लोग ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, आपको तो इस मायने में खुशी ही होनी चाहिये कि कोई भी सरकार का कर्मचारी शिक्षा संस्थाओं के साथ मिल कर अपनी ड्युटीज के अलावा निःस्वार्थ भावना से संस्था को सहयोग देते हैं, उसकी सेवा करते हैं तो उसमें आपको और हमको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये । टेक्निकल मिस्टेक के बारे में जरूर कहिये । लेकिन महिलाओं के बारे में किसी प्रकार की बात करके कीचड़ उछाल दिया जाय, यह महिलाओं के लिए एक बदनामी है और यह आपको शोभा नहीं देता । मैं चेयर से प्रोटेक्शन सीक करती हूं कि इस तरह की बहस हाउस में बहुत ज्यादा नहीं चलनी चाहिये ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : महत्वपूर्ण मसला है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो बहस की है, एक मुद्दा उठाया है, एक सिद्धान्त को लेकर बात कही। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि सर्विसेज के आचरण का जहां तक सवाल है, सर्विसेज का जो आचरण है, उनका वह आचरण जीवन को झंकृत करता है, सिहरन इत्यादि पैदा करता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन को पूरा अधिकार है कि हमारी सर्विसेज का ऐसे आचरण, जो आम जनता को प्रभावित करता हो, पर यह सदन पूरी तरह से विचार कर सकता है और विचार करना चाहिये । जिनका आचरण खराब है, जो आचरणहीन व्यक्ति हैं वे क्या सर्विसेज में रहकर मोरेल पैदा करेंगे, वे क्या आदर्श दूसरों के लिए पैदा करना चाहेंगे ? इस हाउस को यह पूर्ण अधिकार है कि सर्विसेज के आचरण पर विचार करे ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल): जो आप कहेंगे वह ही क्या आचरण बन जायगा ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : आप बैठिये ।

यह महिलाओं की मर्यादा का सवाल है मैं इसको पुनीत कर्तव्य समझता हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फिर उसी प्रकार की बहस की जा रही है और कहा जा रहा है कि मंशा यह नहीं है । बहस को जिस प्रकार से ट्विस्ट किया जा रहा है, वह अनुचित है ।

श्री मानसिंह महार: अध्यक्ष महोदय. मैं निवेदन करूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो मसला उठाया वाकई वह अहम मसला है । यह मानते हैं कि कुछ हद तक इस प्रकार की बहस नहीं होनी चाहिये, लेकिन इस प्रकार की बात कहीं जाती है, उस तरीके से बात उठायी जाती है उसका मुख्य कारण यह है कि जो मुद्दा उठाते हैं, इन्डाइरेक्टली उठाते हैं तो सरकारी पक्ष ध्यान भी नहीं देता है । मैं आप से कहता हूं सही बात भी सदन में कहें और उसको जरा किसी प्रकार के संकोच से और इस प्रकार से कहते हैं तो सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है । तो हम को मजबूर होकर पर्सनल नाम लेकर के पर्सनल केसेज साइट करके कहना पड़ता है । अगर मुख्य मंत्रीजी इस चीज को क्लेरिफाई करदें, उनको इस प्रकार की बात बताई जाय और प्राइवेटली वे ध्यान दें तब भी सोचा जा सकता है । जब इस प्रकार का क्लेरिफिकेशन नहीं आता है, हम लोगों पर पचास तरह की बाधायें डाली जायं कि पहले नोटिस दो, वह करो, और उस पक्ष से जब हम पर आरोप लगाये

(श्री मानसिंह महार)

जाते हैं और उनकी कोई रोकथाम नहीं होती है, उस समय मुख्य मंत्रीजी बैठे बैठे देखा करेंगे । अगर कोई कांग्रेसी सदस्य विरोधी आदमियों पर आरोप लगाये या सरकारी नौकरों पर आरोप लगाये तो उस वक्त उनको ऐतराज नहीं होगा । वह उनको कोई ओब्जेक्शनेबल चीज नहीं लगेगी । लेकिन विरोधी पक्ष के आदमी, अगर कोई सरकारी पक्ष के कृपा-पात्र हैं वे भी आम सरविसेज की बात नहीं हैं किसी खास तबके के ऊपर आरोप लगाये तो हो सकता है "Charity begins at home" में कहना चाहता हूं में इस धन्धे में नही जाना चाहता । मैं मानता हूं गलत तरीके से जमीन दी गई । यह भी मानता हूं कि गलत तरीके से उस महिला को डिस्मिस किया, यह भी मानता हूं कि वह एक गलत संस्था है । मुख्य मंत्रीजी यह तो कहें कि यह जो हुआ है गलत हुआ है । मुख्य सचिव की गलती है । हम इस चीज को यहीं पर क्लोज करना चाहते हैं ? जब इस तरह का सवाल उठता है तो उसको ठीक किया जायगा – इस प्रकार की बात कही जानी चाहिये थी । यही नहीं, खुद डिप्टी मिनिस्टर एजुकेशन इसको साइड ट्रेक करते रहे ; हम प्रार्थना करते रहे, हम चिल्लाते रहे कि यह क्या है । इतना कहने पर भी सरकारी पक्ष तैयार नहीं हुआ इसके लिए कि हम गलती मानते हैं और उसको सुधारने की कोशिस करते हैं । उसके बावजूद फिर मुख्य मंत्री जी यहां उठ कर कहें कि जो कुछ हुआ है वह गलत हुआ है, यह हमारे लिए दुख की बात है । आप अपना चेहरा आइने में देखें । आध घन्टे तक चलता रहा और आपके डिप्टी मिनिस्टर डिफेन्ड करें ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस खतम ही कर रहा हूं ।

संस्था कायम ही नही हुई, जमीन दे दी गई ६० हजार रुपये की । सही प्रश्न उठाते हैं तो आप कहते हैं कि यह गलत हुआ है । चीफ सेक्रेटरी को टास्क पर लेंगे । We will take him to lask यह आप कह देते तो मामला यहीं पर खत्म हो जाता । यह नहीं होता है तो उनको मुगालते में डाला जाता है । कल उस और बैठने वाली माननीय सदस्या हमको उस संस्था में ले गयीं । पांच सात एम० एल० एज० को ले जाया गया । किसलिये ले जाया गया ? संस्था के दर्शन कराये गये । लड़के जूते बाहर खोलते हैं । कुछ नई चीज नहीं । न लेता भारद्वाज को बुलाया गया और न कम्प्लेन्ट की चर्चा की गई । यह दिखाया गया कि जूते बाहर खोलते हैं, लड़के और हेड मिस्ट्रेस बड़ी योग्य हैं । हो सकता है वह योग्य होगी । उनकी निगाह में हो सकता है । हमारी समझ में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : बहस बढ़ाने की बात न करें, तथ्यों की ही बात करें ।

श्री मानसिंह महार : तथ्य की ही बात कह रहा हूं । कल हमें ले जाया गया। इन्सटीट्यूशन को दिखाया गया ।

श्री भैरोंसिंह : ले जाने में कोई आपत्ति नही है । सदन के सदस्य खुद गये थे । हमें कोई फोर्स नहीं किया गया था । सारी स्थिति को आंखों से देखा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले सदस्य ने जो कुछ कहा है, मुख्य मंत्री जी ने उस पर दो प्रश्न उठाये हैं । एक तो यह कि चार्ज लगाने से सर्विसेज पर गम्भीर प्रतिक्रियायें हुई और दूसरा संस्थाओं में महिला टीचर्स हैं उनमें गम्भीर प्रतिक्रियायें हुई हैं । अलवर से आने वाले सदस्य ने भी इसी गम्भीर तथ्य को देखते हुए यह बात कही थी, उनके दिमाग में महिलाओं

Page No. 40

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के प्रति आदर है। जो महिला वहां पढ़ाती है उनको लेकर ही यह बात कही है। चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें घर पर बुलाया, वे वहां नहीं गयीं, उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया। इसके अलावा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई बात नहीं कही। सदन के अन्दर यह बात समझी और एक महिला के आदर्श को देखते हुए यह बात कही, इस प्रश्न को इसी रूप में इसी दृष्टि से लेना होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में सारे फेक्ट्स इस सदन में आ चुके हैं कि किसी टीचर का लेटर है, जिसमें कहा गया कि मुझे वहां बुलाया गया। वह बात हुई। जिस गम्भीर प्रश्न को ले रहे हैं, क्या उस बात को रिपीट करना चाहते हैं, जिसका कोई बेसिस ही नहीं है? सारी बहस चल रही है। उसने यह लिख कर भेजा है, किन कारणों से मुझे हटाया जा रहा है, मुझे जानकारी दी जाय। डिप्टी मिनिस्टर एजुकेशन कहते हैं उनका लेटर उनके पास है जिसमें कहा गया है कि कोई बात नहीं है, जबरदस्ती मुझे बदनाम किया जा रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न है............

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने जो सामान्य प्रक्रिया हुई उसके बारे में उल्लेख किया है। उनका केवल इतना कहना था कि सरकारी अधिकारियों के संबंध में किस प्रकार से उल्लेख यहां किया जाना चाहिये, क्योंकि वे यहां डिफेन्ड नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस बारे में मैं भी यह महसूस करता हूं कि सर्विसेज के सम्बन्ध में यहां जो कुछ कहा जाता है, चूंकि वे लोग यहां डिफेन्ड नहीं कर सकते उनके बारे में तथ्यहीन, वेग बातें सदन के अन्दर नहीं कही जानी चाहिये। लेकिन ऐसे भी मौके आये हैं जब माननीय मंत्री महोदय ने यहां तक बातें कही हैं कि मैं आई० जी० पी० के सारे कामों के लिए पूर्ण जिम्मेवार हूं।

श्री अध्यक्ष : कहा ही नहीं है, यह कान्स्टीट्यूशनल पोजीशन है। एक कान्स्टेबल जो करता है उसके लिये भी सरकार जिम्मेदार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे ही लोग मौजूदा मंत्रिमंडल में हैं जो सर्विसेज को डिफेन्ड करते हैं, चाहे रोंगली डिफेन्ड करते हों या राइटली करते हों, इसलिये सर्विसेज अन-डिफेन्डेन्ड नहीं हैं। हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट यहां नहीं कह सकता, लेकिन मिनिस्टर महोदय उसके प्रति जिम्मेदार हैं। यह मैं मानता हूं कि जो भी अधिकारियों के खिलाफ एलीगेशन्स लगाये जायं वे जिम्मेवारी के साथ हों और रीजनिंग के साथ हों।

जहां तक इस संस्था का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं यह संस्था अच्छी है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक संस्था जो रिकागनाइज्ड नहीं है...............

श्री अध्यक्ष: ये बातें सारी आ चुकी हैं आप वे ही बातें दोहरा रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इसलिये पोइन्ट आउट कर रहा हूं...............

श्री अध्यक्ष : अब बहस को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बहस को बढ़ाना हम नहीं चाहते, लेकिन मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि भविष्य में वे इस बात को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) :

ध्यान में रखे जिस प्रकार देश के प्रधान मंत्री जब लोक सभा का सेशन चलता है उस समय वहां उपस्थित रहते हैं, उसी तरह मेरा आपसे भी निवेदन है कि जब हमारा विधान सभा का सत्र चल रहा हो उस समय में उद्‌घाटन आदि के लिये इधर उधर न जायें, महरबानी करके थोड़ा सा समय सदन को दें सकें तो सारी परिस्थितियां ही न आयें। सदन के सुचारु रूप से संचालन में सहयोग देने की दृष्टि से आप यहां स्वयं विराजमान रहें या आपके केबिनेट के किसी सीनियर मेम्बर को नियुक्त कर दीजिये ताकि ऐसी कोई दिक्कत न आये।

इसके साथ ही मुख्य मंत्री महोदय ने अपने भाषण में अध्यक्ष को भी कुछ गाइडेन्स देने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि हमारा आसन पर इस प्रकार का आक्षेप लगाना सही नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आसन से तो मैंने इस बारे में गाइडेन्स के लिये कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके गाइडेन्स की आवश्यकता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारा आसन हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा आसन है। आप क्या यहां पर भी कैरों के पद–चिन्हों पर चलना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कैरों के पदचिन्हों पर नहीं . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हनुमानगढ़ में तो चले हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उनके पद–चिन्ह खराब लगते हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रामप्यारा तो पैदा कर दिया, प्रबोधचन्द्र भी करना चाहते हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है उससे कुछ भ्रम पैदा हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उनको वहां ले जाया गया, यह बात ठीक नहीं है। उस संस्था की तरफ से वहां की हैड मिस्ट्रेस के लेटर्स आये हैं माननीय सदस्यो के पास, उसमें उन्होंने कहा है कि जो विधान सभा में इस बारे में चर्चा हुई उसकी प्रतिक्रिया इस संस्था की अध्यापिकाओं पर बुरी हुई है। अतः माननीय सदस्य यहां आकर इस संस्था को देखें। इस पर हमने विचार किया कि अकेले न जाकर सबको साथ ले जाय जाय तो अधिक अच्छा होगा और उसी सद्‌भावना के साथ हम सब लोग वहां गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमें संस्था से कोई एतराज नहीं है और न होना चाहिये। चीफ सेक्रेट्री महोदय ने इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर झोंपड़े झोंपड़े में जाकर एक एक रुपया इकट्ठा किया, यह सराहनीय है। प्रश्न केवल यह है कि १०० बीघा जमीन इस संस्था को दी गई, ५०हजार रुपया सोशियल वैलफेयर बोर्ड द्वारा दिया गया। हमारा यह कहना है कि जब कि इस संस्था में एक भी छात्र शिड्यूल कास्ट और ट्राइब का नहीं है तो फिर पचास हजार रुपया कैसे दिया गया? चूंकि मेहता साहब इस संस्था के अध्यक्ष हैं इसलिये इनको १०० बीघा जमीन दी गई, यह सर्विस रूल्स के खिलाफ है। इस प्रकार धरती देना भी गलत परम्परा कायम करता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस प्रश्न पर जो बहस हुई है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं; इसमें महत्वपूर्ण पहलू यह है जिस पर मुख्य मंत्री महोदय ने प्रकाश नहीं डाला है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि लता भारद्वाज को डिसमिस कर दिया चूंकि वह चीफ सेक्रेट्री के बुलाने पर उनके घर नहीं गई। हमारी सरकार का रेवेन्यू विभाग जिसका पोर्ट फोलियो मुख्य मंत्री के पास है उन्होंने सौ बीघा जमीन एक इन्स्टीट्यूशन के लिये एलॉट की, जिसके श्री भगवतसिंह मेहता पहले चेयरमैन थे और जो अब वाइस चेयरमैन हैं। और मुख्य मंत्री महोदय की पत्नि सोशल वैलफेअर बोर्ड की चेअरमैन हैं उस सोशल वैलफेअर बोर्ड द्वारा ५० हजार रुपया दिया गया . . . .

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सोशल-वेलफेअर डिपार्टमेन्ट द्वारा दिया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के छात्रों को लेने के नाम पर पचास हजार रुपया अनुदान दिया है। वहां एक भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का लड़का है नहीं, होस्टल अभी बना नहीं। १०० रुपये से कम पाने वाले कर्मचारी का कोई लड़का वहां पढ़ता नहीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: हैं, लड़के हैं, आप कैसे कहते हैं कि नहीं है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : वहां ६३' छात्र है, उसमें एक भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: हैं, लड़के हैं, आप तो केवल बदनाम करने के लिये बातें कहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: एक तो सवाल यह है उनको किस आधार पर ५० हजार रुपया दिया गया ?

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उन्होंने एक लाख कुछ रुपय इकट्ठा किया, क्या सर्विस रूल्स की तहत है, इस प्रकार रुपया इकट्ठा करना।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, १०० बीघा जमीन जो इस संस्था के लिये दी गई उसमें कोई गल्ती नहीं की गई। जयपुर राजधानी है। वहां एक ऐसा स्कूल बने जिस स्कूल के अन्दर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लड़का एक साथ पढ़े। आज जो स्थिति है, उसके अनुसार मोन्टेसरी पद्धति के अनुसार पब्लिक स्कूलों में गरीब छात्र प्रवेश नहीं पा सकता, क्योंकि वहां की फीस का लेवल बहुत हाई है। गरीब लड़का भी पढ़ सके, शिडयूल कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के छात्र भी पढ़ सकें जिनको आज सेन्ट जेवियर आदि पब्लिक स्कूलों में स्थान नहीं मिलता, उनको वहां साथ पढ़ाया जा सके, इस उद्देश्य को लेकर के रेस्पोन्सिबल आदमी मिलकर के अगर जिम्मेदारी लेते हैं, टेक्नीकल बातें अलग रख कर यह रिकॉग्नाइज हुई या नहीं, उसके पहले जमीन कैसे दी गई–आदि बातों को दूर रख कर सोचे तो जहां जिम्मेदार आदमियों ने इस काम को उठाया है वहां पैसों का दुरुपयोग नहीं हो सकता, जमीन का दुरुपयोग नहीं हो सकता। काम अच्छा है, इन्हीं बातों को लक्ष्य में रखते हुए, इस बात का फैसला किया गया। इसमें यह टेक्निकल सवाल उठ सकते हैं कि रिकग्निशन होने से पहले जमीन दी गई, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस संस्था का जो उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखना होगा, इससे किसी ने जमीन का दुरुपयोग कर लिया हो या व्यक्तिगत किसी ने लाभ उठा लिया हो .ऐसी बात कतई नहीं है। यह सौ बीघा जमीन इसलिए दी गई है कि यह एक आदर्श संस्था यहां भी बने क्योंकि आज सभी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि पब्लिक स्कूल में जो तालीम होती है उसमें गरीबों के बच्चे एडमीशन पा नहीं सकते । इस प्रकार की संस्था को डेवलप करना मैंने खुद ने पसन्द किया, और इसी शुभ उद्देश्य के लिए जमीन एलोट की गई ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जो बालभारती में एडमिशन के रूल्स हैं, उसमें लिखा है ; १००से २५० रूपया पाने वाले लोग हैं उनके लड़कों से ५ रु० फीस ली जायगी और इस फीस के अलावा बस का किराया अलग होगा; तो क्या आप यह उम्मीद करते हैं इतना भार वह वहन कर सकेगा ?

श्री अध्यक्ष: आप अब इस बहस में न पड़ें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १.२५ हजार कैसे एकत्रित किया? क्या यह सर्विस रूल्स के अगेन्स्ट नहीं है, केवल गरीबों को प्रोत्साहन देने के नाम पर जमीन एलोट कर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिस बात का उल्लेख किया वह बहुत ही आवश्यक बात है । माननीय सदस्यों को इस बात पर गौर करना चाहिये ।

वैसे दो पहलू हो सकते हैं इस घटना के संबंध में । एक तो यह कि किसी भी सरकारी अधिकारी के बारे में कितनी हम चर्चा कर सकते हैं? अगर कर सकते है तो कितनी कर सकते है, उसकी क्या सीमा होनी चाहिये? उस अधिकारी के बारे में चर्चा कर हम सीमा का उल्लंघन तो नहीं करते हैं । जहां तक इस संस्था का प्रश्न है इस पर सदन के सामने काफी चर्चा हो चुकी है, और वे सारी बातें माननीय सदस्यों के सामने हैं ।

यह माननीय सदस्य भी स्वीकार करेंगे कि सदन में समय समय पर सरकारी अधिकारियों का व्यक्तिगत तौर से उल्लेख किया जाता है, सरकारी अफसरों और अन्य व्यक्तियों का भी उल्लेख किया जाता है और इसके लिये समय समय पर व्यवस्थाएं भी दी गई हैं और परिपत्र भी जारी किये गये हैं कि व्यक्तिगत आक्षेप लगावें उससे पहले हमारे जो नियम हैं उनके अन्तर्गत सूचना दें, उसके बारे में जानकारी करें, तथ्यों के बारे में जानकारी करने की कोशिश करें; अन्यथा, ऐसा नहीं होता है तो सदन में निश्चित रूप से एक ऐसा वातावरण पैदा होता है जो न मैं चाहूंगा और न माननीय सदस्य स्वयं कभी चाहेंगे।

इसलिये जहां तक इस सदन में हुई बहस का सवाल है और जो बहस यहां हुई, माननीय सदस्य श्री रामानन्द व अन्यों ने जो बहस में उल्लेख किया हो किसी ऐसी बात का, तो मैं उन सारी प्रोसीडिंग्ज़ को देख लूंगा और उसमें कोई आपत्तिजनक बात हुई, जैसी कि कही गयी, और जिसके प्रति कही गई, और जो इस सदन में नहीं है और जिसका निश्चित रूप से निराकरण हो नहीं सकता और जिसका प्रकाशन समाचार-पत्रों आदि में होने से बाहर लोगों की भी ऐसी धारणा बन सकेगी, जैसी कि स्वाभाविक है, जो धारणा ठीक नहीं कही जा सकती, तो ऐसे शब्द कहना मेरे ध्यान से उचित नहीं था और जिस पृष्ठभूमि में वे कहे गये, यह भी देख लूंगा और अगर उनका निकालना आवश्यक हुआ तो उस पर विचार करूंगा।

अब प्रश्न आता है जैसा मैंने शुरू में कहा कि सरकारी व्यक्तियों और अधिकारियों

(अध्यक्ष)

पर आक्षेप करने की बात, अगर वह सरकारी अधिकारियों के ऐसे कार्यों से सम्बन्धित है जिनका सम्बन्ध सरकारी कार्य से हो, उसमें निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य को पहले सूचना देनी चाहिये और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य उनके बारे में यहां बोलते वक्त उस नियम को भूल जाते हैं। इसके लिये निश्चित रूप से वे भी स्वीकार करेंगे कि बहुत सी बातें ऐसी आ सकती हैं जो नहीं आनी चाहिये और जिसका निराकरण नहीं हो सकता। तो इस तरह के कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगावें, तो, इसके लिये मैं कहूंगा कि विशेष तौर से सरकारी अधिकारियों पर, तो पहले स्वयं उनकी जांच कर लें कि जो वे कहने जा रहे हैं वे तथ्यपूर्ण हैं या नहीं, और फिर उसकी नियमों के अन्तर्गत सूचना मुझे दे दें और इसके बाद में मंत्री महोदय को भी सूचना दे दें। ये सारी बातें करने के बाद अगर प्राइमाफेसी मामला लगता हो तो ऐसा निश्चय किया जा सकता है कि इसे यहां लिया जाय और उस पर चर्चा की जाय, उसकी स्वीकृति दी जा सकती है। पर ऐसा नहीं हो तो मैं समझता हूं व्यक्तिगत धारणा उनकी कुछ भी हो, पर सदन में संयम से काम लेंगे, संयम धारण करेंगे, उसका उल्लेख नहीं करेंगे और उत्तेजनात्मक वातावरण पैदा करने की कोशिश न करेंगे।

एक स्वरूप और हो सकता है, माननीय सदस्यों का या सरकारी अधिकारियों का भी, जैसा इस स्थिति के बारे में है।

कई ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित हो सकते हैं जहां उनका सरकारी अधिकारी के नाते सम्बन्ध न हो। ऐसी जो संस्थाएं हैं या ऐसी जो उनकी एसोसियेशन हैं उनके बारे में, मैं समझता हूं, नियम का पालन करते हुए उल्लेख करने का माननीय सदस्यों को अधिकार है और उस सम्बन्ध में जो भी रिस्क या आपत्ति या वैधानिक स्थिति सरकारी अधिकारी झेलता है, ऐसी संस्थाओं से सम्बन्ध रखने के लिये, तो उनको इसके साथ यह भी रिस्क उठानी पड़ेगी कि उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, उसको वे फेस करें।

(हियर हियर)

लेकिन ऐसे आक्षेप जब भी लगाये जावें नियमों के अन्तर्गत लगाये जावें, स्थिति की जानकारी करके लगाये जावें, तथ्यपूर्ण तरीकों से लगाये जावें।

तो इस समय तो यही निवेदन करूंगा कि हमारे नियमों के अन्तर्गत ही बहस का संचालन करें और कभी कभी ऐसा वातावरण बन जाता है, जिसे वे स्वयं खेदजनक मानते हैं, तो व्यक्तिगत तौर से किसी बात का उल्लेख केवल बहस के आवेश में आकर या सरकार के विरुद्ध कोई पोइन्ट कोट करने के लिये, विरोधी बात कहने की नियत से, ऐसी प्रक्रिया बने कि जिससे सदन की प्रतिष्ठा घटे और सामान्य नागरिक की यह धारणा बने कि सदन में भी माननीय सदस्यगण कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं कहते, इससे बचा जाना चाहिये, इसे नियमों के अन्तर्गत न कहा जा सकता है, न कहा जाना उचित ही है।

इसलिये मैं विशेष तौर से पार्टी के लीडर का, और जो जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं उनका, सारे माननीय सदस्यों

(श्री अध्यक्ष)
का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि वे सब बहस के दौरान में संयम से काम करें और वे यह नहीं मानें कि सदन कोई इन्क्वायरी बॉडी है जिसमें बहस करने से सारे तथ्य आ जावेंगे। लेकिन अपनी बात को स्पष्ट करने में, कहने में जो प्रक्रिया सदन में है, जो नियम यहां हैं, उनका पूरा उपयोग करें। जहां कहीं भी आवश्यक हो, नियमों का फायदा उठावें, उनका शेल्टर भी ले सकते हैं और उसके मातहत बहस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपनी धारणायें और विचार रखने की कोशिश करें, पर करें सीमाओं में, जो सदन में लगाई गई हैं। सदन की मर्यादाओं का हमेशा ध्यान रक्खें और उन मर्यादाओं के अन्तर्गत ही काम करें, ऐसा मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा।

रूल्स में व्यवस्था है कि आरोप लगाये जावें तो पूर्व सूचना दी जावे। अगर पूर्व सूचना तक ही सीमित हो तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो फरमाया वह पर्पज सर्व नहीं होगा। किसी पर आरोप लगाना है और आपको पूर्व सूचना दे दी और अब मन्त्री महोदय को भी सूचना दे दी। पर नियमों के अन्तर्गत मंत्री महोदय को इसके लिये बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह उस प्रश्न को लेकर जिस सदस्य ने प्रश्न पैदा किया है या नोटिस दिया है, वह सही है या गलत है, इसकी सूचना दें।

इसके लिये या तो यह व्यवस्था दी जावे कि जिस मसले की पूर्व सूचना आती है उसके बारे में सम्बन्धित मन्त्री या वक्ता, जो आरोप लगाये जाने वाले हैं, जिसके खिलाफ आरोप लगाये जाने वाले हैं, उनका स्पष्टीकरण सम्बन्धित सदस्य को कॉन्फीडेन्स में लेकर करें, और इसके बाद उसे सदन में बोलने की इजाजत देने की आवश्यकता हो तो सारे मामले को देख कर दे सकेंगे कि जिससे वह सारे मसले को साफ करने की चेष्टा करें, तो इसका केवल नोटिस देने मात्र से पर्पज सर्व नहीं होगा। नोटिस दे दिया और अगर जो आरोप लगाये जाने वाले हैं, उनका उत्तर नहीं दिया तो फिर क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : जो लिखित रूप में आवेगा निश्चित रुप से उसके प्रति ध्यान दिया जावेगा।

मैं तो समझता हूं कि सदन की जब बैठक न भी होती हों, फिर भी मुख्य मन्त्रीजी का या सम्बन्धित मन्त्री से निरन्तर सम्पर्क रखते रहें उसके बारे में ताकि वापिस सदन में दुबारा जब आवें तो कह तो सकते हैं कि दो-तीन बार लिखा; कहा या याद दिलाया, इसलिये यह प्रश्न यहां उठाया है।

श्री रामकिशन (वैर) : हम इतनी चिट्ठियां लिखते हैं उनको ऐसे मामलों में, पर वे उत्तर देते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप इसका उल्लेख कर सकते हैं यहां बहस में। और करना चाहिये फिर तो उनका।

श्री रामकिशन : और नतीजा फिर भी कुछ नहीं होता, अध्यक्ष महोदय, इसलिये इतना सब कहना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : नतीजा इतना शीघ्र निकले न निकले, जांच होती है उसमें भी समय लगता है और जैसा सदस्य चाहें तब भी उसका वैसा नतीजा निकले और न भी निकले। पर प्रश्न यह है कि बहस का काम सदन में किस तरह से हो, किस तरह ये समस्याएं यहां उठाई जावें और उनका निराकरण करने की चेष्टा की जावे।

जैसे भैरोंसिहजी ने कहा कि मन्त्रीजी को सूचना दी, लेकिन देने के बाद भी सदन में ऐसी बात आती है जो नियमों के विपरीत है, स्केन्डुलस नेचर की है डिफेमेटरी नेचर की है, तो उनकी सूचना देने के बाद भी सूचना यहां तथ्यों की दी जा सकती है, उनकी वे जांच करके यहां बतावें या फाइल की बात हो, या निश्चित फैक्ट हो, तथ्य हो, जिसके बारे में उल्लेख कर सकते हैं।

पर जैसे किसी के व्यक्तिगत आचरण के बारे में कहना चाहते हैं, किसी को भ्रष्टाचारी कहना चाहते हैं और उसका पूर्व नोटिस दे दिया बोलने का, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके तुरन्त बाद ही उसका जवाब भी मिल जावे। आप तथ्यपूर्ण तरीकों से लिखें तब भी उसकी जांच में समय लग सकता है, जांच उसकी की जा सकती है और अगर आपको कोई जानकारी है तथ्यपूर्ण तो मुझे व्यक्तिगत तौर से जानकारी दे सकते हैं और अगर वे तथ्यपूर्ण साबित हुए और सबका सहयोग रहा तो उसका निराकरण हो सकता है, सम्बन्धित व्यक्ति को सजा दी जा सकती है।

श्री भैरोंसिह : माननीय सदस्य आरोप लगाना चाहें मन्त्री के विरुद्ध या सरकारी अधिकारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध तो यह मान कर चलिये कि उसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित मन्त्रीजी को दे दी गई और वह अब यह प्रयत्न करे कि सदन का समय निकल जावे और जांच के लिये मामला चल रहा है इसकी आड़ लेकर सदन की आलोचना से बचने की कोशिश करे, तो अगर उसको एसा नियमों का प्रोटेक्शन मिल गया तो, वह जवाब नहीं मिलेगा।

मैं इसलिये निवेदन करता हूं कि कोई इस तरह की सूचना दी जाय या पूर्व नोटिस दिया जावे तो उसके उत्तर के लिये एक सीमा निर्धारित कर दी जावे कि एक-दो दिन में या पांच-चार दिन में इसका उत्तर प्राप्त हो जावेगा । और, अध्यक्ष महोदय, यह सीमा निर्धारित कर देंगे तो उसके बाद में सरकारी पक्ष पर दबाव पड़ेगा कि वह सीमा में उसका निश्चित रूप से जवाब दे। अगर अब जवाब भी आता है और सीमा में नहीं आता है, पर्टीकूलर डिमाण्ड को लेकर आरोप लगाएं और उसका उत्तर आने में समय निकल रहा है, और समय निकालने के लिये जांच करने का बहाना करता रहे तो फिर इसका समाधान नहीं होगा और इस तरह से पूर्व-सूचना देने का अर्थ ही समाप्त हो जावेगा, महीनों उसका समाधान नही होगा।

इसके लिये यह किया जा सकता है कि सदन की एक समिति हो जिसमें दोनों पक्षों के आदमी हो सकते है, उसमें उसको दे दिया जावे, दो दिन में चर्चा करके जो भी निर्णय हो, उसकी सूचना दे दें और

Page No. 47

(श्री भैरोंसिंह)

या अध्यक्ष महोदय, स्वयं ऐसा अधिकार लें कि जो पूर्व सूचना दी जावे उसके आधार पर सम्बन्धित कागजात को या फाइलों को देखने की जरूरत हो, तो वे देखकर माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न उठाया, उनको सूचना दे दें कि उन्होंने जो तथ्य रक्खे हैं वे किस सीमा तक सही हैं।

श्री अध्यक्ष : सीमा निर्धारित करना तो विषय पर निर्भर है कि वह किस तरह का विषय है।

माननीय सदस्यों को मालूम है कई बार मन्त्री महोदय के ध्यान में आता है कि यह तथ्य इतना कॉम्प्लीकेटेड है कि उस दिन क्या दूसरे दिन, तीसरे दिन भी नहीं बता सकते। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि समय निर्धारित किया जावे।

कमेटी के लिये भी कई बार कहते हैं कि जांच कमेटी बनाई जावे। पर मैं समझता हूं कि सही मायने में सदन इस तरह की जांच कमेटी नहीं बना सकती और बनाना उपयुक्त भी नहीं है। जांच कमेटी बनेगी तो माइनोरिटी और मेजोरिटी की बात आवेगी, बहस सदन में आवेगी तो उसमें भी राजनैतिक तौर पर दलबन्दी बन सकती है।

तो जो भी बहस के द्वारा ध्यान आकर्षित करने का तरीका है सदन में वह बहुत ही उपयुक्त तरीका है इस सम्बन्ध में। जांच की विशेष तौर से बात उठाई ऐसी आवश्यकता मैं नहीं समझता। हालांकि कई मसले ऐसे हैं जो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी या एस्टीमेट कमेटी में आते हैं और वे उन पर विस्तार से जांच कराना चाहें तो सब-कमेटी वह बना सकती है।

(१०.०० म० पू०)

हमारे नियमों में कई प्रावधान इस तरह के हैं कि अगर माननीय सदस्य उन पर विचार करें तो यहां पर आरोप लगाते हैं सरकार पर और सरकारी नीतियों पर, उनको काफी अच्छे तरीके से हमारे नियमों के अन्तर्गत, हमारी समितियों में जांच की जा सकती है और अमुक मसले पर समिति की रिपोर्ट आ सकती है, सब-कमेटी बनाई जा सकती है। इसलिये उसके आलावा नई कमेटी का निर्माण हो तो यह उचित नहीं है। जो प्रावधान हमारे सामने हैं प्रक्रिया के नियमों में वह उपयुक्त हैं और उनको पूर्ण रूप से और सही तरीके से और सच्ची निष्ठा से हमें उनका उपयोग करना चाहिये। अगर इस प्रकार से चला गया तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की जो काफी शिकायतें हैं, वह दूर हो सकती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संविधान में हाउस के प्रिवलेजेज़ और राइट्स के संबंध में बहुत स्पष्ट संकेत हैं और उसमें राइट ऑफ स्पीच मेम्बर्स का क्या है, वह भी बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है और सदन के और हर सदन के माननीय सदस्य को और हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो भी प्रोसीडिंग्ज़ देखने को मिली हैं, सारे संसदीय प्रजातंत्र में, मैं समझता हूं कि, उस संबंध में केवल एक ही सीमा और मर्यादा रखी गयी है कि सरकार अपने व्यवहार से और बाकी सभी सदस्य इस प्रकार का वातावरण बनायें और ऐसी

(श्री भैरोंसिंह)

परम्परायें डालें जिससे सदन में कोई अनटूवर्ड स्पीचेज़ न हों और राइट आफ स्पीच का मिसयूज़ न हो। मैं समझता हूं कि सारे सदस्यों के इस मौलिक अधिकार को किसी प्रकार से सीमित करना संविधान के प्रतिकूल होगा। यह सही है कि उसमें इस प्रकार की मर्यादायें हों कि उसमें किसी प्रकार की स्केन्डुलस चीज़ न हो इस दृष्टि से ध्यान रखा जाये और उस दृष्टि से आसन को अधिकार है कि जो शब्द अन्पार्लियामेन्टरी हों, डेरोगेटरी हों, सदन की डिगनिटी के खिलाफ हों, डिकोरम के खिलाफ हों और परम्पराओं के खिलाफ हों, तो उन सारे शब्दों को उसी समय तत्काल अध्यक्ष महोदय द्वारा निकालने का आदेश दिया जा सकता है। तत्काल ही नहीं वल्कि उसके पश्चात् भी दिया जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी सरकारी पक्ष से इसका अर्थ लगाया जाये और यहां के सदस्यों को राइट ऑफ स्पीच भी न हो, तो मैं समझता हूं कि यह आपकी व्यवस्था और परम्पराओं के आधार पर भी नहीं है। इसलिये इस संबंध में मैं स्पष्ट नीति बताना चाहता हूं। मैं इस स्थिति को और स्पष्ट कर दूं कि राइट ऑफ स्पीच पर लिमिटेशन नहीं होना चाहिये। हां, कोई अन्पार्लियामेन्टरी, स्केन्डुलस या डेरोगेटरी वात करते हैं तो उसको प्रोसीडिंग्ज़ में से हटाया जा सकता है। वर्ना इस प्रकार से राइट ऑफ स्पीच वहुत रेस्ट्रिक्ट हो जायेगी और ऐसा रेस्ट्रिक्शन तो हाउस ऑफ कॉमन्स में भी नहीं है और अगर वहां होता तो मैंने भी पार्लियामेन्ट के जरनल्स पढे हैं। कीलर और प्रोफ़्यूमों का कोई नाम लेकर भी कहीं पहले पर्मीशन लेकर नहीं लाया गया। मैं समझता हूं कि पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स का वह राइट ऑफ स्पीच था और उन्होंने उस चीज को रखा और उसके परिणाम भी निकले उस ब्रिटिश नेशन के लिए। मैं समझता हूं कि सारे नेशन के इन्ट्रेस्ट में उस प्रश्न को लिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि यह राइट्स जो मेम्बर्स को दिये गये हैं, उनको नियमों के आधार पर हम रेस्ट्रिक्ट न करें और न केवल परम्पराओं के आधार पर ही चलायें। यदि इस प्रकार से वातावरण रहा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो बात उठाई कि माननीय सदस्यों के बोलने के अधिकार क्या हैं। माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से अधिकार है लेकिन उसमें सीमा एक तरफ हमारे नियमों और संविधान की है और उसके अन्तर्गत जितना भी हम चाहें हमारी फ्रिडम है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माननीय सदस्य ने कीलर काण्ड का उल्लेख किया उसमें वहां की नेशनल सिक्योरिटी की बात थी न कि मंत्रियों के व्यक्तिगत आचरण की। न किसी भी पार्टी ने उसका उल्लेख किया। यदि आप कीलर काण्ड की सारी व्यवस्था को देखें तो आपको उसके तथ्यों पर भी जाना पड़ेगा। कभी भी किसी माननीय सदस्य ने या किसी भी पार्टी ने उल्लेख नहीं किया कि हम मंत्रियों को बुरा इसलिये कहें कि उनके आचरण इस प्रकार के थे। लेकिन जो सदन में वात उठी, वह इस आधार पर थी कि सिक्योरिटी हमारी बिगड़ती है और उसके बारे में मंत्रियों

(श्री अध्यक्ष)

ने ध्यान नहीं दिया। इसलिये यह व्यवस्था हुई। इसलिये उसी बात को संकेत मानकर चलें तो बड़े सार्वजनिक महत्व की बात को लेकर आचरण की बात करें और केवल व्यक्तिगत आक्षेप को ही लेकर चलें और हमारी रीति–नीति के लिए उसका क्या महत्व है, अगर उसको गौण करें तो बहुत गलती करते हैं। इसलिये जो कुछ बात हम करें, व्यक्तिगत आक्षेप को गौण मान कर, जिसका सार्वजनिक महत्व हो उसको प्रेजेन्ट करने की कोशिश करें, ताकि पब्लिक इश्यू बन जाये और उस पर डिबेट हो सके। उसके अन्दर भी जो महत्व की चीज हो उसी को ज्यादा महत्व देते हुए मिसाल के तौर पर ही प्रस्तुत करें। इसलिये मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों को राइट ऑफ स्पीच के ऊपर कोई असन्तोष है। सिवाय इसके कि जो अधिकार हमारे नियमों में और संविधान में दिये गये हैं मैं तो चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने भाषणों को और ज्यादा प्रभावशाली करें और उसको प्रभावशाली करने का अधिकार सबको है, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप से ऊंचे उठकर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के मामले हैं, जो बड़ी बड़ी समस्यायें हैं जिनका बहुत बड़ा सार्वजनिक महत्व है उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें तो माननीय सदस्यों के भाषण ज्यादा प्रभावशाली बन सकेंगे और यही हमारी सबकी इच्छा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): इसमें मुद्दे का सवाल यह रहा है कि सच्ची बात कहने का.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को सच्ची बात के बारे में भी बाता दूं। सच्ची बात भी हमारे नियमों के अन्तर्गत ही कही जा सकती है। सच्ची बात क्या है, क्या नहीं, माननीय सदस्य स्वयं उसके जज नहीं हो सकते। सच्ची बात किसके लिए क्या है, क्या तथ्य है, क्या नहीं और सच्ची बात भी नियमों के अन्तर्गत नहीं है तो नहीं रखी जा सकती। तो आप नियमों के बारे में पूरी जानकारी करें। अगर उनका उल्लंघन करते हैं तो उस पर भी बन्दिश लग सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संविधान की जानकारी सरकार को नहीं थी इसलिए कहा था।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वैद्य व उप–वैद्य

२१८. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) आयुर्वेद विभाग में सन् ५६ से अब तक कितने वैद्य व उप-वैद्य नियुक्ति किये गये? उनकी योग्यता एवं उनका प्रशिक्षण क्या था?

(२) इस विभाग में कितने अस्थाई व कितने स्थाई कर्मचारी हैं? पदवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या इस विभाग के प्रत्येक कर्मचारी की सीनियोरिटी निश्चित हो चुकी है? यदि नहीं, तो कितनों की नहीं हुई है?

उत्तर

(१) आयुर्वेद विभाग में सन् १९५६ से अब तक ५०० वैद्य,

(श्री आयुर्वेद मन्त्री)

४६६ उप-वैद्य नियुक्त किये गये हैं। वैद्यों की न्यूनतम योग्यता भिषेग्यवर या उसके तत्सम् परीक्षा हैं तथा उप-वैद्य के लिये मेट्रिक तथा कल्पद कला कोबिद परीक्षा हैं। परिगणित जाति के लोगों को विशेष रूप में मिडल परीक्षा उत्तीर्ण होने पर भी प्रवेश दिया जाता है और बाद में विभागीय प्रशिक्षण दिया जाकर उप-वैद्य की पूर्ण योग्यता प्राप्त करा दी जाती है।

(२) इस विभाग के विभिन्न पदों के निम्न पदों पर कार्यरत व्यक्ति स्थायी और अस्थायी हैं।

राज्य आयुर्वेद स्टेट सर्विस

पद	स्थायी	अस्थायी	रिक्त पद	कुल स्वी० पद
राज पत्रित	१४	४	१६	३४

आयुर्वेद सबोर्डिनेट सर्विस

वैद्य	८२५	६१७	—	१४४२
उप-वैद्य छात्रों	४६५	६०८	--	१०७३

लेखक वर्ग

उच्च लिपिक	२८	२६	—	५४
कनिष्ठ लिपक	४०	५७	—	९७

नोटः–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी १,५०० हैं, चूंकि यह औषधालयों व निरीक्षणालयों के अधीन हैं, अतः इनके स्थायी और अस्थायी की सूचना सम्बन्धित कार्यालयों से प्राप्त होने पर दी जा सकेगी। प्रधान कार्यालय के अधीन १४ कर्मचारी स्थायी हैं।

स्टेट सर्विस के सीनियोरिटी के सभी पद विभिन्न केडर के हैं अतः फिक्स्ड हैं।

सबोर्डिनेट सर्विस के वैद्य पद १,४४२ में से ८२५ की सीनियोरिटी हो चुकी है एवं ६१७ की शेष है, उप-वैद्य के १,०७३ पदों में से ६४५ की सीनियोरिटी हो चुकी है, लेखक वर्ग में ६८ की सीनियोरिटी हो चुकी है, और ८३ की शेष है।

पंचायत समिति, परबतसर में विकास कार्य

२१९. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर): क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) पंचायत समिति, परबतसर में गत ३ वर्षों में कितने रुपये विकास कार्यों के लिए दिये गये?

(२) क्या यह सही है कि बहुत सी पंचायतों ने जो रुपया जिस कार्य के लिए लिया है वह कार्य पूरा नहीं करवाया? यदि हां, तो क्या जिन पंचायतों ने कार्य पूरा नहीं किया है उनसे रकम वापिस लेने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(१) कुल २,०६,८५१ रु० की राशि दी गई।

(२) जी हां, जो कार्य पूरे नहीं किये गये हैं उनमें वसूली की कार्यवाही चालू है।

पंचायत समिति फतहपुर की बैठकें

२२०. **श्री बालूराम चौधरी** (फतहपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) पंचायत समिति फतहपुर (जिला सीकर) की सन् १९५९-६०, ६०-६१ तथा ६१-६२ में कितनी बैठकें हुई तथा स्थायी समितियों में किस किस समिति की कितनी बैठकें हुई?

(२) उक्त समिति के प्रधान पर जनवरी, १९६० से जनवरी, १९६४ तक प्रति मास कितना कितना यात्रा व्यय एवं भत्ता व्यय किया गया?

उत्तर

१. सूची संलग्न है।

२. सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इन्द्रगढ़ से दीपरी तक पक्की सड़क

२२१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले में सब-तहसील इन्द्रगढ़ से सुमेरगंज मंडी—कमलेश्वर होकर दीपरी तक बस चलती है?

(२) क्या यह सच है कि यह रास्ता कच्चा व ऊबड़-खाबड़ है?

(३) क्या यह सच है कि इस सड़क को पक्की बनाने की मंजूरी दूसरी पंचवर्षीय योजना में हो चुकी थी लेकिन अभी तक इसका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों, और कब इसका कार्य चालू किया जावेगा?

उत्तर

(१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

सरपंचों के विरुद्ध मुकदमें-जिला अलवर

२२२. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जिला अलवर में किन किन सरपचों के विरुद्ध गबन व अन्य प्रकार के केस चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) किन किन सरपंचों को उनके पद से अपदस्थ किया गया है और किन किन को निलम्बित कर रखा है?

उत्तर

१. सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

२. श्री रामजीवण, सरपंच, पंचायत पाला, पंचायत समिति उमरेण को पृथक् किया गया है तथा श्री रामचन्द्र, सरपंच, पंचायत हल्दीना निलंबित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 52

जंगलात एरिया

२२३. **श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)**: क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में गत वर्ष किस किस जिले से जंगलात विभाग को कितनी आय हुई और कितना कितना व्यय हुआ?

(२) राजस्थान में कुल जंगलात का कितना एरिया है? जिलेवार बताने का कष्ट करें।

(३) राजस्थान में ऐसे जंगल किस जिले में कितने कितने बीघा हैं जिनमें काश्त की जा सकती है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

१. आय–व्यय का हिसाब फोरेस्ट डिवीजन्स का रखा जाता है। जिलेवार नहीं। वन डिवीजनों वाइज सूची संलग्न है।

२. राजस्थान में लगभग १४,६८६.४३ वर्गमील रकबा वन विभाग का है। फोरेस्ट डिवीजन-वाइज सूची संलग्न है।

३. काश्त योग्य स्थान करीब २ सब ही निकल गये हैं। छोटे छोटे टुकड़े कुछ इधर-उधर बिखरे हुए हो सकते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१०. १७ म० पू०)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आगे प्रारम्भ होने से पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री पोहमल ईसरदास ने प्रार्थना की है कि दिनांक २४ मार्च, १९६४ से सत्र के अन्त तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाये।

क्या इसके लिए सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): नहीं दी जाय, कल चुनाव है।

राजस्थान जेल सुधार आयोग का प्रतिवेदन
(सदन की मेज पर रखना)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जेल सुधार आयोग (राजस्थान जेल रिफॉर्म्स कमीशन) के प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रस्तुत की जाय।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मैं यह भी निवेदन करदूं कि हमारे यहां के सेक्रेटेरियट को १०–१५ कॉपीज़ दी गई हैं इसलिए एक-एक कॉपी एक पार्टी को दी जा सकेगी। कल ही रिपोर्ट आई है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): यह जेल सुधार का मसला हिन्दी में होना चाहिए ताकि समझ सकें कि ठीक है या नहीं।

श्री अध्यक्ष: जो इसकी मेन रिकमन्डेशन्स हैं उनके बारे में सरकार विचार करे।

(१०–१८ म० पू०)

मांग संख्या २१, ४१ व १४ उद्योग, औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत एवं वैज्ञानिक विभाग ।

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ – उद्योग के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५४,६०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९६ – औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, १,०९,३४,०००, रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री):– अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ – वैज्ञानिक विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ५०,६२,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।..

[इन मांगां पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]

मांग संख्या २१

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ – उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (कोटा एलॉटमेंट में हुई अनियमितताओं पर बहस करने हेतु) ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

२. मांग संख्या २१,मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १)रु० की कटौती की जाय (बांसवाडा जिले में छोटे छोटे उद्योगों के अभाव पर बहस करने हेतु)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़):

३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (औद्योगिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कोटे के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा):

४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (छोटे गांवों में लघु उद्योग की स्थापना पर बहस करने हेतु)।

५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ – उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (लघु उद्योगों में सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण की गलत व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ – उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (बड़े उद्योगपतियों को सरकारी ऋण देने की प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ – उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (कुटीर तथा लघु उद्योग के प्रति सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु) ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):

८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–

Page No. 54

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)
उद्योग में १)रु० की कटौती की जाय (लघु उद्योगों की स्थापना में असफल रहने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ४१

९. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (औद्योगिक विकास पर लगाई गई पूंजी का पूरा रिटर्न नहीं मिलने पर बहस करने हेतु) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा (रार्यासिहनगर) :

१०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ – उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (अन्य उद्योगों के चालू करने के लिये सरकार द्वारा स्थान चुनने में भेद-भाव पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १४

११. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १००) रु० की कटौती की जाय (Mines विभाग में royalties, excess royalties and deed rents में होने वाली भारी अनियमितता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २१

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत):

१२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० कटौती की जाय (राज्य सरकार कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने में असमर्थ रही, इस पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ४१

१३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में १)रु० की कटौती की जाय (राज्य में औद्योगिक विकास की योजनाओं के विस्तार पर पूंजी लगाने में समानता न रखने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १४

१४. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १)रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा जिप्सम, लाइम स्टोन व अभ्रक खानों का राष्ट्रीयकरण करने पर बहस करने हेतु) ।

१५. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १००)रु० की कटौती की जाय (माइन्स विभाग की रायल्टियों की वसूली से अतिरिक्त धनराशि इकट्ठी कर सकने की संभावना पर बहस करने हेतु) ।

१६ मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १००) रु० की कटौती की जाय (गांव नठराना डिविज़न उदयपुर में प्राप्त आयरन ओर (Iron-ore) की खानों का working सार्वजनिक क्षेत्र में शुरू न करने के संबंध में बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २१

श्री अमरसिंह (दूदू):

१७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १)रु० की कटौती की जाय (लघु उद्योगों को बढ़ावा देने में सरकारी असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री अमरसिंह (जासोल):

१८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १)रु० की कटौती की जाय (बाड़मेर जिले में कोई उद्योग नहीं है, इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) :

१९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (उद्योगों के नाम पर दिये गये कोटे में भ्रष्टाचार को रोकने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १४

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):

२०. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा खनिज पदार्थों में ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त न करने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २१

२१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य में राजकीय क्षेत्र में उद्योग खोलने में सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु) ।

२२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ – उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार का प्रान्त में औद्योगीकरण की ओर दुर्लक्षपूर्ण प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १४

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

२३. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खदानों की मेनोपोली समाप्त करने पर बहस करने हेतु) ।

२४. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की, कटौती की जाय (बूंदी जिले में जिओलोजीकल डिपार्टमेन्ट के द्वारा सर्वे नहीं करने की स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

२५. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १ रु० की कटौती की जाय लाखेरी सीमेंट वर्क्स एवं सवाई माधोपुर फलोदी को माईनिंगलीज देने में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु) ।

२६. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ – वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (माइनिंग विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही नहीं करने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २१

२७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखकर बूंदी जिले में कुटीर उद्योग खोलने पर बहस करने हेतु) ।

२८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (उद्योग के नाम पर कर्जा लेकर उद्योग प्रारम्भ नहीं करने पर बहस करने हेतु) ।

२९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (बून्दी जिले में सीमेन्ट का उद्योग प्रारम्भ करने की आवश्यकताओं पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या १४

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) :

३०. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १००) रु० की कटौती की जाय (सरकार निम्बाहेड़ा में खदानों का क्लासीफिकेशन सही न कर, पार्ट तथा जमीन के मालिकों से बीज मनी चार्ज किये जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २१

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द) :

३१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (राजस्थान में अलग अलग जिलों में उद्योगों के विकास पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४१

३२. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (सरकारी उद्योग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने में उदासीनता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १४

३३. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (माइनिंग विभाग की कमियों को दूर करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २१

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत):

३४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (हाथी दांत के बंटवारे व उसके बेचने की कीमत पर नियंत्रण न होने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १४

३५. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खान विभाग द्वारा पट्टाधारियों पर केन्द्रीय एवं प्रान्तीय कानूनों एवं नियमों के अन्तर्गत सही नियंत्रण न होने से होने वाली कानूनी अवहेलना पर बहस करने हेतु)।

श्री देवीलाल (सराडा) :

३६. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा तथा खैरवाड़ा में आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र में खनिज पदार्थों की खोज करने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४१

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) :

३७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९६–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (इस हैड में रखी गई पूंजी खर्च की राशि से ज्यादा है, इसे कम किये जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १४

३८. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (पलाना कोयला खान पर होने वाले खर्च में काफी अनियमितताएं हो रही हैं जिसे रोकने पर बहस करने हेतु)।

३९. मांग संख्या १४, शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (खनिज विभाग में संचालन विभाग का खर्च बहुत ज्यादा है, इसे कम किये जाने पर बहस करने हेतु)।

४०. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (भाखरी की पत्थर की पट्टियों की खान, पाटन की चूने की खान पर हो रही हानि को रोके जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २१

४१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (छुरी, कांटे आदि बनाने के केन्द्र का कोई उपयोग नहीं है इसे तुरन्त बन्द किया जाय, इस पर बहस करने हेतु)।

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

४२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (संचालन व अधीक्षण में आयोजना व आयोजना मिल में काफी राशि रखी गई है, जितना खर्च है उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, इस पर बहस करने हेतु)।

४३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रू० १) की कटौती की जाय (सोडियम सल्फेट विभाग में काफी फिजूल खर्ची, अनियमितता, काम में लापरवाही से काफी नुकसान हुआ है, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में होने की सम्भावना है, इसे रोके जाने पर बहस करने हेतु)।

४४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (औद्योगिक वर्कशॉप से कोई लाभ नहीं हो रहा है, काफी राशि व्यय की जा चुकी है, इसे तुरन्त बन्द करने पर बहस करने हेतु)।

४५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (मींन क्षेत्र में काफी अनावश्यक खर्च किया जा रहा है, उस पर बहस करने हेतु)।

४६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (कन्ट्रोल से प्राप्त वस्तुओं का वितरण ठीक प्रकार नहीं होकर उसमें अनियमितता हुई है जिससे राज्य व जनता को होने वाले काफी नुकसान को रोका जाय, इस पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १४

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा):

४७. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में रु० १) की कटौती की जाय (माइनिंग विभाग द्वारा माइनिंग लीज देने में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २१

४८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (रायपुर, सहाड़ा, सराड़ा, खैरवाड़ा क्षेत्रों का औद्योगीकरण नहीं करने पर बहस करने हेतु)।

श्री रामकिशन (वैर):

४९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (सम्पूर्ण राज्य का औद्योगीकरण करने में असफलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १४

५०. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में रु० १) की कटौती की जाय (माइनिंग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २१

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा):

५१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (कांटे बांट के बनाने के लाइसेन्सों द्वारा अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

५२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (कन्ट्रोल कमोडीटीज के वितरण में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

५३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (कुटीर एवं लघु उद्योग पर विशेष ध्यान न दिये जाने पर बहस करने हेतु)।

५४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (कच्चा माल वितरण करने व इसका बना हुआ माल में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर):

५५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (डूंगरपुर में लघु औद्योगिक धन्धे चालू करने पर बहस करने हेतु)।

श्री सांवलियाराम (रूपवास):

५६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (लघु उद्योग चालू करने में भेदभाव बरता जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४१

५७. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६– औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (राजस्थान में औद्योगिक विकास की योजनाओं के विस्तार में समानता का वर्ताव न रखने के संबंध में बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २१

श्री केदारनाथ (गंगानगर):

58. Demand No. XXI, Major Head 35-Industries be reduced by Re. one (to discuss the failure of the Government to create congenial condition for the growth of small scale industries in Ganganagar District).

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर):

५९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (औद्योगिक कोटे का ठीक उपयोग न होने पर बहस करने हेतु)।

६०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (उद्योग विभाग द्वारा नमक के प्लॉट वितरण में असमाजवादी तरीके पर बहस करने हेतु)।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चितौड़गढ):

६१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (उद्योगों के लिये मिलने वाली सहायता पर करने हेतु)।

६२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (लघु उद्योगों की उन्नति पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ४१

६३. मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ६६– औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत में रु० १) की कटौती की जाय (चमड़ा कमाने के केन्द्र के लिए यन्त्रों के क्रय में अनियमितता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २१

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन):

६४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में रु० १००) की कटौती की जाय (कुटीर व लघु उद्योगों की उपेक्षा पर बहस करने हेतु)।

६५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में १०० रु० की कटौती की जाय। (खादी ग्रामोद्योगों को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर बहस करने हेतु)।

६६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में १०० रु० की कटौती की जाय (लघु उद्योग के घोटालों के बारे में बहस करने हेतु)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर):

६७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में १०० रु० की कटौती की जाय (विभाग द्वारा दिये गये कोटाज के माल का दुरुपयोग को रोकने में विभागीय असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्री मानसिंह महार (आमेर) :

Demand No. XXI, Major Head 35-Industries be reduced by Re. one (to discuss the failure of the Government in stopping corruption in the Department).

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा):

६९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (घरेलू व कुटीर उद्योग को प्राथमिकता देने पर बहस करने हेतु)।

श्री दुर्गालाल बालदार (हवामहल, जयपुर):

७०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (लघु उद्योगों को समय पर सहायता नहीं देने में सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु)।

७१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (उद्योग की दृष्टि से राज्य सरकार ने जयपुर जिले को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है, इस पर बहस करने हेतु) ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

७२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (कुटीर व लघु उद्योगों की उपेक्षा पर बहस करने हेतु) ।

७३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १०० रु० की कटौती की जाय (डीडवाना व पचपद्रा में नमक का वितरण दोष-पूर्ण पर बहस करने हेतु) ।

७४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १०० रु० की कटौती की जाय (कोटा में उद्योगों के लिए दिए गए ऋण व कोटा वितरण में घोटाला पर बहस करने हेतु)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

७५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (बीकानेर जिले में ग्लास, सेनीटरी वेकर्स आदि के उद्योग प्रारम्भ करने की स्वीकृति न देने पर बहस करने हेतु)।

७६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (बीकानेर जिप्सम के, जामसर को लूणकरणसर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना न लगाने तक सेलोलाइट का एक्सपोर्ट बन्द न करने पर बहस करने हेतु) ।

७७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (सार्वजनिक क्षेत्र में ऊनी मिल को बीकानेर शहर में लगाने पर बहस करने हेतु),

७८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५– उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (प्रस्तावित खाद का कारखाना बीकानेर शहर में लगाने पर बहस करने हेतु)

७९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १ रु० की कटौती की जाय (पलाना कोयले खान पर ब्रिकेटिंग प्लांट लगाने व पॉवर हाउस की योजना को क्रियान्वित करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री मोहनराज (बाली):

८०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १ रु० की कटौती की जाय (फालना व रानी स्टेशन स्थित उद्योग बस्तियों को बिजली, पानी व कच्चे माल तथा आवश्यक ऋण की समय पर उपलब्धि न होने के कारण हो रही हानि पर बहस करने हेतु)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :

८१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (Industrial Estate की Schemes की असफलता पर बहस करने हेतु)।

८२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (नमक बनाने के लिये Plots के allotment में की जाने वाली अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

८३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (उद्योगों के लिये दिये जाने वाले कोटा परमिट में होने वाली धांधलियों पर बहस करने हेतु)।

८४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों में दिये गये सरकारी investment से अपेक्षित लाभ प्राप्त करने की सरकारी असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

८५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १००) की कटौती की जाय (उद्योग के लिये प्राइवेट सेक्टर में सरकार द्वारा पक्षपात बरतने पर बहस करने हेतु)।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) :

८६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १ रु० की कटौती की जाय (कुशलगढ़ में चीनी की फैक्ट्री खोलने पर बहस करने हेतु)।

श्री ललित मोहन (गोगुन्दा) :

८७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (कोटड़ा में कागज का कारखाना स्थापित करने पर बहस करने हेतु)।

श्री हरलाल (प्रतापगढ) :

८८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (तहसील प्रतापगढ़ में कोई उद्योग नहीं होने से लोगों में बेकारी है, सो उद्योग खोले जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री सागरमल (फुलेरा) :

८९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (सांभर में सोडा ऐश का कारखाना खुलवाने पर बहस करने हेतु)।

श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) :

९०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (पश्चिमी राजस्थान में उद्योगों की कमी पर बहस करने हेतु)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाडा) :

९१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में रु० १) की कटौती की जाय (राज्य में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सरकारी शिथिलता पर बहस करने हेतु)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, जो मांग माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और उद्योग मंत्रीजी ने रखी है उन मांगों का सम्बन्ध गवर्नमेंट इन्वेस्टमेन्ट से भी है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के सम्बन्ध में इस सदन को बिल्कुल अन्धेरे में रखा जाता है। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट किस हद तक सेफ है और सरकार उसको सेफ रखने के लिए क्या कार्यवाही कर रही

(श्री भैरोंसिंह)

है–इस सम्बन्ध में इस सदन को न तो डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट दी जाती है और न ऑडिट रिपोर्टस दी जाती हैं। साथ ही न सरकार की कोई टिप्पणी माननीय सदस्यों को प्राप्त होती है कि इस प्रकार की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकारों के अधीन जितनी भी पब्लिक अन्डर्टेकिंग्ज़ चल रही है या गवर्नमेंट का जहां जहां इन्वेस्टमेंट है उन सबके बारे में लोक सभा और विधान सभाओं के सदन को समय समय पर सूचनाएं दी जाती हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स दी जाती हैं और इस सब के अलावा गवर्नमेंट ने क्या नीति निर्धारित करके किस हद तक कार्य किया है, उसकी सूचना भी दी जाती है। मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के द्वारा जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो भी हमारी पब्लिक अन्डर्टेकिंगज़ हैं जिनका कानून ऑडिट होता है उनकी ऑडिट रिपोर्टस, डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट और उसके साथ साथ सारे इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, उनको सेफ बनाने के सम्बन्ध में सरकार क्या तजवीज़ कर रही है, उस सब का विवरण इस सदन में मांग प्रस्तुत होने के पहले माननीय मंत्री को देने को कहा जाय ताकि उस आधार पर डिबेट की जाय।

श्री अध्यक्ष: जैसा कि स्वयं माननीय सदस्य को जानकारी है कि इस विषय में कई दफा चर्चा हुई है और कुछ दिन पूर्व मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि इस सारे विषय के सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई है जिसके समक्ष सारी समस्याओं को रखा जायगा। मैं आशा करता हूं कि उसका नतीजा रिपोर्ट के रूप में, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उसके निराकरण के लिये हमारे समक्ष आ जायगी।

श्री भैरोंसिंह: डिबेट में बाधा आयेगी।

श्री अध्यक्ष: डिबेट में बाधा पहुंचती हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): कम से कम ऑडिट रिपोर्ट तो मिले। उससे ही काम चल सकता है। नहीं तो वही परिस्थिति पैदा होती है जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि इधर-उधर के मेटर्स आते हैं, ऐस्ट्रे मेटर्स आते हैं, डेफिनिट मेटर्स नहीं देते हैं। वे उनको रोक देते हैं और जब सदन खत्म हो जायगा, तो उनको पेश कर देंगे। यह रोज सवाल खड़ा होता है।

श्री अध्यक्ष: वह आपके द्वारा पेश करवा दी जायगी। जो आपका कई इन्डस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट है, जिनकी रिपोर्ट उपलब्ध हो, वह रिपोर्ट होनी चाहिए। वह सदन के समक्ष रख दी जाय।

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री): इसमें माननीय अध्यक्ष ने आलरेडी आदेश दिया है। उस आदेश का पालन करते हुए जो भी ऐसे इन्वेस्टमेंटस हैं, कहां २ इनवेस्टमेंट हैं और उन पर कितना रिटर्न मिल रहा है, इन सारी बातों की जांच होने के बाद हाउस में रिपोर्ट पेश हो जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है उसका आपने पालन नहीं किया। अगर पालन नहीं किया गया, तो सदन में वह स्थिति पैदा कर दी जायगी जो यू० पी० के अध्यक्ष ने की है कि आपको

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)
कान पकड़ कर सदन में पेश करने के लिए बुलाया जायगा। वह स्थिति पैदा हो जायगी। जिन संस्थाओं में राज्य का रुपया लगा हुआ है.. . . .

श्री अध्यक्ष: यह सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। जो बात माननीय सदस्य रख रहे हैं, उन पर काफी चर्चा हो चुकी है। और माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि एक कमेटी बनायेंगे। पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है वह किस तरह से सुरक्षित रहे, यह वह देखेगी। लेकिन एक सुझाव और सरकार के विचार के लिए है कि जिन कम्पनीज को सरकार ने पैसा दिया है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट या एन्यूअल रिपोर्ट की एक एक कॉपी यहां लाइब्रेरी में भेज दी जाय तो माननीय सदस्य अभी ही नहीं आयन्दा भी देख सकेंगे। ऑडिट रिपोर्ट है वह एक पब्लिक डॉक्युमेंट है, सारे शेयर होल्डर्स के पास जाता है। वह प्रिन्ट होता है। उसकी कई कापियां वितरित होती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसमें ज्यादा टाईम नहीं खर्च किया जाय, वरना मैं निवेदन करूंगा कि they will be sent to Jail like U. P.

श्री हरिश्चन्द्र: आपको जब आश्वासन दिया है, I will try to get it and send them as early as possible.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: You are not the Minister-in charge for the State Enterprises.

श्री मथुरादास माथुर (राजकीय उद्योग मंत्री): I have already placed the report of Ganganagar Sugar Mills on the table of the House. So far as other enterprises are concerned, they are all included in the Budget itself. They are small enterprises and they have just begun and Hon. Member knows it more than I know.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : So you come over here and let me come over there.

श्री अध्यक्ष: श्री मथुरेशबिहारी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, आज उद्योग की इस मांग के ऊपर चर्चा करते हुए इन कटौती प्रस्तावों के समर्थन में सर्व प्रथम में यह निवेदन करूंगा कि इन्डस्ट्रीज़ के विकास की जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनी है और जो इन्डस्ट्रीज के विषय में आपने दी है, उससे मालूम होता है कि सैकिन्ड फाइव इयर प्लान के तहत आपने सर्वप्रथम आधार रखा था इन्डस्ट्रियल सर्वे का और दूसरा स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में हैण्डलूम और वूल के एक्सपेन्शन का। आज इस मांग पर चर्चा करते हुए मैं आपको बतलाऊंगा कि जो राजस्थान की इन्डस्ट्रीज़ के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये लाखों रुपया खर्च किया जाता है उसका कोई आधार है कि नहीं? दुःख का विषय है कि राजस्थान की पोटेन्शियेलिटीज, राजस्थान की इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियलिटीज़ की जानकारी करने के लिये सन् १९५४ से लगा कर आज तक कोई आधारभूत इन्डस्ट्रियल सर्वे नहीं हो सका। आज मैं आपको बतलाऊं कि इस इन्डस्ट्रियल सर्वे करने के कार्य को राज्य सरकार की ओर से प्राथमिकता दिये जाने के बावजूद–योजनाओं और अपने प्लानिंग पर नाज करने वाली

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)
सरकार आज यह नहीं बतला सकती कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्री के विकास के लिए इन्डस्ट्रियल सर्वे हुआ कि नहीं ? इन्डस्ट्रियल सर्वे के लिए योजनाओं के तहत, बजट के तहत १० लाख रुपया खर्च किया गया। थोड़ा-बहुत रुपया खर्च नहीं किया गया बल्कि दो लाख तो लोकनाथन कमेटी के लिए दिया गया। सेन्टर की कमेटी थी उसके लिए राज्य सरकार ने दो लाख रुपया दिया। लेकिन उससे भी सन्तुष्ट नहीं हुए तो इन्डस्ट्रियल सर्वे नाम का डिपार्टमेंट खोला गया। उस इन्डस्ट्रियल सर्वे डिपार्टमेंट ने कई वर्षों तक काम करके और १० लाख बजट के खर्च करके आज तक कोई रिपोर्ट इन्डस्ट्रियल सर्वे के नाम की नहीं दी। आज राजस्थान के अन्दर यह नहीं कहा जा सकता, राज्य सरकार इस बात का दम नहीं भर सकती है कि उनके पास कोई आधार है इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन के लिये। उसका नतीजा यह है कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन जब कि आप इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन के लिए दम भरते हैं, एक होच-पोच तरीके से हुआ है। वह इस तरीके से हुआ है कि जो इसके मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, उन्होंने अपने इलाके के अन्दर बिना किसी इन्डस्ट्रियल सर्वे के राजस्थान में १० लाख रुपये खर्च करने के बाद एक्सपेन्शन करने की नीति बनाई है, और इन्डस्ट्री मिनिस्टर बदलने के साथ उस एरिया के अन्दर एक्सपेन्शन भी बदला है। यह हमने देखा है। यह इसलिए है कि आपका जो मूलभूत आधार था इन्डस्ट्रियल सर्वे का जिसमें कि १२ लाख रुपये खर्च किया गया उसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट ने नहीं की। और फिर इस पर अफसोस की बात यह है कि जो आधार था, जिसकी आवश्यकता थी, जिसकी रिपोर्ट नहीं हुई १२ लाख रुपया खर्च करने के बाद भी, उस डिपार्टमेंट को आपने क्लोज कर दिया और आज आपके सामने कोई नक्शा नहीं है। आप इस बात का दम भरते हैं कि आपने योजनाएं बनाई हैं, आप पहले फाइव इयर प्लान की बात करते हैं, सेकिन्ड फाइव इयर प्लान की बात करते हैं लेकिन यह आपके प्लान किन आधारों पर बने हुए हैं ? इस पर आपकी तवज्जोह दिलाते हुए, मैं यह अर्ज करूंगा कि इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन की बात है, उसका कोई आधार नहीं है, इन्डस्ट्रियल सर्वे करने में किस तरह से होच-पोच तरीके से काम किया, अपनी मर्जी की जगहों पर किया, अपनी मर्जी के अनुसार इन्डस्ट्रीज में से किसी को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, किसी को हतोत्साहित करते हुए खत्म कर रहे हैं। यह राजस्थान का इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन नहीं है, यह योजनाबद्ध विकास नहीं है, यह एक घातक तरीका है। इसके लिए मैं यह अर्ज करूंगा कि इस तरह के इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन की रिपोर्ट्स देते हैं, वह सही नहीं है।

इसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि आपने दूसरे आधार रखे थे और सेकन्ड फाइव इयर प्लान के अन्दर ५३७ लाख रुपये आपने खर्च करने की बात की थी। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा १९६२ के बाद की एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट या इन्डस्ट्रियल सर्वे की रिपोर्ट में नहीं है, इसलिये मैं अपने आपको सन् ६२ तक के फिगर्स तक ही सीमित रखता हुआ आपके सामने बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन के लिये ऋण देने की पॉलिसी के द्वारा, जो सेकन्ड प्लान में बतायी थी

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

५३७ लाख रुपये खर्च किये थे, उसमें से कितने रुपये आपने लोन्स में एडवांन्स किये। आपने सन् १९५४ से ६१ तक लोन्स एडवान्स किये हैं–१,०२,२४,७४९ रुपये। आपके सामने ये फीगर्स हैं, १ करोड़ रुपये आपने लगा दिये स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ और कॉटेज इन्डस्ट्रीज के लिये, लेकिन इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ? कितना रुपया वापिस आया? सन् १९६०-६१ तक १३ लाख ८९ रुपये रिकवर हुए। १ करोड़ २ लाख से ज्यादा का लोन देते हैं पर आपके पास १९५४ से ६१ तक की रिकवरी केवल १३ लाख की है। आपके पास कोई कारण नहीं है यह बताने का कि इन लोन्स की ज्यादा रिकवरी क्यों नहीं की। जितना लोन आपने दिया उसका वन एट्थ भी रिकवर नहीं कर सके। समय भी थोड़ा नहीं था। १९५४ से ६१ तक की रिकवरी के ये फीगर्स हैं। एक तरफ सरकार की ओर से हमारे सामने बजट पेश होता है तो घाटा बताया जाता है १ करोड़ ३८ लाख का। मैं आपके ही फीगर्स दे रहा हूं। आपका एक विभाग ऋण देता है उसको अगर आप वापिस ले लें तो आपके पास १ करोड़ रुपये आ सकते हैं।

दूसरा आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन दिया और मार्च, १९६० तक आपने लोन दिया ८,१२,१९० रुपये का। उन कोऑपरेटिव्ज़ को जिनके लिये आपने नीति बनाई है। मैंने उस रोज कहा था कि उनको रुपये देना आप अपना केवल कर्तव्य मानते हैं लेकिन आपने उनसे वापिस कितना वसूल किया? केवल ३ लाख ८० हजार ९५० रुपये ८ लाख में से वसूल हुए। एक तरफ तो आपने स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को उधार दिये हैं वे रुपये पड़े हैं और दूसरी तरफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिये हैं उनमें से ५ लाख रुपये अनरिकवर्ड पड़े हैं। ये जो आपकी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ और कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ हैं ये क्या कर रही हैं। मैं कहता हूं कि आपके विभाग से इन्डस्ट्रियल सर्वे नहीं होने से योजना बद्ध एक्सपेन्शन नहीं हो सकता है। आप रुपया देना ही अपना कर्त्तव्य मानते हैं। आपने अपनी मर्जी के अनुसार किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है, लेकिन वसूली बराबर नहीं हुई है।

इसके बाद में मूलभूत बात की तरफ आपकी तवज्जोह दिलाऊंगा। सरकार के सामने योजना नहीं होने के कारण आपकी बिगर इन्डस्ट्रीज, मीडियम इन्डस्ट्रीज़ और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ से कोई वास्तविक फायदा नहीं हो रहा है जिसका कि राजस्थान उपयोग कर सके। आपकी मीडियम और बिग इन्डस्ट्रीज़ में लाखों रुपये लगे हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स छपी हैं। आपकी लाईब्रेरी में, जैसा कि बताया गया है, सन् ६० के बाद की रिपोर्ट नहीं है। वह खाली ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, डिविडेन्ड की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन जो असल चीज है कि इनसे प्रॉडक्शन कितना हुआ, यह प्रॉडक्शन के रिटर्न्स नहीं मालूम होते हैं। राजस्थान के डाईरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ के पास कोई पीरियोडिकल रिपोर्ट्स नही हैं, इयरली रिपोर्ट्स नहीं हैं जो बता सकें कि मीडियम और बिग इन्डस्ट्री जितनी हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है? आप केवल प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं जिससे यही मालूम होता है कि फलां जगह इन्डस्ट्री खोल दी, फलां जगह इतने रुपये दिये लेकिन आज राजस्थान की जनता यह भी जानना चाहती है कि आपने जो रुपये दिये उनका रिटर्न क्या हुआ, उसकी युटिलिटी क्या हुई? आपके पास कोई

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

इन्सपेक्टर्स नहीं हैं जो प्रॉडक्शन को देख सकें। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और बिग इन्डस्ट्रीज की रिपोर्ट्स पीरियोडिकल नहीं छपी हैं तो कम से कम डिपार्टमेन्ट के पास तो होनी चाहिये लेकिन उसके पास भी नहीं है। आप सिर्फ यही बता सकते हैं कि इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन के लिये इतने रुपये खर्च किये। इसलिये मैं मूलभूत बातों की तरफ तवज्जोह दिलाता हुआ कहूंगा कि युटिलिटी की बात है और उसमें एचीवमेन्ट की जहां तक बात है आपके सेकन्ड फाइव इयर प्लान और थर्ड फाइव इयर प्लान के एचीवमेन्ट्स क्या है इसकी प्रोग्रेस डिपार्टमेन्ट से इकट्ठी करने की कोशिश की है तो केवल यही मालूम होता है और उनके पास जवाब एक ही है कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिये यह नहीं कह सकते कि क्या एचीवमेंट्स किये। जब आप एचीवमेंट्स, युटिलिटी और प्रॉडक्शन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन का कोई वास्तविक रूप नहीं है, उसका रिटर्न नहीं है।

इसके बाद आपने सेकन्ड फाइव इयर प्लान में बहुत कुछ हैंडलूम और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज स्थापित की हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसको बेचने के लिये मार्केट पैदा करने की योजना, सुन्दर योजना, किताब में छाप कर दी है। लेकिन उसका वास्तविक रूप क्या है? आपने अपने यहां एम्पोरियम्स बनाये हैं। आपके एम्पोरियम्स की सन् १९५४ से ६१ तक ऐसी दयनीय स्थिति थी कि जिसके तहत लाखों रुपयों का आपको लॉस हुआ और जितने एम्पोरियम थे, ८-१० उनको आपको खुद अपने निर्णय से बंद करना पडा क्योंकि वे लॉस में जा रहे थे और राजस्थान के हैन्डिक्राफ्ट्स की बिक्री नहीं हो रही थी। आपने खुद ने इसको बंद करके कॉर्पोरेशन बनाया। दो तीन शहरों को छोड़ कर बाकी सभी एम्पोरियम बंद कर दिये लेकिन आपने रुपयों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन पर जो खर्चा हुआ, जो लॉस हुआ वह क्यों हुआ, वे मार्केट में क्यों नहीं स्टेन्ड कर सके? आपके डिपार्टमेन्ट ने क्या किया? हमें माउन्ट आबू और जयपुर क एम्पोरियम को देखने का मौका मिला था। उनकी स्थिति ऐसी दयनीय थी कि वर्षों तक उसका ऑडिट नहीं हुआ, बेलेन्स रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। आपने उन एम्पोरियम्स को खत्म करके कॉर्पोरेशन बना दिया। यह अजीब ढंग है। आपने एम्पोरियम बनाये, लॉस देकर उनको खत्म कर दिया फिर कॉर्पोरेशन बना दिया। हैन्डिक्राफ्ट के विकास करने की योजना थी वह सफल नहीं हो सकी।

एक बात और अर्ज करूंगा। कोवेनेन्टिंग स्टेट्स का बहुत सा सामान राजस्थान में आया। पहले कोवेनेन्टिंग स्टेट्स में बहुत सी फैक्ट्रीज थीं जो राजस्थान में मर्ज हुईं, वेस्ट हुईं। उसमें जो प्रोपर्टी थी उसको सेल किया गया। जो वेल्यूएशन डिपार्टमेन्ट के कागजात में थी और डिस्पोजल होने के बाद जो कीमत मिली उन दोनों में कितना फर्क था और कितना हमें लॉस हुआ यह देखने की चीज है। आपके डिपार्टमेन्ट का फीगर है, ६,३१,१६३ रुपये का आपके डिस्पोजल में लॉस हुआ। यह आपके डिस्पोजल का तरीका है। आपका डिपार्टमेन्ट वेल्यूएशन करता है और उसको बेचने जाता है तो इतना डिफरेन्स आता है। इस तरह से ६ लाख रुपये आपने बर्बाद कर दिये।

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

डिपार्टमेन्ट की अयोग्यता ओर आपका सुपरविजन नहीं होने से यह सब हुआ।

अब मैं एग्जीबिशन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एग्जीबिशन ७१ हुए राजस्थान में, लेकिन जो पहले मैंने सदन में बात कही थी कि किसी ने यह चिन्ता नहीं की कि जो माल एग्जीबिशन में ले गये थे वह वापिस आया या नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं है। एग्जीबिशन लगाने और रुपये वेस्ट करने से फायदा क्या हुआ ? डाइरेक्टर्स या संचालन करने वाले बीच में ही खागये। डिपार्टमेन्ट को यह भी पता नहीं कि जो माल ले गये थे वह वापिस आया या नहीं और यदि नहीं आया तो क्यों नहीं आया, अकाउन्ट फोर क्यों नहीं किया गया ?

आखिर में मैं एक बात और कह दूं और वह यह कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स के लिये ८०० शेड्स बनाने की आपने योजना बनाई है। उनमें से सिर्फ ३ जगह जयपुर में ४८ शेड्स कायम किये और उनमें से भी सिर्फ ६ ऐसे हैं जिनमें प्रॉडक्शन शुरू हुआ, बाकी म नहीं हुआ।

वे बिना प्रोडक्शन पड़े रहे और सारा रुपया बेकार चला गया। उनके सम्बन्ध में अब सुनने लगे हैं कि वही स्थिति अब जारी है जो एम्पोरियम की थी। इनमें लॉस होता है, प्रॉडक्शन होता नहीं है इसलिए इनको बन्द कर दिया जाय। अब इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स को बन्द करने की योजना बनने लगी है – ऐसा सुनने लगे हैं। हम दूसरे प्रान्त के बारे में पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि वहां इन्डस्ट्रियल एस्टेट को प्राथमिकता दी जाती है, पंजाब में इन्डस्ट्रियल एस्टेट चालू करने की योजना बनाई जाती है जब कि आप यहां इन्डस्ट्रियल एस्टेट चला कर उसमें फेल हो गए हैं और रुपया बर्बाद हो गया है। यह आपका इन्डस्ट्रियल एक्सपेंशन है क्या ?

इन आंकड़ों को देते हुए और इन सिद्धान्तों की तरफ आपकी तवज्जोह दिलाते हुए मैं कहूंगा कि जयपुर इन्डस्ट्रियल एस्टेट की तरफ तवज्जोह दी जाय। बड़े दुःख की बात है और हमारा दुर्भाग्य है कि आपके पास कोई योजना नहीं है, आपने इन्डस्ट्रियल सर्वे नहीं कराया जिसके अन्दर पोटेंशियलिटी देखकर यहां के लोग काम करें। जहां आपकी मर्जी होती है वहां आप इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनायेंगे। जयपुर डिस्ट्रिक्ट का इस सम्बन्ध में दुर्भाग्य रहा है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर पहले से जो इन्डस्ट्री चल रही थीं उनके बाद लार्ज स्केल इन्डस्ट्री या मीडियम इन्डस्ट्री को चालू करने का प्रश्न नहीं है। जो उनकी स्थिति थी स्टेट के अन्दर जैसा कि सैकन्ड फाइव ईअर प्लान में माना था कि सारी स्टेट्स में जयपुर स्टेट ऐसी थी जहां इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। आज हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहां इन्डस्ट्रियल एक्सपेंशन की कोई स्कीम नहीं है और जो आलरेडी इन्डस्ट्रीज थीं उनकी दयनीय स्थिति है।

इसके अलावा जो फीगर्स हैं उनसे मालूम होता है कि आपके विभाग का ५४ लाख का खर्च है-उसमें से आठ लाख डाइरेक्टोरेट के एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होते हैं। यह आठ लाख खर्च करके क्या सुपरविजन, फंड्स की युटिलिटी, इन्डस्ट्रियल एचीवमेंट और प्रॉडक्शन के लिए काम कर रहे हैं ? यह आठ लाख का डाइरेक्टोरेट का स्टाफ क्या करता है – यह समझ में नहीं आता है ? मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और इन्डस्ट्रियल पोटेंशियलिटी राजस्थान

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

में बढ़े। साथ ही इन्डस्ट्रीज़ बढ़ाने के लिए यहां पर जो सुझाव दिये गये हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाय। मैं समझता हूं कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए केपिटल, पावर, रेल की फैसिलिटी आदि की ओर ध्यान दें और ऐसा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करें जो राज्य को प्रोफिट दे। इस तरफ ध्यान दें और केवल अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए योजना न बनायें। आपका समान दृष्टिकोण हो। हमने देखा है कि उदयपुर से हट कर आपका ध्यान कोटा में चला गया है। जितनी इन्डस्ट्री जाती हैं वह कोटा में जाती हैं। आप सारे राजस्थान के मंत्री हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स–जयपुर, जोधपुर वगैरह को भी देखिये। यह नहीं देखिये कि अपने यहां का ही डेवलपमेंट करना है।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग की दयनीय स्थिति है, इसलिए इस विभाग में सुधार होना चाहिये। इस विभाग के द्वारा इन्डस्ट्रियल डेवपलमेंट का जो काम किया जा रहा है उसको देखते हुए मैं प्रस्ताव करूंगा कि यह मांग अस्वीकार की जाय और मेरे कटौती के प्रस्ताव मंजूर किये जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हैं आज उनकी हालत किस प्रकार गिर रही है। सरकार ने उन इन्डस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। सरकार को कोटा मिलता है लेकिन वह इन्डस्ट्रीज़ बिना किसी प्लान के जगह जगह खड़ी करदी गई हैं और उनको जो कोटा दिया जाता है वह मुश्किल से किसी को दो दिन का, किसी को तीन दिन का और किसी को महीने भर का, किसी को छः महीने का दिया जाता है, फिर किस प्रकार इन्डस्ट्री साल भर तक चल सकती है। उनको साल भर चलाने के लिए आप एक महीने का कोटा दें और फिर चाहें कि ये इन्डस्ट्री चलें तो यह कैसे सम्भव है। फिर चार्ज लगाया जाता है कि ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी इन्डस्ट्रियलिस्ट यदि इन्डस्ट्री चलाने के लिए रॉ मेटिरियल प्राप्त नहीं कर सके और जो रॉ मेटिरियल मिले उस पर इन्डस्ट्री चलाये तो वह नुकसान में रहेगा। इसलिए उसके सामने सीधा सादा रास्ता यही है कि वह रॉ मेटिरियल ब्लैक मार्केट में बेच दे या जो भी इन्डस्ट्रीज चला सके उसको वह रॉ मेटिरियल दे दे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां इस इस प्रकार की स्माल स्केल इन्डस्ट्री हैं उनको मोबिलाइज करके एक बनायें और सारा कोटा उसको दें जिससे कि प्रॉडक्शन बढ़ सके। हमारा जो पड़ौसी देश है पंजाब वहां पर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, दूसरी ओर राजस्थान प्रान्त है जहां इतनी सुविधायें हैं, इतने कन्सेशन्स हैं, इतने राइट्स दिये हैं स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इस ओर गौर करने की और विचार करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जो सजेशन दे रहे हैं उस पर आप विचार करें। आज बहुत सारी इन्डस्ट्री स्माल स्केल इन्डस्ट्री, जिन्होंने दो लाख, तीन लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, वहां लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं और कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि उनके पास साधन नहीं हैं, बल्कि इसलिए नहीं चला सकते कि आप जो कोटा देते हैं वह बहुत कम होता है और बहुत कम समय के लिए होता है।

दूसरी चीज आप देखिये, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने ट्रेनिंग के बारे में जो काम किया है उसकी क्या हालत है। आज के

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
युग की आवश्यकता है कि आर्टीजन्स को ट्रेन्ड करें । एक ट्रेनिंग-कम-प्रॉडक्शन सेन्टर १६५६ में चालू किया था, इस पर ३१.३८ लाख १६६०–६१ तक खर्च किये हैं और उसमें टार्जेट था ५,४०० व्यक्तियों को ट्रेन्ड करने का, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कुल १,२३१ व्यक्ति ट्रेन्ड हुए हैं और पर केपिटा एक्सपेंडीचर एक एक ट्रेनी पर हुआ है २,५४६) रु० । इसका ऑडिट हुआ, उसकी रिपोर्ट के अनुसार यह असफल रहा और इसे बन्द करना पड़ा ।

यही नहीं, गाड़िया लोहारों के लिए वर्क-शॉप खोले गए । अध्यक्ष महोदय, उसकी एक योजना थी कि सौ गाड़िया लोहारों को ट्रेन्ड करना है, उसमें केवल ३४ व्यक्ति भर्ती हुए और उन ३४ में से १२ आदमियों ने ट्रेनिंग ली और उनमें से सिर्फ ८ ने वर्क-शॉप चलाने के लिए कर्ज लिया । उन आठ लोगों ने लोन लेकर वर्क-शॉप स्टार्ट किया उनमें से एक भी नहीं टिका । वे सब चले गये हैं चित्तौड़ छोड़ कर, यह नमूना है इस वर्क-शॉप योजना का । अब दो प्रॉडक्शन सेन्टर्स चित्तौड़गढ़ और अजमेर में लगाने थे, वे दोनों खोले । उनकी यह हालत रही है कि सात गाड़िया लोहार ही आये काम करने के लिए, और अजमेर और चित्तौड़गढ़ में १,०१,६६० नुकसान हुआ । यह ट्रेनिंग की योजना का एक नमूना है ।

अब मैं इंडस्ट्रियल एस्टेट शेड्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स के बारे में यह ठीक है कि प्लानिंग हो रहा है लेकिन जहां इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है वहां शेड्स नहीं हैं और दूसरी जगह शेड्स खाली पड़े हैं । उदयपुर में तीन शेड्स ए क्लास के हैं उनमें से दो भारत सरकार ने ले लिये हैं और एक एक व्यक्ति द्वारा लिया हुआ है । इसके अलावा जो व्यक्ति लेना चाहते हैं उनको शेड्स नहीं मिलते हैं । 'बी' क्लास के शेड्स नौ हैं, जो सारे के सारे बनने के पहले ही अलॉट हो चुके हैं । उसके बाद एक को भी नहीं मिला जब कि कितनी ही मांगें उनके सामने पेश की गई हैं ।

इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो गारन्टी दी है, उसकी क्या स्थिति है ? राजस्थान सरकार ने अब तक ३१ मार्च, १६६३ तक दूसरी इन्डस्ट्रीज़ को कम से कम २१,७७० रुपये की गारन्टी दी है । उनमें से एक है मैटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको १ करोड़ ६५ लाख की गारन्टी दी है, मेवाड़ टेक्सटाइल, भीलवाड़ा को ५ लाख की गारन्टी दी है, जे० के० सिन्थेटिक्स को ६ लाख की गारन्टी दी है, एम० पी० सिघानिया को ७० हजार की गारन्टी दी है, राजस्थान स्पीनिंग एन्ड वीविंग मिल्स को ८ लाख की गारन्टी दी है और स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर को ३० लाख की गारन्टी दी है । अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में ऑडिटर-जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट १६६३ में कहा था कि इनसे कुछ चार्जेज़ किये जाने चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार स्कूटर्स वगैरह के लिए सिक्योरिटी लेना चाहते हैं बैंक्स की तो बैंक दे देती है लेकिन जो सिक्योरिटी लेते हैं उनसे फीस ली जाती है, इसी प्रकार राज्य सरकार इन्डस्ट्रीज़ की सिक्योरिटी देती है तो उसके लिए एक पर्सेन्ट फीस ली जाय तो दो लाख एक साल का होता है। यह एक छोटी सी बात है, इसको देने से वे इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि राजस्थान सरकार को खर्च करना पड़ता है, ऑफिसर्स को आना-जाना पड़ता है, बैंक्स के साथ डॉक्यूमेंट लिखाना पड़ता है–इस सब में जो खर्च होता है वह वसूल किया जाय तो सरकार का एक रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है ।

Page No. 69

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक गारन्टी देने का सवाल है, कुछ ऐसी दी गई हैं जिनके बारे में कुछ भी प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं रखी गई है। यह समझ में आता है कि किसी को दें तो असेट्स पर नियंत्रण तो रखें। मेसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर को १० लाख की गारन्टी दी गई है, मैटल कॉर्पो-रेशन ऑफ इंडिया लि० को ८६ लाख की गारन्टी दी गई है लेकिन प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं रखी गई है। जो रिपोर्ट में है, उसमें है कि एक पैसे की सिक्योरिटी नहीं है, जिनको इतने रुपये की गारन्टी के रूप में दिया है।

उदयपुर कॉटन मिल्स को देवस्थान से रुपये दिलाये गये। देवस्थान ने ३० लाख रुपया अपनी चीजों को गिरवी रख कर उनको दिला दिया। देवस्थान वाले ६ प्रतिशत ब्याज देकर लाये और इन्डस्ट्री को दिये और वह भी ६ प्रतिशत पर उधार दिये। यह एक विचार करने की बात है।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा और भी इन्डस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंन्ट हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार ने कुछ इन्वेस्टमेन्ट ऐसे लिये हैं जो पुराने स्टेटों के थे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा यहां पर बताया गया कि कोई कमेटी नियुक्त की जा रही है जो हमारे सारे इन्वेस्टमेन्ट की जांच करेगी। इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है जब तक कि कोई परमानेन्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो जो हमारे इन्वेस्टमेन्ट पर बराबर निगाह रखे। जब हम किसी पर इन्वेस्टमेन्ट करते हैं तो उससे जो आमदनी होने वाली है वह कितनी हो रही है, उससे क्या फायदा हमें मिल रहा है और कितना नुकसान हो रहा है-जब तक यह नहीं देखेंगे और इसके संबन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं होगी और उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक हमारा भला नहीं होने वाला है। राजस्थान जनलेखा समिति की १९५९-६० की रिपोर्ट है उसमें उदयभान इन्डस्ट्रीज लि०, धौलपुर हरिश्चन्द्र इन्डस्ट्री पोटरी, झालावाड़ आदि जो इन्डस्ट्रीज़ लिक्विडेशन में चली गई हैं, उनके बारे में कार्यवाही किये जाने के लिये लिखा मगर कोई कार्यवाही हुई और क्या कार्यवाही हुई-यह नहीं लिखा गया। इसमें और भी कई इन्डस्ट्रीज़ हैं जो या तो फंक्शन नहीं कर रही हैं या लिक्विडेशन में चली गई हैं जैसे नवलगढ इलेक्ट्रिक स० कं०—उसमें ६२,४०० रुपये बाकी हैं। प्रेमनाथ मोटर्स में ७,८७५ रुपये बाकी हैं डूंगरपुर शुगर इन्डस्ट्री, डूंगरपुर में ४६,००० रुपये बाकी हैं और ये लिक्विडेशन में चली गई हैं। इसके अलावा और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ तो लिक्विडेशन में चली गई हैं और कुछ काम नहीं कर रही है। सन् १९५३ और ५६ में लिक्विडेशन में चुनी गई उनके लिये भी कोई रिपोर्ट नहीं और भी कुछ पता नहीं कि इनका क्या हुआ? कुल एमाउन्ट ३,७३,४५० उनमें बाकी है। जिन्होंने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है या जो काम नहीं कर रही हैं उनमें जो रकम बकाया है उसको वसूल करने का प्रयत्न किया जावे और अगर नहीं हो, राइट ऑफ किया जावे।

इस प्रकार सारे राजस्थान का टोटल इन्वेस्टमेन्ट इन्डस्ट्रीज में ४,५७,७४,७८० रुपये हैं–उसमें से १७,७२,८६२ रुपये कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हैं व दूसरी इन्डस्ट्रीज में २,८०,४६,१६० रुपये, जिनमें बड़े बड़े इन्वेस्ट-मेन्ट हैं उनमें आपको कुछ भी रुपया मुनाफे का नहीं मिलने वाला है। आपने जो बजट

(श्री सम्पमिलाल बोहरा)

बनाया है उसमें कहीं पता नहीं चलता कि शेयर्स की क्या मार्कट वेल्यू है। इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं कि वे क्या डिविडेन्ड दे रहे हैं। मैंने इसके लिये पुरानी रिपोर्ट लाइब्रेरी में एवेलेबल हो तो देखने की कोशिश की मगर वह लाइब्रेरी में नहीं मिली। ये राजस्थान के ४ करोड़ के इन्वेस्टमेन्ट इन्डस्ट्रीज में हैं उनका इन्ट्रेस्ट राजस्थान सरकार को १ पर्सेंट या दो पर्सेंट भी नहीं पड़ता है, जब कि हम भारत सरकार को तीन पर्सेंट और ५ पर्सेंट ब्याज दे रहे हैं। और हम वसूल कर रहे हैं केवल एक या दो पर्सेन्ट।

अध्यक्ष महोदय, गंगानगर शुगर मिल में २७ लाख रुपये पहले से हमारे इन्वेस्ट हैं और अभी १० लाख और सरकार ने दिये हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गंगानगर शुगर मिल में हमारा ३७ लाख रुपया इन्वेस्ट है। इसकी रिपोर्ट मैंने देखी, इस रिपोर्ट में मुनाफे का कोई प्रश्न ही नहीं। उनकी कण्टिन्जेन्ट लाइबिलिटी लाखों की है उसमें से कितना रुपया हमें देना होगा–यह देखने की चीज है। उस पर इन्कमटैक्स की लाइबिलिटी है ७,६३,८३७ रुपये की और इसके बारे में अपीलेट कमिश्नर के पास हम मुकद्दमा हार चुके हैं इसलिये यह रुपया भी हमको देना होगा जो ७,६३,८३७ रुपया है। इसके अलावा जो एक्साइज ड्यूटी उस लिकर पर जो रास्ते में धुग हो गया है, २,६३,३६६ रुपये हैं। इसके अलावा और भी लाइबिलिटीज हैं। इस प्रकार जोड़ लगाया जाय तो १५ लाख की ऐसी लाइबिलिटीज हैं जिनका एकाउन्ट फोर नहीं हुआ है। तो ऐसी हालत में जो मुनाफा बताया गया है वह १५ साल तक भी हमको इस तरह से नहीं होने वाला है। यह हमारे गंगानगर शुगर मिल में इन्वेस्टमेंट है उसकी हालत है।

इसके बाद दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा है वह राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन में है। उसमें हमारा ३६ लाख रुपया लगा हुआ है। इस पर गवर्नमेन्ट ने यह गारन्टी दी है कि जितनी आमदनी होगी उस पर ३॥ पर्सेन्ट डिविडेन्ड की गारन्टी सरकार करती है। उसकी हालत यह है कि उसमें पहले ३६ लाख का इन्वेस्टमेंट तो है ही फिर १२ लाख और दिये हैं केवल डिविडेन्ड देने के लिये। इस तरह कमाई तो दूर रही हमको १२ लाख रुपये और देने पड़े। इसके अलावा एक मजेदार बात जो मैंने देखी वह यह है कि फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट ३१-३-६३ की है और यह बजट में भी जो फीगर्स दिये गये हैं वे ३१-३-६३ तक के ही दिये गये हैं। हमारे बजट में यह कहा गया है कि १२,१६,६८६ रुपये फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन को दिये गये, जब कि उनकी रिपोर्ट कहती है कि हमने ११,०७,०७५ रुपये ही लिये हैं। यह रिपोर्ट १९६३ की है जिसमें यह कहा गया है कि हमने ११,७०७५ रुपये लिये हैं और हमारे बजट में लिखा है कि १२,१६६८६.६२ रुपये पेडअप टू ३१-३-६३। मेरी यह समझ में नहीं आया। यह भी छपा हुआ है ३१-३-६३ तक का है और फाइनेन्शियल कार्पोरेशन की रिपोर्ट है वह भी ३१-३-६३ तक की है, इन दोनों में १,०९,६११.६२ नये पैसे का फर्क है–यह क्यों है? आखिर यह हिसाब की गड़बड़ है–वह क्यों है? आखिर यह रुपया जो अन्तर में बताया गया है वह कहां गया?

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले हमारे यहां तीन एअर कन्डीशन्ड बसेज थीं और हमने इसमें यह लिखा है कि ६० हजार मील चलने पर हमारी आमदनी होगी ६० हजार और खर्चा हमने किया है दो लाख। इस तरह से हम को एक लाख ४६ हजार का

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

नुकसान होता है। अगर यही बात होती तो कोई बात नहीं लेकिन मुझे यह देख कर हैरत हुई कि जो व्यवसाय घाटे में चलता है उसको कम करने की बात सोची जा सकती है या उस काम को बन्द करने की बात सोची जा सकती है, मगर इसी साल हमने एअर कन्डीशन्ड बसेज तीन के बजाय चार की है। एक और बस खरीदने का प्रावधान है। इनकी आय १,००,०००) होगी और खर्चा होगा ३ लाख ३८ हजार। अब इस पर नुकसान होगा २,३८,१००) रु०। यह नुकसान सरकार बसों पर करना चाहती है। यह कौनसा आपका तरीका है जहां पहले तीन बसें थी जिनमें १,४८,१३०) रु० का नुकसान होता था वहां अब आपने एक और बस खरीदने का—एअर कन्डीशन खरीदने का—प्रावधान किया और उससे आपको २,३८,१०० रुपये का नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपका यह जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है उस पर हमको विचार करने की जरूरत है कि आया हमको यह नुकसान भुगतना चाहिये, जो आप अब भुगतना चाहते हैं।

जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में अभी नहीं रख रहा हूं, जो लघु उद्योग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हैं, उनके साथ और हैं, इन सबको मिलाकर यदि लिया जाय तो बहुत ज्यादा हो जाता है। केवल एक क्रय विक्रय संघ में एक लाख और कुछ हजार का नुकसान हुआ है। यदि यह सरकार इस तरह के इन्वेस्टमेंट करती जायगी तो हमारी स्टेट की न मालूम क्या हालत होगी, इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके बारे में सरकार निगाह रक्खे, इनकी जांच करे और समय समय पर चैक करे। इन पर यदि चैक नहीं रखा गया, निगाह नहीं रखी गई तो हमारा चार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है वह सब खत्म हो जायगा। केवल वह ४ करोड़ रुपया ही खत्म नहीं होगा बल्कि उसके लिये और नेगेटिव पहलू भी हो सकते हैं जैसे राजस्थान को फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन को चार्जेज देने पड़ रहे हैं, राजस्थान सरकार ने गारन्टी दी है इसलिए उसने टाइम पर लोगों को पैसा नहीं दिया तो उसके लिये सरकार को चार्जेज देने पड़ रहे हैं। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५, उद्योग में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है जो मैंने बांसवाड़ा जिले में छोटे छोटे उद्योगों के अभाव पर बहस करने के लिये रखा है। बांसवाड़ा जिला एक आदिवासी क्षेत्र है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यह राजस्थान के दक्षिण में मध्यप्रदेश और गुजरात से मिला हुआ है। इस क्षेत्र में न बड़े उद्योग हैं और न छोटे उद्योग ही हैं और किसी भी प्रकार के उद्योगों के न होने के कारण हर साल हजारों आदिवासी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बम्बई, गुजरात और अहमदाबाद की मिलों में अपना निर्वाह करने के लिये चले जाते हैं। वहां बड़े उद्योग तो नहीं लेकिन छोटे छोटे उद्योग भी अगर होते तो वहां हजारों आदिवासियों को हर साल अपने घर-बार छोड़ कर अपने निर्वाह के लिये बाहर नहीं जाना पड़ता। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इस क्षेत्र में छोटे मोटे उद्योग खोलने चाहियें।

(श्री नाथूराम)

अध्यक्ष महोदय, उद्योग के बारे में मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के उद्योग प्रसार अधिकारी किस तरह की कार्यवाहियां करते हैं। अब तो वे कमी में आ गये हैं। मैं पंचायत समिति, गढ़ी का उदाहरण पेश करता हूं। वहां के उद्योग प्रसार अधिकारी ने अपने स्वार्थ के कारण कोदर पिता कालिया भील को परेशान किया। ६ वर्ष पूर्व उद्योग अधिकारी ने उसे बताया कि मैं तुझे ऋण दिला देता हूं, इस कागज पर दस्तखत कर दे। उसने कहा कि मेरे पास कुछ जमीन है, कुआ खोदने के लिये आप मुझे ऋण दिला दीजिये। उद्योग प्रसार अधिकारी ने एक फॉर्म पर उसके दस्तखत करवा लिये। वह केवल दस्तखत करना ही जानता है। उसने कुए के लिये ऋण लेने का कहा था पर इन्डस्ट्रीज के फार्म पर दस्तखत करा लिये और जब दूसरे लोगों को कुओं का पैसा मिला तो उसने देखा कि उसे क्यों नहीं मिला? वह बी० डी० ओ० और प्रसार अधिकारी के पास गया और कहा कि औरों को कुओं के लिये पैसा मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला? तो उसको उस प्रसार अधिकारी ने कहा कि तेरे लिये मशीन आने वाली है। उसे इन्डस्ट्रीज विभाग से सण कातने की मशीन मंगवा दी क्योंकि उस अधिकारी के पास कोई काम नहीं था। मशीन भी ऐसी मंगाई कि उससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ। एक महीने बाद उस आदिवासी को कहा कि तेरे लिये मशीन आई है सण कातने की, उस आदिवासी को उसका उपयोग नहीं समझाया गया, एक भी पुर्जे के बारे में नहीं समझाया गया कि किस तरह सण काती जाती है। मतलब यह कि वह उस मशीन से कुछ भी काम नहीं ले सका। उसके घर के बाल बच्चे रोये कि बिना मतलब के एक हजार के कर्ज के बोझ के नीचे क्यों डाला? उस आदिवासी ने उस मशीन को पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर रख दिया। एक आदिवासी बिना मशीन की सहायता के चार आने के एक औजार से ५ सेर से लेकर १० सेर सण एक दिन में कात सकता है, पर उस प्रसार अधिकारी ने ऐसी मशीन उस गरीब को दी कि उससे दिन भर में पाव रतल भी सण नहीं काती जा सकती। उसके बाद ज्यों ही किश्तें पूरी होती हैं तो उस गरीब पर ८०० रुपयों की कुर्की हो जाती है। उसके मवेशी घेरे गये, उसका सामान कुर्क किया गया, यहां तक कि उसके कृषि के साधन, कृषि के औजारों को कुर्क किया गया। यहां तक कि उसको बाजार में हैरान किया गया। मेरे पास सूचना आई तो स्टे ऑर्डर करवाया गया तब उसके सामान को वापिस किया गया। पांच छः साल से इन्डस्ट्रीज विभाग में यह मसला चल रहा है। परन्तु उस गरीब पर से यह कर्ज दूर नहीं हुआ है। प्रसार अधिकारी और बी० डी० ओ० वगैरह अपने स्वार्थ के लिये गरीबों को इस तरह फंसाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। अगर उस गरीब ने उस मशीन का कुछ भी फायदा उठाया होता तो उससे यह कर्ज वसूल होना चाहिये था। पर उस मशीन को उस गरीब ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, उसका कोई फायदा नहीं उठाया और वह मशीन पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर पड़ी हुई है और उस पर वह कर्ज यों का यों लदा हुआ है। इस तरह से गरीब का गला नहीं काटा जाना चाहिये। इन्डस्ट्रीज विभाग द्वारा यह कर्ज साफ कर दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में छोटे

(श्री नाथूराम)
छोटे उद्योग पनप सकते हैं, पर उन छोटे छोटे उद्योगों की तरफ इन्डस्ट्रीज़ विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां का हजारों मन चमड़ा बाहर चला जाता है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के गरीब भाई हैं, वे लोग चमड़े के जूते और दूसरी कई चीजें बनाते हैं, पर उनको वहां पंचायत समिति द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा इन उद्योगों के लिये किसी प्रकार का अनुदान या राहत नहीं दी जाती है। हजारों रुपये का चमड़ा हर साल बाहर चला जाता है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मेरा निवेदन है कि चमड़े के उद्योग के लिये सरकार को उन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को कुछ न कुछ सहायता देनी चाहिये जिससे कि उन गरीब लोगों को रोजगार मिले और राजस्थान में छोटे छोटे उद्योग भी पनपें।

वहां के गरीब लोग खुदाई करके इमारती पत्थर निकालते हैं और उसे बेच कर अपना निर्वाह करने की कोशिस करते हैं तो माइनिंग विभाग वाले और तहसील वाले उनको हर तरह से तंग करते हैं। दो दो तरह का टैक्स उनको मजबूर होकर देना पड़ता है और आखिर इस तरह तंग आकर उनको यह धंधा छोड़ देना पड़ता है। इस तरह वहां पर बेरोजगार हो जाने की वजह से उनको अपने घरबार छोड़कर गुजरात, मध्यप्रदेश, आदि में जाना पड़ता है।

वहां के लोग छोटे छोटे तालाबों में ईंटें बनाते हैं, उन पर कोई सरकारी ऋण होता है उसको चुकाने के लिये या अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिये वे ईंटें बना कर बेचना चाहते हैं तो माइनिंग विभाग वाले व तहसील वाले डबल टैक्स उनसे लेते हैं। माल तैयार नहीं होता है तो पैसा नहीं मिलता है इसलिये बीच में ही उनको यह धंधा छोड़ देना पड़ता है। इस प्रकार की अव्यवस्था के साथ साथ उनके निर्वाह के लिये भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, न कोई बड़ा उद्योग है और न छोटे छोटे उद्योग ही हैं। सरकार उनको छोटे मोटे ऋण उद्योगों के लिये या अन्य किसी प्रकार की मदद नहीं देती और जब ये गरीब लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिये इस प्रकार के छोटे छोटे धंधे करते हैं, ईंटें बनाते हैं, इमारती पत्थर खोदते हैं तो इसके ऊपर भी उनसे टैक्स लेती है यह ठीक नहीं है। जब सरकार उनको किसी प्रकार की मदद नहीं दे सकती तो इस प्रकार के छोटे धंधों पर टैक्स क्यों लगाया जाता है? इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा सरकार से निवेदन है कि जब तक सरकार द्वारा वहां पर किसी प्रकार के उद्योग नहीं खोले जायं तब तक ईंटें बनाने पर और पत्थर खोदने आदि पर किसी प्रकार का टैक्स उन लोगों से नहीं लेना चाहिये। यह टैक्स उनके लिये माफ कर देना चाहिये। वे लोग पत्थर खोद कर उस पत्थर के छोटे छोटे कटोरे और दूसरी अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, तरह तरह से तंग किया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। मेले में अपनी बनाई हुई चीजें लेकर बेचने के लिये जाते हैं तो उन लोगों को सरकारी कर्मचारियों की तरफ से तंग किया जाता है।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में कपास और गन्ना अधिक होता है, कुदरत ने यदि पानी बरसा दिया तो

श्री नाथूराम)

लाखों रुपयों का कपास होता है पर वहां पर कपास की कोई फैक्ट्री नहीं है, बड़ोदिये में कृषकों ने समिति बनाकर जीनिंग फैक्ट्री खोली है, पर गवर्नमेंट ने ऋण नहीं दिया है इसलिये वह ठप्प पड़ी है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा जिले में कपास का बड़ा उद्योग चल सकता है, सो व्यवस्था करनी चाहिये। बुनकर हर परिवार में कपड़े बुनते हैं पर सरकार की तरफ से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलने के कारण वे यह धंधा नहीं चला सकते। सरकार को इस ओर ध्यान देकर कपास का बड़ा उद्योग खोलना चाहिये, गन्ना अधिक होता है सो उसका उद्योग भी चलाना चाहिये ताकि इससे वहां के गरीब लोगों को धंधा मिल सके, वे लोग अपना निर्वाह कर सकें और राजस्थान के छोटे बड़े उद्योगों की तरक्की होवे।

(११.०० म०पू०)

सबसे अच्छी चीज वहां पर यह है कि राजस्थान में वह जिला ऐसा है कि सबसे ज्यादा रस वाले आम होते हैं। दूसरी जगह ऐसे आम नहीं होते। लाखों की तादाद में हर तीसरे वर्ष आमों की फसल होती है लेकिन वे आम बाहर चले जाते हैं; जैसे उदयपुर या गुजरात की तरफ। कई लोग कम पैसों में ले जाते हैं और गरीब लोगों को ठीक पैसे नहीं मिलते हैं। रस की कई चीजें बनती हैं। रस सुखा कर पापड़ बनाते हैं और बोहरे लोग अफ्रीका वगैरह बाहर ले जाते हैं। सरकार की तरफ से इसका कोई उद्योग न होने से लाखों आम सड़ जाते हैं और पैसे वाले लोग आदिवासियों से थोड़े मूल्य पर फल लेते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कोई न कोई उद्योग खोले जिससे गरीब लोगों को भी पैसा मिले। इस वर्ष आम की फसल बहुत अच्छी होगी।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि वैसे तो कल मेरा कट मोशन था वह बहुत महत्वपूर्ण कट मोशन था लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा यह निवेदन है कि पंचायत समिति, गढ़ी हैडक्वार्टर पर मन्डार तालाब बना हुआ है। उसमें ५२ हजार रुपयों का खर्चा हुआ लेकिन उससे आधा बीघा जमीन की भी सिंचाई नहीं हुई है। जहां सरकार के ५२ हजार रुपये खर्च होते हैं वहां नहर न होने से सरकार का सारा पैसा और पानी बेकार जा रहा है। सरकार उत्पादन के लिए नारा लगाती है तो कम से कम सरकार का जो पैसा खर्च होता है उससे खेतों में तो पानी मिले। तालाब का पानी बेकार जा रहा है, उसका उपयोग नहीं और तालाब के नीचे ५०० बीघा जमीन बिल्कुल बेकार पड़ी है।

श्री फूलचंद जैन (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता न सिर्फ हम ही महसूस करते हैं, पर राज्य सरकार भी इसको महसूस करती है और औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का उत्पादन बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार ने व्यवसाइयों को कई बार आह्वान किया। पिछले १०-१२ वर्षों के अंदर कई उद्योग पनपे, लघु उद्योग और बड़े उद्योग सभी प्रकार के उद्योग राजस्थान के अंदर कायम हुए हैं परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि क्या राज्य

(श्री फूलचन्द जैन)
सरकार यह बता सकती है कि जितने उद्योग खास तौर से जो लघु उद्योग राजस्थान के अंदर पिछले १०-१२ साल के अंदर कायम हुए हैं और जितने लाइसेन्सेज छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए राजस्थान में आपके द्वारा पिछले १० वर्ष के अंदर दिए हुए हैं, उनके सम्बन्ध में आपने इस बात का कोई असेसमेंट किया है कि लाइसेंस लेने के बाद में कितने ऐसे उद्योग हैं जिन में काम नहीं हुआ है? आपने इस बात का असेसमेंट किया है कि उद्योग लगाने के बाद उन उद्योगपतियों ने अपनी स्कीम्स के द्वारा कितना उत्पादन राजस्थान में किया है? मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो स्थिति यह है कि हम आंकड़ों के द्वारा इस बात का संतोष कर लेते हैं कि राजस्थान का उद्योग धीरे धीरे पनप रहा है वैसे इसमें संदेह नहीं कि कुछ उद्योग जो कायम हुए हैं, प्रॉडक्शन उन क्षेत्रों के अंदर बढ़ा है लेकिन दूसरी तरफ अधिकांश उद्योगों की, जो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं आज भी राजस्थान के अंदर स्थिति यह है कि वे सारे कागजों के अंदर काम कर रहे हैं। आज इस बात का असेसमेंट किया जाय कि कितने लघु उद्योग ऐसे राजस्थान के अंदर कायम हुए हैं कि जो सिर्फ कोटा पर आधारित हैं। मैं इस बात को बुरा नहीं मानता कि जिन उद्योगों को कोटा मिलना चाहिये वह उन्हें मिले। मैं इस बात पर आपत्ति करता हूँ कि उन उद्योग लगाने वालों को कोटा दिया जाय और उसका पूरी तरह से सदुपयोग न हो, उस बात की आपको कोई जानकारी नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है राजस्थान सरकार के पास यह जानकारी नहीं है। इसलिये वह इस बात का पता लगाएं कि जितना कोटा हमने उनको दिया है उसका ठीक प्रकार से उपयोग किया है या नहीं किया है? किया है तो हमारे राजस्थान का कितना प्रॉडक्शन बढ़ा है? स्कीम्स बनती हैं, प्रॉडक्शन रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं और उसके बाद में आपके डिपार्टमेंट में फाइल भी हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में वह उत्पादन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका राजस्थान की जनता को लाभ मिला है या नहीं—इसका असेसमेंट करने की क्या व्यवस्था है? मैं इसका स्पष्ट उत्तर जानना चाहता हूँ।

इसके साथ ही जहां तक उत्पादन बढ़ाने का सवाल है हम इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। लेकिन एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े उद्योगपति हैं, हो सकता है कि उनके बहुत उच्च प्रभाव के कारण उनके सामने दिक्कतें न आती हों। छोटे उद्योगों को लगाने वालों के सामने जो दिक्कतें आती हैं उनको सुनने वाला राज्य सरकार का जो उद्योग विभाग है उसमें कोई नहीं है। आज इस विभाग के अंदर क्या, मैं तो कहूंगा, प्राय: सभी विभागों के अंदर एक प्रोसीजर के द्वारा दिक्कतें पैदा करने की व्यवस्था बनी हुई है। खास तौर से कृषि उत्पादन के साथ साथ उन उद्योग धंधों की जिनका उत्पादन से सम्बन्ध है आज की परिस्थिति में हम बहुत आवश्यकता महसूस करते हैं। ऐसी हालत में छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले, क्योंकि उनके साधन सीमित हैं, प्रेशर नहीं डलवा सकते। उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। एक किसी उद्योग की स्कीम अगर सबमिट की जाय और यह मान लिया जाय कि एक वर्ष में उद्योग लगाना चाहते हैं और इसके अंदर राज्य सरकार

(श्री फूलचन्द जैन)

से कोई विशेष सुविधाएं नहीं चाहते हैं उसके बावजूद भी क्या गारंटी है कि वह स्कीम ६-१२ महीने के अंदर मंजूर हो जायगी? कागज बिना चलाए तो चलते नहीं। कागज कैसे चलाए जायं, यह बताना आवश्यक नहीं क्योंकि स्वयं इस विभाग के अधिकारी जानते हैं। ऐसी हालत में हम यह आशा करें कि उद्योग लगाने वाला यहां आए, हमसे टक्कर ले, हमारे सामने हाजिरी दे, हमारे छोटे से लेकर बड़े बाबू तक के हाथ जोड़कर चाय पिलाए, उसके बाद मिनिस्टरों की कृपा हो तो उद्योग लगाए और उसके बाद जो मुसीबतें समय समय पर आएं उनके लिए तैयार रहें तो ऐसा कौनसा व्यक्ति होगा जो ऐसी परिस्थितियों के अंदर उद्योगों को स्थापित करने में कामयाब होगा? राज्य सरकार इस संबंध में क्या सोचती है मैं नहीं समझता। पर वास्तविक स्थिति यह है कि उद्योग पनपे केवल इसका नारा देने से काम नहीं चलता? हमारे राजस्थान का औद्योगिक विकास हो रहा है, इसकी असलियत को आज राज्य सरकार स्वयं देख सकती है और असलियत को महसूस कर सकती है। इसके साथ ही साथ एक और बात निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ आज कोई इन्डस्ट्री लगाने के लिए आते हैं तो आप कहते हैं कि कोटा से संबंधित कोई लाइसेंस नहीं देंगे। मत दीजिए पर इसलिये नहीं देंगे कि कोटा का दुरुपयोग होता है, क्योंकि उसके ऊपर शंका करते हैं। क्या आप मानते हैं कि स्टेनलेस स्टील, कॉपर, जिंक–ये जो कुछ आइटम्स हैं, जिनकी प्राइस के अन्दर पांच हजार टन से लेकर पंद्रह हजार टन खुले बाजार में और कन्ट्रोल प्राइस में फर्क है, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? जो जिनुआइन पार्टीज़ यहां काम करने के लिए आती हैं उनके लिए आप ऐसा बोलते हैं कि काम उन्होंने शुरू नहीं किया है पर जिन पार्टीज़ को कटा देते हैं वे उसका सदुपयोग करते हैं या नहीं इस बात की क्या गारंटी है?

दूसरी बात यह कि जिन मैटिरियल्स का कोटा हम देते हैं उनका प्रॉडक्शन होता है वह प्रॉडक्शन जब मार्केट में आता है तो उनमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनको सरकार खरीदती है। आप केल्क्यूलेट करिए। १५ हजार का जिस चीज में मार्जिन है, उसी आइटम की जरूरत होती है तो राज्य सरकार बाजार रेट पर खरीदती है तो कितना मार्जिन देती है। एक तरफ तो समाजवाद की बात करते हैं, एक तरफ नेशनेलाइजेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ जिन व्यापारियों को कोटा दे रखा है, उनके सम्बन्ध में हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि कितना मार्जिन खाते हैं या नहीं खाते।

क्या राज्य सरकार यहां व्यवस्था नहीं कर सकती है कि जहां पर स्टेट एन्टरप्राइज के मिनिस्टर इस बात को कहते हैं कि स्पिन्डलस को प्लान्ट स्टेट सेक्टर में लगाना चाहिये? सवाल प्रिन्सिपल का है इसमें दुरुपयोग करने की बात नहीं है–जहां पन्द्रह पन्द्रह हजार के आइटम्स का प्रश्न है आप यह व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि आप चैक करा सकें ताकि प्रोफिट और मार्जिन उतना ही मिलना चाहिये जितना कि वास्तविक रूप से मिल सकता है। अगर स्टेट उसे खरीदती है या तो उसको मिलना चाहिये और सरकार उनको नहीं खरीदती है तो यह होना चाहिये कि मार्जिन

(श्री फूलचन्द जैन)

मिलें और उसका दुरुपयोग न हो और जनता को मिले।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है कि जिन कमोडिटीज की राज्य सरकार को जरूरत हो उनको राज्य सरकार सर्टेन पर्सेन्टेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन फिक्स करके ले और मार्जिन उसका कम किया जा सकता है। परन्तु नहीं, वहां तो कोटा के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं है किन्तु कोटे के दुरुपयोग का प्रश्न वहां है जहां लोग काम करते हैं। मुख्य मंत्रीजी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में आह्वान करके उन लोगों को बुलाते हैं और यहां आकर उनकी कैसी हालत होती है। यह सोचने की बात है।

अध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर हमारी यह स्थिति है, दूसरी तरफ हमारी यह स्थिति है कि हम परवाह नहीं करते हैं कि किस जगह कैसा रॉमेटिरियल अवेलेबल है और उस स्थान पर उसी प्रकार की इन्डस्ट्री को लगाने का प्रयत्न करें, उसको कन्सीडर करें। आज मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करते हुए यह अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि प्रत्येक विभाग द्वारा बीकानेर क्षेत्र को बराबर इग्नोर किया जा रहा है। उद्योग विभाग भी इस मायने में पीछे नहीं रहा है। मैं जानना चाहता हूं मुझे इस विषय में आंकड़े दिये जायं कि राजस्थान में ऊन का प्रोडक्शन बीकानेर क्षेत्र में कितना होता है और राजस्थान के दूसरे हिस्सों में कहां कहां पर कितना कितना होता है? वूलन मिल का लाइसेन्स देने का प्रश्न हो तो वह भी जयपुर में ही दिया जाय और बीकानेर में न दिया जाय। जहां स्टेट एन्टरप्राइज के द्वारा वूलन मिल लगाने का प्रश्न आता है तो स्टेट एन्टरप्राइज मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने एक कमेटी बिठाई है जो हमें यह बतायेगी कि वहां लगाना वाजिब है या नहीं? क्यों वाजिब नहीं होगा? वूलन मिल्स चल रही हैं। उनको तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहते हैं कि पानी की जांच करा रहे हैं। आप इसको १९६६ या ६९ में या कब लगाना चाहते है? क्या आप उस समय का इन्तजार कर रहे हैं जब राजस्थान केनाल आ जाय? वहां पर राजस्थान केनाल का पानी आ जाय तब आप वहां पर लगायेंगे? आपको फैक्ट्स पर चलना चाहिये। आप अपने ही कन्सीडरेशन पर चलते हैं। आप एक के साथ न्याय करें और दूसरे के साथ अन्याय करें–यह नहीं चल सकता। मैं निश्चित रूप से यह जानना चाहता हूं कि बीकानेर में वूलन इन्डस्ट्री न लगाने का और दूसरी जगह पर लगाने का किस आधार से सोचा जा रहा है?

श्री मथुरादास माथुर (राजकीय उद्योग मंत्री): मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इतने जोश से न कहें। बीकानेर में ही लगा रहे हैं, जोधपुर में नहीं लगा रहे हैं। सवाल इतना सा ही था कि बीकानेर में पानी स्लाईन है और वहां जो मिल्स चल रही हैं वे छोटी २ चल रही हैं। यह मिल्स तो ५,००० स्पिन्डल्स की लगाने जा रहे हैं। पानी से ऊन साफ होती है। एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है जो विचार करेगी सीकर और बीकानेर के लिए।

श्री फूलचन्द जैन: माननीय स्टेट एन्टरप्राइज मिनिस्टर महोदय ने इस सम्बन्ध में जो घोषणा की है यहां सदन में कि बीकानेर में ही लगा रहे हैं, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

Page No. 78

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने कहा था कि एक्स्ट्रा कन्सीडरेशन पर करते हैं इसलिए मैंने कहा था । बीकानेर में ऊन का सेन्टर है। पानी स्लाईन है। इसलिए कमेटी बिठाई है कि सीकर और बीकानेर के लिए विचार करें । पानी को एक्जामिन करने के लिए कहा है । ऊन को वाश करने के लिए खारा पानी नहीं चाहिये। बीकानेर में लगायें और पानी के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़े तो अधिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ सकती है इसलिए मैंने कहा कि इस पर सोचना पड़ेगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पानी के लिए नहर आ रही है ।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान केनाल देर से आयेगी। कल, परसों, साल, दो साल में नहीं आयेगी ।

श्री फूलचन्द जैन : कब तक कामयाब होंगे ? तब तक क्या राजस्थान केनाल आयगी या नहीं ? दूसरा सवाल है कि यह बीकानेर में लगेगी या नहीं ? आप स्पष्ट बतायें । यदि बीकानेर में नहीं लगाते हैं, वहां का पानी खारा है तो चूरू में लगाइये, रतनगढ़ में लगाइये । क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : चूरू और नागौर एक्सटेन्शन ब्लॉक हैं और वहां पर हैं ।

(११.०६ म. पू.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री फूलचन्द जैन : आप कब लगाने की सोचते हैं? राजस्थान केनाल तब तक आ जायगी या नहीं ?

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। भारत सरकार से इन्डस्ट्रीज् के लिए कोटा मिलता है, उस सम्बन्ध में भी राजस्थान सरकार दीर्घ निद्रा में रहती है। हमारे कई आइटम्स ऐसे हैं जिनको हम दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में लड़ झगड़ कर बढ़वा सकते हैं । लेकिन हम को अपने हक के लिए लड़ने झगड़ने की फुर्सत नहीं है। इसके बिना जो अधिकार हैं आपका आपको मिलता नहीं है। एक तरफ तो यह स्थिति है । मैं स्पेसिफिकली निवेदन करता हूं, राजस्थान में १९६३ में चार टीन फैक्ट्रीज के लिए लाइसेन्स दिया गया। चार फैक्ट्रीज में से कितनी शुरू हुई? एक शुरू हुई तो तीन ने काम शुरू क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो आपने क्या एक्शन लिया ? जब हमारे राजस्थान में चार फैक्ट्रीज चलने वाली थीं-उनमें से तीन नहीं चल पायीं तो राजस्थान को जो कोटा मिलने वाला था वह नहीं मिल सका और उसका नुकसान हुआ। क्या आप वास्तव में इस बात को महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान विकास की ओर बढ़ रहा है ? आपके आंकड़े और संख्या हमारे सामने आ जायं इससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इसको हम, विकास हो रहा है या हो गया है, मान कर नहीं चल सकते। लेकिन जो विकास के लिए ब्रेन होना चाहिये वह नहीं है ।

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना तो बहुत चाहता था लेकिन समय की कमी है इसलिए मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर गम्भीरता से विचार करे। बीकानेर के मिल वगैरह के मामले में रखना चाहता था लेकिन समयाभाव के कारण मैं नहीं रख सका हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योग और खनिज दोनों की ही मांगों पर विचार हो रहा है। मैं यह कहने को तैयार हूं कि आज राजस्थान सरकार जिस तरह से उद्योग के विकास के बारे में सोचती है, और उन्होंने जिस तरह से प्लानिंग इस बारे में किया है मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल गलत है और इस बात को मैं उनके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उन्हीं के आधार पर बताना चाहता हूँ। एक सोशियलिस्टिक स्टेट बनाने के लिए किस तरह से उद्योगों की हमारे यहां आवश्यकता हो सकती है, उनका सर्वे किस तरह से किया जाना चाहिये और किन बातों को ध्यान में रख कर हमारे राज्य में उद्योग का स्थान निर्धारित करना चाहिये-यह बातें कही हैं। किसी उद्योग को लगाने से पहले यह सोचने की बात है कि उस क्षेत्र में जितना अनएम्प्लोयड है उस उद्योग के लगाने से हम उनको काम पर लगा सकेंगे या नहीं ? दूसरा उस क्षेत्र में किसी उद्योग को चुनने के लिए यह सोचना चाहिये कि वहां पर रॉ मेटिरियल उपलब्ध हो सकता है या नहीं ? तीसरी बात हमें सोचनी है वह यह है कि आसपास के रहने वाले लोग हैं उस उद्योग से उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ती है या नहीं ? जिस इन्डस्ट्री को लगाना है उससे हमारी स्टेट इन्कम में कितना लाभ मिलता है आदि--इन सारी बातों को सोच कर इन्डस्ट्रीज़ लगाने के बारे में प्लानिंग करना चाहिये।

आज जो हमारे यहां की इन्डस्ट्रीज़ का प्लानिंग हुआ है उससे यह पता चले कि वह इस इन्डस्ट्रीज़ को बढाना चाहते हैं। लेकिन इस आधार पर प्लानिंग नहीं हुआ है। यह नहीं होने का सबसे बड़ा प्रमाण रखता हूं। मैं बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मीडियम साईज इन्डस्ट्रीज़, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़–इनका इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाया है। इसी के संबन्ध में अभी तीन दिन पहले मेरे प्रश्न के जवाब में कहा गया, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का प्लानिंग सही है, यह किस तरह का जवाब है ? ११ डिस्ट्रिक्ट्स में इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स बनाये हैं। इनकी रिपोर्ट यह है कुल मिला कर कि ३५३ एस्टेट्स बनाये हैं। १९५५ से लेकर ६४ तक यह बनाये हैं। सही प्लानिंग होता तो इनको रॉ मेटिरियल मिलता होता और यह इन्डस्ट्रीज़ लगाने वाले काम करने के लिये तैयार होते। जहां ३५३ इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स बनाये गये हैं उसके अन्दर से केवल १३७ के अन्दर काम चालू हुआ है, बाकी सब खाली पड़े रहे हैं। आज यह कहा जाता है कि राजस्थान बेकवर्ड स्टेट है, इसमें फाइनेन्सेज की कमी है लेकिन इन इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स पर पूरा खर्चा ७२,२३,९९१ रुपया खर्च किया है। मैंने प्रश्न ४ में पूछा है, इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स के ऊपर जो खर्चा किया है उसका रिटर्न तीन पर्सेन्ट भी राज्य सरकार को नहीं है। तो जवाब दिया गया–जी हां। आज हमारे इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स का यह हाल है कि जहां हमें ७२ लाख रुपया इनवेस्ट करके भी जिसका ४॥ रुपया सैकड़ा ब्याज देते हैं, इन्डस्ट्रियल एस्टेट से तीन रुपया सैकडा रिटर्न नहीं मिले यह शर्म की बात है। इससे यह साफ मालूम होता है कि आपका जो इन्डस्ट्रियल पेटर्न है वह बाकायदा नहीं है और न वह प्लान्ड वे में है। पार्टी–

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बाजी और पक्षपात के आधार पर जो मिनिस्टर बन गये, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र का ध्यान रखा है और वहीं पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट बना दिये गये। इनके आंकड़े दिये गये हैं कि इस तरह से कुल १६ एस्टेट बने हैं। श्री गंगानगर में ४४ शेड्स बने हैं-जिसमें से सात में काम चालू हुआ है। भरतपुर में २५ शेड्स बने हैं—जिसमें ६ में काम चल रहा है। भीलवाड़ा में ४० में से १४ के अन्दर काम चालू है। आपका प्लानिंग इस तरह का है। इस तरह से ७२ लाख में से ५० लाख रुपया पानी में डाल रखा है उसका उपयोग नहीं हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस आधार पर जिन लोगों को कोटा दिया गया, जिन्होंने इन्डस्ट्रियल एस्टेट में शेड किराये पर लिये हैं, इन्डस्ट्रीज खोलना चाहते हैं, जिन्हें रॉ मेटिरियल इम्पोर्ट करने का कोटा दिया गया है उसका हिसाब जो बताया गया है उसके कुछ प्रमाण बताना चाहता हूं। मैंने पहले भी सदन में यह जिक्र किया था कि भीलवाड़ा के लोगों को कोटा दिया गया उसका उपयोग नहीं हुआ। वह लिस्ट मेरे पास मौजूद है। स्टेनलेस स्टील के बारे में बताया गया, दूसरे शेड्स के बारे में बताया गया। भीलवाड़ा में स्टेनलैस स्टील की एक कटोरी भी तैयार नहीं हुई है, शेड सिर्फ किराया देने के लिये है उसमें उत्पादन जीरो है।

इसी तरह से अभी किताब दी गई राजस्थान की "विकासशील राजस्थान"-इस पुस्तक के पेज २४ और २५ की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं जिसमें उद्योगों के बारे में कहा गया है हमने इन सालों के अन्दर जितने इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाये हैं उनकी संख्या इसमें २३३ बतायी है और मेरे प्रश्न के जवाब में तीन दिन पहले ३५३ बतायी है। जहां पहले २०६ को काम में लिया बताया इसमें १३७ काम में लिया हुआ बताया। ६४८ फैक्ट्रीज़ लगी हैं-जिसमें से १३७ वर्कशॉप काम कर रहे हैं। आखिर सरकार को पूछा जाय कि इस किताब को लिखने वाला गलत है या आपने जो जवाब तीन दिन पहले दिया वह गलत है ?

एक माननीय सदस्य: यह दोनों सही हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: यह भी १९६४ में छपी है और मेरे प्रश्न का जवाब भी २१ तारीख को दिया है।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): फैक्ट्रीज इन्डस्ट्रियल एस्टेट में पहले की लगी हैं यह जरूरी नहीं कि इसमें आये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: तो फिर इन्डस्ट्रियल एस्टेट के कॉलम में क्यों लिखा गया है ? आज आपके यहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये पैसा नहीं मिलता है ठीक उसी तरह से इन्डस्ट्रियल सेक्टर की बात यह है कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज लगा रहे हैं जो ये बड़े बड़े उद्योगपती लगा रहे हैं उनकी हालत क्या है वह भी देख लीजिये। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर वे दोनों की बात देख लें। बड़ी बड़ी जितनी भी इन्डस्ट्रीज लगी हैं वे सब प्राइवेट सेक्टर में लगी हैं, एक भी पब्लिक सेक्टर में नहीं लगी है—यह है हमारी प्रजातंत्रीय सरकार का समाजवादी ढांचा। आज एक भी इन्डस्ट्री पब्लिक सेक्टर में नहीं है सब प्राइवेट सेक्टर में हैं चाहे कोटा में हो। चाहे भीलवाड़ा में हो और चाहे उदयपुर में हो—सभी जगह

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

प्राइवेट सेक्टर में ये इन्डस्ट्रीज हैं । हमारी राजस्थान सरकार है जो इन बड़े बड़े उद्योग-पतियों को खुश करना चाहती है इसलिए इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को लाखों रुपया उधार दिया है, राजस्थान के खजाने से दिया है, निगम द्वारा दिया गया है । २० लाख रुपया एक ही फैक्ट्री को नकद उधार दिया गया है और एक करोड़ की जमानत दी है। तीन दूसरी मिलें हैं जिनको ३० लाख रुपया उधार दिया है । एक और को १२ लाख का उधार दिया गया है, एक को १२॥ लाख उधार दिया है । हमारी सरकार द्वारा जो इनवेस्टमेंट किया गया उसका भी एक नमूना पेश करना चाहूंगा, उधार देने का नमूना पेश करना चाहूंगा । विजयनगर में जो टेक्स-टाइल मिल और शुगर फैक्ट्री है इस सरकार ने उसको लाखों रुपया उधार दिया है और आज वह कारखाना बिल्कुल बन्द है। शुगर फैक्ट्री बन्द है जिसमें साढ़े तीन लाख रुपया इनवेस्ट किया, उसका एक पैसा भी रिटर्न नहीं है ।

अभी ऊन की मिल के बारे में जिक्र चला, बीकानेर में खोलने के लिये माननीय सदस्य ने निवेदन किया । लेकिन ऊन का कारखाना लग चुका है । ऊन का कारखाना भीलवाड़ा में स्पिनिंग के लिये लग चुका है । उसको सरकार लाखों रुपया उधार देने की बात कर रही है, जिसके अन्दर अन्दर घोटाला हो रहा है । कहीं इनवेस्टमेन्ट के तौर पर रुपया देते हैं और कहीं उधार देते हैं। वहां पर स्पिनिंग वूल का कारखाना बहुत जल्दी चालू होने वाला है । लेकिन जब तक ये कारखाने आप पब्लिक सेक्टर में नहीं चलायेंगे—हमारे प्रान्त की जनता की माली हालत ठीक नहीं हो सकती । आप जहां सोशियल स्टेट की बात करते हैं वहां आपको इन कारखानों को पब्लिक सेक्टर में लेकर चलाना होगा । इसके लिये जब कहा जाता है तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है । मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि पैसे की कमी आपके पास नहीं हो सकती । पैसा आज जिन लोगों में बाकी है कभी आपने उसको वसूल करने की चेष्टा की है? यह एक लिस्ट मेरे पास है जो कि मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर में दी गई । मैंने पूछा था कि उदयपुर में कितने लोगों को इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की ओर से उधार रुपया दिया गया। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो लिस्ट दी है, उस लिस्ट के अन्दर ६,८६,८०० रुपया, ५ हजार रुपया, २० हजार रुपया एक एक व्यक्ति को अपने पर्सनल काम के लिये दिया गया है । जूता बनाने वाले को ५ हजार रुपया दिया गया है । जूता बनाने वाला पांच हजार रुपये का क्या करेगा? जो रुपया आपने दिया है उसने अपने काम में ले लिया और उससे आज तक वसूल नहीं हुआ। यह जो लिस्ट है इसमें आधे से ज्यादा में लिखा है इन्होंने काम में नहीं लिया । प्रिंटिंग प्रेस के लिये २० हजार रुपया दिया गया और वह प्रेस नहीं लगा फिर क्यों दिया गया, कब दिया गया ? यह सब इलेक्शन के समय में दिया गया, वोट लेने के लिये दिया गया । इस तरह से वोटों के लिये दस लाख रुपया बांटा गया, जिसका सही उपयोग नहीं हुआ है ।

श्री गोकुलचन्द जाटव (कठूमर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा पांच हजार जूतों के लिये लेकर क्या करेगा, यह आपको पता नहीं जो लार्ज स्केल पर जूते बनाने का काम करेगा उसके लिये पांच हजार रुपया कुछ भी नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मुझे इसलिये अनुभव है कि एक जूता बनाने वाला एक साथ पांच हजार रुपया खर्च कर सके

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ऐसी कोई दुकान मैंने नहीं देखी । जूते बनाने वालों की जो वर्किंग केपेसिटी है वह सारे दिन में एक जूता तैयार कर सकता है जिसकी कीमत पांच या साढ़े पांच से ज्यादा नहीं हो सकती फिर वहां वह पांच हजार रुपये से क्या करेगा । एक बात समझ में आ सकती है कि चर्म उद्योग सहकारी समिति के नाम पर यदि पांच हजार रुपया दिया जाता है या पचास हजार रुपया दिया जाता है तो वह सही मान सकता हूं । उद्योग खोल कर पैसा इनवेस्ट कर सकते हैं । केवल एक इन्डिविज्युअल को पांच हजार रुपया देना, इस प्रकार पैसा बांटना सिवाय उसके अपव्यय के और क्या हो सकता है ?

श्री गोकुलचन्द जाटव : बाटा जैसी कम्पनी को आपने देखा है जहां चार पांच हजार रुपये का तो फर्नीचर ही लग जाता है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं उदयपुर में सात साल तक रहा हूं । मैं जानता हूँ वहां इतना पैसा खर्च कर फर्नीचर लगाने वाला कोई जूते वाला नहीं है ।

एक दूसरी लम्बी लिस्ट में चित्तौड़ जिले की पेश करता हूं । कुल मिलाकर इसमें २.१६ हजार रुपया इन्डिविज्युअल लोगों को उधार दिया गया । अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह कहां कहां काम आया । ताज्जुब की बात है कि गाडोलिया लुहार उत्पादक सहकारी समिति चित्तौड़गढ़ को दस हजार रुपया लोहार उद्योग के लिये दिया गया और साथ ही लिखा भी है कि कोई प्रोडक्शन के काम नहीं आया । कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ । जब कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्यों रुपया दिया, अगर दिया और काम नहीं हो रहा है तो वापिस क्यों नहीं लिया ? यह सारी लिस्ट इसी तरह की बातों से भरी है । मैं बताऊं मनोहरलाल मारू, बड़ी सादड़ी का है-इसको रु० २०००) दिया गया लेकिन काम चालू नहीं किया। फतेहसिंह को दिया गया, लेकिन काम चालू नहीं। रोशनलाल कटारिया को रु० ५०००) दिया गया, लेकिन काम चालू नहीं । इसी तरह से नम्बर २० से २७ तक लोगों को रुपया दिया गया, पर उन सब के सामने लिखा है कि काम चालू नहीं है । इसी तरह हस्तीमल जैन को प्रिन्टिंग प्रेस के लिये दस हजार रुपया दिया गया पर काम चालू नहीं है, यह लिखा है । यह २.६१ हजार की लिस्ट है । इसमें आपने जिनको रुपया दिया उनमें से आधे से अधिक लोगों ने काम चालू नहीं किया ।

इसी तरह से भीलवाड़ा की लिस्ट में पेश करता हूं । १.५५ हजार की यह लिस्ट है। इस लिस्ट में आधे से ज्यादा आदमी ऐसे हैं जिनके बारे में कह सकता हूं कि उनको दस २ हजार रुपया उधार दिया गया और किसी ने काम में नहीं लगाया ।

ऐसी हालत में आप यह कहें कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है तो यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, तीस मिनिट मेरी पार्टी के हैं और मेरी पार्टी में मैं ही अकेला बोलने वाला हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : २० से ३० मिनिट तक मैंने समय दिया है पार्टियों के लिये । तो समय का संकोच है, आप अपना समय देख कर बोलें। जारी रखें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: तो मैं बीस मिनिट से ज्यादा नहीं बोलूंगा अब ।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस तरह से अगर सरकार यह कहे कि उसके पास इनवेस्टमेंट के लिये पैसा नहीं है तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं । एक एक गांव, शहर और जिले में सरकार ने दस दस लाख रुपया दिया है, जिसकी लिस्ट दिये गये नामों में से मैंने थोड़े व्यक्तियों की बात बताई है और वह पैसा अधिकांश में अनयुटिलाइज्ड पड़ा है आज भी।

तो मैं नवेदन करूं कि जिस तरह से आज सरकार ने बड़े बड़े शहरों में इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम की और जो हालत आज उनकी है, उसको देखते हुए सरकार ने अगर गांवों में छोटे छोटे उद्योग-धन्धे पनपाने के लिये कोई इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई होतीं और उनको यह पैसा दिया होता और छोटे मोटे बुनकरों को काम दिया जाता तो मैं कह सकता हूं कि आपका प्रोडक्शन बढ़ता और आपका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रश्न हल होता, साथ ही लोगों की गरीबी की हालत में सुधार होता और हमारी राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता। आज आप सारा अनप्लान्ड वे में पैसा खर्च कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं । कहा जाता है प्लानिंग है आपकी, पर मेरी समझ में नहीं आता आपकी क्या यही प्लानिंग है कि आप इन्डिविजुअल लोगों को इस तरह से पैसा बांटें और वह अनयुटिलाइज्ड पड़ा रहे, उत्पादन नहीं हो । सरकार ने अगर छोटे उद्योग धन्धों को गांवों में पनपाने के लिये कोई प्लानिंग की स्कीम विधान सभा के सदस्यों के सामने, सदन के सामने या जनता के सामने कम्पलीट रखी होती तो भीलवाड़ा जिले में, चित्तौड़ जिले में और बाकी के बहुत से जिलों में छोटे छोटे कुटीर उद्योग-धन्धे काफी चलते, सारे ही २६ जिलों में चलते और अगर आपने यह किया होता तो मैं मानता कि आपका प्लान्ड वे में इन्डस्ट्रीज को डेवलप करने का कोई प्लान है । लेकिन आप तो इस तरह से मनमानी करना चाहते हैं और अपने ही चाटुकार लोगों में पैसे का उपयोग करना चाहते हैं । फिर वह जिस काम के लिये दिया गया है उस काम में युटीलाइज्‌ हो या न हो, इसकी परवाह आपको नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जो अनयुटिलाइज्ड पैसा पड़ा है उसको वसूल करने की हिम्मत भी सरकार नहीं कर रही है । कैसे कर सकती है हिम्मत ?

अब बड़ी इन्डस्ट्रीज खोली गई, उनकी हालत बताता हूं । यह उदयपुर और किशनगढ़ में और दूसरी जगह में खोली गई । पर इससे कोई यह समझे कि सरकार एम्प्लॉयमेन्ट दे सके, तो यह कतई मुमकिन नहीं है । सरकार इस मुगालते में न रहे । इनमें आज ऑटोमेटिक मशीनें हैं तो इस कारण से आज राजस्थान में खोली जाने वाली चार मिलों में कोई बड़ी तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में मदद मिलेगी ऐसी सरकार धारणा न बनावे। मैं कहता हू कुल मिला कर दस बारह पर्सेन्ट से अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इनमें भी एम्प्लॉयमेन्ट बाहर के लोगों को अधिकांश में दिया गया है स्किल्ड लेबर के बहाने । कानपुर और अहमदाबाद के लोगों को बुला कर भर्ती किया गया है, कलकत्ते से लाकर भर्ती किया है जिसका नमूना उदयपुर की मिल में दो पार्टियों के रूप में हमें देखने को मिलता है । उनमें आये दिन झगड़े होते हैं । क्योंकि उनमें उदयपुर के रहने वाले कम हैं कानपुर के ज्यादा हैं । दोनों पार्टियों में झगड़ा हुआ और एक मजदूर बेचारा मारा गया । मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ आपने उन लोगों को खुश करने के लिये, जिन्होंने चन्दे में बड़ीबड़ी रकमें दी, और जिनके पास अपना काफी पैसा था पर जो अपने

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पैसा इनवेस्ट नहीं करना चाहते थे, उनको सेफ करने के लिये सरकार की तरफ से तीस तीस लाख रुपया उनको दिया गया और हमारे ही पैसे से हमारी ही छाती पर ला कर उनको धर दिया ताकि वे हमारे ही राज्य में हमें मनमाने तौर से लूटें और हमारे यहां से कमाई करके उस पैसे को बाहर कानपुर कलकत्ता में जाकर इनवेस्ट करें। यह हमारी नीति अच्छी नहीं है। इस पैसे के हकदार हैं हमारे यहां के लोग। इनमें कई अच्छे इन्डस्ट्रियलिट्स हैं उनके लिये यह पैसा दिया जाना चाहिये।

आपने जयपुरिया को तीस लाख दे दिया, कानोडिया को लाखों दे दिया, भीलवाडा वालों को लाखों रुपया दे दिया। आपकी यह गलत पॉलिसी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है और यहां की जनता भी मानने वाली नही है। गांवों के रहने वाले नहीं मानेंगे कि आपने पैसे का इनवेस्टमेन्ट सही और सच्चे रूप में जनता की बहबूदी के लिये किया है। ऐसी बात नही है कि आपने यहां के उद्योग धन्धों को पनपाने के लिये यह पैसा दिया हो। आपने सिर्फ चन्दा देने वालों को खुश करने के लिये यह बात की है। मैं इसके अलावा और कुछ मानने को तैयार नहीं हूँ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

कि आपने कई लोगों को इन्डस्ट्रीज के लिये रॉ मेटिरियल के लाइसेन्स और परमिट दे रखे हैं। मैं बहुत अदब से ट्रेजरी बेंच वालों से कहना चाहता हूं और खास तौर से इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर साहब से और, उपाध्यक्ष महोदय, उस पर आपकी रूलिंग भी चाहूंगा। अगर ये परमिट और लाइसेन्स वगैरह पक्षपात रहित हों, अगर इनमें सरकार ने पक्षपात नहीं किया है तो इन २६ जिलों की एक पूरी इस तरह की लिस्ट सदन के मेम्बरों को दे दें कि कहां कहां, किस किस बात का, कितना कितना कोटा का लाइसेन्स या परमिट किस किस इन्डस्ट्री को दे रखा है और उसका क्या उपयोग हो रहा है और यह भी बतावें कि किस किस जिले में कितना कितना रुपया किस किस इन्डस्ट्री में आपने लगाया है और किस रूप में लगाया है?

इस प्रकार की एक छपी हुई किताब हम लोगों को मिले ताकि हम बता सकें कि उसका कितना उपयोग आपने किया और कितने आपके कृपा पात्र इनके द्वारा पल रहे हैं। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मैं आपके सामने माइन्स की एक और बात रखना चाहता हूं। आप कहेंगे कि हमारे यहां पर पैसे की कमी है। वह पैसे की कमी क्यों है उसका मैं कारण बताना चाहता हूं। यह एक लिस्ट मैंने मांगी थी उदयपुर जिले की–माइन्स ओनर्स पर आपका कितना रुपया बाकी है? इस लिस्ट में २ लाख ६५ हजार ४१ रुपया, १६ न० पै० बाकी बताया गया है। दो–चार हजार रुपया बाकी हो वह तो हम मान सकते हैं और तसल्ली कर सकते हैं कि आप वसूल नहीं कर सकते लेकिन मैं बताऊं कि मेवाड़ मिनरल कम्पनी, उदयपुर पर ६१ लाख ८३६ रुपया बाकी है। क्या जवाब है आपके पास इसका? क्यों यह ६१ हजार ८३६ रुपया आप वसूल नहीं करते हैं?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): आपने तो ६१ लाख कहा है। तो यह हजार है या लाख?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: ६१ हजार है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: आपने पहले ६१ लाख कहा था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं गलती कबूल करता हूं। यह मैंने हजार बताया है। मेरे पास भीलवाडा की लिस्ट है उसमें और हजार बता देता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह नम्बर ४ पर है देविदयाल मोहता-उनमें १ लाख ७६ हजार ४० रुपया बाकी है। आप हजार की बातें करते हैं यह तो लाख पर है। यह १७ लाख की लिस्ट है जिसमें १७ स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं और सरकार कहती है कि पैसा नहीं है। पैसा आयेगा फिर कहां से जब कि इतनी बड़ी बड़ी रकम आपकी लखपतियों के ऊपर बाकी है। मैं कहना चाहता हूं कि सिराजुद्दीन काण्ड कलकता और दिल्ली में हुआ होगा, पर कहते हैं कि माइन्स ऑनर्स की बुक निकाल कर लाई जाये तो मैं बताऊंगा कि कितना रुपया इनके नाम है, इनके पर्सनल नाम पर मंढा हुआ है, और चन्दे के नाम पर मंढा हुआ है।

(समय-समाप्ति--सूचक घंटी)

श्री मथुरादास माथुर (राजकीय उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करूंगा कि,क्योंकि व्यवस्था सदन में हो चुकी है कि किसी पर चार्ज लगाया जाये तो उसका पहले नोटिस हो और बाद में कहा जाये......

श्री उपाध्यक्ष : He has given notice.

श्री मथुरादास माथुर : वर्ना यह कह देना कि ट्रेजरी बेन्चेज में उनका अकाउन्ट खुला हुआ है इसका मैं विरोध करता हूं और सदन में जो व्यवस्था दी जा चुकी है उसके विरुद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : He has given notice of allegations.

श्री मथुरादास माथुर : Against whom?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से बार बार डिस्टर्ब न किया जाये। अगर करते हैं तो बुक्स वहां से मंगवाई जाये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता था कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरा समय नहीं हुआ है। Within five minutes I will finish.

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up within two minutes.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो मैंने अर्ज किया है उसके लिए हमारे प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि यह नहीं कह सकते। मैं अब आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके पीछे जो उप-मंत्री महोदय बैठे हैं इनको आप पूछिये कि क्या इन्होंने सेवा सदन कन्ज्यूमर्स सोसाइटी से १९५२ में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ४ हजार रुपये उधार नहीं लिये थे ? आज की तारीख में भी १०४३ रुपये ३८ न० पै० माननीय मंत्री महोदय पर बाकी हैं और वह इन्सटीट्यूशन आज लिक्वीडेशन की हालत में है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कन्ज्यूमर्स सोसाइटी से कोई मेम्बर उधार ले सकता है क्या? कैसे

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया) : उधार ले सकता है ? किसी कानून के अन्तर्गत नहीं ले सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह मेरा समय और गंवा देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो नोटिस दिया है वह गैर कानूनी रूप से रुपये के उपयोग करने के बारे में है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह मैंने बता दिया कि गैर कानूनन १६५२ में रुपया लिया और आज ६४ है और रुपया बाकी है और इसका अगर आप सबूत चाहें तो दे सकता हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष : You will please wind up because the time is already.....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अभी तो दो मिनिट ही हुए हैं और मैंने ५ मिनिट मांगे थे।

श्री उपाध्यक्ष : आपके ख्याल से तो दो मिनिट ज्यादा हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सही बात सुनने का भी माद्दा होना चाहिये । तो मैंने यह कहा है कि कोई मिनिस्टर हो कर आज १२ साल से इस तरह की रकम को रखे और वह सोसाइटी जब लिक्वीडेट हो गयी तो यह बुरी बात है । अनओथोराइज्ड मनी को वह नहीं रख सकते । सोसाइटी का कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसी से उधार नहीं ले सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप यदि सुधार करना चाहते हैं आप पैसों का सदुपयोग कीजिये और अपने दोस्तों में बांटिये मत और इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने का प्लान करें तो अच्छा हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, इन पिछले कुछ वर्षों से हमारे राज्य में जिस प्रकार उद्योगों की प्रगति हुई है उसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहूंगी। डीडवाना में हमारा सोडियम सलफेट का कारखाना है, उदयपुर में जिंक स्मेल्टर है और कोटा में कॉस्टिक सोडा का कारखाना है, इन पर हमें नाज है । उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में मोस्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल खोली गई है, इसके अलावा दो मिलें और खोली गयी हैं उसके लिए हमें खुशी है । सवाई माधोपुर में एशिया की सबसे बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री चल रही है । उसके अलावा २ सीमेन्ट फैक्ट्रीज में से एक करीब करीब खुलने वाली है और दूसरी खोली जाने वाली है उसके लिए हमें संतोष है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मावडा वाली आप खुलवा रही हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : Please don't interrupt.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपकी आज्ञा लेकर इन्ट्रप्ट नहीं करूंगा । अपनी इच्छा से करूंगा ।

श्री मथुरादास माथुर (राजकीय उद्योग मंत्री) : You address the Chair.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: उपाध्यक्ष महोदय, यह फैक्ट्रीज खुली हैं यह हमारी प्रगति की परिचायक है । आज से ७ साल पहले हमारे राज्य में कुल ४०० के करीब रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज थीं, आज २००० से ऊपर रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं। यह बताता है कि हमारा

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

राज्य उद्योग के क्षेत्र में उतर चुका है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करना है । हमें अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना है क्योंकि हमारा राज्य प्रगति के पथ पर है, हमारा राज्य एक महत्वाकांक्षी राज्य है । हम महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं । ऐसे राज्य के निवासी और ऐसे महत्वाकांक्षी राज्य के सदन के सदस्य तथा मंत्रीगण कभी संतुष्ट होकर बैठ नहीं सकते । कहा गया है कि "असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्टा च महीपते" अगर ब्राह्मण असंतुष्ट है तो नष्ट हो जाता है लेकिन राज्य का चलाने वाला राजा या मंत्री संतुष्ट हो जाये तो राज्य विनाश को प्राप्त हो जाता है । इसलिए हमें और आगे बढ़ने के लिए अपनी कमजोरियों को देखना है, कमियों को देखना है, अपनी खामियों को देखना है और हमें अपनी गलतियों को सुधारना है । बजट के द्वारा कट मोशन्स की परम्परा है वह इसी आधार पर आधारित है कि संसद सदस्य राज्य के प्रत्येक जिले में राज्य की एक एक खामी को राज्य सरकार के सामने, सदन के सामने पेश करें । मैं इस बात को मानती हूं कि संसद सदस्य का एक पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि जो कुछ खामियां उसके ध्यान में हैं वह सदन के द्वारा राज्य सरकार के सामने पेश करे, उन्हें समझा कर, कहीं मौका हो तो लड़ कर कहे, दबा कर कहे । तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो प्रगति हुई है वह तो हुई लेकिन सबसे पहले हमें अपनी खामियों की ओर देखना है और आज मैं बड़ी बड़ी खामियों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । मैं छोटी मोटी बातों में न जाकर कुछ नीति संबंधी बातें मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि हमारे यहां फर्टिलाइजर का कारखाना खुलना निश्चित हो गया था । उसका लाइसेन्स भी मिल गया और हनुमानगढ़ में बनाने की तजवीज भी हो गयी थी । काफी अर्सा हो गया लेकिन अभी वह कारखाना खुला नहीं । उसके बारे में सुना जाता है कि अब स्थान देखा जा रहा है । मैं स्थान विशेष के बारे में नहीं पड़ती कि वह कोटा में खुले या हनुमानगढ़ में खुले या जयसमन्द में खुले । किसी भी जगह खुले, मैं तो इस बारे में मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि फर्टिलाइजर का कारखाना जल्दी से जल्दी हमारे यहां स्थापित हो ।

कृषि के उत्पादन का तो इसमें बहुत महत्व है, लेकिन कृषि के उत्पादन के अलावा एक बहुत बड़ी अहम बात इस फर्टिलाइजर के कारखानों के साथ है और वह बात यह है कि भाखरा के राइट बैंक से राजस्थान को जो बिजली दी गई थी यह शर्त की गई थी कि जो २५ हजार किलोवाट भाखरा के राइट बैंक से प्राप्त होने वाली बिजली राजस्थान को दी जा रही है यदि उसका दो साल के अन्दर अन्दर फर्टिलाइजर के कारखाने के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका तो यह बिजली देना राजस्थान को केन्सिल कर दिया जायगा । यह हमारे लिए बहुत महत्व की बात है । हम चाहेंगे कि जो बिजली बहुत लड़ने झगड़ने के बाद दी गई है हम लोग इससे वंचित न हो जायं । यह न हो कि राज्य सरकार की ढिलाई के कारण फर्टिलाइजर का कारखाना खोलने में देरी हो और तो यह बिजली हमें बहुत मुश्किल से मिली है, यह कहीं वापिस न चली जाय । इसके लिए

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

हमारे राज्य मंत्रियों को सतर्क होकर काम करना है। जिस पार्टी को लाइसेन्स दिया गया है उस पर जल्दी ही उसे स्थापित करने के लिए जोर डाला जाय। यदि वह नहीं करती है तो किसी दूसरी को दिया जाय और दूसरी भी अगर करने को तैयार नहीं हो तो राज्य सरकार इसे सरकारी तौर पर खोले। तो यह २५ हजार की अलभ्य बिजली, हमको बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है, हमें डर लगता है, हमें शंका होती है कि हमारी यह प्राप्त बिजली कहीं चली न जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक दूसरा सवाल हमारे सामने यह आता है कि राज्य सरकार जब फैक्ट्रीज खोलने के लिए लाइसेंन्स देती है, कई तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं के ऊपर अमल नहीं होता है। सैकडों फैक्ट्रियों के लाइसेन्स दिये जा चुके हैं, लेकिन वे फैक्ट्रियां बनी नहीं हैं। इसकी एक नहीं अनकों मिसालें दी जा सकती हैं। इन्डस्ट्रियल एस्टेटस में ७० पर्सेन्ट लाइसेन्स मिलने पर भी शेड्स अभी तक नहीं खुले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मिसाल के तौर पर एक मिसाल में नजर करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर इन्सूलेटर ट्यूब बनाने के लिए तीन कारखाने बनाने के लिए लाइसेन्स दिये जा चुके हैं, और लाइसेन्स दिये हुए कोई एक दो साल नहीं हुए हैं बल्कि तीन तीन, चार चार साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी इस प्रकार का कारखाना स्थापित नहीं हो सका। आज उस अवधि को देखते हुए इसका उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए था, माल बाजार में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हालां कि जो राज्य सरकार ने लाइसेन्स दिये हैं वे ख्याति प्राप्त पार्टियों को दिये हैं। बिड़ला और सोमाणी जैसी फर्म्स को दिये गये हैं, लेकिन फिर भी वह काम नहीं हुआ है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिड़ला और सोमाणी दोनों मिल कर केवल एक कारखाना खोल रहे हैं। जब हमारे यहां तीन कारखानों के लाइसेन्स मिल चुके हैं लेकिन अब मुश्किल से एक, वह भी दोनों मिल कर, खोलेंगे। आखिर यह लाइसेन्स जो दिये जाते हैं वक्त पर उनकी तामील नहीं होती है तो केन्सिल क्यों नहीं किये जाते हैं? मैं उद्योग मंत्री को जोर दे कर यह कहूंगी कि जब आप सेन्टर को किसी को लाइसेंन्स दिलाने के लिए रिकमन्डेशन करें तो उसमें लिखा-पढ़ी करके यह शर्त जरूर डाल दी जाय कि अगर उस अवधि के अन्दर यदि कोई कारखाना स्थापित नहीं कर सके तो उस लाइसेन्स को रद्द कर दिया जाय। हम इसमें ढिलाई बरतते आ रहे हैं। इसका यह नतीजा हो रहा है कि सैकडों लाइसेन्स हम दे चुके हैं परन्तु दुर्भाग्य से कारखाने नहीं खुल रहे हैं।

इन दो बातों के अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक अहम बात की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। वह बात राज्य-सरकार की प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, जो अहम बात है वह खास बात है हमारे यहां रॉ मिटरियल की। हमारे राज्य में रॉ मेटिरियल बहुत कम है। हम सब जानते हैं कि बिना रॉ मेटिरियल के कोई कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता। आप चाहे जितनी पूंजी लगा दें, चाहे जितनी योजना बना

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत)

दें लेकिन अगर रॉ मेटिरियल नहीं हुआ तो कारखाना किस बिना पर स्थापित किया जा सकेगा? हमारे पास रॉ मेटिरियल की कमी है, हमारे पास जिन्क नहीं है, हमारे पास कॉपर का अभाव है, हमारे पास स्टील नहीं है, हमारे पास आयरन नहीं है, यदि कोई उद्योग पनपे तो किस के बल पर पनपे? सन् १९५२-५३ में जब सारे राज्यों को केन्द्र से रॉ मेटिरियल का कोटा दिया गया है, तब राजस्थान को बहुत ही थोड़ा कोटा दिया गया है। इस आधार पर थोड़ा कोटा दिया कि राजस्थान में उद्योग नहीं हैं। यदि हम इस पॉलिसी के आधार पर देखें तो यह नीति अपने आप में एक एब्सर्ड नीति है। जो राज्य पिछड़े हुए हैं उनके लिए पूरा कोटा नहीं देंगे तो प्रगति कैसे हो सकती है? अगर एक भूखा आदमी है, अन्डरनारिश्ड है उसको भर पेट खाना नहीं दिया जायगा, तो वह कैसे चल सकता है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए यह होना चाहिये कि जो बेकवर्ड राज्य हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कोटा दिया जाय। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि, पूरी ताकत लगा कर, पूरी शक्ति लगा कर, राज्य के लिए कोटा प्राप्त करें। मैं तो यहां तक कहूंगी कि यदि इसके लिए क्योस भी पैदा करना हो तो किया जाय, लेकिन कोटा हमको उचित मात्रा में लेना चाहिए। हमारे सामने पड़ौसी देश पंजाब की नजीर मौजूद है। इन पिछले वर्षों मे पंजाब में मध्यम श्रेणी के और लघु श्रेणी के उद्योग पनपे और खूब पनपे। इसका कारण यह था कि वहां के लोगों ने और राज्य ने रॉ मेटिरियल का कोटा अच्छी मात्रा में लिया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि अगर आप कोटा ले सकें ज्यादा बढ़ाकर, तो उसमें आपका मंत्रीत्व सफल हो जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनिट में ही खत्म कर दूंगी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कोटा वितरण करने की जो व्यवस्था है राज्य की ओर से, वह वितरण की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो काम करने वाले नहीं हैं, वे कोटा लेकर ब्लेक में बेचते हैं और जो असल में काम करने वाले हैं वह ब्लेक में लेने के कारण कम्पीटिशन में ठहर नहीं पाते हैं और उनका वह उद्योग नहीं पनपता है। और जो बोगस कोटा प्राप्त करने वाले हैं वह अपना प्रेशर डाल कर, जोर डाल कर, कोटा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उन से बनाई चीजों का मूल्य भी ऊंचा जाता है और एक सामाजिक करप्शन भी पैदा होता है। मैं जानती हूं कि हमारे मंत्री जी उत्तर देंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो उसको हमारे सामने लायें तो उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करेंगे। आज तक ट्रेजरी बेन्चेज से ऐसे ही उत्तर मिलते रहे हैं। ऐसे उत्तर के एन्टीसिपेशन में मैं अर्ज करना चाहती हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या! आप इन्डिस्ट्रयल एस्टेट्स का मुलाहिजा कर लें। वहां पर जो कोटा दिया जाता है उसके आंकड़े, आप मुलाहिजा करें कि कोटा कितना दिया जाता है और पावर का कन्जम्पशन कितना हो रहा है, उनके पास लेबर कितना है? इन तीनों को टेली

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

करने से साफ पता चल जायगा- न सुबूत की जरुरत है और न इन्क्वायरी कमीशन बिठाने की जरुरत है। आंकड़े आपके पास में मौजूद हैं। आप खुद देख लें कि कोटा का किस तरह से दुरुपयोग होता है।

मैं इस विषय पर ज्यादा वक्त नहीं लेकर मंत्री जी को इस सम्बन्ध में खास-तौर से नीती के बारे में याद दिलाना चाहती हूं और जोर देकर कहूंगी कि रॉ-मेटिरियल का कोटा लाया जाय तो हमारे उद्योगों की प्रगति अपने आप हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वाला प्रसाद:– if you can wind up in 8 minutes.

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मै, जो बहस चल रही है उसके सिलसिले में सीधा ही आंकड़े पर आता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : (राजकीय उद्योग मंत्री): सीधा ही ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :

आप जितना वक्त मेरा लेंगे वह ८ मिनिट में नहीं होगा।

सवाल यह है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर के अन्दर हैवी इन्डस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया है और सहायता दी है उससे राजस्थान के अन्दर जो इन्कम है वह ८ पर्सेन्ट है और आपका वक्त वक्त पर जो रुपया लगा है लघु उद्योगों में, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनमें, उनसे १३ पर्सेन्ट होती है।

(१२. ०० मध्यान्ह)

८ पर्सेन्ट के ऊपर जो हमारी आमदनी आती है उस पर हम इतना ज्यादा खर्चा करते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है ज्यादा खर्चा करने पर, क्योंकि अधिक दिनों के बाद उसका परिणाम होता है। वह आवश्यक है यह भी मानता हूं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हैं उनके ऊपर बगैर ध्यान दिये काम किया जाय। मैं सरकार से अपील करुंगा कि छोटे उद्योगों की तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया, तो आज राजस्थान के लोगों का जीवन स्तर उठाने की बात जो इस पर निर्भर करती है, वह नहीं हो पायगी। अपने प्रदेश राजस्थान में ७२ प्रतिशत से भी अधिक जो किसान हैं उन किसानों को यदि इमदाद पहुंचाना है, तो उसके लिये आवश्यक है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज की ओर ध्यान दिया जाय। लेकिन बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि आप स्माल स्केल इन्डस्ट्री उसको समझते हैं जिन 'इन्डस्ट्रीज में ५ लाख से लेकर १० लाख तक रुपये लगाते हैं। जिस ढंग से आप स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज की डेफिनेशन करते हैं वह १० लाख तक केपिटल वाली की करते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, मैं १० लाख की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं उन लोगों की जो ५ हजार से १० हजार रुपये तक लगाते हैं बल्कि ३ हजार रुपये लगा कर उद्योग करते हैं। इसके अलावा आपने ऐसे ऑथिरिटीज को भर्ती कर दिया है जिनमें मासेज को विश्वास नहीं है। मैं इस बारे में खादी बोर्ड का जिक्र करता हूं जिसका अब तक जिक्र नहीं हुआ। मैं गुजारिश करूं कि एक तरीका चल गया है जिस चीज से सरकार को बचना है। ३ लाख से ऊपर रुपये सरकारी बजट से खादी बोर्ड को देते हैं इन्तजाम केलिये। ३ लाख रुपये देते हैं इन्तजाम के लिये,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
और एक कॉर्पोरेट बोडी बना दी है, एक कॉर्पोरेशन बना दिया है। इसलिये नहीं कि उसका काम सुचारु रुप से चले बल्कि इसलिये कि एक अ टॉनोमस बोडी के नाम से सरकार जिसे चलाती रहे, 'गंगाजी की जय' बोलकर उसके अन्दर वे लोग चलते रहें। ३ लाख रुपये खर्च होते हैं, उसको कॉर्पोरेट बोडी बना कर इन्डस्ट्रीज विभाग के मातहत नहीं रख कर, ऐसे लोगों के हाथ में रखते हैं जिनके बारे में आप यह मानते हैं कि धर्म करने वाले तो ये ही लोग हैं, खादी का काम तो ये ही लोग कर सकते हैं; जैसे ब्राह्मण के बिना कोई हवन नहीं करा सकता, 'कोई हरिजन शादी नहीं कर सकता, इसी तरह से इन्डस्ट्रीज का काम करने वाले खादी का काम नहीं कर सकते।

श्री मथुरादास माथुर : खादी के डिप्टी मिनिस्टर हरिजन हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : चन्दनमलजी कब से हरिजन बने ?

श्री चन्दनमल बैद (उपमंत्री, उद्योग) : बड़ी खुशी होगी मुझे हरिजन बना दें तो।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आप रहने दें, मैं भुगत लूंगा।

मैं आपकी दरियादिली की तारीफ करता हूं कि हरिजन को शुद्ध करके डिप्टी मिनिस्टर के पद पर ले लिया लेकिन इन्डस्ट्रीज की तरफ क्या हो रहा है? वहां तो कोई डिप्टी मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो लेकिन फिट इन कौन होना है, इसका सवाल है ? जितनी कॉआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको सब्सिडी देने का सवाल है उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि सारे कोऑपरेटिव वाले रोते रहते हैं क्योंकि जिस कोऑपरेटिव विभाग का उन पर कन्ट्रोल रहता है वह, उनके लिये जो रुपया मिलता है, उसे उन कोम्रॉपरेटिव को नहीं देता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनको न दे कर जो चेरिटेबल इन्सटिट्यूशन्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का जिन पर अधिकार है उनको लाख लाख रुपये दिये जाते हैं, बोर्ड की तरफ से दिये जाते हैं ! बोर्ड का आज क्या हाल है ? बोर्ड का कॉन्सटीट्यूशन आप किस तरह से करते हैं ? उसके प्रेसीडेन्ट और प्रत्येक मेम्बर को कोऑपरेटिव में विश्वास नहीं है। हमारी नेशनल पॉलीसी है कि हिन्दुस्तान में कोऑपरेटिवज के थ्रू सोशियलिज्म लायेंगे। लेकिन आप उन कोऑपरेटिव सोसाईटीज को न तो एड देते हैं और न उनको और सहायता देते हैं। दूसरी तरफ जिनको कोई पूछ नहीं सकता उनको आप लाखों रुपया दे देते हैं। आपने कितने रुपये कोऑपरेटिव्ज को दिये हैं और कितने रुपये चेरिटेबल इन्सटिट्यूशन्स को दिये हैं? जो बोर्ड के मेम्बर हैं वे फाइनेन्स कमीशन के भी मेम्बर हैं। जो एक्ट सरकार ने बनाया है उसके अनुसार इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर या इन्डस्ट्रीज सेक्रेटरी और डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज को इस बोर्ड की तरफ झांकने तक नहीं दिया जाता, क्योंकि आपने उसको कोऑपरेटिव बोडी बना दिया। मैंने रिपोर्ट की थी १५० पेजेज की उसमें चार्जेज लगाये थे जो प्रूव हो गये थे। मैंने मांग की थी कि सेक्रेटरी का चालान किया जाय। उसकी शिकायत की पोथियां पेश कर दी थी, लेकिन सरकार ने रोक दिया कि उसका कोई चालान नहीं किया जाय।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मैं कहता हूं अभी तो मैं शुरु ही हुआ हूं। उधर वाले भी कहेंगे। इस बीच में क्या हुआ कि चेयरमेन कॉर्पोरेट बोडी का बना दिया और वह चेयरमैन अजमेर ग्राम सेवा मंडल का प्रेसीडेन्ट है। सेक्रेटरी श्रीमान बाल कृष्णजी गर्ग हैं। उनको नोमिनेट किया है। अभी जो "जाग्रति" अखबार निकलता है लखनऊ से उसको प्रमाण-पत्र दिया, मैंने उसको पढ़ा। एक ग्राम-सेवा-मंडल के लिये कितने शर्म की बात है, इस सरकार के लिये और कितने शर्म की बात है हमारे लिये, जो खद्दर पहनते हैं और उनके लिये जो खद्दर में विश्वास रखते हैं शर्म की बात है कि उन्होंने ने रु० ५०,०००) का ब्यावर की मिल का सूत खद्दर में मिला दिया। उसकी जांच ढेबर भाई ने की थी और जांच के बाद साबित हो गया था और उन्होंने कहा था कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाय। अजमेर सेवा मंडल, उपाध्यक्ष महोदय आप मेरे से ज्यादा जानते हैं . . .

श्री अध्यक्ष : Please don't refer to the chair.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने सिर्फ वक्त के लिये गुजारिश की है। आप देखें, मैं उन भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खद्दर हाथ से कते और बुने सूत से बना हुआ होना चाहिये। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, एक महात्मा मरने लगे तो उनसे पूछा कि बाबा आपका आखिरी उपदेश क्या है तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे अनुयायियों से सावधान रहना। उन्होंने मरते वक्त कहा कि मेरे मानने वाले हैं उनसे बचते रहना। इसलिये मैं सरकार से कहता हूं कि तुम बचाओ इनसे। सरकार के मंत्री इसके चेयरमैन हैं। पैसा लेने वाले, पैसा देने वाले, चेरिटेबल संस्था को चलाने वाले सब कुछ हैं. . .

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर): उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: किससे ?

श्री भैरोंसिंह: मंत्रि मंडल से।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अजमेर का हूं। किस वक्त त्याग पत्र देना चाहिये यह हम लोग सब अच्छी तरह से समझते हैं। आप मत टोकिये।

मैं पूछना चाहता हूं वे इन्कार करे कि 'जाग्रति' को कैंसिल किया या नहीं? चेयरमैन क्या जवाब देंगे, डिप्टी चेयरमैन क्या जवाब देंगे जब कि चेयरमैन या प्रेसीडेन्ट खुद इन्वॉल्व्ड है। ढबर भाई ने बतलाया है कि इसमें आमूल परिवर्तन हो। एक व्यक्ति के नाम से सरकार के पैसों से बिल्डिंग खरीदी गई। मैंने पहले भी सिद्ध किया था, प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी क्या करना चाहते हैं। मैंने पहले भी मांग की थी कि इनको और वाइस-प्रेसीडेन्ट को बदलें। मैं अब फिर मांग करता हूं कि इन दोनों को हटा दें, खादी का काम इनके द्वारा नहीं चलना चाहिये। मैं खादी पहनने वालों से अपील करता हूं कि जो मिल का सूत मिला कर खादी को दूषित करते हैं, जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं, उनको जनता अपनी आवाज से अलग कर दे।

सवाल यह है कि आज हम खद्दर पहनते हैं, हम अच्छी खादी खरीदते आये हैं, उस पर 'प्रमाणित' की छाप लगी है, कहीं उसमें

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मिलावट तो नहीं है? जिस तरह अच्छे घी में डालडा मिला कर असली घी के नाम से बेचते हैं, उस तरह खादी में मिल का सूत मिला कर बेचते हैं लेकिन वे फ्री घूमते हैं। उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। कोई उनसे कुछ कहने वाला नहीं है। घी में मिलावट करने वाले को पकड़ते हैं लेकिन यह ढाई आने का ढक्कन लगा कर, २०३ की टोपी लगा कर इस सरकार के राज्य में फ्री घूमते हैं। वे क्यों फ्री रहते हैं, उन पर चार सौ बीस का मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं? मैं डिप्टी मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, मैं हाथ से बुनी खादी पहनता हूं, मैं खादी भंडार से खादी खरीदूं। उसके लिए मुझसे पैसा ले लिया जाय और मुझे शुद्ध खादी न दी जाय, तो इसमें मुकद्दमा चलाने की गुंजाइश है या नहीं, इसमें चार सौ बीस का मुकद्दमा बनता है या नहीं? अगर मुकद्दमा बनता है तो उन पर चार सौ बीस का मुकद्दमा चलायेंगे या नहीं?

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट जवाब दे कि चार सौ बीस का मुकद्दमा बन सकता है या नहीं?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह): Hypothetical. Every case depends upon facts, facts, facts.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं वकील नहीं हूं। जो धारा लगाई जा सकती है, वह लगायें। लेकिन हमको बचायें, हमारे ईमान को बचायें, हमारी कांग्रेस को बचायें, हमारी आस्थाओं को आप बचायें। इस सदन के थ्रू मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमको इस डिपार्टमेंट से बचायें और किसी भले आदमी को इस डिपार्टमेंट का हैड बनायें जो हमारे ईमान को भ्रष्ट न करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्री की मांग पर मैंने कुछ कट मोशन दिये हैं और मेरी पार्टी के सदस्यों ने कट मोशन दिये हैं..

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon. Member to be as brief as possible.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उन समस्त कट मोशन्स के उपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। आज इन्डस्ट्रीज और माइन्स के लिए हमारे प्लान्स के अन्दर जो एलोकेशन है वह पहले से कम है। जो एलोकेशन सेकिंड फाइव ईयर प्लान में था उसके मुकाबले में थर्ड फाइव ईयर प्लान में और कम कर दिया गया है। जहां पंच वर्षीय योजनाओं में ६०४ का हमारा एलोकेशन था, जो टोटल प्लान का ५.७४ पर्सेन्ट था, वह थर्ड फाइव ईअर प्लान में ३.७६ पर्सेन्ट रह गया है, ८६५ लाख। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जब कि हमने अपने प्लान पर कट लागू किया और कोर ऑफ प्लान डिसाइड किया, तो इस एलोकेशन के अन्दर बहुत बड़ी कटौती की, इतनी बड़ी कटौती कि जितनी हमारे और किसी डिपार्टमेंट में नहीं की। हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना में जहां ८६५ रखा था, उसको काट कर ६३८ लाख अपने कोर ऑफ दी प्लान के अन्दर कर दिया। इसके साथ साथ अगर हम स्टडी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करें, उपाध्यक्ष महोदय, कि माइन्स और इन्डस्ट्रीज के फंड्स का युटिलाइजेशन किस प्रकार से होता रहा है तो देखेंगें कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए हम एलोकेशन करते हैं, उन सबसे कम युटिलाइजेशन इस डिपार्टमेंट में होता रहा है। हम इस यूटिलाइजेशन को पहले तीन साल में केलकुलेट करें तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें फर्स्ट थ्री ईयर्स के अन्दर इसका युटिलाइ जेशन सबसे कम हुआ है। हम इसके सेपरेट आइटम्स को स्पिलिट कर लें मीडियम और मेजर इन्डस्ट्रीज, विलेज और कॉटेज इन्डस्ट्री, इन सबको अलग अलग ले लें तो हम देखेंगे कि सिवाय माइन्स के सब आईटम्स के अन्दर बहुत कम युटिलाइजेशन है। उन आंकड़ों के आधार पर इसके एप्रेजल में मैं जाना चाहूंगा। इन आंकड़ों का कम्पेरिजन पीछले तीन सालों से किया है। पंचवर्षीय योजना के फर्स्ट थ्री ईअर्स का केलकुलेशन किया है कि कितना युटिलाइजेशन हुआ है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर उसका पर्सेन्टेज केवल २६.२६ आता है और सेकिंड फाइव ईयर प्लान में २४.०८ पर्सेन्टेज आता है । इसके बाद में हम एक इरेटिक राइज़ देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर ३७.३७ पर्सेन्ट है। वैसे तो यह आंकड़े अपने आपके अन्दर सेटिस्फेक्ट्री नहीं हैं क्यों कि हमको इस प्लान का ६४ पर्सेन्ट लास्ट टू ईयर में युटिलाइज़ करना पड़ेगा। इन आंकडों को देखें तो ज्यादा से ज्यादा लोड हमारे लास्ट ईअर पर पड़ता है, १९६५-६६ के अन्दर । फिर भी इस इरेटिक आंकड़े का कोई एक्स्प्लेनेशन नहीं है। अगर आंकड़े डिटेल के अन्दर देखें, डिपार्टमेंट वाइज स्पिलिट अप करके देखें तो कुछ जस्टीफिकेशन नहीं मिलता है। इसके बावजूद भी हमने अगर कटौती की है तो सबसे ज्यादा विलेज और कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ के अन्दर की है, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के अन्दर की है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की कटौती हमने विलेज और कॉटेज इन्डस्ट्रीज के अन्दर की है, वह किस हद तक की है, यह देखें तो मिनरल डिपार्टमेंट का जहां ३६५ का एलोकेशन था, हमने कोर आफ दी प्लान के अन्दर ३४५ किया है लेकिन विलेज एण्ड कॉटेज इन्डस्ट्रीज के लिए जहां ५०० का ओरिजिनल एलोकेशन था उसको काट कर हमने २६०.२६ लाख कर दिया है। और अगर हम इसके युटिलाजेशन को भी देखें तो विलेज और कॉटेज इन्डस्ट्रीज के लिए जितने वीवर्स को लोन दिया है, उन वीवर्स की तादाद देखें तो जहां १५०० वीवर्स का टार्जेट रखा था वहां केवल ११०० को लोन प्रोवाइड कर सके हैं। यह स्थिति काफी गम्भीर है । आज जब कि हम देश के विकास के लिए पैसा चाहते हैं और हम टैक्स लगाते हैं निर्धन के उपर और सरकार हमसे बड़ी गम्भीरता से आल्टरनेटिव मांगती है, हमसे कहती है कि आमदनी के सोर्स बतायें लेकिन जब हम सोर्स बताते हैं और ज्यादा आमदनी के सोर्स सामने रखते हैं, हम पब्लिक सेक्टर के विकास की बात करते हैं, तो हमारी सरकार, जितनी भी इन्स्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर में चल रही हैं, उनके अन्दर लापरवाही का व्यवहार बरत करके इस चीज को एस्टेब्लिश कर रही है और जो लोग इस पब्लिक सेक्टर में फेथ नहीं रखते हैं, उनको चान्स देती है कि वे पब्लिक सेक्टर को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एब्युज कर सकें, उनको इसके लिए ऑर्ग्युमेंटस, फेक्ट्स प्रोवाइड करती है। इस प्रकार इसकी स्थिति दुर्लक्षपूर्ण बना देती है।

माइन्स और इन्डस्ट्री के अन्दर पब्लिक इन्स्टीट्यूशन में पलाना कोलियरी है। इसमें चाहे ओपन कास्ट सिस्टम के द्वारा लिगनाइट निकालने की बात हो, चाहे डीडवाना में सोडियम सल्फेट फैक्ट्री की बात हो, चाहे गंगानगर शुगर फैक्ट्री की बात हो—सबकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस शुगर मिल की रनिंग केपेसिटी है १२० दिन, वह ५८ दिन चलने के बाद ठप्प हो गई। जिस शुगर मिल ने २७००० मन पर डे का प्रॉडक्शन बताया, वह गन्ना न मिलने की वजह से बिलकुल बेकार पड़ी है। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि गंगानगर जिले के अन्दर गन्ने की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति हो गई है। क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा पानी रोक लिया गया है उससे हमारे शुगर मिल में घाटे के आसार पैदा हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बराबर सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं जिस समय वहां स्थिति गम्भीर नहीं थी उस समय सरकार का ध्यान दिलाया था कि सारे भारतवर्ष के अन्दर जो कामयाब शुगर मिल्स हैं, जरा उनकी व्यवस्था को देखने का कष्ट करें, उन सारी की सारी शुगर मिल्स के साथ उनके अपने फॉर्म्स अटैच हैं जिसमें रिफाइन्ड सीड पैदा करते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वहां रेटून की जगह रेटून लगाते हैं और नई केन की जगह नई केन लगाते हैं। मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया शुगर पर्सेन्टेज के बारे में, शुगर इन्डेक्सेज के बारे में और कहा कि इसको स्टेब्लाइज करने का प्रयत्न करें। उसका कारण यह है कि जब रेटून लेना चाहिये तब नया केन ले लिया गया। लिहाजदारी, केअरलेसनेस की वजह से और एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग की वजह से ले लेते हैं तो उससे शुगर पर्सेन्टेज रिड्यूस होता है। इसके अलावा नया केन का सीड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके हैं और न परमानेन्टली इसके लिए लोगों को ट्रेन कर सके हैं। इसी प्रकार गंगानगर की स्थिति यह है कि रेड–रोड की वजह से रेटून हो चुकी है, स्टेम्प बोरर्स की वजह से हो चुकी है। अच्छे केन को बोने के लिये वहां पानी नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति के अन्दर शुगर मिल फेल हो जाती है।

पलाना के अन्दर ओपन कास्ट का प्रश्न पैदा होता है। हम बीकानेर के अन्दर कोलायत में लिगनाइट की बात करके खुश हो जाते हैं लेकिन नवेली के अन्दर बनने वाले कारखाने की ओर नहीं देखते। डीडवाना के सम्बन्ध में हमने कागजी कार्यवाही में काफी वक्त गंवा दिया और हम कन्सट्रक्शन का वर्क पूरा नहीं कर सके, इससे हमको फॉरिन एक्सचेंज का लॉस होता रहा है। उसके बाद हम इस स्थिति में आये कि हमने फैक्ट्री का वसीला कर लिया और प्लान एप्रेजल में कहते हैं कि बहुत जल्दी इसका फंक्शनिंग शुरु हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को भी सरकार गौरव लेती है कि उसने फ्लोराइट के सम्बन्ध में। सारी जीयोलोजिकल सर्वे को कम्पलीट कर दिया है और बहुत जल्दी बारह हजार टन का प्रॉडक्शन फैक्ट्री शुरु कर देगी। जिंक स्मेल्टर की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बात भी करते हैं, उससे गौरवान्वित होते हैं। एक सदस्य कॉस्टिक सोड़ा के सम्बन्ध में बात करके काफी गौरवान्वित हुए। उन्होंने जिन्क स्मेल्टर और कॉस्टिक सोडा के लिये सरकार को बधाई दी है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर जिन्क स्मेल्टर का प्रश्न पैदा नहीं होता। प्रश्न तो यह है कि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। लेकिन हम जब प्लान का नाम लेते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि आज पांच पांच हजार मजदूर आपके स्ट्राइक में जाते हैं। जहां पर उनके प्रॉविडेन्ट फन्ड का पता नहीं। हम एक ही कॉर्पोरेशन को पांच पांच करोड रुपये देते हैं जबकि हमारे नेशनल कॉर्पोरेशन में हमारे शेअर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं और हम उनसे काम करवा सकते हैं चाहे वह राजस्थान केनाल हो या राणा प्रतापसागर हो, हम उनसे काम करा सकते हैं। लेकिन जिस नेशनल कॉर्पोरेशन में हमारे इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर हैं, शेअरर्स हैं और बकायदा हमारे सदस्य हैं, हम उसके जरिये कार्य को नहीं करवा कर दूसरों से करवाते हैं जहां पर हड़तालें होती हैं। समझ में नहीं आता कि नेशनल कॉर्पोरेशन से काम नहीं करवा कर किसी दूसरे को क्यों दिया गया ?

जब हम कॉस्टिक सोड़ा की बात करते हैं, तो बड़े गौरवान्वित होते हैं। इसके लिये हमने भरतराम चरतराम को ११ करोड़ में बड़ी फैक्ट्री के लिये प्रोत्साहन दिया है। यह राजस्थान के लिये बड़ी इन्डस्ट्री होगी। लेकिन इसके साथ रेयान कार्ड फैक्ट्री, जिसके लिये हमारे यहां अमेरिकन स्पेशलिस्ट आये हैं, के लिये क्यों न हमारी सरकार विचार करे। यह बात ठीक है कि कॉस्टिक सोड़ा इस फैक्ट्री में यूटिलाइज हो सकता है। मगर यह बात भी ठीक है कि हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट को वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिये कहते रहें और भावों की दरिया में बहते रहें। इसके लिये कोई एक्सट्रा प्लान नहीं दिया और हमने उसको प्रोवाइड कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के संबन्ध में सरकार की जो नीति है उसकी एक दिशा की ओर तो मैं संकेत कर चुका, लेकिन मैं यह कहूंगा कि आज सरकार के प्रशासन के शिथिलता के कारण, हर दिशा में हर प्रकार का चार्ज लगाने का मौका लोगों को मिलता है। दूसरी ओर सरकार की शिथिलता भी कम नहीं है। मुकर्जी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसी ने हनुमानगढ़ में फर्टीलाइगिज फैक्ट्री के लिये कहा। किसी ने नेप्था की बात लेकर कहा। किसी ने कहा फर्टीलाइजिंग फैक्ट्री को जयसमन्द में लगाने की बात सोच सकते हैं और कुछ कन्सोलेशन देने के लिये इसको बीकानेर में लगाने की बात हो सकती है। चाहे लिग्नाइट की बात हो, चाहे फर्टीलाइजिंग फैक्ट्री की हो, लेकिन एक बात यह है कि फर्टीलाइजिंग फैक्ट्री बिना पानी के नहीं लगा सकते। अगर इसको जयसमन्द में लगाते हैं तो जो नहर उधर से निकलती है और भीलों की जमीन को सिंचित करती है, उन भीलों के खेतों को उस नहर से फायदा होता है वह फर्टीलाइजिंग फैक्ट्री जयसमन्द पर लग जाने से नहीं मिलेगा, उनके खेत बेकार हो जावेंगे और खेती बर्बाद हो जावेगी। इससे अन्न नहीं पैदा होगा। इसलिए मैं यह कहूंगा कि जो इस प्रकार की लचर दलीलें देते हैं, उनको हम रोकें।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हनुमानगढ़ के अन्दर ८० हजार एकड़ भूमि है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ४६ हजार एकड़ भूमि को सिंचित करने का अनुमान था-जिसमें से आप केवल १४ हजार एकड़ ही सिंचित कर पाये हैं। यह हाल सिचाई का है। इसके बाद सूरतगढ़ फार्म है। इतना बड़ा कॉम्पेक्ट एरिया सारे एशिया में नहीं हो सकता मगर हम देखते हैं कि इसके अन्दर रात दिन नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। इसमें लाखों रुपये रेवेन्यू के बकाया हैं। इसके साथ साथ ही जेतसर का मेकेनाइज्ड फार्म है। वह भी इस डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े एरिया में फार्म है। केवल एक नेप्था कीलील को लेकर, इसमें कम खर्चे की बात लेकर कहें कि हम फर्टीलाइ-जिग फैक्टरी को जयसमन्द ले जावेंगे और यह कहें कि वहां पर लगाना जरूरी है जहां पर पानी हो। मैं यह कहूंगा कि लच्चर दलील है, फर्टीलाइजिग फेक्ट्री वहां यूजफुल हो सकती है जहां पर ऑक्सीजन सेन्टर हो। आज आप जिस समाजवाद की बातें करते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें विश्वास करने वाले लोगों के लिये, प्राइवेट सेक्टर में विश्वास करने वाले लोगों के लिये यह समाजवाद एक कलंक है, उनके चहरों पर एक काला धब्बा हो सकता है। हमें लज्जा आनी चाहिये कि हम फैक्ट्री को हनुमानगढ़ से जयसमन्द ले जाने की बात करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जहां कोटा वितरण करने की बात होती है उसमें भी बहुत पक्षपात की बातें हुई हैं और उसमें भी बड़े घोटाले हुए हैं। कोटा के वितरण में घोटालों की बात कहूं उसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि झुंझुनू के सेठ मुरलीधर को ७० लाख का आइरन एन्ड स्टील का कोटा दिया गया था। उसमें से ५० लाख का कोटा आउट साइड राजस्थान चला गया। सिर्फ २० लाख का कोटा राजस्थान में रहा। इससे पहले मैं उदयपुर की शारदा एण्ड कम्पनी, खेतान भवन, मिर्जा स्माइल रोड की बात कहूं। उसको ८ लाख का कोटा दिया गया था, वह सारा का सारा ब्लेक में गया। इससे पहले मैं राजस्थान आइरन एन्ड स्टील, पुरानी बस्ती, जयपुर की बात कहूं, उसको भी ८ लाख का कोटा मिला मगर वह भी सारा का सारा ब्लेक में गया। इससे पहले मैं अलवर की एक फर्म का जिक्र करूं, उसको भी २लाख ५०हजार का कपूर का कोटा मिला मगर वह भी सारा का सारा ब्लेक में चला गया। इसके पहले मैं कहूं कि भरतपुर की एक रसायन शाला को ५ लाख स्वर्ण भस्म की गोलियों के लिये मिला उसमें जबर्दस्त गड़बड़ घोटाला हुआ तो मैं यह कहूंगा कि कोटा के संबन्ध में सरकार की नीति है वह इस भावना में स्पष्ट हुई है कि इस प्रकार से कोटा दिया गया है और इस प्रकार से उनका प्रयोग राजस्थान के लिये हुआ है।

इसके अलावा राजस्थान सरकार की नीति चेम्बर ऑफ कामर्स को एक रुपये टोकन किराये पर जमीन देने में स्पष्ट हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीति किस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। मैं यह कहूंगा कि वहां पर वे मनी-लैण्डर्स थे जिनकी क्रेडिट पावर है, जो बेंकों को कन्ट्रोल करते हैं, जो पब्लिक सेक्टर के दुश्मन हैं, जो कीमतों से खेलते हैं, जो समाज को भूखा मारते हैं और वहां हमारे इन्डस्ट्रीज के मिनिस्टर भी मौजूद थे, उस समय करोडपतियों ने कहा कि कुछ मिलों को कोटा प्रोपर्ली डिस्ट्रिब्यूट नहीं होता है। उस समय आपने कहा कि आप अपनी कोऑपरेटिव बना लीजिये और कोटा के डिस्ट्रिब्यूशन से हमारे इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर का संबंध है, वह मंत्री

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को इसमें सुधार करने के दृष्टि कोण से दें। क्या यही आपके समाजवाद का रूप है? इससे साफ होता है कि कोटा का डिस्ट्रिब्यूशन भी आप लोग अपने हाथ में ले लें। लाखों रूपये लोग खा जाते हैं, माल ब्लेक में बिक जाता है और आपको पता तक नहीं चलता। मैं यह कहूंगा कि अभी एक करोड़ ७५ लाख के लोन के कागजात जल गये। आपको अब पता नहीं लग सकता कि कौन उनके जामिन थे और कौन उनके देने वाले थे। यह सारी बातें आपकी शिथिलता और लापरवाही से होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, इसलिए केवल एक बात मैं माइनिंग विभाग की नीति के बारे में निवेदन करूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संबन्ध में राजस्थान में एक इन्क्वायरी कमेटी बनाई जावे तो आपको पता चलेगा कि किन किन लोगों ने कितने कितने क्षेत्र में अनधिकृत कब्जा कर रखा है—चाहे वे सतीसिंह हों, चाहे बैराठी हों, चाहे उनके भाई दलजीतसिंह हों या और कोई माइनर्स हों। मैं यह कहूंगा वही सतीसिंह है जिसने २० स्क्वायर मील के एरिया के बजाय ६० स्क्वायर मील में अपना कब्जा कर रखा है, जो मिनरल रूल्स के खिलाफ है। इससे लाखों रुपयों का सरकार को घाटा हो रहा है। एक्स्ट्रा रॉयल्टी, सेल टैक्स, इन्कम टैक्स आदि में लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। शाह शाह जैन फलौदी में २० स्क्वायर मील के एरिया में और लाखेरी में अनऑथोराइज्ड एक्सकेवेशन करते हैं। उनको सरकार ने जितना एरिया एलॉट किया उसमें जब स्टोर खत्म हो गया, तो उन्होंने आगे कब्जा कर लिया। इस प्रकार सरकार की रॉयल्टी की चोरी करते हैं, इन्कम-टैक्स की चोरी करते हैं। मैं चैलेन्ज करता हूं, इस पाइन्ट पर आप एक इन्क्वायरी कमेटी अपोइन्ट करके देखें कि कितने एरिया के एक्सकेवेशन का आपने लाइन्सेस दिया है और एक्च्युअली कितना एक्स्केवेशन उन्होंने किया है और कर रहे हैं। जिस एरिया का लाइसेन्स उनको दिया गया है वहां का सारा का सारा पत्थर खत्म हो चुका है और उन्होंने सवाई माधोपुर से लाखेरी के बीच में अनऑथोराइज्ड एक्स्केवेशन किया है।

बहुत सी बातें हैं, पर मेरे पास समय नहीं है। जब मैं गवर्नर के भाषण पर बोल रहा था तो मैंने निवेदन किया था कि डायरेक्टर, माइन्स के यहां छापा पड़ा—७ लाख रुपये का माल उनके यहां से बरामद हुआ........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया - (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करूं कि यह सूचनाएं अभी, जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, देना उचित नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सुनिये! आपको पता नहीं है, मैंने अध्यक्ष महोदय से आज्ञा ले रखी है। जो लैटर मैं सदन की मेज पर रखने जा रहा हूं, उसके लिये वर्बल परमिशन मैंने अध्यक्ष महोदय से लेली है। इसलिये उनकी परमिशन से रख रहा हूं।

अब तो वह भंडा फूट चुका है, ७ लाख का माल मिला है। एक लैटर मेरे दल के नेता ने पहले रखा था, एक पत्र और मैं रख रहा हूं जिससे मालूम होगा कि किस तरह अनऑथोराइज्ड एक्स्केवेशन्स के जरिये, रॉयल्टी की चोरियां की जाती हैं, डेड रेन्ट की चोरियां की जाती हैं और किस तरह इल्लीगल एक्स्केवेशन्स करके राजस्थान सरकार को करोड़ों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा) :
रुपयों का नुकसान पहुंचा चुके हैं । यह लैटर जो मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं, इसके शब्दों को सुनें, मैं इसे पढ़ कर सुना देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : समय को देखते हुए पढ़ें नहीं, सदन की मेज पर रख दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं साहब, पढ़ूंगा । केवल चार लाइनें हैं :

"Dear Shri Shrawan Kumar Ji,

With due respects, I have the honour to enclose the draft for Shri Kasliwal.."

जो उनके साले हैं :

"Kindly arrange its delivery to him and request him to ask the D.M.G. to stop harassing me. I am still sick and am unable to take a long journey and as soon as I am little stronger, I shall come to Jaipur.

With regards and best wishes,

Yours faithfull
H. P. R. Chowdhary
Jai Minerals,
Mine Owners and Suppliers of Quartz, etc,"

And this has been received. Draft No. 454974"

कासलीवालजी इनके साले हैं । मैं यह पत्र सदन की मेज पर रखता हूं ।

अन्त में यही कहते हुए कि यदि सरकार समाजवाद लाना चाहती है, तो इस प्रकार के पोंगे और पोचे समाजवाद को छोड़ और वह सही समाजवाद, जो क्रेडिट पावर अपने हाथ में लेता है, सरकार लावे, जिसके लिये आपके दल में लोगों ने बार बार आपको आगाह किया है ।

(अनेक सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष :

पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को, कि आसन से मौलिक व्यवस्था दी जा चुकी है कि १२.४५ के बाद सरकारी पक्ष की ओर से जबाब होगा । उसको ध्यान में रखते हुए मैं अधिक से अधिक १ बजे तक समय दे सकता हूं। उसके बाद निश्चित रूप से सरकारी पक्ष का उत्तर प्रारम्भ हो जायगा । उसको देखते हुए ही माननीय सदस्य बोलें ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) :अभी तो पूरी तरह से बोले ही नहीं हैं साहब ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : हमारी पार्टी से कोई नहीं बोला ।

श्री उपाध्यक्ष : पार्टियों में से बोले हैं। कुछ समय बाकी है, कांग्रेस का है, दूसरी पार्टियों का है ।

श्री हीराभाई: हमारी पार्टी से कोई नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पार्टी से सुराणा बोलेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सदन के समक्ष रख दिये हैं और उससे पहले बहुत से माननीय सदस्य राजस्थान सरकार के इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट और माइन्स के बारे में बातें कह चुके हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जितने भी राजस्थान के राज्यपालों के भाषण पढ़े और जितनी भी बजट स्पीचें पिछले वर्षों की

(श्री मानिकचन्द सुराणा):

पढ़ी, उनमें सबमें मुझे इन्हीं इन्डस्ट्रीज के नाम बराबर रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हीं प्रोजेक्ट्स के नाम लेकर पांच सात साल से कहा जा रहा है, पर सरकार इनमें से एक को भी कम्प्लीटली पूरा नहीं कर पाई है। जिंक स्मेल्टर का १६५६ से, १६५८ से जिक्र किया जा रहा है। कापर स्मेल्टर का जिक्र किया जा रहा है, पलाना लिग्नाइट का जिक्र किया जा रहा है, हनुमानगढ़ फर्टीलाइजर फैक्ट्री की बात आप पिछले इतने वर्षों से कर रहे हैं, पर आज तक हनुमानगढ़ फर्टीलाइजर फैक्ट्री का कहीं पता नहीं, जिंक स्मेल्टर जिस धीमी गति से प्रगति कर रहा है, वह नगण्य होने के कारण चिन्तनीय है। तो ये शो पीसेज हैं, जिनका राज्यपाल अपने भाषण में नाम लिया करते हैं और उन्हीं का बजट्स में रिपीटिशन होता है।

१६५६ में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन का टेम्पो ग्रो कर रहा है और यही पांच-सात नाम गिना दिये थे इनकी पुस्तिका मुझे पढ़ने को मिली और उसके अन्दर इसका जिक्र किया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में इन्डस्ट्रीज के विकास की गति धीमी क्यों है? इस पर हमारी सरकार को फंडामेन्टली बेसिक चिन्तन करना चाहिये। इस धीमी गति का कारण यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं में इन्डस्ट्रीज के लिये जो प्रावधान रखे हैं वह इतने नगण्य हैं कि इनको देखते हुए राजस्थान में न इन्डस्ट्रीज की कोई प्रगति हो सकती है और न खानों में कोई प्रगति हो सकती है। हिन्दुस्तान की सरकार ने जब सारे बजट प्रावधानों को देखते हुए जहां समूचे प्लान प्रोविजन का २६ पर्सेंट ऑर्गेनाइज्ड इन्डस्ट्रीज और माइनिंग के लिये रखा है, वहां हमारी राजस्थान सरकार ने प्लान प्रोविजन का माइन्स और हैवी इन्डस्ट्रीज के लिये ३ पर्सेन्ट प्राविजन रखा है। जहां हिन्दुस्तान की सरकार का २६ पर्सेंट है वहां राजस्थान की सरकार ने टोटल प्लान का ३ पर्सेंट रखा है। सारी प्लान्स के प्रोविजन को देखते हुए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार इन्डस्ट्रीज को जितना महत्व देती है, राजस्थान की सरकार उसके मुकाबले में १।१० भी महत्व नहीं दे रही है। यही कारण है कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रीज की प्रोग्रेस का टेम्पो कायम नहीं है। हो सकता है कि मुख्य मंत्री को यह बात बुरी लगे क्योंकि बहुत अर्से से इन्डस्ट्रीज विभाग उनके पास रहा है। लेकिन मैं क्षमा मांगते हुए अर्ज करना चाहता हूं कि आज से पहले जो मिनिस्टर थे वे इतने वृद्ध थे कि वे इन्डस्ट्रीज में नई जान डालने में असमर्थ थे। अब खुशी की बात है कि यह पोर्टफोलियो बदला गया है, पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि नये मंत्रीजी के आने के बाद भी इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में नीति का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। १६४८ में केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक क्रान्ति की घोषणा की, पर मैं देखता हूं कि राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति क्या हो–इस पर राजस्थान सरकार चिन्तन नहीं करना चाहती। सिर्फ भारत सरकार की इन्डस्ट्रियल पॉलिसी का अन्धानुकरण करना चाहती रही है और नतीजा यह है कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रीज का विकास नहीं हो रहा है। राजस्थान की विशेष परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार नई औद्योगिक नीति को अख्तियार नहीं करती है, तब तक राजस्थान सरकार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती कि राजस्थान में इन्डस्ट्रीज का विकास किस तरह से करना चाहिये। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की टोटल वूल का ४५ पर्सेंट वूल राजस्थान में पैदा होता है, पर

(श्री मानिकचन्द सुराणा) :
राजस्थान में वूलन मिल्स नहीं हैं। लाइसेन्स मांगते हैं तो उनको लाइसेन्स नहीं मिलता। राजस्थान की वूल का सूत निकालने के लिए सौ, दो सौ, चार सौ स्पिन्डल्स कोई लेना चाहे तो हिन्दुस्तान का टैक्सटाइल कमिश्नर इजाजत नहीं देता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब में सारे हिन्दुस्तान की वूल का दो प्रतिशत भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन पंजाब सरकार पिछले एक वर्ष में तीन वूल मिल्स के लाइसेन्स पानीपत में लगाने के लिए टेक्सटाइल कमिश्नर से लड़ झगड़कर हासिल कर चुकी है। हमारे यहां कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में वूल मिल का लाइसेन्स है और इसके लिये सोच विचार कर कि बीकानेर में स्थापित करें या सीकर में स्थापित करें, फिर कुछ करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि स्टेट इन्कम बढ़े तो राजस्थान में जो वूल पैदा होती है, उसका मेन्यूफेक्चरिंग यहां कम्पलीट हो सके तो रॉ-वूल राजस्थान से बाहर न जाय बल्कि यहीं उसका सूत निकाला जाय, कपड़ा मेन्यूफेक्चर किया जायं, कालीनें बनाई जायं, रग्स बनाई जांय, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

(१२-४५ म० पू०)

श्री मति लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (सभानेत्री पदासीन):

यहां पर स्पिंडल्स का लाइसेंन्स नहीं है। मुख्यमंत्री और उद्योग-मंत्री कहते हैं कि लाइसेन्स नहीं देते हैं। फिर प्रतापसिंह कैरों की सरकार वहां पर जो उद्योग चलाती है उसको लाइसेंस क्यों मिल जाता है और आपको लाइसेंस प्राप्त क्यों नहीं होता? यदि हम कहें कि आपकी सरकार की नीतियां कमजोर हैं, आपकी सरकार हिन्दुस्तान सरकार के सक्षम नहीं है, तो हो सकता है कि आपको यह बात बुरी लगेगी। लेकिन आप देखिए पंजाब को कितने लाइसेंस दिये गए। पंजाब ने पिछले तीन वर्ष में ३०० लाइसेंसेज हैवी इन्डस्ट्रीज के हासिल कर लिए भारत सरकार से और आपने कितने किए? और उनमें से कितने लाइसेन्सेज का प्रोपर उपयोग हो रहा है। राजस्थान में हमारे यहां रतनगढ़ के एक सेठ को आपने हनुमानगढ़ में फर्टीलाइजर्स का लाइसेंस दिया। मुख्य मंत्री ने पिछले वर्ष कहा कि प्रगति हो रही है, कार्यवाही चल रही है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह फर्टीलाइजर्स फैक्ट्री नहीं लग रही है। आप उसको जयसमंद या कोटा ले जाना चाहते हैं, कहीं भी ले जाइए लेकिन राजस्थान में कोई फर्टीलाइजर्स फैक्ट्री स्थापित तो कीजिए। प्राइवेट सेक्टर में यदि नहीं लगाते हैं और पब्लिक सेक्टर में लगाना चाहते हैं, तो हनुमानगढ़ को छोड़ कर जयसमंद और कोटा को प्रिफरेंस देने की वजह क्या है? क्या वहां पर पानी है, बिजली है? कोई वजह नहीं है। यदि इस तरीके से जो लाइसेंस प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है उसको पब्लिक सेक्टर में बदलने के साथ साथ स्थान का परिवर्तन भी होता है, तो यह इम्प्रेशन राजस्थान की जनता में होता है कि मुख्य मंत्री हनुमानगढ़ में यह फैक्ट्री नहीं कायम करना चाहते हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा है। यहां उप मंत्री बीकानेर के हैं, चूरु के हैं, निश्चित रूप से इनकी कोई ज्यादा से (say) नहीं हो सकती। फिर भी यदि वे बीकानेर के इन्ट्रेस्ट्स को प्रॉटेक्ट नहीं कर सकते हैं,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
और जो रीजनेबल चीज है उसमें बीकानेर के राइट्स को प्रॉटेक्ट नहीं कर सकते, तो उन्हें हक नहीं है इस डिप्टी मिनिस्टर के पद पर बने रहने का।

श्री प्रतापसिंह (राजखेड़ा): आप रीजनलिज्म और पेरोकियलिज्म को प्रोत्साहन दे रहे हैं। Why not Dholpur ?

श्री मानिकचन्द सुराणा: ause ner has got licence.

श्री प्रतापसिंह : Licence can be had for Dholpur also. You have so many things in Bikaner.

श्री मानिकचन्द सुराणा : All right.

अच्छा हमारे बीकानेर में बहुत हैं। अगर यह धौलपुर में लग जाय तो मुझे संतोष है लेकिन फर्टीलाइजर्स फैक्ट्री तो कायम हो।

राजस्थान के अन्दर पलाना लिग्नाइट का प्रश्न है। माननीय सभानेत्री जी इस पर बहुत बहस हुई। मुझे दुःख है कि इन तीनों प्लान्स के अंदर पलाना का पैसा डालते और रहे हैं। तीसरी प्लान में आपने पौने तीन लाख इसके लिए रखे हैं लेकिन जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए थी, वह तैयार नहीं हुई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जो मंत्री थे उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या किया? तीन साल तक सदन में बहस करते रहे। प्लानिंग कमीशन के पास जाते हैं लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं है कि कैसे १०० मेगावाट बिजली पैदा करना चाहते हैं? इसलिए एक मिनट के अंदर पेशी समाप्त हो जाती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कौनसी मशीनरी होगी। सिर्फ बड़ी बड़ी स्कीम्स के नाम देने से, राज्यपाल महोदय के भाषण में उनको दोहराने से और वर्षों तक प्रचार करने से राजस्थान में कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगी है। यदि कुछ कॉन्क्रीटली राजस्थान में इंडस्ट्रीज का टेम्पो क्रीएट करना चाहते हैं, तो, राजस्थान सरकार अपनी बेसिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में चिंतन करे। आज हजारों उद्योगपति चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज हो लेकिन वे डाइरेक्टोरेट में जाते हैं तो कहा जाता है–स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सर्विस इन्सटीटयूट में जाओ। उस इन्सटीटयूट में जाते हैं तो कहते हैं कि डाइरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के पास जाओ और इस तरह से उद्योगपति धक्के खाते फिरते हैं। बहुत से उद्योगपति आए, जिन्होंने इंडस्ट्रीज सेटल करने की कोशिश की लेकिन कुछ को जमीन नहीं मिल सकी, कुछ को लाइसेंस नहीं मिल सका, कुछ को पावर नहीं दिलवाई। इस कारण से उद्योगपति ६-६ महीने, १२–१२ महीने यहां पर रह कर इन्वेस्टमेंट की योजना तैयार कर चुकने के बावजूद राजस्थान छोड़ कर चले गए। इसलिये एक नई नीति का निर्माण करना चाहिये। हमने यह कोशिश की थी कि तीसरी योजना में कम से कम एक लाख आदमियों को इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट देंगे। आपका मिड टर्म एप्रेजल योजना का जो है, उस से स्पष्ट है कि हम इंडस्ट्रीज के सेक्टर में पांच वर्षों में सिर्फ ५० हजार आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे और एक लाख का जो टार्जेट था, वह पूरा नहीं हो सकेगा। मैं आपका इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

में प्रत्येक वर्ष में ४ लाख आदमियों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। दो पर्सेन्ट के हिसाब से पांच वर्ष में २० लाख आदमियों की वृद्धी होती है और २० लाख बढी हुई जनसंख्या में से एम्प्लॉयमेंट हम सिर्फ ५० हजार लोगों को देते हैं इस इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में। आपने कभी विचार किया है कि बाकी के साढ़े उन्नीस लाख आदमी क्या करेंगे? उनका प्रेशर लैंड पर पड़ेगा, दूसरे जो खेती के काम हैं, उन पर पड़ेगा। आपने कोई एवेन्यूज़ की खोज नहीं की है। नतीजा यह होगा कि राजस्थान के लैंड पर प्रेशर पड़ेगा, राजस्थान के एग्रीकल्चर पर प्रेशर पड़ेगा। और जो एग्रीकल्चर का प्रेशर कम करके हम यह चाहते हैं कि एग्रो इंन्डस्ट्रियल सोसाइटी का निर्माण करें, उसको ज्यादा एम्फेसिस दें और एग्रीकल्चर के भार को, जो अभी ज्यादा है, कम करके जन संख्या को इंडस्ट्रीज़ में लगाएं, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए इंडस्ट्रीज़ में जो कम एम्प्लायमेंट मिलता है, उसका मूल कारण यह है कि इन्वेस्टमेंट कम है। राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन और पंजाब फाइनेंस कार्पोरेशन को देखिए। पंजाब में दस करोड़ के फाइनेन्स कॉर्पोरेशन इस साल नए बना रहे हैं और राजस्थान में कितने फाइनेंस कार्पोरेशन स्थापित किए हैं? आप प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं लेकिन जितने लोगों को लोन देने की व्यवस्था की थी तीसरे प्लान में उसमें से केवल आप ५० प्रतिशत लोगों को लोन दे पाए। इस संबंध में आपके डाइरेक्टर, आफ इंडस्ट्रियल सर्वे के (समय समाप्ति सूचक घंटी) जो आंकड़े हैं, उसके अन्दर है कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पौने सात लाख के लोन्स दिए गए, और उसमें से १,६५,८५० रुपये अनयूटीलाइज्ड रहे। २३० यूनिट्स को लोन्स दिए गए थे। उसमें से १५६ यूनिट्स ने उसका उपयोग किया। करीब २३ पर्सेन्ट ने नहीं किया। उद्योग मंत्री क्या करना चाहते हैं? २३ पर्सेन्ट द्वारा उपयोग नहीं हो रहा है, २३ यूनिट्स नहीं ले रहे हैं। आपके खुद के डाइरेक्टर ऑफ इकानोमिक्स और इंडस्ट्रियल सर्वे के रिपोर्ट्स है। इस तरह की रिपोर्ट्स प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई हैं। ये लाखों रुपए जो अनयूटीलाइज्ड पड़े रहे, ये तो वापिस वसूल किए जायं। न वे लोग इंडस्ट्रीज लगाते हैं और न लोन वापिस करते हैं। इस तरीके से जो लोन की व्यवस्था है उससे कोई प्रोत्साहन-इन्डस्ट्रीज़ को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही आप छोटे उद्योगों को लोन नहीं देते हैं, बड़े उद्योगों को लोन देते हैं, इसका प्रमाण यह देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में ६।। लाख का प्रोवीज़न किया था, उसको लोन कमेटी ने बांट दिया था। उसके बाद में चार लाख रुपये कमानीज़ को सप्लीमेन्टरी डिमान्ड के जरिये दिया गया। ३० हजार रुपये के लोन की बीकानेर की वूलन मिल ने लोन कमेटी से मांग की थी, उस पर लोन कमेटी ने यह लिख दिया, फाइनेन्स कॉर्पोरेशन से ऊंची दर पर आपको लोन मिल सकता है। बीकानेर वूलन मिल के लिये तीस हजार लोन की जब मांग करते हैं, तब कहा जाता है कि ऊंची दर पर आप ले सकते हैं, दूसरी तरफ कमानीज़ को कम रेट पर राज्य सरकार देती है। इससे यह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

स्पष्ट रूप से नतीजा सामने आता है कि आप बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और छोटे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को निगलेक्ट करते हैं। यह आपकी नीति उचित नहीं, इस नीति को बदलना चाहिये।

आप यदि बढ़ती हुई बेकारी को कम करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है और विश्वास है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ और कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ पर आपको ज्यादा एम्फेसिस देना होगा और हेवी इन्डस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर में कायम करना पड़ेगा।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे जानकारी मिली है कि राज्य सरकार जिंक स्मेलटर के लिये तीन करोड़ रुपये की गारन्टी देना चाहती है, लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन से लेकर जिंक स्मेल्टर प्राइवेट सेक्टर में लगाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अगर यह निर्णय लिया है तो गलत है, क्योंकि जब आप तीन करोड़ की गारन्टी देते हैं तो इससे ज्यादा अच्छा यह है कि आप आठ-दस करोड़ रुपया लेकर पब्लिक सेक्टर में खुद इसे लगा सकते हैं। तीन करोड़ की गारन्टी देकर भी राज्य सरकार अपना इन्वेस्टमेंन्ट भी करेगी और आखिर वह प्राइवेट सेक्टर में लगायेंगे। जहां आप बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ में करोड़ों रुपयों की गारन्टी देकर प्राइवेट सेक्टरों को प्रोत्साहन देते हैं जब कि उसमें सारा कन्ट्रोल और मेनेजमेंट पूंजीपतियों का रहता है, सारा मुनाफा वे कमाते हैं और जो रिज़नेबल रिटर्न सरकार को मिलना चाहिये वह नहीं मिल सकता। मुख्य मंत्री इस पर कह सकते हैं कि वह तो केवल पेपर गारन्टी है इससे हमारे स्टेट चेकर पर बर्डन नहीं पड़ने वाला है। आप जब किसी भी चीज के लिये गारन्टी देते हैं और किन्ही परिस्थितियों वश उसमें लोस हो जाता है, तो राज्य सरकार को तीन करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ऐसी हालत में जहां आप तीन करोड़ की गारन्टी देते हैं वहां आप खुद ही दस करोड़ रुपया लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन से लेकर खुद ही क्यों नहीं लगा लेते हैं, यह मैं खास तौर से आपको क्वेश्चन पुट-अप करता हूं। यह सैद्धान्तिक प्रश्न है राज्य में बढ़ती हुई बेकारी को इस तरह से आप पब्लिक सेक्टर में खपा सकते हैं तो बेकारी की समस्या दूर हो सकती है और हेवी इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन भी मिल सकता है।

श्री अमरसिंह (पचपदरा): सभा नेत्री महोदया, यह निर्विवाद सत्य है कि देश का औद्योगीकरण के सिवाय और किसी से उद्धार नहीं हो सकता। वहां के जन जीवन का स्तर और माली हालत बिना औद्योगीकरण किये ऊपर उठना संभव नहीं है। जहां हम औद्योगीकरण करना चाहते हैं वहां हमारा एक प्लानिंग भी होना चाहिये। अगर सरकार देश का औद्योगीकरण करना चाहती है तो मैं यह समझता हूं कि यह अनिवार्य है कम से कम साल छः मास, ज्यादा से ज्यादा दो साल के अन्दर अन्दर एक सर्वे करके, डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे करें कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से औद्योगीकरण हो सकता है, कितनी पोटेन्शियलिटी है और उन तमाम चीजों का सर्वे करके देखें कि कौन-सी इन्डस्ट्री किस जिले में पनप सकती है, कितना रॉमेटेरियल उसके लिये उपलब्ध हो सकता है, उसके लिये कितनी

(श्री अमरसिंह जासोल)

मशीनरी चाहिये और क्या टेक्निकल एडवाइज़ चाहिये, ये सब बातें सर्वे रिपोर्ट के अन्दर हों। जो इन्डस्ट्रीज़ जिस जिस क्षेत्र में पनप सकें उसके लिये रेडीमेड प्लान होना चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश को स्वतन्त्र हुए १५ वर्ष हो गये और औद्योगीकरण के लिये हमेशा सरकार यह कहती रही है कि हम औद्योगीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इसके लिये हमारी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ नहीं है। किस किस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर क्या क्या पोटेन्शियलिटी होनी चाहिये यदि यह पता हो तो वहां इन्डस्ट्रीज़ के लिये कोई कदम उठाया जा सकता है। इस चीज के अन्दर पहले कोशिश करनी चाहिये।

मैं मेरे क्षेत्र की निवेदन करूं मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, उस क्षेत्र की ओर कोई कानी आंख उठाकर भी नहीं देखता। जो पिछड़ा हुआ इलाका है वह हमेशा के लिये पिछड़ा हुआ रहने दिया जाता है। यह हमारी सरकार की एक प्रकार से नीति ही बन गई है। हमारा बाड़मेर का इलाका दुधारू गायों के लिये प्रसिद्ध है। वहां की गायों की नस्ल हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा दूध देने में प्रसिद्ध है। वहां पर मिल्क इन्डस्ट्री की बहुत बड़ी संभावना है। वहां मिल्क इन्डस्ट्री प्रोसपर हो सकती है, इस मिल्क इन्डस्ट्री को प्रोसपर करने के लिये सरकार चाहे तो उचित कदम उठा सकती है, क्योंकि आज वहां बढ़िया नस्ल की गायें हैं। थोड़े अर्से पहले वहां एक कमीशन आया था। उस कमीशन के सामने मुझे भी बुलाया गया था। मैंने उस समय कमीशन के सामने भी यह कहा, कि मुझे कमीशन में विश्वास नहीं है और न सरकार में विश्वास है, क्यों कि हमारे कहने पर भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा हम सिरियस हैं इस संबन्ध में जरूर एक्शन लेंगे। उसके सामने मैंने सुझाव दिया है कि हमारे यहां बहुत जमीन पड़ी हुई है। कृपा कर आप यहां पानी की सुविधा करवा दीजिये। यह जो पानी की असुविधा है अगर वह दूर हो जाती है। ट्यूब वेल बनाकर तो यहां पास्चर लैन्ड तैयार हो सकती है। जो रजिटर्ड नस्ल की गायें हैं उनके ग्रेजिंग के लिये यहां सुविधा मिल सकती है। लेकिन सरकार ने आज तक इस बारे में कदम नहीं उठाया है। क्या कमीशन की रिपोर्ट रही उसका कोई संकेत नहीं मिला है। दुर्भाग्य की बात है कि यहां इतनी बढ़िया नस्ल की गायें हैं। लेकिन कुछ तो भगवान की कुदृष्टि और कुछ हमारे मुख्य मंत्री की कुदृष्टि के कारण हमारा वह इलाका आज गायों की हड्डियों से भरा पड़ा है। उसका ढेर लगा हुआ है। अगर आप वहां मिल्क इन्डस्ट्री नहीं बना सकें तो कम से कम बोन क्रशिंग फैक्ट्री, हाइड इन्डस्ट्री आप खोल दें। यहां से चमड़ा विदेशों को जाता है। और वापिस वहां से हिन्दुस्तान में जूते बनने के लिये आता है और फिर यहां से जूते तैयार होकर बाहर जाते हैं, यह जो खर्चा आने जाने में होता है वह राजस्थान में फैक्ट्री कायम होने से बच सकता है और इससे लोकल आदमियों को मजदूरी मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं इस ओर सरकार अवश्य ध्यान देगी।

इस क्षेत्र के अन्दर नमक के भन्डार हैं। भारतवर्ष में पचपदरा का नमक का भंडार मशहूर है। वहां साल्ट से बाई प्रॉडक्ट तैयार करने के लिये इन्डस्ट्रीज़ कायम की जा सकती हैं।

(श्री अमरसिंह जासौल)

तीसरा सुझाव मैंने पहले भी रखा था लेकिन सरकार ने उस ओर बहरे कानों से सुना और गौर से ध्यान भी नहीं दिया गया। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे इस पिछड़े हुए इलाके के अन्दर कौनसी इन्डस्ट्रीज़ पनप सकेंगी इस बारे में सर्वे करके योजनाबद्ध तरीके से शीघ्र से शीघ्र इन्डस्ट्रीज़ शुरू करावें। सरकार इस संबन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं और अपील भी करता हूं।

(१.०० म० प०)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कोई भी इन्डस्ट्री शुरू हो सके और पनप सके उसके पहले यह अत्यन्त आवश्यक है कि उस क्षेत्र का विद्युतीकरण हो। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस क्षेत्र का विद्युतीकरण करने की तरफ शीघ्रातिशीघ्र कदम उठायेगी। साथ ही जल के अभाव में चूंकि कोई भी इन्डस्ट्री पनप नहीं सकती है इसलिये इस क्षेत्र को, जो जल विहीन क्षेत्र है, मैं शीघ्रातिशीघ्र उचित मात्रा में मीठा जल, जो पीने के काम में भी आ सके और इन्डस्ट्री के काम में भी आ सके, उपलब्ध कराने की योजना बनायेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

सरकार से मेरा यह भी निवेदन है कि हाल में ही सेन्टर से जो इमदाद मिली है और जो फन्ड्स सेन्टर से सैन्क्शन हुए हैं जिससे जल विहीन क्षेत्र में उचित मात्रा में जल उपलब्धि के लिए कोशिश की जा सके, जिससे बाड़मेर और खास कर पचपदरा क्षेत्र, जहां पीने का पानी भी नहीं है, उचित रिकॉग्नीशन दिया जाय और ट्यूब वैल्स खुदाये जायं, ऐसी मेरी सरकार से प्रार्थना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अब्दुलजब्बार : (निम्बाहेड़ा) सभापति महोदय....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): सभापति महोदय, केवल दो मिनट का टाइम चाहता हूं।

श्री अब्दुलजब्बार : On a point of order, Sir.

(विराम)

श्री भीमसेन: मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

सभापति महोदय, हमारे बीकानेर में....

श्रीमती सभानेत्री : इन्होंने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है। आप जरा बैठ जाइये।

श्री अब्दुल जब्बार : जब कट मोशन्स दिये गये मेरी पार्टी के लिए टाइम अलॉट कर दिया गया और आसन की ओर से भी यह व्यवस्था थी कि एकॉमोडेट किया जायगा और जब तक पार्टीज़ का टाइम पूरा न हो जाय तब तक मंत्री महोदय रिप्लाई नहीं देंगे। यह आसन की ओर से व्यवस्था थी।

श्रीमती सभानेत्री : समय दिया है, २० मिनिट आपकी पार्टी बोल चुकी है।

श्री अब्दुल जब्बार : अभी हमारा समय बाकी है।

श्रीमती सभानेत्री : परसों पन्द्रह मिनिट ज्यादा दे दिये गये थे। अभी कम दे दिये तो

(श्रीमती सभानेत्री)
कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अकॉमोडेट करना चाहिये।

श्री भीमसेन: मैं बीकानेर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री: अब मंत्रीजी उत्तर देंगे, आप रहने दीजिये।

श्री अब्दुलजब्बार : सभापति महोदया, हमें अपनी समस्या को तो रखने दीजिये। हमारा अपना समय है।

श्रीमती सभानेत्री : समस्या रखी जा चुकी है। आप कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री भीमसेन : रिज़ोल्यूशन था वह पेश करना चाहता था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): वूलन स्पिन्डल्स बीकानेर में रखना चाहिये आप यही कहना चाहते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : हमारे यहां से तो एक वक्ता ही बोले हैं।

श्रीमती सभानेत्री : समय काफी दिया जा चुका है। बहतर होगा कि आप इस पर जोर न दें। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल जब्बार : सभापति महोदय.....

श्रीमती सभानेत्री : I request you, hon. Member कई लोगों को समय नहीं मिल सका है।

श्री अब्दुल जब्बार : हमारा राइट है। After all, the right of the hon. Member is also there.

श्रीमती सभानेत्री : The Chair is on its legs. Please resume your seat.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): सभापति महोदया, जहां तक मेरी डिमान्ड से सम्बन्धित है मुझे बहुत ज्यादा उस सम्बन्ध में निवेदन नहीं करना है। कुछ बातें यहां उठायी गयी हैं और कुछ कट मोशन मूव किये गये हैं, जिन पर समयाभाव के कारण पूरा प्रकाश नहीं डाला गया है, उनके सम्बन्ध में मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा।

सबसे पहले तो मैं जो दो–तीन बातें उठायी गयी हैं उनके बारे में निवेदन करूं। जैसा रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिन्क स्मेल्टर इसलिये काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं है। प्रतापसागर से जब बिजली उपलब्ध होगी तब हम कर सकते हैं। बिजली के अभाव से काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं मैं समझता हूं यह उनके पास सही जानकारी नहीं है कि इस वजह से काम शुरू नहीं हो रहा हैं और किसी गलतफहमी के कारण यह बात कही गयी है। इसके बारे में तय कर दिया गया है कि ज्यों ही स्मेल्टर तैयार हो जायगा काम शुरू कर दिया जायगा। जिन्क स्मेल्टर के विषय में एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो उनको लोन वगैरा के रूप में राजस्थान सरकार ने रुपया दिया है उसकी सिक्योरिटी के बारे में ध्यान नहीं रखा गया है। उसी प्रकार लोन फ्री के लिए भी कहा गया कि सिक्योरिटीज़ का ध्यान नहीं रखा गया। मैं आपके द्वारा, सभापति महोदया, सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कन्सर्न को गवर्नमेंट गारन्टी देती है या लोन देती है उसकी सिक्योरिटी के बारे में पूरे तौर पर इन्तजाम किये जाने के बाद ही यह कार्यवाही की जाती है। जहां तक जिन्क स्मेल्टर का सवाल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है, फर्स्ट चार्ज आई० एफ० सी० का है और सेकन्ड चार्ज राजस्थान गवर्नमेंट का उस पर होगा, इस बात को तय किया गया। सेकन्ड चार्ज हमने इसलिये मंजूर किया कि फर्स्ट चार्ज इन्डियन फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन का उस पर है। उसके बाद भी उसके असेट्स में इतनी पोसिबिलिटी है कि जिसकी वजह से राजस्थान के मनी को किसी प्रकार खतरा पंहुचने की बात उसमें नहीं आती है।

इसी सम्बन्ध में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा कि तीन करोड़ के लोन के बारे में राजस्थान सरकार को उनकी गारन्टी करानी चाहिये। उस सम्बन्ध में माननीय सभापति महोदया, स्थिति इस प्रकार है कि जितना जिन्क स्मेल्टर में खर्चा होना चाहिये और जितना उसके बारे में अन्दाजा लगाया गया था उसमें कुछ तो रेट्स बढ़ जाने की वजह से, कुछ अन्डर एस्टीमेट्स हो जाने की वजह से कुछ ज्यादा इनवेस्टमेंट की जरूरत हुई। इसके लिए जब राजस्थान गवर्नमेंट को एप्रोच किया तो हमने उनसे कहा कि तीन करोड़ की गारन्टी इस कन्सर्न को तब दे सकते हैं जब इस कन्सर्न का फाइनेन्शियल और जनरल मेनेजर हो। राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से वे ऑफिशियल्स मेनेज करेंगे। उस हालत में इस कॉर्पोरेशन को लोन दिया जा सकता है जिससे राजस्थान गवर्नमेंट का लोन उतर जाय और साथ साथ यह इन्डस्ट्री शुरू हो जाय। उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के पास ये प्रोपोजल उनकी एप्रूवल के लिए पुट-अप हुए तो उन्होंने श्री कुमार, चेयरमेन सी० पी० डब्ल्यू० डी० माइनिंग और जियोलोजी, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के रिप्रेजेन्टेटिव्ज और आई० एफ० सी० के रिप्रेजेन्टेटिव्ज के साथ एक कमेटी सेट-अप की जो वहां मौके पर जाकर इस बात का अध्ययन करे कि उसके डिपोजिट्स की क्या पोजीशन है और फ्यूचर डेवलपमेंट की क्या स्थिति हो सकती है। सभापति महोदया, इस स्मेल्टर और जिन्क इन्डस्ट्री के विषय में हम लोगों का यह मानना रहा है कि जो डिपोजिट्स वहां पर हैं पूरी तौर से उनके प्रूव होने के लिये और कार्यवाही करना आवश्यक होगा। लेकिन अब तक जो उसके कुछ आसार हैं, जो इन्डीकेशन्स हैं उनके मुताबिक न सिर्फ १८ हजार टन तक के डिपोजिट्स हैं बल्कि ५० हजार टन तक का स्मेल्टर पुट-अप किया जा सकता है, और इन्डस्ट्री काफी बढ़ सकती है। इसलिए भारत सरकार के जो कन्सर्न्ड मिनिस्टर हैं उनसे और प्लानिंग कमीशन के जो मेम्बर इन्चार्ज हैं उनसे मैंने बात की है, लिख कर भी भेजा है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस दृष्टि से इस सारी चीजों को देखे जिससे यह इन्डस्ट्री जल्दी शुरू हो सके। साथ साथ इसके एक्सपेंशन फुल्ली एक्सप्लोइट किये जा सकें, इसके मिनरल को भारत सरकार पब्लिक सेक्टर में ले ले तो उपयुक्त होगा। इसलिए इस इन्डस्ट्री को पचास हजार टन कैपेसिटी की बनाने की बात आयी। यह २०-२५ करोड़ की इन्डस्ट्री होगी और काफी इसमें इन्वेस्टमेंट का सवाल होगा। टेक्निकल नो-हाऊ का प्रश्न भी जुड़ेगा, इसलिए यह प्रश्न अभी उस लेवल पर विचाराधीन है। फाइनली इसके बारे में क्या निर्णय होता है यह देखना है। कुछ दिन पहले प्लानिंग कमीशन के मेम्बर-इन-चार्ज श्री टी० एन० सिंह माइन्स पर गये थे, ११

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
या १२ तारीख को, ठीक तरह से तो याद नहीं है और देख कर आये थे। उन्होंने मौके पर जाकर माइन्स को देखा और देखने के बाद, मैं समझता हूं, अन्तिम रूप से इसके बारे में फैसला होगा। वह क्या होगा, इस वक्त मेरे लिए कहना आसान नहीं है, क्योंकि यह हाइयेस्ट लेवल पर मेटर कन्सीडरेशन में है।

यहां सदन में फर्टीलाइज़र फैक्ट्री के बारे में एक भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया गया था। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक फर्टीलाइज़र फैक्ट्री को सेट-अप करने का सवाल है हनुमानगढ़ में सेट-अप हो उसके बारे में जो मिनिस्टर इन्चार्ज हैं गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के उनको कहा है कि उनको नेफ्था चीपर रेट पर दी जाय और जितनी सहूलियतें उनको दी जा सकें दी जायं।

इसके बारे में पर्सनल दिलचस्पी लेकर पूरे तौर से राजस्थान सरकार की तरफ से प्रयत्न किया गया है कि वह फैक्ट्री वहीं पर लगे। जो प्राइवेट सेक्टर वाले थे उनके सामने जब प्रस्ताव रखा गया तो वे कोलेबोरेशन अमेरिका और दूसरी जगह की पार्टियों से करने लगे और जब उनके एक्सपर्ट यहां आये और साइट को देखा तो यह बात उनके सामने रखी गई कि जिप्सम जैसे फर्टीलाइज़र का प्लान्ट यहां लगाने में कॉस्ट ज्यादा आयेगी और इतनी बड़ी कम्पनी, जिसमें बीस पच्चीस करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट है, उसको आगे जाकर इकोनॉमिकली कम्पटिटिव बेस पर तैयार नहीं कर पाते हैं तो परमानेन्टली हम उसको एग्जिस्टेंस में नहीं रख सकते। साथ ही इसमें रेकरिंग एक्सपेन्सेज़ बहुत होंगे इसलिये यह कम्पीटिटिवली इसको इकोनॉमिकल यूनिट भी नहीं बना पावेगा।

जब यह प्रश्न उनके सामने आया तो आखिर मुझसे कहा कि साइट वे चेन्ज करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट इससे एग्री नहीं कर सकती। आपकी कॉस्ट का सवाल, नेफ्था का सवाल आदि सारे जो फैक्टर हैं वे ऐसे हैं जो भारत सरकार तय करने वाली है। हम सहूलियतें जो देनी हैं वे देने की बात कर चुके हैं और हनुमानगढ़ के बारे में जो कमेटी साइट देखने आने वाली थी उसने देख कर जो सलाह दी, हम उससे एग्री करने की स्थिति में नहीं हो सकते। आप भारत सरकार के सामने ये सारे फैक्टर पुट-अप करें। इसके बाद वे भारत सरकार के पास गये। इसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है और साइट बदलने के बारे में फैसला हो गया हो, ऐसा मानने का कारण नहीं है। पर इस बीच में यह बराबर प्रयत्न किया गया। क्योंकि शुरू से हमने यह स्टेण्ड लिया था इसलिए यह प्राइवेट सेक्टर में ही हो इसके लिये राजस्थान सरकार कतई उत्सुक नहीं है। उत्सुक है तो केवल इतनी ही कि राजस्थान में यह फर्टीलाइज़र फैक्ट्री हो और इसको पब्लिक सेक्टर में शुरू किया जावे। इसको इसलिये हमने एन० डी० सी० में और दूसरे लेवल पर लिया, पर इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री ने राजस्थान में ही नहीं बल्कि और जगह के लिये भी लाइसेन्स दिये। इसलिये हमने अपनी तरफ से भारत सरकार को लिखा कि लाइसेन्स प्राइवेट सेक्टर में दिया है आपने, पर वह मेटीरियलाइज़ नहीं हो रहा है राजस्थान में, इसलिये आपका जो यह कमिटमेन्ट

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

था कि प्राइवेट में नहीं होगा तो पब्लिक सेक्टर में एस्टेब्लिश किया जावेगा, पर किया जावेगा राजस्थान में। जब इस बात को, इस पॉइन्ट को प्रेस किया गया हमारी तरफ से तो उन्होंने इस बात को एग्री किया कि राजस्थान में वह होगा।

जहां तक मेरा ताल्लुक है या और किसी का ताल्लुक है गवर्नमेन्ट के अन्दर कि फर्टीलाइज़र फैक्टरी कहां लगे इसके बारे में टेक्निकल एक्स-पर्ट आये, उन्होंने आकर जो कुछ डेटा राजस्थान में था अवेलेबल उसके बेसिस पर केलकुलेशन्स किये, उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से रक्खा कि उदयपुर के पास नठारा के पास में आयरन पेराइट्स हैं जिनके अन्दर सल्फर के कन्टेन्ट्स हैं, इण्डिया में शायद सबसे ज्यादा कहना चाहिये। इसमें काफी ज्यादा तादाद में सल्फर के कन्टेन्ट्स हैं जिससे सल्फेरिक एसिड ईज़ीली तैयार किया जा सकता है और ज़िंक का जो भी बाई प्रोडक्ट होता है उसको डिपोजिट की वजह से पूरा लाभ मिल सकता है। उससे नेप्था मिल सकता है पूरा, जिसको ट्रान्सपोर्ट करके दूसरी जगह से लाना कोस्टली होता है, वह यहां सस्ता पड़ेगा और ईज़ीली अवेलेबल भी हो जायगा और फिर अहमदाबाद और सूरत साइड में पेट्रोलियम पोटेन्शियलिटी है इसलिये वहां से नेप्था हमें इकोनॉमिकली और सस्ते में इम्पोर्ट हो जायगा, क्योंकि वह पास पड़ता है। इस तरह इन सब रॉ मेटिरियल की इज़ीली अवेलेबिलिटी की सूरत में प्लान्ट का कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि ये दोनों चीजें पास में उपलब्ध हैं। इस कारण हम जो अब तक इन्वेस्टिगेट कर पाये हैं उसके आधार पर कह सकते हैं कि यह चीपेस्ट साइट मालूम होता है जहां हम प्लान्ट बैठाकर कम्पीटिटिव इकोनॉमिकली यूनिट बैठा सकते हैं।

इसके बाद हमने कहा कि आप यह करने के बजाय इस बात को भी इग्ज़ामिन करें कि बीकानेर में जो लिग्नाइट है उसको यूज़ करके उसके द्वारा करना चाहें तो किस प्रकार से यह चीज बैठ सकती है। तो वह इस वक्त में बीकानेर के अन्दर लिग्नाइट और जो सल्फेरिक एसिड है उसको बेस बनाकर नेप्था यूज़ करके किस प्रकार से किस कोस्ट पर इसको वर्क आउट किया जा सकता है, इसको एग्ज़ामिन कर रहे हैं।

इन और ऐसे प्रश्नों के बारे में सदन के सामने मैं कोई रिज़र्वेशन नहीं रखता। मैं इसके लिये उत्सुक हूं कि इन्डस्ट्री राजस्थान में लगे, फिर वह कहीं लगे। आज जब पब्लिक सेक्टर के लिये सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर में यह लगे, राजस्थान में लगे। मुझे इससे कोई कतई सरोकार नहीं कि वह जयसमन्द में लगे या दूसरी जगह लगे, मैं स्वयं इससे खुश होऊंगा कि वह हनुमानगढ़ और बीकानेर के एरिया में लगे। पर सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि राज-स्थान के अन्दर, हमारी बाउन्ड्री के अन्दर, फर्टीलाइज़र फैक्ट्री लगे। इस बात को सामने रखकर चलती है सरकार।

जो एक्सपर्ट आते हैं वे सब जगह का डेटा जो उपलब्ध है उसको वे सामने रखकर चल सकते हैं। हमने यहां तक कहा कि हनुमानगढ़ में २५ हजार किलोवाट बिजली स्पेशली हमें मिलेगी। पंजाब सरकार के साथ इसके लिये हमारा स्पेशल एग्रीमेन्ट है कि अगर हनुमानगढ़ में फर्टीलाइज़र फैक्ट्री लगे तो हमें २५ हजार किलोवाट बिजली एडीशनल मिलेगी। तो यह हमें एडीशनल एडवान्टेज है। पर इकॉनोमी इसकी एडवर्सली इफेक्ट करती है। तो मैं कहूं कि नेट रिजल्ट जाकर यही होने वाला है कि वह न लग पावे। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसमें कोई पोलिटिकल इश्यू नहीं है । यह प्योरली इकोनॉमिक इश्यू है जिसके आधार पर फैसला करने की बात आती है । अब वह बीकानेर, जयसमन्द और कहां इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मुझे पता नहीं । फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन के एक्सपर्ट काम कर रहे हैं । मुझ से तो वे एक बार मिले हैं, वे इसे वर्क आउट करने में लगे हैं ।

माननीय चेयरमेन महोदय, मैं साथ साथ यह भी निवेदन करूं कि जहां तक यह कहा जाता है कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा......

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंहनगर): इन एक्सपर्टों ने कोई रिपोर्ट भी सबमिट की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास कोई नहीं है रिपोर्ट। तो यह कहा जाता है कि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, इन्डस्ट्रियल एक्टीविटीज नहीं बढी।मैं स्पष्ट निवेदन करूं कि जितना तथ्य है उतना हम सब स्वीकार करें। मुझे इसे स्वीकार करने में कोई इन्कार नहीं । मैंने हमेशा कहा है कि राजस्थान इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड है । इसके लिये सरकार के एफर्ट्स चालू हैं । ऑल राउन्ड एफर्ट्स कर रहे हैं। पर इन्कार इससे नहीं कर सकते कि पिछले पांच सालों में कई जगह नई इन्डस्ट्रियां एस्टेब्लिश हुई हैं और हो रही हैं। इसके लिये दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के इन्डस्ट्रियल एरिया में आप जावें तो मालूम होगा आपको कि कितना एक्सपेंशन और एडीशन हो रहा है । हमें यह मानकर चलना चाहिये कि इन्डस्ट्रियों के लिये हमारे यहां बेसिक खामियां हैं । पॉवर की हैं और अन्य चीजों की हैं । इनकी पूर्ति हम जितनी जितनी करते जावेंगे हमारी इन्डस्ट्रीज आगे बढ़ती जावेंगी । एक तरफ वाटर प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है, दूसरी तरफ पॉवर और रॉ मेटिरियल की । तो इन मायनों में कई जगह एक्सपेन्शन हुआ है, डबल और ट्रिब्ल हुआ है, चेन्ज हुआ है, नई इन्डिस्ट्रियां लगी हैं । बीच में मैंने बताया था कि मैं यह उम्मीद करके चलता हूं कि इस तीसरी योजना में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों, दोनों में मिलाकर करीब करीब ९०, १०० करोड़ के आसपास में इन्वेस्टमेन्ट होगा। यह तो एक दिखती हुई चीज है । तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, यह कहना उचित नहीं है । फीगर्स हैं, फैक्ट्स हैं - ये हमारे सामने हैं । हमारे सामने दिखती हुई कारखाने की दीवारें हैं, मशीनें हैं, कारखाने हैं, पॉवर हमारा पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ा है और वह सारा कन्जयूम हुआ है । अगर कारखाने नहीं बढ़ते तो पॉवर पड़ा रहना चाहिये था । तो इन सब चीजों से यह स्पष्ट है कि पहले से हमने प्रगति की है, काफी फर्क पड़ा है । पर अभी भी बहुत करना है, यह कहने से मुझे कोई संकोच नहीं है, इन्कार नहीं है ।

काफी स्पिंडल पंजाब को दिये गये, पर राजस्थान को नहीं मिल पाये, यह भी कहा गया । माननीय चेयरमेन महोदय, आपको पता है, सब को पता है कि पंजाब में वीविंग का और खास तौर से वूलन इन्डस्ट्री का एक बैक ग्राउन्ड इन्डिपेन्डेन्स के पहले से चला आ रहा है । हमारे यहां एक वक्त था कि कम्बल यहां बनते थे पर केलेन्डरिंग के लिये और प्रोसेसिंग के लिये लुधियाना और पानीपत को भेजते थे । पंजाब में वीविंग और स्पिंडल्स का डवलपमेंट पहले से चला आ रहा है । हमारा राजस्थान वूल के बारे में प्रसिद्ध रहा है कि राजस्थान का ऊन कार्पेट वूल है । कार्पेट के काम में आती है,इसलिये एक्सपोर्ट के लिये प्रयत्न

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करना चाहिये इसलिये इसकी तरक्की के लिये इसकी तरफ ध्यान गया और राजस्थान में ज्यादा स्पिन्डल मिलें और उद्योग धन्धे खुलें, मिलें चलें, इसका प्रयत्न किया है। कोटा में कुछ इन्डस्ट्री लगी हैं। जोधपुर में स्पिन्डलस् लगे हैं। और ४।। हजार स्पिन्डलस् पब्लिक सेक्टर के लिये दिये गये हैं और पिछले अर्से में सबसे बड़ा अलॉटमेंट राजस्थान को किया गया है, इसके बारे में स्पिण्डलस् के लिये सबसे बड़ा एलाटमेंट यहां मिला है।

सारी चीजों को हम चाहते हैं कि वह सेट-अप हों। बीकानेर के माननीय सदस्यों के लिये स्वाभाविक बात है कि वह बीकानेर के लिए सोचते हैं कि वहां पर सेट-अप हो। परन्तु सेट-अप करने के पहले हम जानकारी करना चाहते थे, खासकर पानी और दूसरी चीजों के बारे में और हमारे जो मिनिस्टर इन्चार्ज हैं वे बोलेंगे तो इसके संबंध में आपको जानकारी देंगे। लेकिन यहां राजस्थान में हम कार्पेट इन्डस्ट्री के लिए बराबर प्रेस कर रहे हैं और इस बात के लिए भी कमिट किया है कि अगर जरूरत पड़े तो सेंट परसेन्ट एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार हैं। राजस्थान में इस इण्डस्ट्री को एस्टेब्लिस करने के लिए पर्मीशन मिले तो जो आल इन्डिया पॉलिसी है उसके बैकग्राउन्ड में इसके एफर्ट्स किये जा सकते हैं उनके लिए बराबर प्रयत्न किया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): पंजाब को ५ मिलें और लगाने का लाइसेन्स मिलने वाला है, तीन मिलें वहां ऑलरेडी लग चुकी हैं। Within one month लाइसेन्स मिल जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I shall have to check up.

श्री मानिकचन्द सुराणा: ३ तो मिल चुकी हैं। पानीपत में मिला है......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : That is what I am saying. We will have to check up. कि वहां पर मिला या नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: एक महीने में ही मिलने वाले हैं। ५ मिलने वाले हैं ३ मिल चुके हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया हमारे क्लेम की प्रायोरिटी को मानती हैं और आप कहते है कि मिलने वाली हैं। मैं उस को नहीं मानता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको एक मिली, उनको ३ मिल चुकी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एमर्जेन्सी के बाद उनको कितनी मिली हैं और राजस्थान को कितनी मिली हैं, we will have to check up और उसका क्या असर पड़ा है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रायसाहब आनन्दीलालजी को कॉटन मिल का लाइसेन्स दिलवाया था, उसके इन्सटालेशन के बारे में क्या हुआ ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया: जो स्पिन्डलस् के बारे में कहा गया....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे लाइसेन्स बेच रहे हैं, लगा रहे हैं या नहीं, कुछ तो बताइये ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह तो लाइसेन्स ही बिकेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दुर्भाग्य से यह ठीक है कि कुछ जगह स्पिन्डलस लगे, कुछ जगह नहीं लगे। जहां लोगों ने नहीं लगाये

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

हैं उन लोगों को नोटिस दिया गया है। अगर वे नहीं लगाते हैं तो उनको ट्रान्सफर करके उनके बजाय दूसरों को एलॉट कर दिये जायेंगे लेकिन यह इन्डस्ट्री राजस्थान के लोगों के लिए हैं और स्पिन्डल्स मिलें-उसके बारे में इन्तजाम किया जायेगा। लाइसेन्स किसी को बेच देने वाला प्रश्न खड़ा नहीं होता। हम चाहते हैं कि राजस्थान में यह स्पिन्डल्स लगें। मैं यह और कह दूं कि जो टोटल स्पिन्डल्स दिये गये हैं, राजस्थान में वह नहीं लग रहे हैं लेकिन जिन दूसरी स्टेट्स में भी नये स्पिन्डल्स का जो इन्सटोलमेन्ट होना चाहियें उसके मुकाबले में प्राग्रेस हमारी स्लो नहीं रही है, यह मैंने शुरू में कहा था। और जो यह कहा जाता है कि माइन्स में ज्यादा अमाउन्ट खर्च हो गया, मैं इसमें इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो माइन्स में रायल्टी से पहले १९५५–५६ में ३५ लाख के आसपास राजस्थान के अन्दर इन्कम थी वह पिछले अर्से में बढ़ती गयी और पिछली साल ११० लाख इसकी इन्कम आई है खर्चे के लिए कहा गया है कि डाइरेक्शन के अन्दर काफी होता है, मैं चेयरमेन महोदया, निवेदन करूं कि इस डिपार्टमेन्ट के अन्दर सिर्फ एक नॉन–टेक्निकल आदमी है वर्ना ज्यादातर टेक्निकल ऑफिसर्स हैं। दूसरी स्टेट्स में माइनिंग डिपार्टमेंट इन्वेस्टीगेशन का काम नहीं करता। पहले जहां हमारे यहां पांच जियोलोजिस्ट थे वहां आज २५ जियोलोजिस्ट काम कर रहे हैं। इतना सब करने पर परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में कई जगह बड़े बड़े लाइमस्टोन के डिपोजिट्स के बारे में जानकारी कर पाये हैं। इसके अलावा लैड, जिंक और कॉपर के इन्डीकेशन्स के बारे में काम कर पाये और आइरन-ओर के बारे में भी कुछ कर पाये। मैं समझता हूं कि जो कुछ खर्चा हो रहा है, १९५५–५६ में जहां डाइरेक्शन पर खर्चे का सवाल था राजस्थान में बजट जब १३ लाख २७ हजार का था उस समय ११ हजार खर्चा था। आज बजट बढ़कर ५३ लाख का हो गया है तो डाइरेक्शन पर १ लाख ७१ हजार का खर्चा होता है। तो उसके कम्पेरिजन में बहुत नहीं कहा जा सकता। हां, टेक्निकल स्टाफ पर जरूर खर्चा बढ़ा है। हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि राजस्थान का भविष्य, निश्चित बात है कि इस बात पर निर्भर करता है। एक तरफ तो कैनाल के जरिये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े। हमने तो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से कहा है कि राजस्थान सरकार को इस बात के लिए सलेक्ट किया जाना चाहिये कि जो मैगनेटिक एरियल सर्वे होता है वह राजस्थान में करें और कहां कहां मिनरल्स की सम्भावना है उसकी जानकारी करें। यहां, चेयरमेन महोदया, यह कहा गया कि पब्लिक सेक्टर में माइका इन्डस्ट्री को, लाइम स्टोन की इन्डस्ट्री को और जिप्सम की इन्डस्ट्री को लें इन्डस्ट्रियल पॉलिसी के मुताबिक भी जहां प्राईवेट सेक्टर में देने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है और आप और हम चाहते हैं कि जिप्सम को स्टेट में डवलप करें। मगर उसके साथ साथ जहां लाइम स्टोन का ऑडिनेरी डिपोजिट राजस्थान में काफी है। हर एक जगह छोटे छोटे डिपोजिट्स में वर्क करने के लिए गवर्नमेंट जाये उसके बजाय मैं समझता हूं कि जिस तरह अच्छा रिटर्न आये उस तरह से रिजल्ट एचीव करना ज्यादा बेटर है। जहां तक माइका का प्रश्न है, माइका की इन्डस्ट्री एक हद तक गेम्बलिंग है और वह गेम्बलिंग इस मायने में है कि जैसे अभी डम्पिग हो गया है और भाव नीचे चले गये तो सारी की सारी इन्डस्ट्री में उतार चढ़ाव

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :
आता जाता है । इसलिए मैं समझता हूं कि माइका जैसी चीज प्राइवेट सेक्टर में भी जाने के बाद उसमें निश्चित सफलता नजर नहीं आती है तो स्टेट के फाइनेन्स को इनवेस्ट करना उचित बात नहीं होगी । इसलिए माइका की इन्डस्ट्री के बारे में हम प्रयत्नशील हैं कि जहां रिटर्न जल्दी आ सकते हैं राजस्थान की कन्डीशन्स को देखते हुए और रिसोर्सेज को देखते हुए, उन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ।

अंत में, माननीय चैयरमेन महोदया, यहां पर रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो डी० एम० जी० हैं उनकी जो सर्च हुई उसमें ७ लाख रुपयों का माल निकला है और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से उन्होंने सर्च करके मालूम किया है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जानकारी उनको मिली है वह गलत है और वह केवल जानकारी के आधार पर जब कि एक मामला अण्डर इनवेस्टीगेशन है, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के डिपार्टमेन्ट वाले इनवेस्टीगेट कर रहे हैं तो इतना धीरज रखकर चल सकते थे कि सारी चीजें होने के बाद में जब तथ्य सामने आयेंगे उससे पहले बीच-बीच में इधर-उधर के कहने सुनने से यहां बातें कहना उचित नहीं है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये अखबार के समाचार हैं जो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ।

श्री मोहलाल सुखाड़िया : मैं माननीय सदस्य से उम्मीद करता हूं कि वे एक जिम्मेदार पार्टी के प्रतिनिधि हैं और स्वयं जिम्मेदार हैं । अखबार में निकल जाये तो उससे आप यहां तक रिफलेक्शन करदें यह उचित नहीं है । आपने एक ५७ का कागज यहां रक्खा.......

श्री रामकिशन (बैर) : आप इनका दोनों तरह से उपयोग कैसे करते हैं ? आप आज जिम्मेदार कैसे बना रहे हैं, कभी तो उनको गालियां देते हैं और चीन का एजेन्ट बना देते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका ८ तरह का उपयोग कीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बोलने में तो ऐसा ही मानकर चलें ।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय जब तक मांग स्वीकार न हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पास होने तक बढ़ाया गया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसी प्रकार से माननीय चैयरमेन महोदया, एक कागज उन्होंने यहां पर पेश किया जो सन् ५७ में किसी एक साहब ने लिखा है । अब मुझे पता नहीं कि वह कागज १९५७ में लिखा और १९५७ में भी उसमें जिक्र किया गया कि चैक साथ में भेज रहा हूं । पता नहीं वह कागज माननीय सदस्य को कैसे मिला और उसके पीछे क्या रहस्य है। इसलिये मैं इस संबंध में और चर्चा करूं वह उपयुक्त नहीं होगा । उसकी वास्तविकता की हम जानकारी करेंगे। आपने यहां कागज प्रस्तुत कर ही दिया है लेकिन उसके प्रस्तुत करने मात्र से हम रिफलेक्शन की बात करने लगें कि कासलीवाल उनका रिलेशन है या कोई और है या उनमें और एरियर्स बाकी थे या और उसके पीछे कोई फैक्ट्स हैं, तो इसके साथ में कई चीजें जुड़ सकती हैं जिनको मालूम करना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है................

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने तो ड्राफ्ट नम्बर भी साथ लिखा है बैंक का ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बैंक का तो है ही । लेकिन वह ड्राफ्ट किस पार्टी के लिए और किस पर्पज के लिए था? उसका क्या बैक-ग्राउन्ड था ? हरेसमेन्ट था या नहीं, कहीं एरियर्स तो ड्यू नहीं थे कि जिनको चुकाने के लिए रुपया भेजा था । यह सारे फैक्ट्स जानने की बात होती है तब जाकर कुछ कहा जा सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह मांगें पास करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कासलीवाल साला है उसको पैसा दे दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : साला कहीं नहीं लिखा है । वह ओमप्रकाश कासलीवाल है और सुनते हैं कि उनकी पार्टनरशिप थी उस फर्म में ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कमल एन्ड कम्पनी वाला कासलीवाल है । वह बाकायदा साला है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिए तो हाउस में मैंने कहा कि यह जानना होगा ओम प्रकाश कासलीवाल सुनते हैं, जिसका कि जिक्र इस चिट्ठी में है, इसमें किसकी चर्चा है, यही तो जानने की बात है ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : इतनी सी इन्फोर्मेशन और दे दें कि निम्बाहेड़ा और मकराना दो जगह हैं जहां बापी राइट्स हैं, जहां कि पट्टा होल्डर्स हैं, जमीन उनकी है, उनकी मिल्कियत है, लेकिन उनसे लीज चार्ज की जा रही है । राजस्थान में दोनों ही जगह ऐसी हैं, एक मकराना और दूसरी निम्बाहेड़ा । इनके सम्बंध में विचार बता दें । मेरे पास सारी कोरेस्पोन्डेन्स है । गवर्नमेंट खामोश रहती है । जबाब बराबर नहीं देती है । गरीब खानवालों पर सरकार नाज करती है कि लाखों रुपयों की कमाई करेंगे । उनको बड़ी तकलीफ हो रही है । उनका चालान होता है, कुर्की होती है, सामान उठाकर ले जाते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप कह रहे हैं इसका पूरा डिटेल में नोट दे देंगे तो जानकारी करके दूंगा ।

श्री अब्दुल जब्बार: मौका ही नहीं आया है अर्ज करने का । डिटेल में आपको दे दूंगा और उम्मीद करता हूं कि सरकार जिस विकास की बात करती है उसके साथ ही उनकी आत्मा का भी विकास करेगी, ऐसी मैं आशा करूंगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें क्या लीगल पोजीशन होगी, इसको एग्जामिन करा लेंगे कि क्या फैक्ट्स हैं, और क्या किया जा सकता है ।

We will fully examine it.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा प्रश्न रह गया है । पिछला लैटर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था तो आश्वासन दिया था कि हैन्डराईटिंग एक्सपर्ट से जांच करायेंगे । पिछला लैटर डा० सैठीके सम्बन्ध में था वह अलवर से आने वाले माननीय सदस्य जो मेरे दल के नेता थे, उनका था ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: उस लैटर के बेसिस पर एन्क्वायरी आज इस वक्त चल रही है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: यह लैटर भी इसी प्रकार खत्ते में नहीं पड़ जाये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह खत्ते में नहीं पड़ा है। आप खुद ही कह रहे हैं कि इन्क्वायरी हुई है और इतना रुपया मिल गया है, वह इन्क्वायरी हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस लैटर की रिपोर्ट आ गई है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह भी उनके पास है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सिग्नेचर्स की रिपोर्ट आ गई है कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह अभी उनके पास है सारी की सारी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप यह बतलाने की कृपा करें कि ६ लाख की प्रोपर्टी नहीं मिली तो कितनी मिली है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि कि इस वक्त इसके कहने का कोई प्रश्न नहीं आता है। जहां तक मेरी जानकारी है कोई इस प्रकार की प्रोपर्टी नहीं मिली है।

श्री मथुरादास माथुर (राजकीय उद्योग मंत्री) : माननीय चयरमेन महोदया, मेरी डिमांड के सिलसिले में चार पांच कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं और खास तौर पर से दो तीन बातों की माननीय सदस्यों ने अपनी बहस के दौरान में चर्चा की है उनका जिक्र करने की जरूरत मैं समझूंगा।

सबसे पहले स्टेट एन्टरप्राइज और इन्डिविजुअल स्टेट एन्टरप्राइज के सिलसिले में चर्चा करने पर रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बड़े जोरों से भद्दे और गन्दे समाजवाद की बात कही थी, उनसे मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद को जब तक आप और हम मिलकर भद्दा और गन्दा नहीं बनायें तो समाजवाद के कुछ बुनियादी उसूल कायम रहते हैं और राज्य सरकार उन बुनियादी उसूलों पर कायम है। कांग्रेस ने अपने भुवनेश्वर अधिवेशन में समाजवाद का प्रस्ताव पास किया है, उसके बाद हम हमारे यहां पर स्टेट एन्टरप्राइज और पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने और उसको ठीक तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहां पर अभी स्टेट एन्टरप्राइज का डिपार्टमेन्ट भुवनेश्वर के प्रस्ताव के बाद में कायम किया गया है। यह अभी शिशु अवस्था में है। उसका एक कमिश्नर बनाया गया है। मुमकिन है कि अगले साल जब हम इस सदन में बहस करेंगे तो स्टेट एन्टरप्राइज की डिमाण्ड को आज की तरह से स्टेट एन्टरप्राइज का मिनिस्टर रखेगा। तो इससे यह साफ जाहिर है कि राज्य सरकार समाजवाद के दृष्टिकोण से ही नहीं लेकिन भविष्य में आने वाली योजनाओं के द्वारा जनता के नॉन-टैक्स रेवेन्यू के रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए स्टेट एन्टरप्राइज और पब्लिक सेक्टर को बहुत ही तरक्की देना चाहती है। इन दोनों दृष्टिकोणों से राज्य सरकार ने जो अब दो तीन महीनों में कदम उठाये हैं, जिनके लिए गवर्नर महोदय के अभिभाषण में कहा गया है—जिनके लिए यहां कहा जाता है कि लम्बी लम्बी डींगे अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा कहला दी जाती हैं और उस पर अमल नहीं किया जाता है—वह निराधार है।

इसलिए सदन के माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमको अगली योजनाओं के रिसोर्सेज के लिए स्टेट एन्टरप्राइज को बहुत तरक्की देना पड़ेगी, उसी दृष्टि से राज्य सरकार ने हमारे यहां एक कार्पोरेशन कायम करने का फैसला किया है, स्टेट एन्टरप्राइज

(श्री मथुरादास माथुर)

डेवलपमेंन्ट कॉर्पोरेशन बनाने का फैसला किया है। और कॉर्पोरेशन कायम करने के लिए डिटेल्ड मेमोरेन्डम बनाया जा रहा है, वह कार्पोरेशन कायम होगा। तो इस बात से साफ जाहिर है कि राज्य सरकार इस संबन्ध में जागरुक है और इसका प्रयत्न बराबर चल रहा है। इसलिए जो चार्ज लगाया जाता है कि हम सिर्फ समाजवाद की ही बात करते हैं, यह निराधार है।

अब, माननीय चेयरमेन महोदया, तीन-चार जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा की गई है, उनके ऊपर में कुछ रोशनी डालना पसन्द करूंगा। सबसे पहले अभी बीकानेर डिवीजन से आने वाले माननीय सदस्यों ने और खास तौर से हमारे सुजानगढ़ से आने वाले युवक माननीय सदस्य ने बड़े जोश के साथ में जो बात कही व बात सुनकर हमें भी जोश आया और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो भी अपने कट मोशन के जरिये ......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): जवान की बात से जवान को जोश आना ही चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : आप बूढे हों तो भी आ जाता है।

माननीय चेयरमेन महोदया, सबसे पहला मामला जो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्यों का है कि वहां पर वूलन मिल, जो साढ़े चार हजार स्पिन्डल्स की है जिसका कि जिक्र माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया था, कायम करें। जोधपुर के अन्दर पहले प्राइवेट सेक्टर में ७०० स्पिन्डल्स की वूलन मिल कायम हो चुकी है और उसको एक हजार तक बढ़ाने की गुन्जायश है। सवाल अब यह आता है कि सरकार की मान्यता थी उसके अनुसार पानी की कठिनाई को देखते हुए एक कमेटी बनाने का फैसला किया था, मगर १९६७ तक हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान कैनाल वहां पहुंच जायगी, उसके बाद में बीकानेर में पानी की समस्या भी नहीं रहेगी। इसलिये बीकानेर के माननीय सदस्यों को बहुत दिनों तक इन्तजार में रखना हम मुनासिब नहीं समझते हैं और राज्य सरकार घोषणा करती है कि उसने इस बात का फैसला किया है कि बीकानेर के अन्दर नेक्स्ट वूलन मील कायम की जायगी।

(करतल ध्वनि)

इसके साथ साथ में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्यों को यह भी कहना चाहता हूं कि स्पिन्डल्स के मामलों को लेकर राजस्थान में, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी फरमाया था औद्योगिक दृष्टि से हम पीछे रहे हैं उसके पीछे एक फ्यूडल लीगेसी है, एक ऐतिहासिक कारण है, जिसकी वजह से हम वह तरक्की नहीं कर रहे हैं जो हिन्दुस्तान के दूसरे राज्य तरक्की कर सकते हैं। मगर हम भी हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों की तरह आजाद होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन वर्षों में हम देखते हैं कि लगातार उद्योगों की तरक्की होती जा रही है। स्पिन्डल्स के मामले में खास तौर से मैं वूल स्पिन्डल्स का जिक्र करना चाहता हूं, हमारे यहां चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, साढ़े चार हजार के लाइसेन्स का जिक्र जो माननीय मुख्य मंत्री ने किया है, वह लाइसेन्स मिल जायगा और हम काम शुरू करेंगे और उसके साथ साथ १ हजार का लाइसेन्स प्राइवेट सेक्टर में मिल चुका है। उसके साथ साथ

(श्री मथुरादास माथुर)

४०० स्पिन्डल्स की नागौर और चूरू के अन्दर इन्टेन्सिव ब्लॉक जो वहां पर कायम किये गये हैं वहां वूलन स्पिन्डल्स के लिये वूलन टग्स बनाने के लिए और वीविंग के लिए इजाजत मिल चुकी है भारत सरकार से। तो इस तरह से और भी उन्होंने कहा कि पंजाब के अन्दर और तीन मील के लाइसेन्स मिले हैं तो मैं सदन को इतनी तसल्ली दिला सकता हूं कि अगर पंजाब ले सकती है तो राजस्थान सरकार पूरी कोशिश करेगी और हम बराबर इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि जितनी वूल की हमारी कैपेसिटी है इसके अनुसार जितनी मिल कायम कर सकें उतनी कायम करने की हम कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी हमें पूरा सहयोग देगी। वूलन मिल के बारे में। इतना निवेदन करना जरूरी समझता हूं कि प्रोजेक्ट हमने बना लिया है, जापान की मिसोमिसी कम्पनी है उसके जरिये करीब १ करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा, उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसकी कार्यवाही शुरू की जायगी।

दूसरी बात, खास तौर से बीकानेर के माननीय सदस्य ने जिसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है वह लिग्नाइट है। दो तीन कटौती प्रस्ताव भी पेश किये हैं लिग्नाइट के सिलेसिले में। मैं मानता हूं कि बराबर हम लिग्नाइट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार ने एक प्रोजेक्ट कमेटी बनाई थी। उसने रिपोर्ट दी ओपन कास्ट माईनिंग के बारे में, उसके बाद उसे प्लानिंग कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड माइनिंग के पास भेज दी है और उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि लिग्नाइट का माइनिंग अकेला नहीं हो सकता। हमारे यहां का लिग्नाइट बहुत अच्छा है लेकिन उसमें मोइस्चर ज्यादा होने से अगर हम कोयला खान से बाहर निकाल कर उसका ढेर कर दें तो उसमें आग पैदा होने का खतरा है, इसलिये उसको माइनिंग करके उसी वक्त उसको किसी न किसी काम में लेना पड़ेगा। जब तक उसको काम में लेने की योजना नहीं बने तब तक उसका माइनिंग नहीं कर सकते। पहले भूतपूर्व बीकानेर स्टेट ने कुएं खुदवाने की कोशिश की थी लेकिन बहुतसों में आग लग गई, सिर्फ २००, ३०० टन कोयला काम में आ सकता था जो बीकानेर पॉवर हाउस के बोयलर में काम आता था। ज्यादा कोयला हम तभी बाहर निकालेंगे जब कि हम युटिलाइज़ कर सकेंगे। इसीलिये इसमें देरी हुई। इसके लिये कई सुझाव हैं। कई इन्डस्ट्रीज़ इससे बन सकती हैं, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा, सिंदरी फर्टीलाइज़र वाले इसको काम में लेने के लिये सोच रहे हैं, इससे थर्मल पॉवर पैदा की जा सकती है जिसे रेफर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग ने और प्लानिंग कमीशन ने फैसला किया है कि राजस्थान सरकार चाहे तो पॉवर स्टेशन १०० मैगावाट का फोर्थ फाइव ईयर प्लान में रख दिया जाय, हमने भी तय किया है कि १०० मैगावाट का पॉवर स्टेशन यहां पर बनाया जाय। इससे हमारा पॉवर पोटेन्शियेलिटी बढेगा, लिग्नाइट का यूज होगा और वेस्टर्न राजस्थान में पॉवर नहीं पहुंचा सकती है वहां पहुंच सकेगी

(श्री मथुरादास माथुर)

और इकोनॉमिक ग्रोथ का साधन होगा। माईनिंग के और थर्मल पॉवर स्टेशन का जोइन्ट प्रोजेक्ट रशियन कोलोबरेशन से बनाया जा रहा है और रशियन एक्सपर्ट्स खुद आये हैं, उसकी रिपोर्ट बन रही है, रिपोर्ट बनने के बाद और प्लानिंग कमीशन से एप्रूवल होने के बाद ऑर्डर प्लेस किया जायगा, और विचार किया जायगा कि किस टाइप की मशीनरी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्लान के एन्ड में या फोर्थ प्लान के बिगिनिंग में मशीनरी आने के बाद काम चालू हो सकता है। प्लान बहुत बड़ा है। आगे चल कर इसके लिये सेटिस्फेक्ट्री मार्केट की भी आवश्यकता होगी, यह भी देखना पड़ेगा कि जो बाई प्रोडक्टस बनेंगे, जो माल इससे यहां पैदा करेंगे वह मंहगा न हो जाय। यदि मंहगा हुआ तो लोग लेना पसन्द नहीं करेंगे और इसके प्रोपर यूज़ पर असर पड़ेगा। सब मिलाकर १२.१५ करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा। इससे लेबर पोटेन्शियेलिटी और एम्पलोयमेन्ट पोटेन्शियेलिटी बढ़ेगी। इन सबको देखते हुए हम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ सके हालांकि हम चाहते हैं कि तेजी से आगे बढ कर फाइनेलिटी पर पहुंच कर इसको इम्पलीमेन्ट करें। राज्य सरकार इसके लिये पूरी तरह से जागरूक है। कमीश्नर फोर स्टेट एन्टरप्राइजेज़ और मैं भी प्लानिंग कमीशन से इसके लिये मिल कर आये हैं। अभी दो तीन दिन पहले ही इस बारे में चर्चा की है, रशियन एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा की है। हम इस कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी लगा सकें....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): इसके लिये रशियन एड इम्पलाइड है क्या?

श्री मथुरादास माथुर: पूरा प्रोजेक्ट प्लान अभी तक बना नहीं है, रशियन एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। क्या होगा, क्या नहीं, यह डिटेल की बात है। सदन में अभी इसको रखना मैं ठीक नहीं समझता।

तीसरी बात कही गई थी सोडियम सल्फेट के बारे में। करीब ३० लाख रुपये इस पर खर्च हुए हैं और जो प्लान्ट तैयार हुआ है जिसे जर्मन कोलोबरेशन में खड़ा किया था उसके टर्बाइन में गड़बड़ होने के कारण देरी लगी। जर्मन एक्सपर्ट्स पहुंच गये हैं। हमने एक्सपेरिमेन्टल चालू किया था। हम अब उसको कोमर्शियल बेसिस पर चालू करने वाले हैं। भाखरा की पॉवर मिल गई हैं। लेकिन केमिकल इन्डस्ट्रीज़ इसके अंतर्गत चलती हैं और यह प्रेशर से चलती हैं। ५ मिनिट के लिये पॉवर बंद हो जाती है तो प्रेशर खत्म हो जाता है और वापिस प्रेशर शुरू करने के लिये बहुत ज्यादा कन्जम्पशन होता है और पॉवर का वेस्टेज बहुत होता है। अब ऐसी व्यवस्था करदी है कि टर्बाइन और बॉयलर मिल कर प्रेशर पैदा करेंगे और ऑल्टरनेट एरेन्जमेन्ट रहेगा। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी कॉमर्शियल स्टेज पर प्रोडक्शन करेंगे. . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: टर्बाइन में जो डिफिकल्टी पैदा हुई क्या उसको पहले रियलाइज़ नहीं किया गया था?

श्री मथुरादास माथुर: जब प्रेशर पर चलने लगा तभी तो पता लग सकता था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह साइन्टिफिक बात है। साइन्टिफिक नोलेज रखने वाले इस ट्रबल को जान सकते थे। आपका सेटिंग ठीक नहीं था।

श्री मथुरादास माथुर: हमारा सेटिंग बिल्कुल ठीक था। जर्मन एक्सपर्ट्स और हमारे एक्सपर्ट्स ने मिल कर इसे खड़ा किया, उसके बाद ट्राइल की। उसके बाद कुछ डिफेक्टस निकले और जो प्रेशर ज्यादा होना चाहिये था वह नहीं हुआ। फिर देखा कि शायद कोयले की खराबी के कारण गड़बड़ होगी इसलिये कोयला रिप्लेस किया। फिर यह सोचा गया कि टर्बाइन में कुछ डिफेक्टस होंगे इसलिये जर्मन एक्सपर्ट्स को लिख कर बुलाया; वे पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन्होंने आकर उसको देखा। अब उसको रिपेयर किया जा रहा है। महीने दो महीने का मामला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी भाखरा की पॉवर लेकर शुरू कर दिया और इसमें देरी नहीं लगाई गई। अब दोनों ही ऑल्टर्नेटिव हमारे पास मौजूद हैं। हम शीघ्र ही कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। जैसा बहुत से माननीय सदस्यों ने राज्यपाल के भाषण के समय सुझाव दिया था कि विन्टर सीज़न में आर्टिफिशियल वे में किया जाय। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसे नेचूरल तरीके से ही बढ़ायेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी।

चौथी बात एक प्रस्ताव में कही गई कि हमको जिप्सम, लाइम स्टोन को नेशनेलाइज़ करना चाहिये। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने शायद कहा था। सरकार ने जो पहले लीज़ दे दी है उस लीज का पीरियड समाप्त न हो जाय या लीज़ पीरियड टर्मिनेट न हो जाय तब तक करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन भविष्य में या तो राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर में या भारत सरकार पब्लिक सेक्टर में यह काम करेगी। यह कॉन्करेन्ट लिस्ट में होने के कारण भारत सरकार भी काम कर सकती है। हमारे और भारत सरकार के बीच कुछ मतभेद हुआ है, लिखा पढ़ी चल रही है। भारत सरकार करेगी तो भी पब्लिक सेक्टर में यह कार्य होगा और राज्य सरकार करेगी तो भी पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट पार्टीज़ को देने की बात नहीं है।

लाइम स्टोन के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने प्रकाश डाला है और बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बूंदी में और ब्यावर में लाइम स्टोन बहुत बड़ी तादाद में अच्छी क्वालिटी का निकला है, राज्य सरकार विचार कर रही है कि पब्लिक सेक्टर में ब्यावर या बूंदी में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई जाय। बूंदी में या ब्यावर में कहां इकोनॉमिकल होगी यह देखने की बात है। बूंदी रेल्वे स्टेशन से १२ मील की दूरी पर है और ब्यावर में पानी मिल सकता है या नहीं, यह देखना होगा। इसके बारे में कमेटी फैसला करेगी, उसके अनुसार विचार किया जायगा।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, एक बार और कहना चाहूंगा कि कितने स्पिन्डल्स सैकन्ड फाइव ईयर प्लान में मिले थे और कितने प्राइवेट लगा दिये गये, मैं कमिटमेन्ट तो नहीं कर सकता,

(श्री मथुरादास माथुर)
लेकिन भारत सरकार यदि ५०,००० स्पिन्डल्स दे सकती है और मैं भारत सरकार से बातचीत कर रहा हूं, लिखा भी है मैंने कि हनुमानगढ़ में भाखरा की वजह से कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा है और कपासन के आस-पास कॉटन का प्रोडक्शन चम्बल के कारण बढा है, इसलिये इन एरियाज़ में दो कॉटन मिल पच्चीस पच्चीस हजार स्पिन्डल्स की लगानी चाहिए। यदि भारत सरकार की इजाजत मिली तो यह काम किया जाय। इसके लिए भारत सरकार से लिखा पढ़ी कर रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : पांच हजार वाला?

श्री मथुरादास माथुर : पांच हजार रुपये वाला मेरे पास नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): दौलतरामजी को नींद की फैक्ट्री लगाने का काम दे रखा है क्या?

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात को चिन्तन से सुन रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : एक बात भी नहीं सुनी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे आत्मा में ग्रहण कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मंत्री यह बतायें....

श्री विजयसिंह झाला: रात को सिनेमा देखा था क्या?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दिन में ही देखते हैं।

श्री भैरोंसिंह: राजस्थान में जिन जिन फैक्ट्रीज़ को लाइसेन्स मिल चुका है, उसमें जो समय की पाबन्दी थी उसमें किन किन ने फैक्ट्री नहीं लगाई और उनके खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया है?

श्री मथुरादास माथुर : आप शायद थे नहीं। मुख्य मंत्री ने जवाब दे दिया था, जिन जिन लोगों को हमने प्राइवेट सेक्टर में स्पिन्डल एलॉट किये....

श्री भैरोंसिंह : स्पिन्डल का नहीं कहता। जिन जिन को फैक्ट्री लगाने के लाइसेन्स दे चुके हैं और वर्ष गुजर चुका है वे लाइसेन्स को अवेल नहीं कर रहे हैं और फैक्ट्रीज इन्सटॉल नहीं कर रहे हैं, उनके सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक पब्लिक सेक्टर का ताल्लुक है, जवाब दे रहा हूं। मिनिस्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ का जवाब देना बाकी है, वे जवाब दे देंगे।

माननीय चेयरमेन महोदय, इस मांग पर जो कट मोशन रखे, उनका मैंने उत्तर दिया। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पास रिसोर्सेज़....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): गंगानगर शूगर मिल?

श्री मथुरादास माथुर : गंगानगर शूगर मिल के बारे में कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं था। आपने जिक्र किया था, गंगानगर के दस मील के अन्दर जो गन्ना पैदा होता है, उसके अन्दर कीड़ा लग जाता है और प्रोडक्शन ठीक नहीं होता, उसका शूगर पर्सेन्टेज कम है..........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने सजेशन दिया था कि गंगानगर शूगर मिल का अपना एक फार्म होना चाहिये। जो है वह एग्रीकल्चर फार्म है, गंगानगर शूगर मिल का फार्म नहीं है। एग्रीकल्चर फार्म का दृष्टिकोण और है और शूगर मिल का दृष्टिकोण और होता है। जितनी भी सक्सेसफुल मिलें हैं उनके साथ छोटा मोटा फार्म एटैच होता है जिससे उनका सीड होता है।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार इस प्रश्न पर जागरूक है और यह मामला उसके सामने विचाराधीन है। वहां फार्म इतना नजदीक मिल जाय कि उसको ट्रांसपोर्ट करके लाने में इकोनॉमिकल हो सके ऐसी जमीन की खोज में हैं। ऐसी जमीन मिल गई तो राज्य सरकार जरूर गंगानगर शूगर मिल के साथ में दो सौ, तीन सौ एकड़ का फार्म रखेगी। यह मंशा है, नॉन-अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड का बेसिस है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा): कोऑपरेटिव बेसिस पर शूगर फैक्ट्री लगाने की बात मंडावा में चली थी। वहां के गन्ने का प्रोडक्शन अच्छा है।

श्री मथुरादास माथुर : शूगर फैक्ट्री के लिए नये लाइसेन्स नहीं मिल रहे हैं। हम कोशिश में हैं कि मिल जायं तो कोऑपरेटिव सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, कहां शक्कर पैदा करना ठीक रहेगा, यह देखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : गंगानगर शूगर मिल में घाटा क्यों चल रहा है, यह पब्लिक अन्डर-टेकिंग है? इस पर रोशनी डालें।

श्री मथुरादास माथुर : आपने रिपोर्ट देखी होगी, वह घाटे में नहीं चलती है फायदा कम है। मैं निवेदन करूंगा कि गंगानगर शूगर फैक्ट्री की मशीन की उम्र मेरे ख्याल से, करीब पच्चीस, तीस ईयर हो चुकी है.. ....

श्री भैरोंसिंह: वह हमेशा कहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हमेशा कहते हैं लेकिन क्या करें? मशीनें रिप्लेस एक दम नहीं कर सकते। साथ साथ जो गंगानगर का शूगर केन है उसका शूगर कन्टेन्ट पर्सेन्टेज कम है। तीसरी बात यह है, इस साल शूगर केन का प्रोडक्शन गुड़ की तरफ डाइवर्ट हो गया। इसलिए जो फैक्ट्री ९० डेज में चल कर फायदे में चलती है वह ४८ डेज काम नहीं कर सकी, क्योंकि शूगर केन की अवेलेबिलिटी कम है। लोगों की दिलचस्पी इससे हट कर कॉटन क्रॉप की तरफ जा रही है। हम बीज डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, उनको प्रोत्साहन दिलवाया है और फैक्ट्री की तरफ से गुड़ दिया है वह इसलिए कि हमें गन्ना दे दें। यह कोशिश करते हैं, यह तसल्ली दिलवाता हूं। मशीनों के लिए लोन मांगा है कॉर्पोरेशन की तरफ से। काम बढ़े इस बात की कोशिश में लगे हैं इसलिए आपको घाटा नजर आ रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आपका कहना गलत है, कलेक्टर गंगानगर से प्रतिनिधियों ने बात की शूगर दीजिये, गुड़ दीजिये, लेकिन कलेक्टर गंगानगर ने मना कर दिया कि नहीं देंगे।

श्री मथुरादास माथुर: शूगर की नहीं कहता, लेकिन गुड़ की बात मैंने कही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मना कर दिया है।

श्री मथुरादास माथुर: गुड़ का सबसे ज्यादा कोटा दिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: चीफ मिनिस्टर के सामने बात हुई, उसने मना कर दिया।

श्री मथुरादास माथुर: एक दो आदमियों को नहीं मिला होगा। जोर से बोलने वाले होते हैं वे उसे........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कतई इन्कार कर दिया।

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट के अन्दर उन्होंने दिलचस्पी ली और साथ ही साथ कई अच्छे सुझाव भी यहां रखे। उन सुझावों के सम्बन्ध में तो मैं आगे कुछ निवेदन करूंगा, अभी यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पुराने हिस्टोरिकल ट्रेडीशन्स और पॉलिटिकल ट्रेडीशन्स को देखते हुए यह सम्भव नहीं था कि राजस्थान में कोई औद्योगीकरण हो सके। इसके अलावा यह भी बिल्कुल सच बात है कि राजस्थान के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली न होने के कारण राजस्थान में औद्योगीकरण नहीं हो सकता था। कोशिश की गई थी इस बात कि जल्दी से जल्दी राजस्थान के अन्दर बिजली की पैदावार बढ़े और इस तरफ राजस्थान ने काफी कदम भी उठाये हैं। इसको देखते हुए यह कह सकते हैं, हम आज कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियेलाइज़ेशन का क्लाइमेट, या इन्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन के १९६१ बाद पैदा हुआ और जिस तरह अभी से हम बिजली का प्लानिंग कर रहे हैं उसको देखते हुए म यह महसूस करता हूं कि राजस्थान को भविष्य में बिजली की कोई कमी औद्योगीकरण के लिए महसूस नहीं करनी पड़ेगी। राजस्थान एक कृषि प्रधान देश रहा है और इसको देखते हुए इसकी भी एक सीमा है कि जिसके ऊपर हम योजना को डिपेन्ड कर सकें और लैंड-लैस लेबर को लैंड के ऊपर बसा सकें। इन्डस्ट्रियेलाइजेशन ही एक ऐसी चीज है जो माडर्न टेक्निक के अन्दर मानी जा सकती है, जिसको आज डेवलप किया जाय तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति में सहायक हो सकती है और राजस्थान की बेकारी को मिटाने में उद्योगीकरण का एक बड़ा भारी हाथ हो सकता है। इस वास्ते राजस्थान के अन्दर पिछले कई वर्षों से एक क्लाइमेट फॉर इन्डस्ट्रियेलाइज़शन पैदा नहीं हुई थी वह क्लाइमेंट अब हम जरूर देखते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस क्लाइमेट को देखते हुए राजस्थान के अन्दर बाहर से भी कई आदमी, प्राइवेट एन्टरप्राइज़ को लगाने के लिए इच्छुक हैं और इच्छुक होना चाहिये, उनको हम पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए तत्पर हैं।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात की ताईद की कि हमको इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, प्राइवेट एन्टर-प्राइज़ हो या स्टेट एन्टरप्राइज़ हो।

(२ म० प०)

मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार की यह नीति है

(श्री हरिश्चन्द्र)

वह आपके सामने स्पष्ट रूप से आई है कि हम दोनों इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे स्टेट सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर है वह भी राजस्थान में इम्पॉर्टेन्ट सेक्टर है, उसको हटा कर हम चलना नहीं चाहते, हम प्राइवेट और स्टेट सेक्टर दोनों चाहते हैं। हमको आखिर में देखना यह है कि किस सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देश के सामने स्थिति यह है कि कौनसा सेक्टर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। अगर कोऑपरेटिव सेक्टर बढा रहा है तो उस पर जोर देने की जरूरत है, अगर स्टेट सेक्टर बढ़ाता है तो उस पर ज्यादा जोर देना चहिये और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन बढ़ाता है तो हमें उस प्राइवेट सेक्टर को बलवान बनाने की जरूरत है। ताकि हमारे यहां देश में प्रोडक्शन बढ़ सके। यदि हम स्लोगन्स पर या किसी सेन्टीमेन्ट पर चलें तो हम देश को बलवान नहीं बना पायेंगे और देश का भला नहीं कर पायेंगे। हमारे सामने लक्ष्य प्रोडक्शन का होना चाहिये। यह ठीक है कि जो पिछड़े हुए हैं उनको कोऑपरेटिव सेक्टर में लिया जावे और उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। उनको किस तरह से पैसा और टेक्निकल राय मिल सके, यह सारी बातें देखने की जरूरत है और इसके लिये भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था। करीब ६ महीने हुए एक मीटिंग एटेन्ड करने के लिये गया था, वहां इस बात पर जोर दिया था कि ५ लाख स्पिन्डल्स कोऑपरेटिव सेक्टर को एलॉट किये जावें।

इसमें आप जितने भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि मैं करीब १५ या २० दिनों के अन्दर एक स्कीम इस सम्बन्ध में आपको नजर करूंगा। आप अपने अपने एरियाज में जहां कोटन ग्रो होता हो, इस प्रकार की कोशिश करें कि स्पिनिंग मिल्स लगें जहां पॉवर एवेलेबल हो। लेकिन अभी तक कोऑपरेटिव सेक्टर को ५ लाख स्पिन्डल्स भारत सरकार ने एलॉट किये हैं, उस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने अभी तक एक भी कदम नहीं उठाया है। मैं यह चाहता हूं कि हम सब मिल कर, इधर या उधर बैठने वालों का कोई प्रश्न इसमें नहीं है, इन ५ लाख स्पिन्डल्स में से कितना कोटा हम ले सकते हैं लेने की कोशिश करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या यह वूलन के लिये भी काम आ सकता है?

श्री हरिश्चन्द्र : कॉटन में काम आ सकता है, वूलन में नहीं। मैं समझता हूँ कि चौथी पंच वर्षीय योजना में अपने को और मिलेगा। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा करेंगे तो हम इसका प्रोपर यूटिलाइजेशन कर पावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ने अब तक इस स्कीम को क्यों नहीं रखा?

श्री हरिश्चन्द्र : वह स्कीम अभी मेरे पास आई है। मैं उसको स्टडी कर रहा हूं, वह स्कीम मेरे समझ मे नही आ रही है। आपके समझ में नही आवेगी। मैं प्रोसेस करा रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: आपकी समझ में नहीं आ रही है इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों की समझ में भी नहीं आए।

श्री हरिश्चन्द्र: में उसको ठीक तरह से करवा कर आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन अगर आप ज्यादा इन्ट्रेस्टेड हैं तो में रॉ हालत में भी आपको दे दूगा। मैंने यह किया है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और कितनी धन-राशि इकट्ठी कर सकते हैं और भारत सरकार कितनी देगी और टोटल धनराशि कितनी होगी। मशीनें कहां से ले सकते हैं, कॉटन कहां से इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स सब तैयार करा रहा हूं . . . . .

श्री भैरोंसिह: ५ लाख स्पिन्डल्स के बारे में एलॉटमेंट किया था, वह कब किया गया और अब तक वह स्कीम क्यों नहीं बन पाई? तीसरी पंच वर्षीय योजना के तीन वर्ष हो चुके हैं।

श्री हरिश्चन्द्र: मैंने कहा कि यह अभी आई है। साफ कह दिया, यह कोई गुनाह है। अभी आई है इसको तीन महीने नहीं हुए हैं। में मीटिंग में दिल्ली गया था वहां के मिनिस्टरों ने कहा कि हम ५ लाख स्पिन्डल्स कोऑपरेटिव सेक्टर के लिये एलॉट कर रहे हैं in remaining two years of the plan.

श्री भैरोंसिह: शुरू में जब स्पिनिंग मिल के बारे में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर के लिये स्कीम बना रहे हैं वह स्कीम पेश नहीं की।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास एक स्कीम आई, उसकी बात मैंने आपके सामने रखी है। इस पर आप विचार करें।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं जहां औद्योगीकरण हो सकता है, जैसे खास तौर से कोटा में। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि डिस्पोजल ऑफ दी इन्डस्ट्रीज में जयपुर में कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने इस बात की लिस्ट निकाली है कि जयपुर में इन दिनों में क्या क्या हुआ है: जयपुर में वाटर मीटर फैक्ट्री, ऑक्सीजन, फ्लोर मिल इसके अलावा इन्डस्ट्रियल एस्टेट में ५० फैक्ट्रीज चल रही हैं। राजस्थान हेवी केमिकल्स इसके अलावा स्पिनिंग मिल के लिये २५ हजार के लिये शायद लाइसेन्स दिया हुआ है। इसके अलावा एक फैक्ट्री मेन्युफेक्चरिंग फोर टूल्स की बात चल रही है। इसलिये यह कहना कि सब चीजें कोटा ले जाई जा रही हैं, उपयुक्त नहीं हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह कोटा का प्रश्न नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह सारे राजस्थान का सवाल है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां बड़ी इन्डस्ट्रीज की भी जरूरत है। लेकिन ज्यादातर हमारा इन्टेन्शन स्मॉलर इन्डस्ट्रीज की तरफ जाने का है। हम यह चाहते हैं कि हमारी इन्डस्ट्रीज जो इन्डट्रीज सेन्टर हैं उसमें न जाकर रूरल एरिया में जावें। इसलिये मैंने यह पॉलिसी निर्धारित की है कि अगर कोई रूरल एरिया में इन्डस्ट्रीज लगाने जावे तो उसको प्रोत्साहन सरकार की ओर से मिलना चाहिये। यहां पर इसके अलावा रॉ-मेटिरियल और पैसे का भी सवाल है। इसमें भी उनको एन्करेजमेंट मिलना चाहिये ताकि वहां पर वे प्रयत्न कर और सेन्ट्रलाइजेशन ऑफ दी इन्डस्ट्रीज न हो।

(श्री हरिश्चन्द्र)

तो बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा, वे तो अभी यहां हैं नहीं, लेकिन सदन के सामने मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां पर इस प्रकार की फेसिलिटीज़ हैं, जहां कॉम्यूनिकेशन्स के साधन हैं, जहां वाटर और पॉवर अवेलेबल है, नेचुरली इन्डस्ट्रीज़ वहीं पर शिफ्ट होती हैं। अब धीरे धीरे ये फेसिलिटीज़ और और जगहों पर भी अवेलेबल होने लगेंगी तो वहां पर भी इन्डस्ट्रीज़ हो सकती हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि फर्स्ट और सैकिन्ड फाइव ईयर प्लान में कोई इन्डस्ट्रीज़ का ऐसा काम नहीं हुआ। थर्ड फाइव ईयर प्लान में १९६१ के बाद राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियेलाइज़ेशन की हवा चली और कई जगह इन्डस्ट्रीज़ लगी हैं, मैं उनके नाम नहीं गिनाना चाहता, आपको मालूम है। लेकिन यह जरूर है कि हमारे नेगोसियेशन्स गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से चल रहे हैं कम्प्रेशर्स फैक्ट्रीज़ के लिये और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया इस बात पर ध्यान देगी और राजस्थान में कम्प्रेशर्स फैक्ट्री लगेगी, क्योंकि राजस्थान इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड है। कम्प्रेशर्स फैक्ट्रीज़ यहां लगेंगी तो इन्डस्ट्रीज़ डेवलप होंगी। दो तीन साइट्स गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को भेजे हैं। हम चाहते हैं कि ये फैक्ट्रीज़ यहां राजस्थान में लगें ताकि हमारी इन्डस्ट्रीज़ डेवलप हो सकें।

सीमेंट फैक्ट्री के लिये एक माननीय सदस्य ने सूचना भेजी है। पहले यह नीम-के-थाना में लगने वाली थी पर कुछ टेक्निकल डिफीकल्टीज़ की वजह से वहां नहीं लग सकी और अब वह आबू रोड में लगेगी। उसको वहां लगाने की कार्यवाही चालू है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): टैक्निकल डिफीकल्टी का नाम सेठ बजाज है क्या?

श्री हरिश्चन्द्र: कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं जिनकी वजह से वहां नहीं लग सकती।

श्री मानिक चन्द सुराणा (कोलायत): केबिनेट ने कमिटमेंट किया है कि यह सीमेंट फैक्ट्री नीम-के-थाना में लगेगी। इसके बाद की फिर कोई रिपोर्ट है क्या इस सम्बन्ध में कि नीम-के-थाने में नहीं लग सकती?

श्री हरिश्चन्द्र: आबूरोड में लगाने का तय किया है। आबूरोड में फेसिलिटीज ज्यादा हैं, रेल्वे से बात चीत चल रही है। रेल्वे वालों ने भी क्लीयरेंस दे दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कोई टेक्निकल डिफीकल्टी नहीं है। दर असल वहां की सीमेंट स्टोन की खान का ठेका जिस सेठ को पांच साल के लिये देना चाहते थे वह १० साल के लिये दे दिया है। नीम-के-थाना में सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगानी थी तो पहले कमिटमेंट क्यों किया? केबिनेट ने कमिटमेंट किया है कि नीम-के-थाने में सीमेंट फैक्ट्री लगेगी, फिर यहां चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट किया है कि नीम-के-थाने में सीमेंट फैक्ट्री लगेगी।

श्री हरिश्चन्द्र: राजस्थान सरकार ने एक डिसीज़न लिया है कि जो टैरिफ है हमारी उसमें ग्रोथ हो रही है....

श्री भैरोंसिह: वे नाराज तो होंगे पर में एक प्रश्न पूछ लेता हूं। एक पर्टीक्यूलर स्थान के लिये लाइसेंस दे दिया, सरकार सारी टैक्निकेलिटीज़ को, सारी बातों को एग्ज़ामिन करने के बाद किसी जगह कोई इन्डस्ट्री खोलने का डिसीज़न लेती है और उसके लिये कमिटमेंट कर लेती है और फिर टेक्निकल डिफीकल्टीज़ का नाम ले कर डिसीज़न को बदलती है तो उस हालत में क्या यह सब चीज सरकार की अदूरदर्शिता और नाकाबलियत को प्रदर्शित नहीं करती कि उसने बिना सब बातों की अच्छी तरह स्टडी किये ही एक जगह इन्डस्ट्री लगाने का निर्णय लिया और फिर उस निर्णय को बदल दिया। क्या इस तरह हालत में लोगों के दिलों में सरकार के प्रति शक पैदा नहीं होता?

श्री हरिश्चन्द्र: मैं स्वीपिंग रिमार्क नहीं कर सकता। हर एक इन्डस्ट्री की अलग अलग डिफीकल्टीज और कन्डीशन्स होती हैं। एक व्यक्ति को लाइसेंस दिया, उसके बाद वह शिफ्ट नहीं करे, दो साल का लाइसेंस दिया है और वह इन्डस्ट्री को शिफ्ट नहीं करे तो लाइसेंस को कैंसिल करना चाहिये। हर केस को ऑन मेरिट्स कन्सीडर करना चाहिये, इन्डविजुअल केस को एग्ज़ामिन किया जाना चाहिये ऑन इट्स मेरिट्स। हो सकता है कि हमने पॉवर नहीं दी हो इस वजह से वह नहीं लगा सका। हो सकता है कि कहीं पानी अवेलेबल नहीं हो और वह कहता है कि मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूं तो हम इस बात का क्लीयरेंस तो कर सके हैं कि विदिन स्पेसिफाइड पीरियड, विदिन स्पेसिफाइड लिमिट्स लगायें, पर ऐसी इवेन्च्युएलीटीज़ आती हैं कि जिनकी वजह से नहीं कर सके और उसके लिये कहें क्योंकि वह विदिन स्पेसिफाइड पीरियड नहीं लगा सका इसलिए इसका लाइसेंस कैन्सिल किया जाय, तो ऐसी रिजिडिटी तो नहीं कर सकते। हो सकता है कि वह राजस्थान के बाहर चला गया हो, He has migrated out of Rajasthan तो हम सोचें कि इस तरह सेट-अप करने के बाद यह करें कि उस पीरियड में नहीं किया तो लाइसेंस कैन्सिल कर दिया जाय, इस प्रकार हार्ड एण्ड फास्ट करना मुश्किल होगा।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ का कहते हैं या रीगस में नीम-के-थाने के लिये कहते हैं?

श्री हरिश्चन्द्र: मैं मीडियम और स्माल इन्डस्ट्रीज़ के लिये कहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): जब आप कमिटमेंट करते हैं, जैसे कि नीम-के-थाना में सिमेंट फैक्टरी के बारे में कमिटमेंट केबिनेट ने किया है, नीम-के-थाना के बारे में हाउस में कमिटमेंट किया है .....

श्री हरिश्चन्द्र: Cabinet decision can be reversed. They can reverse it.

(शोर गुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उसके लिये आपने कहा कि टैक्निकल ग्राउंड्स है इस वजह से वहां नहीं खोल रहे हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या केबिनेट ने कमिटमेंट किया, चीफ मिनिस्टर ने यहां कमिटमेंट किया, उससे पहले इन टेक्निकल डिफीकल्टीज़ को स्टडी नहीं किया था?

श्री हरिश्चन्द्र: मैं मेरे मित्र ने जो पूछा उसका जबाव दे रहा हूं।

(शोर गुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिये। आपने लाइसेन्स दिया है हनुमानगढ़ में वह अपना लाइसेन्स बेच रहा है। He is selling his licence.

श्री दलपतसिंह (आबू) : तीन साल पहले आबूरोड वाले को लाइसेन्स दे दिया है, तो अब वहां कब काम शुरू किया जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र : यह मैं अभी नहीं कह सकता। लेटेस्ट इन्फोर्मेशन मेरे पास आई है वह मैंने सदन के सामने रखी है कि रेल्वे वालों ने क्लीयरेंस दे दिया है।

बिजली की रेट्स अब जो निर्धारित की गई हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहां जहां स्टीम टर्बाइन्स हैं वहां इन्डस्ट्रीज़ नहीं लग रही हैं, क्योंकि वहां की रेट और हाइडल रेट में बड़ा फर्क है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि जहां जहां डिस्पर्सल ऑफ इन्डस्ट्रीज़ हो उनके लिये बिजली की रेट्स इन बातों को ध्यान में रखते हुए की जांय, जो कि रेक्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा हो जायगा। दो किस्म की रेट्स रखी जांय। एक जहां स्टीम टर्बाइन्स चल रही हैं वहां और दूसरी जहां डीज़ल की है; वहां दो रेट्स रहती हैं तो इन्डस्ट्रीज़ के लिए हितकर होंगी।

इसके अलावा बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने ....:

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मेरा बड़ा सीरियस पोइन्ट रह गया।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अभी आप तक पहुंचा ही नहीं हूं।

हमने लोन दिये हैं उनके बारे में आपने और बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि १,०५,२२,४६६ रुपया तकसीम हुआ है, वह वसूल नहीं कर रहे हैं, तो यह जो लोन दिया गया है, यह लोन एक पीरियड के लिये दिया गया है। यह एकदम तो कैसे वसूल होगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ईजी इन्स्टॉलमेंट्स में लिया जाता है। ६,६७,६७४ रुपया २५८ पार्टीज को दिया गया था – यह ऐसे लोन्स हैं जो उन्होंने काम में नहीं लिये हैं, मिस्यूटिलाइजेशन हुआ है, उनके खिलाफ पी० डी०आर० के तहत वसूली की कार्यवाही चल रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) आप ही पी० डी० आर० के तहत वसूली का फैसला करते हैं और फिर आप ही फैसला कर देते हैं कि पी० डी०आर० की कार्यवाही पोस्टपोन की जाय। एक नहीं ५० पी०डी० आर० के ऐसे नोटिस आपके सामने रख सकता हूं कि पी० डी० आर० की कार्यवाही को पोस्टपोन किया है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे केसेज़ में पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही की जा रही है और की जायगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : १९५६ में दिये हुए लोन्स भी अभी तक वसूल नहीं किये जा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : हम वसूल करेंगे, पर कई ऐसे मनुष्य हैं जिनके ऊपर आज से कार्यवाही शुरू कर दें तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। कल एक माननीय सदस्य, इधर बैठने वाले नहीं उधर बैठने वाले दो आदमियों को ले कर आये थे, जो हरिजन थे ....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: मैं यह पूछना चाहता हूं कि....

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, Sir. चैयरमेन महोदया, सदन की कार्यवाही अच्छी तरह चलने देना जरूरी है, दो ही माननीय सदस्य बोलने वाले नहीं हैं, हम भी सुनना चाहते हैं Let the Minister finish first and then they may ask questions. Till then they may note their questions.

श्री हरिशचन्द्र : मैं अर्ज कर रहा था कि कोशिश इस बात की हम हम जरूर करते हैं पी० डी० आर० के थ्रू रिकवरी हो और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कोई ज्यादती कहीं पर नहीं हो रही है । सरकार कदम उठाएगी लेकिन यह भी ह्यूमेनीटेरियन ग्राउन्ड्स पर, कोई अगर ऐसा आदमी हो जो गरीब है और हम उसका पी० डी० आर० के तहत सत्यानाश कर दें तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि इस तरह का काम किया जाय ।

दूसरी अर्ज मैं यह करना चाहता था कि शेडस के बारे में फर्माया गया कि टोटल नम्बर ऑफ शेन्ड्स ३५३ बने हैं । ११ जगहों पर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनी थीं । कोशिश यह थी कि तीसरी योजना में सभी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर इंडस्ट्रियल एस्टेट बन जांय । लेकिन जो इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी हैं उनका हमें संतोषजनक लाभ नहीं मिला है इन दी सेन्स कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनी हैं उनमें से कई ऐसी हैं जो अकेली भी पड़ी हैं, तो हमने सोचा इन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को आगे बढाना बंद किया जाय लेकिन असिस्टेड इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को, अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आज भी इन्ट्रेस्टेड हो, तो हम उसकी-मदद कर सकेंगे । १०, १५ या २० आदमी मिलकर इंडस्ट्रियल एस्टेट खड़ा करना चाहें तो उसको भारत सरकार और एल० आई०सी० का भी लोन मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट अब बंद करदी गई हैं क्योंकि कई जगह अब खाली पड़ी हैं । अब हम जरूर कोशिश में हैं कि जहां जहां पर खाली पड़ी हैं उन एरियाज में जाकर आदमियों से बातचीत करें, इन्सेंटिव इस बात का दें कि आप आकर छोटी-मोटी फैक्ट्री लगाएं । मैं खुद जाऊंगा या डिप्टी मिनिस्टर साहब जायंगे और पता लगाएंगे कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं । इस बात की सर्वे करने की कोशिश करेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): किराया बहुत ज्यादा है उनका ।

श्री हरिश्चन्द्र : यह देखने की चीज है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप एग्जामिन कीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : वहां इन्डस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या करने से उनको....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कई दिक्कतें हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : जो भी दिक्कत होगी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): जब आप भीलवाड़ा पधारेंगे तो हम आपको बताएंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र: मैं सब जगह के लिए कह रहा हूं ।

इसके अलावा बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था

(श्री हरिश्चन्द्र) :
कि बांसवाड़ा के अन्दर कोई इन्डस्ट्रियल प्रोग्राम नहीं चल रहा है। बांसवाड़ा के अन्दर पॉवर की कमी है। वह वहां के डिमांड को कोप नहीं कर सकती। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बांसवाड़ा में जो माही प्रोजेक्ट है उसके लिए कम से कम रतलाम- से लाइन खींचकर माही प्रोजेक्ट को हाइडल पॉवर दिया जाय। साथ ही साथ में समझता हूं कि यह हाइडल पॉवर जब बांसवाड़ा पहुंच जायगी तो प्रोपर कलाइनेट फोर इन्डस्ट्रियलाइजेशन बांसवाड़ा का होगा। इसकी बैकवर्डनैस को देखते हुए राज्य सरकार ने डिसीजन लिया है कि एक रूरल प्रोजेक्ट वहां खोला जाय ताकि वहां के आदमियों को कुछ काम सिखा सकें। इससे वहां के लोगों की थोड़ी बहुत दिक्कत मिट सकती है।

आपने यह भी फर्माया कि वहां के आम बहुत मीठे होते हैं। मुझे मालूम नहीं कि यहां के और वहां के आमों में क्या फर्क है?

श्री नाथूराम (बागीडोरा): रस वाले हैं।

श्री हरिश्चन्द्र: उस आम का क्या हो सकता है, मैं आफ हैंड तो जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जैसे गन्ना है, यदि गन्ना पर्याप्त मात्रा में होता हो, तो खांडसारी का प्लांट लगवा सकते हैं। कोऑपरेटिव बेसिस पर लगवाना चाहते हैं, तो भी हम पैसा देंगे। अगर कोई इन्डिवीजुअल हो तो भी उसको पैसा देंगे। जो कुछ भी आप कदम उठाना चाहेंगे जिससे कि वहां की बेरोजगारी मिट सके तो आप मेरे साथ बातचीत कर लें, मैं मदद करने को तैयार हूं।

इसके अलावा सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, मैं माफी चाहता हूं कि इतना टाइम ले रहा हूं, २॥ बज गए हैं, दो तीन बातें कहीं। एक तो आपने फर्माया कि लाइसेन्स बड़ी देरी से मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य सरकार लाइसेन्स नहीं देती। लाइसेन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : स्कीम्स जो सबमिट करते हैं उसकी सैक्शन के लिए मैंने कहा था।

श्री हरिश्चन्द्र: आपने लाइसेन्स के लिए कहा था कि लाइसेंस मिलने में देरी होती है। अब जहां तक स्कीम का सवाल है, उसका हमारे यहां भी प्रोसेस होता है और एस.एस.आई. एस. आई. के अंदर भी प्रोसेस होता है। जहां तक डाइरेक्टोरेट का सवाल है, मैं डाइरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज से बात करने वाला हूं कि कम से कम हर केस में कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। जो भी आदमी स्कीम पेश करे, उसको १५ दिन या १ माह में जवाब मिलना चाहिए कि तुम्हारी स्कीम एप्रूव्ड है या डिसएप्रूव्ड है ताकि ये जो रोज झगड़े होते हैं कि हमने स्कीम दे दी उसका जबाव नहीं आ रहा है, यह दिक्कत आपके सामने न आए। इसकी स्ट्रिक्टली एन्फोर्स करेंगे जिससे कि डाइरेक्टोरेट के अंदर स्कीम इमीजियेटली प्रोसेस हो जाय और जो भी जवाब मिले, वह तुरंत मिल जाय।

इसके अलावा आपने फर्माया कि जो जेनुइन पार्टीज हैं उन्हें राज्य सरकार सुनती नहीं है। अब यह बड़ा अजीब सा क्राइटेरिया बताया। कौनसी जेनुइन पार्टीज हैं, कौनसी नहीं हैं। हम तो सबको जेनुइन

(श्री हरिश्चन्द्र) :

मान कर चलते हैं। अगर कोई ऐसा आदमी जो जेनुइननेस का दुरुपयोग करता है तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कि आप मुझे कभी भी बताएं, डाइरेक्टोरेट हर वक्त हाजिर है। ऐसे आदमी को जो ४२० करता है, प्रोटेक्शन देने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं जानता हूं कि आज वातावरण ही ऐसा बना हुआ है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ याने कोटा लेना। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो भी ब्लैक करता है, कन्ट्रोल्ड कॉमोडिटीज़ का दुरुपयोग करता है, तो वह बहुत बुरी चीज है। इसलिए हमने शुरुआत की है कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनका री-एसेसमेंट करवा रहे हैं। जब उनकी कैपेसिटी री-एसेस हो जायगी तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाकर कहेंगे कि हमारी कैपेसिटी रॉ मेटीरियल कन्ज्यूम करने की इतनी है और आप इतना दे रहे हैं। इसके अलावा इस चीज की भी डाइरेक्टोरेट से बातचीत कर रहे हैं और इस तरह के स्टेंडर्ड फॉर्मस बनाए जा रहे हैं जिनके अंदर वेरियस ग्रुप्स हों जिसके तहत हर इन्डिस्ट्रयलिस्ट, जो हमारे पास से रॉ-मेटीरियल लेता है, को रॉ-मेटीरियल की जानकारी दें कि उसका प्रोडक्ट क्या निकला, उसको कैसे बेचा, कहां वह प्रोडक्ट गया, उसके अलावा कितना सेल्स टेक्स, एक्साइज़ ड्यूटी, बिजली आदि और चीजें जो इस तरह की हो सकती है, कम से कम एक प्रोफोर्मा तैयार होकर उनके पास चला जायगा और मैं समझता हूं कि आप लोग जितने माननीय सदस्य हैं, यह महसूस करेंगे कि इस तरह की बात होती भी है, तो यह बंद की जाये और आप सब लोगों का कोऑपरेशन हुआ तो ठीक लाइन पर लाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

मैं समझता हूं कि सारी बातें मैंने अर्ज करदी हैं। मेटीरियल मेरे पास बहुत है लेकिन २॥ बज गये हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : इंडस्ट्रियल फाइनेंन्स कोर्पोरेशन के बारे में कुछ नही कहा।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने एक पॉइंट कहा, १,०६,००० रुपयों वाला।

वह यह था कि फाइनेन्स कोर्पोरेशन के लिए बजट में रिफलेक्शन हुआ, फिगर्स दिये हैं ६२-६३ के लिए। उसका पेमेन्ट १९६३-६४ में हुआ, इसलिए एक लाख उधर हुआ। Payment has been made in 1963 and therefore this is the difference.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : बजट में यह हुआ है paid upto 31-3-63. बेलेन्स शीट यह बताती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ढाई टके की टोपी के लिए कुछ नहीं बताया ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह अमाउन्ट १९६२-६३ में आना चाहिये था लेकिन १९६३-६४ में दिया, उसका रिफलेक्शन है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): इसका मतलब यह हुआ कि गलत सूचना दी है आपने सदन में। उसमें लिखा है "Rs. 10 lacs 60 thousand paid as subsidy upto 31-3-63." कब पे किया ? ३१.३.६३ के बाद पे किया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऑडिट हो गया, सो हो गया।

श्री हरिश्चन्द्र : subsidy paid in 1963 for the year 1962-63

Page No. 132

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : खादी का जो चेरिटेबल सेक्टर है उसके बारे में कोई बात नहीं आई। आपने एक चेरिटेबल सेक्टर दिया प्रइवेट सेक्टर को।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदया, जहां तक खादी और कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ का संबंध है नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया था और दो मुद्दे उन्होंने रक्खे थे। उनमें एक तो यह कि कुछ ऐसी खादी की संस्थायें हैं जो खादी के सूत के साथ मिल का सूत भी मिला देती हैं और जिसकी वजह से खादी पहिनने वाले लोगों के दिमाग पर आघात पड़ता है और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है; इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। सदन के इस ओर और उस ओर खादी पहिनने वाले माननीय सदस्य हैं वे कभी इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि खादी में मिल का सूत मिलने दिया जाय। फिर भी किसी संस्था ने ऐसा काम किया है, जैसा यहां बताया, तो उसके लिये सख्त कदम उठाया गया है। कानूनी जुर्म बनता है तो पुलिस में रिपोर्ट हो सकती है। इसके लिए और कदम उठाया जायगा फिर फिर भी आपने सदन में उसका जिक्र किया है तो राज्य सरकार उसके बारे में और जांच करेगी।

दूसरी बात यह कही कि कोऑपरेटिव संस्थाओं को लोन मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता है। उसके लिए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायत पहले भी आयी थी। एप्रूव्ड संस्थाए हैं जिनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, ये खादी की एप्रूव्ड संस्थायें होने से प्रोडक्शन कर सकती हैं और बेच सकती हैं कोई नयी संस्था खोले तो ज्यादातर रुपया खादी कमीशन से मिलता है। हमारे यहां खादी बोर्ड है। मैं उसको ओटोनोमस बोर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन सेमी-ओटोनोमस बोडी है, जो रुपया देती है। जो कुछ भी क्रिटिसिज्म किया गया है उसमें कितना भी तथ्य हो उसको ठीक करने की कोशिश की जायेगी। खादी के जरिये से हजारों बहिन-भाई को रोजी और रोटी मिलती है। गरीबी उनकी दूर होती है। उसके महत्व को मानते हुए हम ऐसा प्रयत्न नहीं करेंगे कि खादी के प्रोडक्शन का जो बिस्तार हो रहा है वह बन्द हो जाय। ये जो कमियां बतायी गई हैं उनकी ओर ध्यान दिया जायगा। खादी कमीशन का भी ध्यान दिलाया जायगा। मुख्य मंत्रीजी ने तो एक कमेटी की भी घोषणा की थी वह भी उसको देखेगी और ऐसी बातों को दूर करेगी।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : सरकार की तरफ से रिप्लाई आया। मैं इस विषय में एक ही प्रार्थना करूंगा कि जिस संस्था के लिए मैंने अर्ज किया। अखबार निकलता है बोर्ड का अखबार है, उसमें दो दफा जिक्र आया क्या दिक्कतें हैं कि उस सम्बंध में एक्शन न हो? उसका कारण यह है : Chairman of this Board and the President of Ajmer Gram Seva Mandal, member of this Board जो गवर्नमेंट ने नोमीनेट किया है and the Secretary whose vouchers have been taken - they are all safe. Therefore, I request that some immediate steps should be taken immediately.

श्री मथुरादास माथुर : I think the Committee that has been formed will go into this question also.

(करतलध्वनि)

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : प्लानिंग मिनिस्टर महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि टोंक यहां से ६२ मील दूर है और वहां पर कांच अच्छा बन सकता है। कांच बनाने के लिए जितने कम्पोजिट डिपोजिट्स चाहिए वे वहां मौजूद हैं। वहां के लोग बड़े गरीब हैं और उनको इस उद्योग मे काम मिल सकता है। वहां की गरीबी दूर हो सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : टोंक में जितना मेटिरियल है कुछ तो आप काम में ले आयेंगे और कुछ हम ले आवेंगे ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मेटिरियल भी बढ़िया है ।

श्री मती सभानेत्री: प्रश्न यह है कि माग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५ उद्योग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५४,६०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २१ स्वीकार की गई

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०६,३४००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४१ स्वीकार गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७ - वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ५०,६२,०००) रु० तक की राशि दान की जावेय ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १४ स्वीकार की गई ।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल सवेरे ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०पू० २.३८ बजे वृहस्पतिवार, दिनांक २६-३-१९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त–विवरण

(बुधवार दिनांक २५ मार्च, १९६४)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

जमीन का एलॉटमेन्ट ।

सुजानगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट ।

मेव फैमिलीज को घर तथा जमीन की वापसी – अलवर ।

कोटा ट्रान्सपोर्ट लि०, कोटा में सरकार के शेर्यस ।

ग्राम कानपुरा व रामगढ़ के दरमियान सड़क ।

ग्राम पंचायत, कुड़गांव द्वारा खाद की खरीद ।

आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों में असंतोष ।

पंचायत समिति भीम को जीप ।

हायर सैकन्डरी स्कूल भवन, तहसील शाहबाद ।

पीने के पानी की कमी पूर्ति हेतु अनुदान ग्राम कालवा ।

सहकारी समितियों को ऋण-जिला नागौर ।

न्यू तेज टाकीज, अलवर का ठेका ।

प्रोविडेन्ट फन्ड ।

गम्भीर नदी पर पुल का निर्माण ।

गंगापुर–हिंडौन बिजली लाइन ।

कोटा–शिवपुरी सड़क ।

बिजली उपभोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही, बीकानेर ।

भादरा - हिसार सड़क ।

राजस्थान एम्पोरियम की बिक्री व खर्चे के आंकड़े ।

संयुक्त कृषि सहकारी समिति, किशनवास से अनुदान की वसूली ।

विद्युत मंडल का मेन्टीनेन्स व ऑपरेशनल खर्च ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान ।

स्थगित प्रश्न (१७-३-६४)

ठेकेदारों की जब्त की गई सिक्योरिटी डिपोजिट ।

अल्पकाल सूचना प्रश्न ।

बाल भारती बालघर–जगपुर ।

अतरांकित प्रश्नों के शीर्षक ।

वैद्य व उप वैद्य ।

पंचायत समिति, परबतसर में विकास कार्य ।

पंचायत समिति फतेहपुर की बैठकें ।

इन्द्रगढ़ से दीपरी तक पक्की सड़क ।

सरपंचों के विरुद्ध मुकदमे - जिला अलवर ।

जंगलात एरिया ।

———

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने राजस्थान जेल सुधार आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्री पोहूमल ईसरदास, सदस्य, विधान सभा को दिनांक २४ मार्च, १९६४ से सत्र के अन्त तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई ।

आय-व्ययक, १९६४-६५

(द्वितीय अवस्था)

अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५––उद्योग

(२) मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ९६–– औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

(३) मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७––वैज्ञानिक विभाग

प्रथम दो मांगें श्री हरिश्चन्द्र, उद्योग मंत्री एवं तृतीय मांग श्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई। इन मांगों पर कुल ९१ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, योजना मंत्री, श्री मथुरादास माथुर तथा उद्योग मंत्री श्री हरिश्चन्द्र के उत्तर के पश्चात, उपरोक्त तीनों मांगे सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

गुरुवार दिनांक २६ मार्च, १९६४ की कार्य-सूची

(१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३––पुलिस

(२) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६७–– भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते ।

(३) अनुदानों की शेष मांगों पर मुखबन्द का प्रयोग ।

(४) राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४ का पुरः स्थापन।

परिशिष्ट १

(कृपया तारान्कित प्रश्न संख्या ४७० के उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	वर्ष	नाम ठेकेदार	तादाद रकम सिक्योरिटी जो जब्त की गई	कारण
१	१९५७	श्री गोरधन दास ठकेदार, जयपुर	७७,७५६	न्यू हाई कोर्ट बिल्डिग का कार्य अधूरा छोड़ने के कारण ।
२	१९५९	श्री धर्मसिह, चित्तौड़गढ़	१९,५०९	कलेक्टोरेट बिल्डिग, चित्तौड़गढ़ का कार्य अधूरा छोड़ने के कारण।
३	१९६१	श्री धर्मसिह कछावा	१७,५१६.५	पोलीटेक्निक बिल्डिग, उदयपुर का कार्य अधूरा छोड़ने के कारण।
४	१९६२	श्री मनोहरलाल कैलाशचंद, ठेकेदार, जयपुर	१९,१२२	न्यू हाई कोर्ट बिल्डिग, जयपुर की ऊपर मंजिल का कार्य अधूरा छोड़ने के कारण।
५	१९६३	श्री मांगीलाल, ठेकेदार, सांभर	११,३४६·५१	जोबनेर होस्टल भवन का कार्य अधूरा छोड़ने के कारण।

———